F.I.R. No. 180/20

<table>
<tr><th rowspan="2">Sr. No.</th><th rowspan="2">Title</th><th rowspan="2">No.</th><th colspan="2">Register NC/FIR</th><th colspan="2">Time of Incident</th><th colspan="2">information of incident</th><th rowspan="2">u/s</th><th rowspan="2">Complainant</th><th rowspan="2">Accuseds</th></tr>
<tr><th>Date</th><th>Time</th><th>Date</th><th>Time</th><th>Date</th><th>Time</th></tr>
<tr><td>1</td><td>FIR</td><td>176/20</td><td>23.05.20</td><td></td><td>23.05.20</td><td>7:00 AM</td><td>23.05.20</td><td>12:59 PM</td><td>324, 323, 504, 506, 34</td><td>Salim Ajijuddin Ansari</td><td>1. Ramzan 2. Badruddin 3. Zakir Manihar</td></tr>
<tr><td></td><td>Comments</td><td colspan="10">
a (i) FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम अंसारी ने FIR के ब्यान के पेज नं. 1^{st} के पैरा 4^{th} के लाईन नं. 5^{th}-7^{th} के अनुसार बदरुद्दीन ने शारिक अंसारी, सैय्यद हनीफ और 60 वर्षीय महिला सलमा को हाथों से मारा है और पेज नं. 1^{st} के पैरा 4^{th} के लाईन नं. 7^{th}-9^{th} के अनुसार रमजान ने फरियादी सलीम व फरियादी के भाई शारिक को रॉड से मारा।
(ii) FIR No. 180/20 के फरियादी शारिक अंसारी के अनुसार FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम को व FIR No. 180/20 के फरियादी शारिक को रमजान द्वारा रॉड से मारा गया (सबूत कहीं भी कोई भी नहीं दिया गया)।
उपरोक्त कथनों से साबित होता है कि FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम के अनुसार कथित घटना में रॉड का उपयोग दो लोगों (फरियादी सलीम व उसके भाई शारिक) पर किया गया है (सबूत कहीं भी कोई भी नहीं दिया गया)।
b. (i). FIR No. 177/20 के फरियादी बदरुद्दीन मनिहार द्वारा FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम के द्वारा बताये गये कथित घटनास्थल की उपलब्ध कराई गई सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार दि. 23.05.2020 की सुबह 7:37:35 पर FIR No. 180/20 का फरियादी शारिक हाथ में बंबु लेकर बदरुद्दीन पर हमला कर रहा है और फरियादी के भाई जावेद, बदरुद्दीन को पीछे से पकडे हुये है जिसकी वजह से बदरुद्दीन अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा।
(ii). 7:37:41 पर FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम और उसके साथ में 5-6 शख्स भागते हुये आते दिख रहे है जिनमें एक महिला भी दिख रही है, यह सब बदरुद्दीन पर हमला कर रहे हैं।
उपरोक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित हो रहा है कि FIR No. 176/20 व FIR No. 180/20 के फरियादी (सलीम व शारिक) झूठे व बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, हमला उनपर नहीं हुआ है बल्कि उन्होंने व उनके परिजनों ने बदरुद्दीन पर हमला किया है। अतः FIR No. 176/20 झूठे व बेबुनियाद आरोप पर बी.के.सी. के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों (जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे और PI शलयम महादेव कोले) की मिलीभगत से दर्ज की गई है जबकि घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज सभी वरिष्ठ अधिकारियों [श्री. मनोज शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिम क्षेत्र); श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8); श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन); श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना); कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर/जाँच अधिकारी, बी.के.सी. पुलिस थाना) और शलयम महादेव कोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना)] को Whatsapp पर घटना के कुछ समय बाद ही उपलब्ध करा दी गई थी।
c. FIR No. 176/20 के फरियादी (सलीम) के परिजनों द्वारा न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये गए इंटर्व्यू के वीडियो में 6:45 मिनट पर FIR No. 180/20 का फरियादी शारिक कहता है कि, "पीछे साईड 5 टाँके हैं, आगे साईड 3 टाँके, सुबह वो लोग जब लफड़ा, पत्थरबाजी किये थे उस वक्त 5 टाँके पीछे आये थे और जब शाम को 20-25 लोगों ने मारा तब 3 टाँके आये थे"।
उपरोक्त कथन से साबित हो रहा है कि, FIR No. 176/20 के ब्यान के अनुसार कथित घायल शारीक ने कहीं भी यह नहीं कहा कि, 'रॉड से हमला किया गया' बल्कि 'पत्थरबाजी किये थे' ऐसा कहा है।
d. न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये इंटर्व्यू में FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम द्वारा 7:42 मिनट के बाद एंकर को बताया गया कि, "मुझे इसलिये मारे कि, मैं शारिक को छुड़ाने गया था कि, भाई को छोड़ दो, तो एक ने मुझे चॉपर से सिर पर मारा"।
उपरोक्त कथन से FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम, FIR No. 176/20 में अपने खुद के द्वारा दिये गये ब्यान से बिल्कुल अलग ही हट कर ब्यान एंकर को दे रहा है। FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम ने FIR दर्ज करवाते समय कहा था कि, "रमजान ने उसे व उसके भाई (शाकिर) को रॉड से मारा था" जबकि दि. 25.05.2020 के दिन न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये गये इंटर्व्यू में कहा था कि, "मुझ पर चॉपर से हमला किया" अतः FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम के खुद के दिये बयानों में आपस में ही विरोधाभास है।
e. हनीफ सैय्यद न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये इंटर्व्यू में 11:00 मिनट पर कहता है कि, "सुबह बाहर ये लोग पत्थर मार रहे थे, मैं छुड़ाने गया तो रमजान ने मुझे फाईट मारा और मैं गिरा, कुछ बात नहीं हुआ, पुलिस आ गई"। इंटर्व्यू में दिये हनीफ के बयान से साबित हो रहा है कि, कथित घटना में रमजान ने रॉड का उपयोग नहीं किया अगर रॉड का उपयोग किया होता तो रमजान द्वारा फाईट से मारे जाने की अपेक्षा रॉड से ही मारा जाता।
उपरोक्त तीनों (सालिम अंसारी, शारिक अंसारी व हनीफ सैय्यद) के द्वारा अलग-अलग दिये ब्यानों से साबित हो रहा है कि, FIR No. 176/20 में बताई जा रही कथित घटना के बारे में तीनों ही लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इन तीनों के ब्यान एक ही समय के बताये जा रहे हैं, ऐसी स्थिती में तीनों के ब्यान एक जैसे ही होने चाहिये थे जो ना होना ही साबित कर देता है कि, FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम ने झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करवाई है।
</td></tr>
<tr><td>2</td><td>FIR</td><td>177/20</td><td>23.05.20</td><td>4:47 PM</td><td>23.05.20</td><td>7:30 AM</td><td>23.05.20</td><td>3:30 PM</td><td>324, 323, 504, 506, 34</td><td>Badruddin Manihar</td><td>1. Salim Ansari 2. Sharik Ansari 3. Javed Ansari 4. Murslin Ansari</td></tr>
<tr><td></td><td>Comments</td><td colspan="10">
a. FIR No.177/20 के फरियादी बदरुद्दीन मनिहार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व जाँच अधिकारी कन्हैय्यालाल शिंदे के Whatsapp पर घटना के कुछ समय बाद ही सी.सी.टी.वी. फुटेज उपलब्ध करा दी थी। जो घटनास्थल पर मौजूद CCTV कैमरे में संग्रहित थी
i. जिसके अनुसार साबित होता है कि, दि. 23.05.2020 के दिन 7:37:35 पर FIR No. 180/20 का फरियादी शारिक हाथ में बंबु लेकर बदरुद्दीन पर हमला कर रहा है, फरियादी के भाई जावेद, बदरुद्दीन को पीछे से पकडे हुये है जिसकी वजह से बदरुद्दीन अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा।
ii. 7:37:41 पर FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम और उसके साथ में 5-6 शख्स भागते हुये आते दिख रहे है जिनमें एक महिला भी दिख रही है, यह सब बदरुद्दीन पर हमला कर रहे हैं।
उपरोक्त कथन साबित करते हैं कि, FIR No. 177/20 के फरियादी बदरुद्दीन मनिहार का ब्यान सही है जिसकी सच्चाई को साबित करने के लिये तकनीकी सबूत के रूप में सी.सी.टी.वी. फुटेज मौजूद हैं।
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>FIR</td><td>180/20</td><td>24.05.20</td><td>2:38 AM</td><td>23.05.20</td><td>7:30 PM</td><td>23.05.20</td><td>11:30 PM</td><td>307, 324, 504, 143, 147, 148,</td><td>Sharik Ajijuddin Ansari</td><td>1. Badruddin 2. Ramzan 3. Talib</td></tr>
</table>

									149		4. Hussain 5. Asif 6. Zakir

Other names mentioned in Supplimentary statement:

7. Nasir 8. Bhawna Shirekar 9. Faisal 12A
10. Mohsin Dalda 11. Saira 12. Zubair Haddi
13. Husnain Kaliya 14. Samir Shaikh

Comments

a. FIR No. 180/20 के फरियादी शारिक के ब्यान के पेज नं. 1st के पैरा 4th की लाईन नं. 3rd -5th के अनुसार फरियादी के परिजन अचानक शाम के समय 7:30 बजे यह प्लान बनाते हैं कि, वे जावेद के बेटे मुर्सलीन की शादी की बातचीत करने लड़की के घर जायेंगे और कुछ ही पलों में ही लड़की के घर पहुँच जाते हैं जिससे साबित होता है कि, फरियादी के घरवालों ने अचानक लड़की के घरवालों के घर जाने का कार्यक्रम बनाया है।

b. पेज नं. 1st के पैरा 4th की लाईन नं. 6th -8th के अनुसार FIR No. 180/20 का फरियादी शारिक कहता है कि सभी आरोपी अचानक उसके सामने आये। कथित घटनास्थल के नक्शे के अनुसार फरियादी का ब्यान निम्न आधार पर झूठा साबित होता है:-

i कथित घटनास्थल पर किसी भी हालत में यदि एक साथ अचानक 14 हमलावर फरियादी द्वारा बताये कथित हथियारों के साथ सामने आ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत में ऐसे कथित घटनास्थल पर मौजूद कथित हमलावरों को उनके हाथ में पकड़े हथियार के रंग के साथ पहचानने की क्षमता नहीं रखते, यह असंभव है। अतः फरियादी शारिक का उपरोक्त कथन ही उसे झूठा साबित करता है।

ii. कथित घटनास्थल से लगभग 200 मीटर की दूरी से एक वीडियो उस वक्त बनाया गया था जब फरियादी व फरियादी के परिजन लड़की के घर लड़के व लड़की की शादी की बातचीत करने जा रहे थे, उस वीडियो से प्राप्त कुछ तस्वीरों को देखिये जिसके अनुसार वीडियो बनाने वाली जगह से कथित घटनास्थल के बीच में मौजूदा बिजली के खंबों की लाईटें बंद अवस्था में थीं और पूरी सड़क पर अंधेरा छाया हुआ था। वीडियो के 55 सेकंड के आसपास की तस्वीर देखिये, यह तस्वीर गली नं. 49 और 50 के बीच की है जहाँ मोटर साईकल खड़ी है। वीडियो में 1.12 सेकंड के आसपास की तस्वीर देखिये, यह तस्वीर गली नं. 52 की है जहाँ पर हल्की सी बिजली की रोशनी दिखाई दे रही है इस वीडियो से साबित होता है कि, फरियादी द्वारा लगाये गये आरोप के कथित घटनास्थल पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी ही नहीं है फिर कैसे फरियादी ने 14 आरोपियों को उनके नाम व हथियारों के साथ तो पहचाना ही बल्कि हथियारों के रंग को भी पहचान लिया। यह बिल्कुल असंभव है अतः साबित होता है कि फरियादी ने झूठी शिकायत पर FIR No. 180/20 दर्ज करवाई है।

c. पेज 1st के पैरा 4th की लाईन नं. 16th -20th के अनुसार बदरुद्दीन ने फरियादी के सिर पर कथित रॉड से हमला किया व उसके सिर से खून निकला और जब उसकी आवाज सुनकर फरियादी के रिश्तेदार बाहर आये तो उन सभी को भी पाईप, बांबु व काठी से मारा गया। फरियादी द्वारा बताये गये कथित हमले में कई परिजनों पर हमला हुआ है जबकि जाँच अधिकारी द्वारा अदालत में दिये ब्यान में बताया गया है कि फरियादी द्वारा जो मैडिकल रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है उसके अनुसार फरियादी के सिर पर लगी वह कथित चोट जो FIR No. 176/20 के फरियादी के ब्यान के अनुसार सुबह के समय रमजान के द्वारा किये गये कथित हमले में उपयोग किये गये कथित रॉड के हमले से उत्पन्न हुई थी उसी घाव के ऊपर ही नया घाव बना है। इसके अलावा अन्य किसी के भी शरीर पर कोई सा भी छोटा या बड़ा गंभीर घाव तस्वीरों से या वीडियो आदि के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है और ना ही फरियादी के शरीर पर कहीं भी ऐसा कोई घाव है जिससे साबित हो सके कि, जब उस पर कथित हमला हुआ था तब उसने अपने बचाव का प्रयत्न करते हुये चोट खाई हो। अतः साबित हो जाता है कि फरियादी अपने निजी फायदे व अन्य किसी के कहने पर भ्रष्ट पुलिस अधिकारी शिंदे के साथ मिलकर 14 बेगुनाहों पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।

d. फरियादी द्वारा supplementary ब्यान में 1st पेज के पैरा 2nd की लाईन नं. 2nd -3rd में कहा गया है कि, फरियादी के परिजनों पर चॉपर व लोहे की सरियों से हमला किया गया जबकि FIR दर्ज करते समय दिये ब्यान में चॉपर का कहीं भी जिक्र नहीं है। चॉपर व रॉड का फर्क प्रत्येक इंसान जानता है फिर भी प्रथम ब्यान में चॉपर की जानकारी ना देना साबित करता है कि, यह supplementary ब्यान निजी फायदे व किसी के कहने पर और भ्रष्ट पुलिसकर्मी कन्हैय्यालाल शिंदे की मिलीभगत से अदालत को गुमराह करने के उद्देश्य से साजिश के तहत शामिल किया गया है। भ्रष्ट, बेगैरत, बेशर्म जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे यह भी जानता था कि यदि मैंने चॉपर का जिक्र अदालत के ब्यान में किया तो जाँच अधिकारी की गलती पकड़ी जायेगी इसलिये जाँच अधिकारी द्वारा अदालत को दिये बयान में चॉपर का जिक्र नहीं किया गया।

e. फरियादी ने supplementary ब्यान के पेज 2nd के पैरा 2nd में आठ नये नाम जोड़ने के लिये कहा है। भ्रष्ट, बेगैरत, बेशर्म PI कन्हैय्यालाल शिंदे के पास उपरोक्त supplementary ब्यान लिखित दस्तावेज़ के अनुसार 31.05.20 तक पहुँच चुका था जिसका साफ मतलब है कि उसके पास आठ नये नाम पहुँच चुके थे फिर भी जाँच अधिकारी के द्वारा दि. 17.06.2020 के दिन अदालत को दिये गये ब्यान में केवल तीन ही नये नाम जोड़े गये जो साबित करते हैं कि, भ्रष्ट PI शिंदे ने अदालत को गुमराह करने के लिये फरियादी का नया supplementary ब्यान अपनी सुविधानुसार अपने आकाओं के कहने पर fabricate करते हुये तैयार किया जिससे वह अदालत को गुमराह करके अपने आकाओं के द्वारा फेंकी गई रोटी का कर्ज चुका सके। यह supplementary ब्यान सीधे जाँच अधिकारी को दिये जाने की अपेक्षा डी.सी.पी. को दिया गया था जिससे FIR में अन्य आरोपियों के नाम दर्ज किये जाने में हुई देरी का बहाना भी जाँच अधिकारी को मिल सके और रिसीव की तारीख में की गई हेरफेर भी supplementary ब्यान के फर्जीवाड़े को साबित करती है।

f. FIR No. 176/20 के बिंदु क्र. b, c, d, & e से साबित हो रहा है कि, FIR No. 176/20 के फरियादी सलीम ने झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करवाई थी।

g. न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये इंटर्व्यू में 8:48 मिनट के बाद FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम कहता है कि, "मुझे रॉड-रॉड से मारे, मुझे 5 टाँके आये" जबकि भ्रष्ट PI शिंदे द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया गया कि FIR No. 180/20 में फरियादी शारिक के सिवा किसी अन्य को कोई गंभीर चोट पहुँची हो। FIR No. 176/20 का फरियादी सलीम झूठ बोल रहा है यह साबित होता है जिससे यह भी साबित होता है कि, यह अपने निजी फायदे के लिये कभी भी कुछ भी झूठ बोलकर किसी के भी ऊपर झूठे गंभीर आरोप लगाकर उनके ऊपर भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से FIR दर्ज करवा सकते हैं।

h. भ्रष्ट जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे द्वारा अदालत को दिये ब्यान में कहा गया है कि, फरियादी को सुबह किये गये कथित हमले के समय लगे घाव में ही शाम को दुबारा किय गये कथित हमले से बड़ा घाव हुआ है। यहाँ पर भ्रष्ट जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे के द्वारा अदालत में दिये गये इस ब्यान से साबित हो रहा है कि, वह खुद जज बनकर यह फैसला कर रहे हैं कि, 'सुबह के समय फरियादी के सिर पर जो कथित घाव हुआ था वह घाव बदरुद्दीन व रमजान के द्वारा ही किया गया था'। जिससे साबित होता है कि, भ्रष्ट जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे ने खुद FIR No. 176/20 की जाँच प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और उसकी चार्जशीट भी तैयार कर ली है साफ है कि, यदि FIR No. 176/20 के आरोपियों पर लगा आरोप झूठा साबित हो जाता है तो यह भी साबित हो जायेगा कि, FIR No. 180/20 में फरियादी शारिक द्वारा आरोपियों पर लगाये सभी आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं।

उपरोक्त कथनों से साबित होता है कि, भ्रष्ट जाँच अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे ने FIR No. 176/20 और FIR No. 180/20 के फरियादियों (सलीम अंसारी व शारिक अंसारी) के साथ मिलकर उनके व अपने निजी फायदे के लिये व अपने आकाओं से मिलने वाले हफ्ते को लगातार जारी रखने के लिये यह फर्जी FIR दर्ज करवाई हैं अतः 'संवैधानिक व्यवस्था को बचाये रखने' व 'आम नागरिकों का संविधान पर' व 'मुंबई पुलिस पर' भरोसा कायम रखने के लिये ऐसे भ्रष्ट, बेईमान, बेगैरत अधिकारी की वर्दी को तुरंत उतार लेना चाहिये और उसे बर्खास्त करके जेल की अंधेरी कोठरी में भेज दिया जाना चाहिये।

Sr. No.	DATE	EVENT	Complainant/letter by	Against	Remarks
1.	30.08.2019	'झूठी शिकायत पर भ्रष्ट अधिकारी द्वारा मर्डर के आरोपी के साथ साजिश करते हुये मिलीभगत से दर्ज हुई FIR No. 204/2019 की जाँच करते हुये की गई FIR को निरस्त करने व जिम्मेदार दोषी अधिकारी और झूठी शिकायत करनेवालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु' Mumbai C.P., Jt.C.P. (crime), Addl.C.P.(WR), D.C.P.(Zone 8), A.C.P. (Kherwadi Divi.), Sr.P.I.(BKC PS), Sr.P.I. (Kherwadi PS) आदि को आवेदन दिया गया|	मो. जावेद हसन इदरीसी	1. सालिम कुरैशी, 2. फिरोज़ खान 3. सूलेमान खैरानी 4. जलील मुल्ला 5. सलीम 6. अनवर खान 7. शेखर 8. इरशाद खान 9. अरशद खान	पत्र का परिणाम रहा कि, मामले को दबाने के लिये तुरंत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और जाँच अधिकारी का ट्रांस्फर कर दिया गया जिससे सच्चाई उजागर ना हो सके और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की जरुरत ना पड़े|
2.	11.12.2019	हत्यारे सालिम कुरैशी (corporater ward no 92 AIMIM party के पति) द्वारा की गई हत्या के विरोध प्रदर्शन के लिये किया गया ट्वीट	बदरुद्दीन मनिहार	सालिम कुरैशी	कोई कार्यवाही नहीं
3.	01.02.2020	HDIL मालिक व उनके गुंडों के खिलाफ पानी चोरी की शिकायत Chief Minister, CEO SRA, Municipal Commissioner of Mumbai and Commissioner of Police Mumbai आदि को भेजी गई	बदरुद्दीन मनिहार	HDIL मालिम व उसके गुंडे	कोई कार्यवाही नहीं
4.	06.02.2020	HDIL मालिक व उनके गुंडों के खिलाफ की गई शिकायतों की वजह से कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये बदरुद्दीन पर व बदरुद्दीन के करीबी लोगों को फर्जी मामलों में फँसाने व बदनाम करके हत्या करने की प्लानिंग की जा रही है के बारे में Commissioner of Police Mumbai को भेजी गई शिकायत	बदरुद्दीन मनिहार	HDIL मालिम व उसके गुंडे	कोई कार्यवाही नहीं
5.	13.02.2020	HDIL मालिक व उनके गुंडों के खिलाफ पानी चोरी की शिकायत Sr.P.I. B.K.C. Police station दी गई	बदरुद्दीन मनिहार	HDIL मालिम व उसके गुंडे	कोई कार्यवाही नहीं
6.	19.02.2020	i. Ref. No. 1113/BKC PS Dt. 19.02.2020 - HDIL के मालिक व गुंडों द्वारा HDIL की सभी बिल्डिंगों में गैर-कानूनी तरीके से भारी डिपॉजिट लेकर भाडे पर दिये जाने के मामले में शिकायत दिये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के PI एस.एम कोले के द्वारा आवश्यक सबूत तीन दिन के अंदर उपलब्ध करवाने के लिये बदरुद्दीन मनिहार को नोटिस दिया गया| ii. Ref. No. 1119/BKC PS Dt. 19.02.2020 - HDIL की सभी बिल्डिंगों में गैर-कानूनी तरीके से मनपा का पानी चोरी करके दिया जा रहा है साथ ही बिल्डिंगों की सीवर लाईन की गंदगी गैर-संवैधानिक नियमों के तहत पीने के पानी की पाईप लाईन के	API एस.एम. कोले (BKC PS)	बदरुद्दीन मनिहार	

		ऊपर जानबूझकर छोड़ी जा रही है, के मामले में शिकायत दिये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के PI एस.एम कोले के द्वारा आवश्यक सबूत तीन दिन के अंदर उपलब्ध करवाने के लिये बदरुद्दीन मनिहार को नोटिस दिया गया। iii. Ref. No. 1122/BKC PS Dt. 19.02.2020 - HDIL की सभी बिल्डिंगों में गैर-कानूनी तरीके से मनपा का पानी चोरी करके दिया जा रहा है साथ ही बिल्डिंगों की सीवर लाईन की गंदगी गैर-संवैधानिक नियमों के तहत पीने के पानी की पाईप लाईन के ऊपर जानबूझकर छोड़ी जा रही है के मामले में की गई शिकायत की वजह से कार्यवाही के लिये दि. 11.02.2020 को पानी विभाग H/E वॉर्ड से आये सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने वाले हिस्ट्रीशीटर नामचीन गुंडों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नष्ट करने व लूटने के मामले में आम नागरिक की संवैधानिक ड्यूटी आर्टिकल 51 A(g) को ध्यान में रखते हुये बदरुद्दीन द्वारा उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु की गई शिकायत की गई थी जिसे इन बी.के.सी पुलिस अधिकारी API एस.एम. कोले ने सरकारी संपत्ती के किये जा रहे नुकसान को अपने निजी फायदे के लिये अनदेखा करते हुये शिकायत को बंद करने की सूचना दी। iv. Ref. No. 1124/BKC PS Dt. 19.02.2020 - HDIL की सभी बिल्डिंगों में गैर-कानूनी तरीके से मनपा का पानी चोरी करके दिया जा रहा है साथ ही बिल्डिंगों की सीवर लाईन की गंदगी गैर-संवैधानिक नियमों के तहत पीने के पानी की पाईप लाईन के ऊपर जानबूझकर छोड़ी जा रही है के मामले में की गई शिकायत की वजह से कार्यवाही के लिये दि. 11.02.2020 को पानी विभाग H/E वॉर्ड से आये सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डाली गई जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बदरुद्दीन द्वारा की गई तो बदरुद्दीन का मोबाईल पुलिस अधिकारी प्रदीप अहिरे द्वारा छीन लिया गया और वीडियो डिलीट करने की कोशिश की गई। इसके बाद HDIL के मालिक व गुंडों से हफ्ता खाने वाले पुलिस अधिकारियों ने हिस्ट्रीशीटर नामचीन गुंडों और उनके साथियों आदि के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा गंदी-गंदी गालियाँ देते हुये बदरुद्दीन को ही कॉलर पकड़कर बी.के.सी. पुलिस थाने ले गये जबकि बदरुद्दीन द्वारा संबंधित गैर-कानूनी कार्यवाही किये जाने की वजह से 100 नंबर पर 2-3 बार फोन किया गया था, के मामले में की गई शिकायत की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के PI एस.एम कोले के द्वारा आवश्यक सबूत तीन दिन के अंदर उपलब्ध करवाने के लिये बदरुद्दीन मनिहार को नोटिस दिया।			
7.	20.02.2020	B.K.C. पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई झूठी शिकायत पर बदरुद्दीन व समीर के खिलाफ FIR No. 69/2020 दर्ज की गई	शहजाद साबिर अली खान	1. बदरुद्दीन मनिहार 2. समीर शेख @ इरफान दाऊद शेख	

8.	23.02.2020	HDIL डेव्लपर्स का मालिक और अडानी डेव्लपर्स अपने फायदे के लिये SRA के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर भारत नगर की जनता को दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं के बारे में ट्वीट किया गया	बदरुद्दीन मनिहार	HDIL मालिम व उसके गुंडे	
9.	23.05.2020	B.K.C. पुलिस थाने में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई झूठी शिकायत पर FIR No. 176/20 दर्ज की गई	सलिम अज़ीज़ुद्दीन अंसारी	1. रमजान मनिहार, 2. बदरुद्दीन मनिहार, 3. जाकिर हुसैन मनिहार	
10.	23.05.2020	सी.सी.टी.वी. फुटेज की मदद से बदरुद्दीन द्वारा IPC की धाराओं 324, 323, 504, 506 r/w 34 के तहत शिकायतकर्ता व अन्य के खिलाफ F.I.R. No. 177/2020 दर्ज की गई	बदरुद्दीन मनिहार	1. सलिम अंसारी 2. शारिक अंसारी 3. जावेद अंसारी 4. मुर्सलीन अंसारी	आज तक शिकायतकर्ता से दी गई CCTV फूटेज में मौजूद मारने वाले आरोपियों की नाम के साथ पहचान तक नहीं की गई और न ही इस मामले में पूछताछ की गई।
11.	23.05.2020	3 लोगों को घायल करके DVR लूटने की शिकायत करने के लिये बदरुद्दीन का परिवार मैडिकल दस्तावेज़ के साथ बी.के.सी. पुलिस थाने गया	घायल रेहान व सोफिया की मैडिकल रिपोर्ट		कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
12.	24.05.2020	शिकायतकर्ता शारिक अंसारी द्वारा बी.के.सी. पुलिस थाने में IPC की धाराओं 307, 324, 504, 143, 148, 149 के तहत बदरुद्दीन, रमजान, तालिब, हुसैन, आसिफ, जाकिर व अन्य के खिलाफ FIR No. 180/2020 दर्ज की गई	शारिक अज़ीज़ुद्दीन अंसारी	1. बदरुद्दीन मनिहार, 2. रमजान मनिहार, 3., तालिब 4. हुसैन 5. आसिफ 6. जाकिर व अन्य	झूठी शिकायत पर FIR दर्ज कर दी गई
13.	25.05.2020	• FIR No. 180/2020 के शिकायतकर्ता शारिक द्वारा supplementary बयान दर्ज किया गया था • आरोपी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और वर्तमान आरोपी के कहने पर हथियार बरामद किया गया था • और FIR No. 176/2020 के शिकायतकर्ता द्वारा न्यूज़ चैनल को एक साक्षात्कार दिया गया https://youtu.be/GZCm7_unaj8	शारिक अज़ीज़ुद्दीन अंसारी	1. नासिर मनिहार, 2. भावना शिरिकरे 3. फैसल 12ए 4. मोहसिन डालडा 5. सायरा 6. जुबैर हड्डी 7. हसनैन कालिया 8. समीर शेख @ इरफान दाऊद शेख	• Supplementary ब्यान अपने आप में फर्जी साबित हो रहा है जिसे बाद में बेगुनाहों को डराने व दहशत फैलाने के लिये लिखा गया जो प्राप्त सबूतों से साबित है • पुलिस द्वारा अपनी मर्जी से बनाया गया झूठा ब्यान • शिकायतकर्ता व उनके परिजनों द्वारा न्यूज चैनल को दिया बयान उनका खुद का मजाक भी उड़ा रहा है साथ ही साबित भी कर दे रहा है कि झूठी शिकायत पर यह पूरा परिवार बदरुद्दीन व उनके परिजनों व साथियों पर झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करवाई है
14.	25.05.2020	Sr.P.I. को whatsapp के जरिए बदरुद्दीन द्वारा जावेद अंसारी, सलीम अंसारी, शारिक अंसारी, मुर्सलीन अंसारी, अख्तर युसुफ अंसारी, बॉबी, शादाब लंगड़ा व अन्य के खिलाफ	बदरुद्दीन मनिहार	1. जावेद अंसारी 2. सालिम अंसारी	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

		शिकायत दी गई		3. शारिक अंसारी 4. मुर्सलीन अंसारी 5. अख्तर युसुफ अंसारी 6. बॉबी 7. सादाब लंगड़ा व अन्य	
15.	26.05.2020	बी.के.सी. पुलिस थाना में चरस गांजा बेचने वाले की तरफ से पीड़ित पर ही 307 का मामला दर्ज किया गया, पीड़ीत पर किये हमले का गवाह सी.सी.टी.वी मगर फिर भी हमलावर की तरफ से पीड़ित पर 2 बार FIR दर्ज और दूसरे हमले में हमलावर द्वारा डी.वी.आर. लूटा गया जिसकी शिकायत ट्वीट के रूप में मुंबई पुलिस कमिश्नर को दी गई	बदरुद्दीन मनिहार	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
16.	02.06.2020	1st बार DVR लूटने के मामले में - बदरुद्दीन की पत्नि इशरत द्वारा 2 महिलाओं व एक लड़के को घायल करके घर से DVR लूटने की शिकायत Commissioner of Police (Mumbai) को की गई और शिकायत की कॉपी CM, Jt.C.P. (Crime), Addl.C.P.(WR), DCP (Zone 8), Sr.P.I.(BKC PS) and Sr.P.I.(Bandra PS) आदि को भेजी गई	इशरत मनिहार	1. शारिक अंसारी 2. जावेद अंसारी 3. सालिम अंसारी 4. हनीफ मैकेनिक 5. आसिफ मत्ती 6. सालिम कुरैशी	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
17.	04.06.2020	2nd बार DVR लूटने के मामले में – जानलेवा हमले के तकनीकी सबूतों के बावजूद बी.के.सी. पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी FIR किया जाना, आरोपियों द्वारा सबूतों को नष्ट करने के लिये घर पर जानलेवा हमला करके 2 महिलाओं सहित 1 लड़के को घायल करके DVR लूटने के मामले में FIR दर्ज ना किये जाने की वजह से और मामले पर कार्यवाही किये जाने की उम्मीद में बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर बच्चों के साथ धरना/अनशन पर बैठने का online आवेदन	इशरत मनिहार	जानलेवा हमला करके DVR लूटने वाले आरोपी	अनशन पर बैठे पर कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
18.	06.06.2020	3rd बार DVR लूटने के मामले में – जानलेवा हमले के तकनीकी सबूतों के बावजूद बी.के.सी. पुलिस अधिकारियों द्वारा फर्जी FIR किया जाना, आरोपियों द्वारा सबूतों को नष्ट करने के लिये घर पर जानलेवा हमला करके 2 महिलाओं सहित 1 लड़के को घायल करके DVR लूटने के मामले में FIR दर्ज ना किये जाने की वजह से और मामले पर कार्यवाही किये जाने की उम्मीद में बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर बच्चों के साथ धरना/अनशन पर बैठने का दुबारा दिया गया आवेदन, यह आवेदन मुंबई पुलिस अधिकारियों को ईमेल से भेजा गया	इशरत मनिहार	जानलेवा हमला करके DVR लूटने वाले आरोपी	अनशन पर बैठे पर कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
19.	07.06.2020	घर पर जानलेवा हमला करके 2 महिलाओं सहित 1 लड़के को घायल करके DVR लूटने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR दर्ज ना किये जाने पर बदरुद्दीन की पत्नि	इशरत मनिहार	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

		इशरत के 5.6.2020 से अनशन पर बैठे रहने का ट्वीट @CPMumbaiPolice, @CMOMaharashtra, @PMOIndia आदि को किया गया			
20.	08.06.2020	घर पर जानलेवा हमला करके 2 महिलाओं सहित 1 लड़के को घायल करके DVR लूटने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR दर्ज ना किये जाने पर बदरुद्दीन की पत्नि इशरत के 5.6.2020 से अनशन पर बैठे रहने के बावजूद कोई कार्यवाही ना किए जाने पर त्रस्त होकर आत्महत्या करने के बारे में पुलिस अधिकारियों को किया गया ईमेल	इशरत मनिहार	PI कन्हैय्यालाल शिंदे	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
21.	09.06.2020	अनशन के पाँचवे दिन PI कन्हैयालाल शिंदे द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार की शिकायत वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (बी.के.सी. PS) को की गई और @AdvShaijad, @MumbaiPolice, @CPMumbaiPolice, @CMOMaharashtra, @AUThackeray, @ShivNKrantiveer @Sonikashiv ट्वीट किया गया	इशरत मनिहार	PI कन्हैय्यालाल शिंदे	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
22.	10.06.2020	• PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीजन) से दिनांक 23 व 24/05/2020 को RTI के तहत बी.के.सी. पुलिस थाने में दर्ज FIR, मैडिकल व स्टेशन डायरी की जानकारी दि. 10.06.2020 को माँगी गई • दि. 08.09.2020 (letter dtd. 14.07.2020) को PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीजन) से असंतोषप्रद जवाब प्राप्त हुआ • दि. 22.09.2020 को अपीलार्थी द्वारा PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीजन) को जवाब दिया गया	नासिर मनिहार		जानकारी नहीं मिली
23.	11.06.2020	सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा दी गई झूठी शिकायतों पर बी.के.सी. पुलिस स्टेशन द्वारा लगातार हमारे खिलाफ मामले दर्ज किये जा रहे हैं। दि. 23-05-2020 को हमारे साथ घटित घटना के सबूत दिये जाने के बावजूद हमारी तरफ से तो आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई मगर हमारे ऊपर ही दो झूठे मामले दर्ज कर दिये गये। इसकी शिकायत 11.06.2020 के दिन, DGP, Commissioner of Police, DCP (Zone 8), ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) आदि को दी गई	नासिर मनिहार	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
24.	16.06.2020	दि. 26-05-2020 को यू-ट्यूब चैनल (मुंबई पुलिस को सलाम) में मनिहार परिवार के बारे में जीं और झूठी खबर वायरल करने के विरोध में 16.06.2020 के दिन D.G.P., C.P., Addl C.P. (WR), DCP. (Zone 8), ACP. (खेरवाड़ी डिवीज़न), Sr.P.I. BKC आदि को Notice दी गई।	नासिर मनिहार	यू-ट्यूब चैनल (मुंबई पुलिस को सलाम)	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
25.	16.06.2020	4th बार DVR लूटने के मामले में – हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने की सूचना देने बाबत यह आवेदन मुंबई पुलिस अधिकारियों को ईमेल से भेजा गया	इशरत मनिहार	जानलेवा हमला करके DVR लूटने वाले आरोपी	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

26.	17.06.2020	आवेदक सत्र व जिला न्यायालय, मुंबई में अंतरिम जमानत याचिका क्र. 645/2020 दायर करते हैं जहाँ अंतरिम जमानत मंजूर हो जाती है	1. बदरुद्दीन मनिहार 2. रमजान मनिहार 3. तालिब नासिर मनिहार 4. जाकिर हुसैन मनिहार 5. आसिफ हारून अंसारी		अंतरिम जमानत मंजूर हुई
27.	17.06.2020	जाँच अधिकारी द्वारा FIR No. 180/20 के मामले में अदालत में दिया गया 'say'	PI/IO कन्हैय्यालाल शिंदे	बदरुद्दीन मनिहार व अन्य	'say' का विश्लेषण जाँच अधिकारी को झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करनेवालों के साथ मिलीभगत को साबित कर रहा है
28.	20.06.2020	<u>5th दूसरी बार DVR लूटने के मामले में –</u> हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के सामने अनशन, धरना, आंदोलन जारी करने की सूचना देने बाबत यह आवेदन मुंबई पुलिस अधिकारियों को ईमेल से भेजा गया	इशरत मनिहार		कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
29.	20.06.2020	PI/IO कन्हैय्यालाल शिंदे द्वारा शिकायत ना लिये जाने पर ACP (खेरवाड़ी डिवीजन) को शिकायत दी गई जिसे @CPMumbaiPolice, @CMOMaharashtra, @PMOIndia, @rashtrapatibhvn आदि को ट्वीट भी किया गया	बदरुद्दीन मनिहार	PI/IO कन्हैय्यालाल शिंदे	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
30.	22.06.2020	• बी.के.सी. पुलिस थाने में दर्ज FIR No. 176/20, FIR No. 177/20, FIR No. 180/2020 का पूर्ण विवरण, बी.के.सी. पुलिस थाने व वरिष्ठ अधिकारियों की दी गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट, दि. 23.05.2020 से 31.05.2020 तक की बी.के.सी. पुलिस थाने की सी.सी.टी.वी. फुटेज, और FIR No. 144/2009 में अदालत में 17.06.2020 को पुलिस द्वारा दिये गये say के दस्तावेज़ RTI के सेक्शन 7 के तहत 48 घंटों में PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) से दिनांक 22.06.2020 को माँगे गये। • दि. 08.09.2020 (letter dtd. 20.07.2020) को PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) द्वारा असंतोषप्रद जवाब प्राप्त हुआ • दि. 16.09.2020 को अपीलार्थी द्वारा First Appellate Authority, DCP (Zone 8) को First Appeal लगाई गई	RTI by नासिर मनिहार		Suarksha Karan batakar Mahiti Nahi diya jab ke 27-03-2017 ki RTI me ye sari mahti digai hai bkc 16-09-2020 first appeal ki dcp ne abhi tak hearing Nahi lagai
31.	22.06.2020	दि. 22.06.2020 को रमजान मनिहार द्वारा DCP (Zone 8) को 'MMRDA बिल्डर, Mhada, SRA और क्षेत्रिये कॉर्पोरेटर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस व बिल्डर्स की मिलीभगत से हमें व हमारे परिवार के सदस्यों को बार-बार झूठे मामलों में फँसाया जा रहा है मगर हमारे द्वारा दिये जा रहे सबूतों को दरकिनार	रमजान मनिहार	MMRDA बिल्डर, Mhada, SRA, क्षेत्रिये कॉर्पोरेटर और बी.के.सी. पुलिस	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

		किया जा रहा है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है साथ ही इसी कड़ी में FIR No. 180/2020 व FIR No. 176/20 दर्ज की गई शिकायत दी गई			
32.	24.06.2020	6th बार DVR लूटने के मामले में – हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के सामने अनशन, धरना, आंदोलन जारी करने की सूचना देने बाबत प्रार्थना-पत्र मुंबई पुलिस अधिकारियों को ईमेल से भेजा गया	इशरत मनिहार	PI/IO कन्हैय्यालाल शिंदे	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
33.	28.06.2020	7th बार DVR लूटने के मामले में – हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के सामने अनशन, धरना, आंदोलन जारी करने की सूचना देने बाबत प्रार्थना-पत्र मुंबई पुलिस अधिकारियों को ईमेल से भेजा गया	इशरत मनिहार	जानलेवा हमला करके DVR लूटने वाले आरोपी व पुलिस	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
34.	29.06.2020	DCP Zone 8 के कार्यालय में अनशन/धरने पर बैठे बदरुद्दीन को बुलाकर अभद्रता की गई और धमकी दी गई जिसके विरोध में @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice ट्वीट किया गया	जी.आर. वोरा	DCP (Zone 8)	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
35.	01.07.2020	DCP Zone 8 के कार्यालय में अनशन/धरने पर बैठे बदरुद्दीन को बुलाकर अभद्रता की गई और धमकी दी गई और विषाक्त द्रव्य पीने को मजबूर कर दिया जिसकी वजह से ईलाज के लिये दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा, उक्त घटना की शिकायत Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, police officials व मीडिया को ईमेल द्वारा की गई	बदरुद्दीन मनिहार	DCP (Zone 8)	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
36.	08.07.2020 & 09.07.2020	बदरुद्दीन की पत्नि इशरत को PI कन्हैय्यालाल शिंदे द्वारा DVR के बारे में सबूत पेश करने के बारे में दिया गया पत्र प्राप्त हुआ जिसके बाद बदरुद्दीन की पत्नी द्वारा जवाब दिया गया।	PI कन्हैय्यालाल शिंदे		कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
37.	10.07.2020	बदरुद्दीन को परेशान करने के लिए, नासिर मनिहार के साथ मारपीट की गई, इलाके में परेड कराई गई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किये जाने पर लोगों द्वारा दबाव डालने के बाद उसे पेश किया गया जहाँ नासिर को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। यह मामला @CPMumbaiPolice, @MumbaiPolice द्वारा G.R. वोरा द्वारा ट्वीट किया गया	जी.आर. वोरा	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
38.	11.07.2020	बदरुद्दीन और उसके परिवार पर बी.के.सी. पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचार के खिलाफ शिकायत Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, police officials व मीडिया को ईमेल द्वारा भेजी गई	बदरुद्दीन मनिहार	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

39.	14.07.2020	जाँच अधिकारी द्वारा FIR No. 180/20 के मामले में अदालत में दिया गया 'say'	PI कन्हैय्यालाल शिंदे	बदरुद्दीन मनिहार व अन्य	'say' का विश्लेषण जाँच अधिकारी को झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करनेवालों के साथ मिलीभगत को साबित कर रहा है
40.	14.07.2020 & 23.07.2020	• ACP (खेरवाड़ी डिवीजन) द्वारा बदरुद्दीन मनिहार को तड़ीपार का दिया गया नोटिस • और बदरुद्दीन द्वारा दिया गया जवाब	ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न)	बदरुद्दीन मनिहार	जवाब समय पर दिया गया मगर आज तक पुलिस का कोई जवाब नहीं मिला
41.	25.07.2020	बदरुद्दीन की पत्नि इशरत ने बदरुद्दीन व परिवार पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों [Manoj Kumar Sharma (Addl.C.P., WR), Manjunath Shinge D.C.P. (Zone 8), Appasahab Baburao Shivale (A.C.P., Kherwadi Divi.), Anand Mulay (Sr.P.I. BKC PS), PI कन्हैय्यालाल शिंदे and API S.M.Kole] द्वारा लगातार की जा रही प्रताड़ना की वजह से बदरुद्दीन को आत्महत्या के प्रयास के लिये मजबूर किया गया जिसकी वजह से उक्त अधिकारियों के खिलाफ IPC 306 के तहत कार्यवाही किये जाने के बारे में Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister and police officials आदि को ईमेल द्वारा शिकायत भेजी गई	इशरत मनिहार	1. Addl.C.P.(WR), 2. D.C.P.(Zone 8), 3. A.C.P. (Kherwadi Divi.), 4. Sr.P.I.(BKC PS), 5. PI कन्हैय्यालाल शिंदे 6. API एस.एम. कोले	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
42.	25.07.2020 & 27.07.2020	• लगातार की जा रही शिकायतों पर कार्यवाही ना होने और बदरुद्दीन व परिवार के खिलाफ ही बिना जाँच के मामले दर्ज होने रहने पर जाँच कमेटी बैठाकर मामलों की जाँच किए जाने अन्यथा बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर धरना/अनशन पर बैठने के बारे में Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, legal departments and police departments आदि को भेजी गई शिकायत • दि. 27.07.2020 को Chief Minister के ईमेल से प्राप्त हुआ जवाब	बदरुद्दीन मनिहार & Chief Minister	BKC PS	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
43.	05.08.2020	बदरुद्दीन के द्वारा 25.07.20 को दिये गये आवेदन की याद दिलाते हुये दि. 05.08.2020 को फिर से आवेदन दिया गया कि मुझे व परिवार को अभी भी पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। यह शिकायत पत्र Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, legal departments and police departments आदि को ईमेल द्वारा भेजा गया	बदरुद्दीन मनिहार	1. Addl.C.P.(WR), 2. D.C.P.(Zone 8), 3. A.C.P. (Kherwadi Divi.), 4. Sr.P.I.(BKC PS), 5. PI कन्हैय्यालाल शिंदे 6. API एस.एम. कोले	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
44.	06.08.2020	बदरुद्दीन द्वारा दी गई शिकायत में कहा गया कि उसे बिना कारण शलयम महादेव कोले द्वारा बी.के.सी. थाने बुलाया गया तो उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित करने के लिये गंदी-गंदी गालियाँ दी गई, यह शिकायत ईमेल द्वारा Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, legal departments and police departments आदि को भेजी गई	बदरुद्दीन मनिहार	HDIL मालिम व उसके गुंडे	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं

45.	08.08.2020	दि. 06.08.2020 के दिन 2 पुरुष व 1 महिला पुलिसकर्मी रमजान का तड़ीपार नोटिस लेकर रमजान के भाई बदरुद्दीन को पुलिस थाने बुलाकर ले जाते हैं जहाँ एस.एम. कोले बदरुद्दीन को गालियाँ देते हैं और अन्य फर्जी मामलों में फँसाने की धमकी देते हैं साथ ही बदरुद्दीन को मारने की कोशिश करते हैं। दि. 07.08.2020 को रमजान बी.के.सी. पुलिस थाने में प्रस्तुत होकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से API कोले द्वारा परिवार को परेशान करने की कोशिश की शिकायत देते हैं इसके बावजूद 8-10 पुलिसकर्मियों की टीम रमजान को ढूँढने (घरवालों द्वारा बताये जाने पर भी कि, "रमजान घर पर नहीं है") उसके घर में घुसकर पूरे घर की तलाशी लेती है और बेईज्जत करती है। इस बारे में रमजान मनिहार द्वारा Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, legal departments and police departments आदि को ईमेल द्वारा दी गई शिकायत	रमजान मनिहार	API एस.एम. कोले	अंतरिम जमानत की शर्तों के अनुसार बदरुद्दीन, रमजान व अन्य समय पर पुलिस थाने में जाकर हाजिरी लगवा रहे थे उसके बावजूद परिजनों को डराने व दहशत फैलाने के साथ-साथ मौहल्ले में बेईज्जत करने की मंशा से घर आकर रमजान को नोटिस देने के नाम पर घर पर 10-12 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जबकि यही काम वे तब कर सकते थे जब रमजान मनिहार हाजिरी लगाने के लिये पुलिस थाने में उपस्थित था। उक्त गैर-कानूनी कार्यवाही पुलिस की मंशा को साबित कर रही है कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
46.	10.08.2020	बदरुद्दीन द्वारा Hon'ble President, Prime Minister, Chief Minister, legal departments, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जाँच के लिये अनिश्चितकालीन/अनशन/धरना आंदोलन करने के लिये दिया गया आवेदन	बदरुद्दीन मनिहार	1. Addl.C.P.(WR), 2. D.C.P.(Zone 8), 3. A.C.P. (खेरवाड़ी डिवीज़न.), 4. Sr.P.I.(BKC PS), 5. PI कन्हैय्यालाल शिंदे 6. API एस.एम. कोले	कोई पूछताछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं
47.	11.08.2020	• सत्र व जिला न्यायालय, मुंबई द्वारा नासिर मनिहार की जमानत याचिका क्र. 1608 of 2020 मंजूर हो गई	नासिर मनिहार		जमानत याचिका मंजूर हो गई
48.	11.08.2020	• FIR No. 180/20 के शिकायतकर्ता के वकील द्वारा तथाकथित आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका ABA/645 of 2020 का 17.06.2020 का आदेश खारिज करने के लिये ABA/645 of 2020 के अंतर्गत miscellaneous application vide MA/182/2020 सत्र व जिला न्यायालय, मुंबई में लगाई गई जिसके कारण तथाकथित आरोपियों की अंतरिम जमानत का आदेश खारिज हो गया	Shariq Ansari	बदरुद्दीन मनिहार व अन्य	पुलिस ने अदालत में झूठा ब्यान देकर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करवाया गया
49.	04.09.2020 & 22.09.2020	• 'दि. 10-07-2020 के दिन नासिर मनिहार को कहाँ से कितने बजे गिरफ्तार किया गया, कितने व कौन-कौन से पुलिस अधिकारी साथ गये थे, उन पुलिस अधिकारियों के नाम, कौन सी गाड़ी में बिठाकर लेकर गये और मैडिकल रिपोर्ट की कॉपी' की जानकारी दि. 04.09.2020 को RTI के सेक्शन 7 के तहत 48 घंटों में PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) से माँगी गई • जिसका जवाब 15 दिन तक नहीं दिया गया इसलिये दि. 22.09.2020 को रिमाईंडर भेजा गया	नासिर मनिहार		जवाब नहीं दिया गया
50.	08.09.2020	बी.के.सी. पुलिस थाने के पुलिस केस में दि. 23 से 24.05.2020 और 10 से 11.07.2020 के बीच भाभा हॉस्पिटल, बांद्रा में किये गये मेडिकल की रिपोर्ट दि. 08.09.2020 को RTI के	नासिर मनिहार	PIO, भाभा अस्पताल, बांद्रा	जवाब नहीं दिया गया

		सेक्शन 7 के तहत 48 घंटों में PIO, भाभा अस्पताल, बांद्रा से माँगी गई।			
51.	11.09.2020	• दि. 06-09-2020 के दिन की बी.के.सी. पुलिस थाने के अंदर व बाहर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज और नासिर मनिहार के खिलाफ दर्ज की गई NC की कॉपी दि. 11.09.2020 को RTI के सेक्शन 7 के तहत 48 घंटों में PIO, ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) से माँगी गई। • 5 दिन बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर दि. 16.09.2020 को ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) को रिमाईंडर भेजा गया	नासिर मनिहार		जवाब नहीं दिया गया
52.	24.09.2020	रमजान द्वारा ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न) से तड़ीपार के नोटिस की कॉपी मांगी गई	रमजान मनिहार		
53.	22.09.2020 (received on 26.09.2020) & 27.09.2020 & 28.09.2020	• सहायक पुलिस आयुक्त (खेरवाड़ी डिवीजन) द्वारा बदरुद्दीन मनिहार पर दर्ज तड़ीपार मामले में पुलिस उपायुक्त कार्यालय (ज़ोन 8) से (Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020) दिनांक 22.09.2020 का पत्र दिनांक 26.09.2020 को प्राप्त हुआ और दि. 28.09.2020 को पुलिस उपायुक्त कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया। • इस मामले में बदरुद्दीन द्वारा मामले को हस्तांतरित करने का आवेदन दि. 27.09.2020 को Commissioner of Police, Home Minister, Addl.C.P. (WR), DCP (Zone 8) आदि को ईमेल से भेजा गया • बदरुद्दीन द्वारा मामले को हस्तांतरित करने का आवेदन दि. 28.09.2020 को Commissioner of Police, DCP (Zone 8) के कार्यालय में दिया गया • मामले में सुनवाई के दिन पुलिस उपायुक्त कार्यालय (ज़ोन 8) कार्यालय में उपस्थिती दर्ज कराने के लिये उपस्थिती पत्र पुलिस उपायुक्त कार्यालय (ज़ोन 8) कार्यालय में दि. 28.09.2020 को दिया गया	ACP (खेरवाड़ी डिवीज़न)	बदरुद्दीन मनिहार	

सेवा में, 1- माननीय. पुलिस आयुक्त मुंबई.

2- माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त (CRIME)

3- माननीय. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र)

4- माननीय. पुलिस उपायुक्त जोन 8 बीकेसी पुलिस स्टेशन.

5- माननीय. सहायक पुलिस आयुक्त. बीकेसी पुलिस स्टेशन.

6- माननीय. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक. बीकेसी पुलिस स्टेशन बांद्रा पूर्व मुंबई 400051.

7- माननीय. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक. खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन बांद्रा पूर्व मुंबई 400051

विषयः **a.** <u>झूठी शिकायत पर भ्रष्ट अधिकारी द्वारा मर्डर के आरोपी के साथ साजिश रचते हुये मिलीभगत से दर्ज हुई **F.I.R. No. 204/2019** की जाँच करते हुये की गई **F.I.R.** को निरस्त करने व जिम्मेदार दोषी अधिकारी और झूठी शिकायत करनेवालों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु।</u>

संदर्भः **a. B.K.C. पुलिस थाने में दर्ज F.I.R. No. 204/2019 dt. 29.07.2019**

b. B.K.C. पुलिस थाने में दर्ज F.I.R. No. 140/2019 dt. 01.06.2019

महोदय,

1. <u>F.I.R. No. 204/2019 के मामले में निम्न आधार पूरे मामले को झूठा साबित करने के लिये पर्याप्त है:</u>

   a. शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार दि. 29.07.2019 की सुबह 10.00 बजे के आसपास की घटना बताई गई है।

   b. एम.एल.आर. रिपोर्ट दि. 23.08.2019 तक अदालत में पेश नहीं की गई है।

   c. 3 अगस्त से पहले सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज अदालत द्वारा माँगी गई थी जो नहीं दी गई।

   d. F.I.R. No. 204/2019 के अनुसार दि. 29.07.2019 की सुबह 10.15 बजे F.I.R. दर्ज कर दी गई।

   e. F.I.R. No. 204/2019 के अनुसार बी.के.सी. पुलिस थाने से लगभग 6 किमी. दूर भाबा अस्पताल में उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव द्वारा ब्यान लेने के बाद F.I.R. No. 204/2019 दर्ज की गई।

   f. F.I.R. No. 204/2019 में दर्ज शिकायतकर्ता के ब्यान के अनुसार नजर आता है

(33)

कि:

i. दि. 29.07.2019 की सुबह 10.00 बजे से 10.15 के बीच में ही शिकायतकर्ता घटनास्थल से 6 किमी. दूर अस्पताल पहुँचता है

ii. अस्पताल में डॉ. जाँच करते हैं

iii. अस्पताल के पी.सी.आर. वैन द्वारा बी.के.सी. पुलिस थाने में फोन किया जाता है

iv. उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव पुलिस थाने से 6 किमी. दूर भाबा अस्पताल पहुँच कर शिकायतकर्ता के ब्यान लेती हैं

v. बयान लेने के बाद उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव वापस 6 किमी. की दूरी तय करके बी.के.सी. पुलिस थाने पहुँचती हैं

vi. थाने पहुँचकर उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव F.I.R. दर्ज करती हैं।

उपरोक्त पूरी प्रक्रिया केवल 15 मिनट में पूर्ण कर ली जाती है।

g. घटनास्थल से भाभा अस्पताल जानेवाले रास्ते पर कई कैमरे हैं जिनकी सी.सी.टी.वी. फुटेज लेकर सच्चाई का पता लगाया जा सकता है साथ में संलग्न Annexure - 1 में कैमरों की स्थिती पता चलती है।

h. शिकायतकर्ता की मोबाईल लोकेशन व कॉल डीटेल्स सच्चाई को सामने ला सकती है।

2. <u>F.I.R. No. 204/2019 के अनुसार घटना दि. 29.07.2019 की सुबह 10.00 बजे के आसपास हुई जबकि घटना के समय सुबह 10.00 बजे F.I.R. No. 204/2019 में नामजद एक आरोपी ज़ाफर व उसकी पत्नी नाजनीन, पुरुषोत्तम स्कूल से बच्चों को लेकर उनके घर छोडने के लिये स्कूल वैन के साथ निम्न रूट पर मौजूद थे:</u>

a. पुरूषोत्तम स्कूल के बच्चों की छुट्टी सुबह 10.00 बजे होती है

b. पुरूषोत्तम स्कूल में दरवाजे पर मौजूद कैमरे से पता चल सकता है कि, स्कूल वैन के साथ ज़फर व उसकी पत्नी नाजनीन सुबह 10.00 बजे पुरुषोत्तम स्कूल के बाहर बच्चों को लेने के लिये मौजूद थे या नहीं?

c. ज़ाफर व नाजनीन के मोबाईल लोकेशन भी साबित करेगें कि वे कहाँ मौजूद थे?

d. सुबह लगभग 10.15 बजे ज़ाफर व नाजनीन स्कूल वैन में बच्चों को लेकर पुरूषोत्तम स्कूल से संत ज्ञानेश्वर नगर पहुँचे पुरूषोत्तम स्कूल व संत ज्ञानेश्वर नगर के बीच के रास्ते में मौजूद कैमरे स्कूल वैन की आवागमन को दिखाने के लिये पर्याप्त है।

e. नाजनीन की फोटो बिना उसकी मर्जी से लिये जाने की वजह से संत ज्ञानेश्वर नगर के ________ पर मौजूद शिकायतकर्ता के पिता इरशाद (जो बाबू भाई के कत्ल में आरोपी हैं जिसकी F.I.R. No. 140/2019 दि. 01.06.2019) से झड़प हुई जिसकी N.C. सुबह 10.50 बजे पर खेड़वाड़ी पुलिस थाने में दर्ज की गई थी

(34)

(कॉपी साथ में संलग्न है)। इरशाद, नाजनीन और ज़ाफर की मोबाईल लोकेशन की जानकारी लेकर उनकी जगह पर मौजूदगी प्रमाणित हो सकती है जिससे दिये गये बयान की सच्चाई को सामने लाई जा सके।

f. नाजनीन की इरशाद के साथ हुई झड़प की खेरवाड़ी पुलिस थाने में N.C. No. 794/2019 दि. 29.08.2019 लिखवाने से पहले बच्चों को छोड़ना जरूरी था (जो अधिकांशतः भारत नगर के बच्चे थे) इसलिये स्कूल वैन भारत नगर में बच्चों को छोड़ती हुई ज़ाफर के घर के सामने खड़ी की गई। Annexure - 3 के अनुसार मौजूद कैमरों से फुटेज लेकर व बच्चों के माँ-बाप से तफ्तीश करके सच्चाई सिद्ध कर सकते हैं कि बच्चे 28.07.2019 के दिन अपने निर्धारित समय पर घर वापस आये थे या नहीं? (N.C. की कॉपी साथ में संलग्न है)

g. F.I.R. No. 140/2019 दि. 01.06.2019 के मामले में फरियादी और चश्मदीद गवाह मोहम्मद रफीक अब्दुल सत्तार सैयद, हुसैन इद्रीसी, जाफर शेख और पप्पु) थे इसलिये नाजनीन व ज़ाफर द्वारा फोन करके सभी को खुद की मदद के लिये खेरवाड़ी पुलिस थाने पहुँचने को कहा गया जिससे F.I.R. No. 140/2019 दि. 01.06.2019 में दर्ज मर्डर के आरोपी द्वारा की गई बिना इजाजत फोटो खींचने की शिकायत की जा सके साथ ही यह भी बताया जा सके कि जब से F.I.R. No. 140/2019 के आरोपी जमानत पर बाहर आये हैं तभी से वे मौहल्ले में दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और F.I.R. No. 140/2019 के फरियादियों को लगातार डराना-धमकाना जारी रखे हुये हैं जिस वजह से दो दिन पहले भी मर्डर के आरोपी के खिलाफ एक N.C. No. 865/2019 दि. 27.07.2019 को बी.के.सी. पुलिस थाने में दर्ज की गई थी।

h. F.I.R. No. 204/2019 में दर्ज सभी आरोपियों की मोबाईल लोकेशन व कॉल डीटेल्स ली जायेगी तो साबित हो जायेगा कि, F.I.R. में दर्ज आरोपी घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे, उनपर लगाये गये आरोप झूठे हैं और शिकायतकर्ता ने रजिशन आरोपियों को फँसाया है।

i. Annexure - 3 में मौजूद सी.सी.टी.वी कैमरों की फुटेज भी साबित करेगी कि वे कब और किस वक्त कहाँ पर मौजूद थे।

3. <u>घटना घटित होने के **15** मिनट के भीतर ही उपनिरीक्षक किर्ती जाधव द्वारा की गई कार्यवाही निम्न आधार पर संदेह के घेरे में है जिससे साफ नजर आ रहा है कि झूठी शिकायत करके **F.I.R. No. 204/2019** दर्ज करवानेवाले शिकायतकर्ता (अरशद), उसके पिता (इरशाद) से उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव की मिलीभगत है:</u>

a. घटनास्थल से भाभा अस्पताल तक की दूरी लगभग 6 किमी. है अतः इस दूरी को सुबह के 10.00 बजे तय किया जाये तो किसी भी हालत में कम से कम 10 मिनट का समय अवश्य लगेगा।

b. भाभा अस्पताल में जल्दी-जल्दी करने के बावजूद भी कम से कम 10 मिनट

35

चैकअप करने व पी.सी.आर. को जानकारी देने में लगेंगे|

c. बी.के.सी. पुलिस थाने से उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव कितनी भी रफ्तार से उड़ें पुलिस थाने की आवश्यक लिखापढी की कार्यवाही निपटा कर भाभा अस्पताल पहुँचने में कम से कम 15 मिनट अवश्य लेंगी|

d. भाभा अस्पताल पहुँच कर इलाज करते शिकायकर्ता का ब्यान लेने में भी उन्हें 10 मिनट अवश्य लगेंगे|

e. भाभा अस्पताल से वापस थाने पहुँचने में 15 मिनट लगना लाजमी है फिर जाकर 5 मिनट में F.I.R. दर्ज कर पायेंगी|

उपरोक्त खर्च किये जानेवाले समय को अगर जोड़ा जाये तो कुल 10+10+15+10+15+5 = 65 मिनट होते हैं जिसका मतलब साफ है कि कोई चमत्कार ही उपनिरीक्षक कीर्ती जाधव को घटना घटित होने के 15 मिनट के अंदर F.I.R. दर्ज करवाने में मदद कर सकता है अन्यथा उपरोक्त परिस्थिती में घटना के समय से लगभग 65 मिनट बाद मतलब 11.05am पर ही F.I.R. दर्ज हो पायेगी|

उपलब्ध साक्ष्य साफ प्रमाणित कर रहे हैं कि F.I.R. No. 204/2019 के मामले में 1) श्रीमती. दीपशिखा वरे. पुलिस निरीक्षक बीकेसी पुलिस थाने. 2) श्रीमती कीर्ति जाधव पुलिस उप निरीक्षक बीकेसी पुलिस थाने व F.I.R. No. 140/2019 के आरोपियों की मिलीभगत शामिल हैं जिसके लिये कीर्ती जाधव, दीपशिखा वरे. और F.I.R. No. 140/2019 के सभी आरोपियों और उनके साथियों की (1) सलीम कुरैशी 9987967692. (2) फिरोज खान. 9702753786. (3) सुलेमान खैरानी. 9967440786. (4) जलील मुल्ला . 9821040786. (5) सलीम 90. 9702578506. (6) अनवर खान. 9967890786 . (7) शेखर HDIL. 9619619888. (8) इरशाद खान......................... (9) अरशद खान .... इन की मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल्स ली जाये व जाँच की जाये|

उपलब्ध साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि, झूठी शिकायत पर F.I.R. No. 204/2019 दर्ज हुई है अतः F.I.R. No. 204/2019 को निरस्त किया जाये व F.I.R. No. 204/2019 में दर्ज आरोपियों को छोड़ा जाये|

धन्यवाद.

आपकी सेवा में

(श्री. मोहम्मद जावेद हसन इदरीसी)

रूम नो. 119 बिल्डिंग नंबर. 6 टाटा कॉलोनी भारत नगर

बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051. M 8169932031.

Note : यदि आवेदन लिखने में कोई भूल चुक हो तो हमसे संपर्क करके सुधार कर सकते हैं.

Google Maps Bandra Kurla Complex to Bhabha Hospital

Annexure - 1

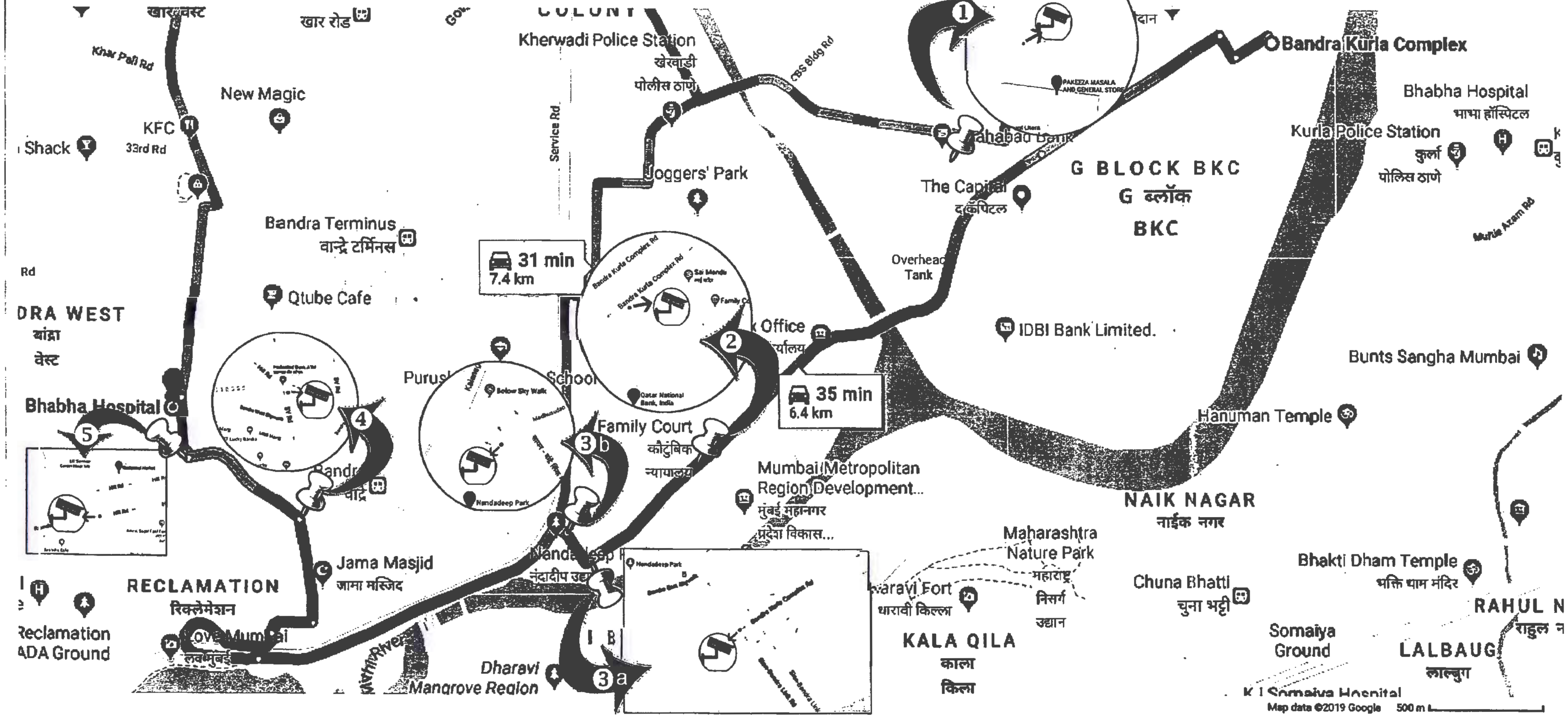

Annexure - 2

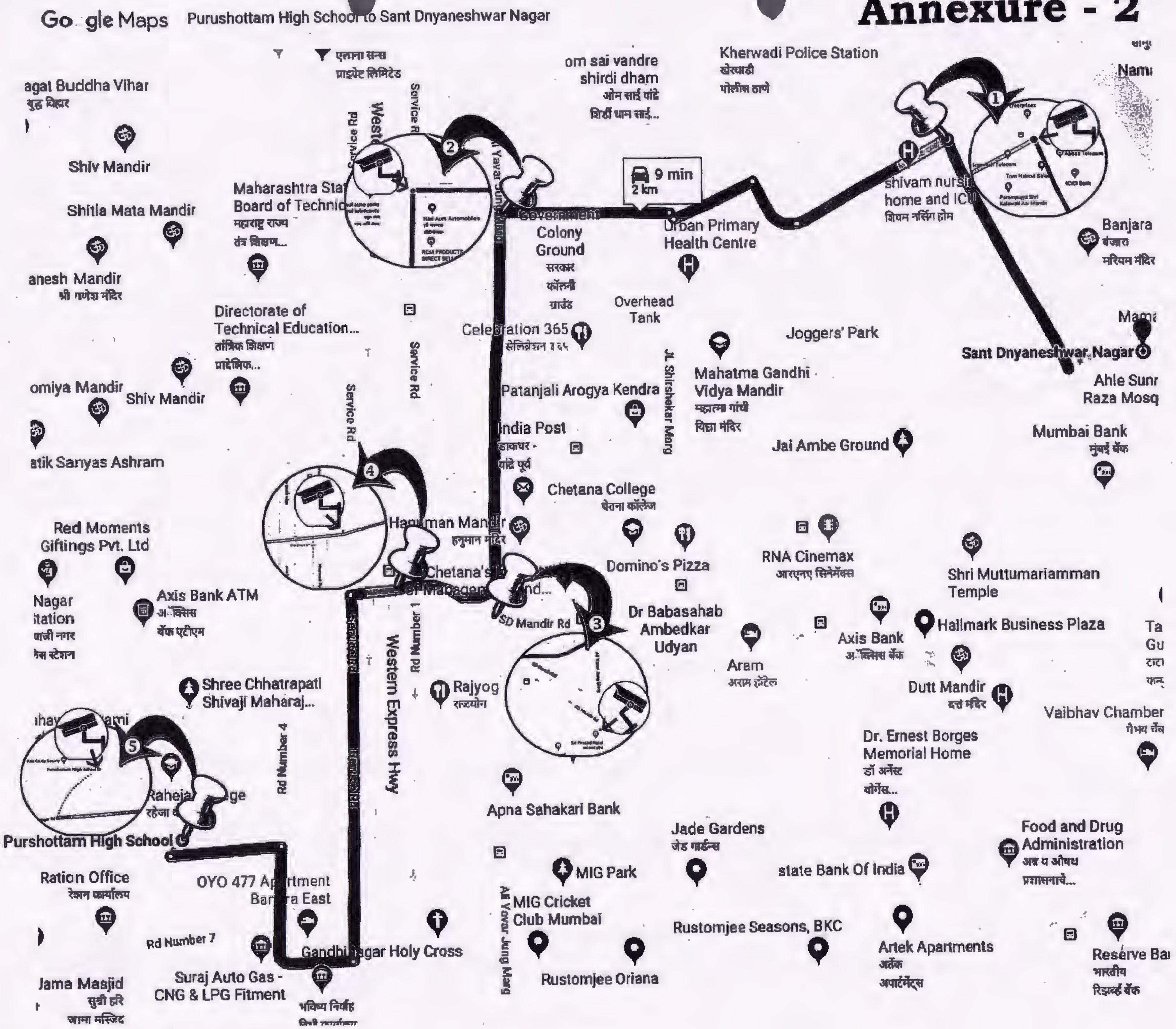

37

Annexure - 3

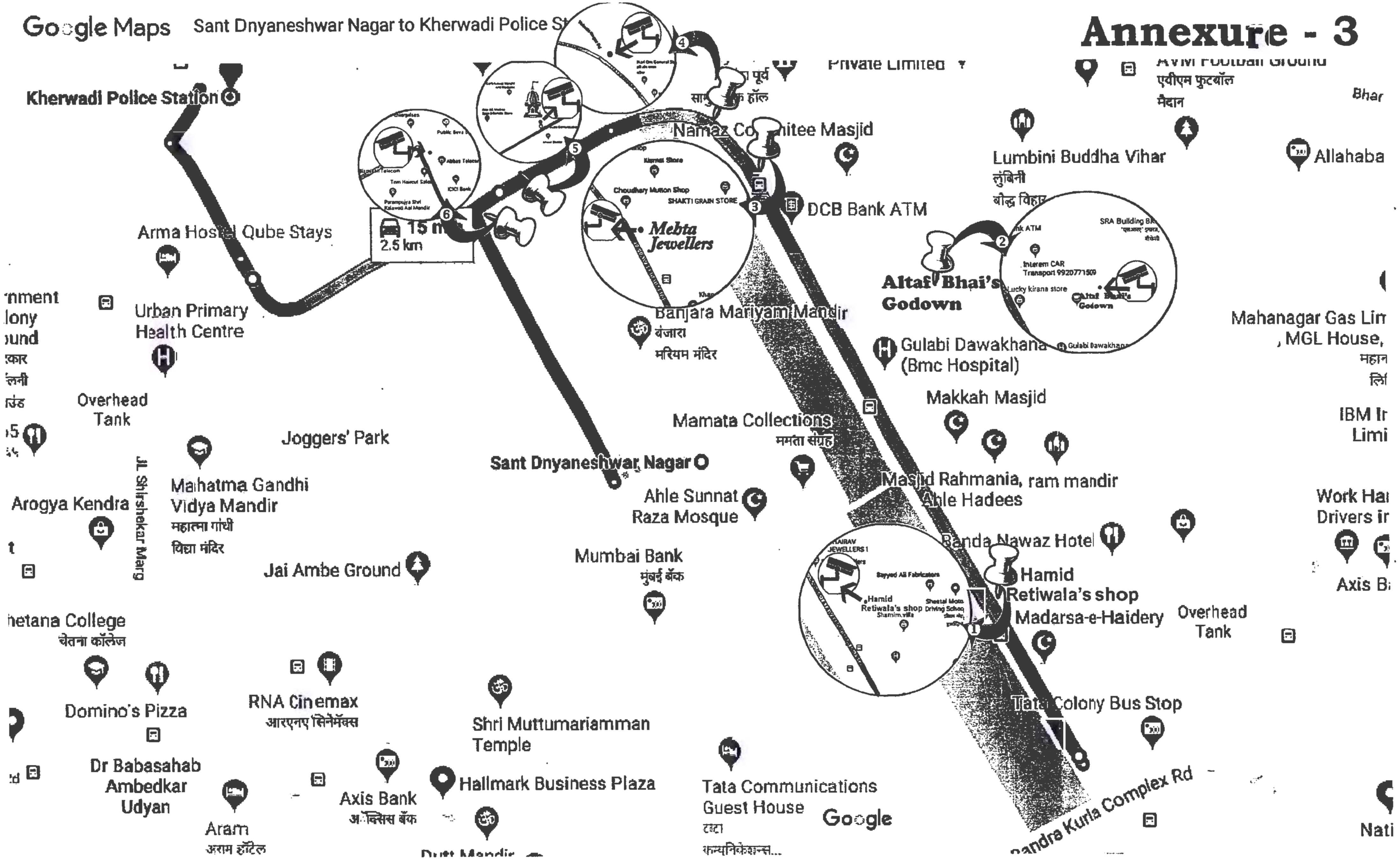

38

11.12.2019 tweet for protest

Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More
Tweet

Tweet

Manihar8169932031
@Manihar81699321

Protest against murder accused saalim Qureshi Husband of corporater ward no 92 AIMIM party

10:53 PM · Dec 11, 2019 · Twitter for Android

1 Retweet 4 Likes

Search Twitter

Relevant people
Manihar8169
@Manihar816

What's happenin
COVID-19 · LIVE
COVID-19 in India

#WatchKhudaHaafiz
A dangerous journey to Khuda Haafiz now
Promoted by Disney+H

Indian Premier League · Tre
Dravid
1,784 Tweets

Cricket · 59 minutes ago
MS Dhoni and Suresh from international cri
Trending with: Retirement

Trending in India
Sehwag
4,665 Tweets

Show more

Terms Privacy policy Coo
© 2020 Twitter, Inc.

सोनिका क्रांतिवीर
@sonikashiv

Messages

a 58

Exh -K

96

प्रार्थी : श्री बदरुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार

पता : रूम नंबर 81 नेहरू विकास मंडल भारत नगर

बांदरा पूर्व मुंबई 400051 मो. नंबर 8169932031

श्री उद्धव ठाकरे जी।
सम्माननीय मुख्यमंत्री।
मंत्रालय मुंबई 400032

आज प्राप्त झाले

- 1 FEB 2020

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, प्रशासकीय इमारत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ५१

Shri Deepak Kapoor, IAS
THE Chief Executive Officer,
Slum Rehabilitation Authority
BANDRA EAST MUMBAI 400051

Shri. Parveen Pardeshi IAS
the Municipal Commissioner of Mumbai.

1/2/2020

Shri Sanjay barve
the commissioner of police Mumbai

विषय: <u>HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों द्वारा चल रहे गैर कानूनी कार्यक्रम , गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के लिए अनशन धरना आंदोलन करने से पहले प्रार्थना पत्र।</u>

महोदय

मैं बदरुद्दीन एस मनिहार सामाजिक कार्यकर्ता उपरोक्त विषय द्वारा आपसे निवेदन करता हूं।

1. HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश नीच, मनुष्य लोग जो सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों व कर्मचारियों को भिक्षा देकर भारत नगर, पत्थर नगर बांदरा पूर्व, मुंबई 400051. HDIL Developers owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा बनाई गई इमारतें में बीएमसी के मेन लाइन में से चोरी करके बड़ी-बड़ी मोटरों द्वारा रोजाना तकरीबन 2230000/- Twenty two lac thirty thousand litre पानी का गैरकानूनी तरीके से व्यापार करते हैं। बीएमसी का पानी चोरी करके बेहिसाब हराम कमाई के लालच में पानी का कनेक्शन ऐसी जगह कर दिए हैं। जहां पर सभी बिल्डिंगों की संडास के लाइन छोड़ी गई है। **<u>जिसके कारण बीएमसी के पानी की लाइन में संडास गटर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है।</u>**

Scanned with CamScanner

99

Q.59

92

- इस भ्रष्टाचार सिस्टम व गंभीर आपराधिक मामले पर पर्दा डालने के लिए एच / पूर्व जल विभाग अधिकारी व कर्मचारियों ने दि : 07/08/2019. रोजी। कानून व प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए भारत नगर वाल्मीकि नगर झोपड़पट्टी में कार्रवाई कर दिए .

- जब के शिकायत HDIL Developers owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा पत्थर नगर में बनाई गई इमारतें की थी।

- दि : 07/08/2019. रोजी। एच / पूर्व जल विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बंदोबस्त भारत नगर पत्थर नगर बिल्डिंगों के लिए लिया था।

- सोची समझी साजिश के तहत एच / पूर्व जल विभाग के अधिकारियों ने इस गंभीर आपराधिक मामले से ध्यान भटकाने के लिए भारत नगर, वाल्मीकि नगर झोपड़पट्टी के गरीब लाचार मजबूर बेबस रही वासियों को मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा कर परेशान करना जारी रखे।

2. इस गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ माननीय डेपुटी हाइड्रोलिक इंजीनियर। श्री। संजय रमेश अरते साहिब से मुलाकात करके स्पष्ट रूप से चर्चा व फरियाद किए . श्री। संजय रमेश अरते साहिब ने हमारी फरियाद सुन कर सम्मानपूर्ण उच्च अधिकारी होने के नाते इस गंभीर मामले में उचित जांच व कानूनी कार्रवाई के लिए Shri. Arun N kadam. Executive Engineer Water Department. को आदेश व निर्देश देकर नियुक्त किए।

- श्री कदम साहब के नेतृत्व में हमने और संबंधित H/E ward जल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चर्चा किए

- दि : 27/01/2020. रोजी। श्री कदम साहब ने मुझे और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को साथ लेकर निष्पक्ष रूप से साइट निरीक्षण किए .

- HDIL Developers owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा बनाई गई इमारतें में खुले तौर पर कानून व प्रशासन की परवाह किए बिना बीएमसी के मेन लाइन में से चोरी करके बहुत बड़ी-बड़ी मोटरों द्वारा बीएमसी के पानी का दुरुपयोग , पानी माफियाओं का यह कारनामा देख कर श्री कदम साहब ने संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को गुस्सा करके तुरंत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए।

- परंतु HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों ने बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चल रही उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई में बाधा निर्माण करने के लिए व बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लोगों को भड़का कर इकट्ठा करके बीएमसी अधिकारियों को अपनी दहशत बताने के लिए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग , मुझे गंदी गंदी गाली, गलौज , हाथ पैर तोड़ कर जान से मारने व फर्जी मामले में फंसाने की सरेआम धमकियां देना शुरू कर दिए। इस मामले में मैंने उनके खिलाफ बीकेसी पुलिस थाने में NC पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराया हूं।

Scanned with CamScanner

Exh=L
99

S64

Q60

- इस भ्रष्टाचार सिस्टम व गंभीर आपराधिक मामले पर पर्दा डालने के लिए एच / पूर्व जल विभाग अधिकारी व कर्मचारियों ने दि : 07/08/2019. रोजी। कानून व प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए भारत नगर वाल्मीकि नगर झोपड़पट्टी में कार्रवाई कर दिए . 97

- जब के शिकायत HDIL Developers owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा पत्थर नगर में बनाई गई इमारतें की थी।

- दि : 07/08/2019. रोजी। एच / पूर्व जल विभाग के अधिकारियों ने पुलिस बंदोबस्त भारत नगर पत्थर नगर बिल्डिंगों के लिए लिया था।

- सोची समझी साजिश के तहत एच / पूर्व जल विभाग के अधिकारियों ने इस गंभीर आपराधिक मामले से ध्यान भटकाने के लिए भारत नगर, वाल्मीकि नगर झोपड़पट्टी के गरीब लाचार मजबूर बेबस रही वासियों को मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा कर परेशान करना जारी रखे।

2. इस गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ माननीय डेपुटी हाइड्रोलिक इंजीनियर। श्री। संजय रमेश अरते साहिब से मुलाकात करके स्पष्ट रूप से चर्चा व फरियाद किए . श्री। संजय रमेश अरते साहिब ने हमारी फरियाद सुन कर सम्मानपूर्ण उच्च अधिकारी होने के नाते इस गंभीर मामले में उचित जांच व कानूनी कार्रवाई के लिए Shri. Arun N kadam. Executive Engineer Water Department. को आदेश व निर्देश देकर नियुक्त किए।

- श्री कदम साहब के नेतृत्व में हमने और संबंधित H/E ward जल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से चर्चा किए

- दि : 27/01/2020. रोजी। श्री कदम साहब ने मुझे और संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को साथ लेकर निष्पक्ष रूप से साइट निरीक्षण किए .

- HDIL Developers owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा बनाई गई इमारतें में खुले तौर पर कानून व प्रशासन की परवाह किए बिना बीएमसी के मेन लाइन में से चोरी करके बहुत बड़ी-बड़ी मोटरों द्वारा बीएमसी के पानी का दुरुपयोग , पानी माफियाओं का यह कारनामा देख कर श्री कदम साहब ने संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को गुस्सा करके तुरंत कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिए।

- परंतु HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों ने बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चल रही उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई में बाधा निर्माण करने के लिए व बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लोगों को भड़का कर इकट्ठा करके बीएमसी अधिकारियों को अपनी दहशत बताने के लिए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग , मुझे गंदी गंदी गाली, गलौज , हाथ पैर तोड़ कर जान से मारने व फर्जी मामले में फंसाने की सरेआम धमकियां देना शुरू कर दिए। इस मामले में मैंने उनके खिलाफ बीकेसी पुलिस थाने में NC पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराया हूं।

Scanned with CamScanner

98

3. इस तरह बेहिसाब हराम कमाई के दम पर HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्ति ward no 92 AIMIM पार्टी की नगरसेविका के पति सलीम कुरैशी और उसके साथी जलील पशु शेख (उर्फ जालिम मुल्ला) फिरोज बॉस , सुलेमान खैरानी, इरशाद खान, शेखर गावड़े , अनवर खान , अख्तर युसूफ अंसारी उर्फ (बबलू) यह नीच मनुष्य लोग सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को भिक्षा देकर शिकायतकर्ता को सरेआम मारपीट खून खराबा हत्या बेगुनाह लोगों को फर्जी मामले में फंसाने के लिए फेमस है। (इस प्रकार से दहशत बना कर कई गरीब झोपड़ा धारकों के घर हड़प कर उसे किराए से और बेचकर उन पैसों से बड़ी शान व शौकत महसूस करते हैं यह लोग)

4. सूचना के अनुसार संबंधित गैर आवेदन आरोपियों ने WhatsApp group . द्वारा अपने नीच मनुष्य साथियों को इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुझे जान से मारने , फर्जी मामलों में फंसाने की प्लानिंग किए। श्री सलीम 90 नामी व्यक्ति ने संबंधित आरोपियों की प्रभाग समिति अध्यक्ष श्री। शेखर वैंगणकर से मीटिंग करवाया। इस गंभीर आपराधिक मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए । ₹ 800000/- Eight lac की डील तय किए।

"विनम्र प्रार्थना"

पैराग्राफ 1 में उल्लेख के अनुसार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान व भयंकर बीमारी का अंदेशा स्पष्ट रूप से नजर आता है कृपया इस गंभीर मामले में अति तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करें। (इससे सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा , भ्रष्टाचार व गंभीर अपराध नियंत्रण होगा)

संबंधित गैर आवेदन आरोपियों पर संवैधानिक कायदे के मुताबिक कानूनी कठोर, प्रतिबंध कार्रवाई करके हमारी सुरक्षा करें। (ताकि मेरे जैसे भारत नगर के मजलूम रही वासियों का कानून और प्रशासन पर विश्वास बहाल हो सके)

भारत नगर, पत्थर नगर बिल्डिंगों में HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के बहुत ज्यादा मकान है जिसे किराए पर दिया गया है। किराए के पैसों से लोकल पालतू गुंडों की तनख्वाह दी जाती है। Wadhawan builder की प्रॉपर्टी को सील करें। PMC Bank Recovery बाकी है।

सरकार द्वारा अपनी जायज मांगों के लिए दि : 11/02/2020. रोजी से प्रशासनिक भवन, अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (ई), मुंबई 400051 झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण कार्यालय के सामने मैं अनशन धरना आंदोलन शुरू करूंगा। इस मामले में हमारा जो भी मानसिक शारीरिक आर्थिक समय का नुकसान हो रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित आरोपियों के साथ संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद : आपकी सेवा में : श्री बदरुद्दीन एस मनिहार

Note : (1) चल रहे भ्रष्टाचार सिस्टम, गंभीर आपराधिक मामले के बारे में संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार मिलकर स्पष्ट रूप से चर्चा व फरियाद , लिखित रूप में तकरार , अनशन धरना आंदोलन कर चुके हैं। (2) यदि आवेदन लिखने में किसी भी प्रकार की भूल चूक गलती हो तो संपर्क करके सुधार कर सकते हैं।

Copy to : AC HE ward
Senior Police Inspector
Nirmal Nagar Police
Station Bandra E Mumbai

29860
029860

Scanned with CamScanner

सेवा में :- Shri. Sanjay Barve Sir

The Honorable commissioner

of police Mumbai 400001.

विषय: HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मुझे और मेरे करीबी लोगों को फर्जी मामलों में फंसाने व बदनाम करके हत्या करने की प्लानिंग की है. कृपया इस गंभीर मामले में खास तौर पर ध्यान दें।

महोदय

मैं बदरुद्दीन एस मनिहार सामाजिक कार्यकर्ता उपरोक्त विषय द्वारा आपसे निवेदन करता हूं।

HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों द्वारा पत्थर नगर भारत नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. में कानून व प्रशासन की परवाह किए बिना खुले तौर पर धोखाधड़ी व गुंडागर्दी करके गंभीर आपराधिक गैर कानूनी कार्यक्रम चल रहा है।

चल रहे इस गंभीर आपराधिक मामलों के खिलाफ उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई के लिए। सरकारी एजेंसियों के संबंधित विभाग कार्यालय में बहुत ज्यादा शिकायतें ,अनशन ,धरना ,आंदोलन , कई लोग न्याय की आशा के आधार पर न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। परंतु भारत नगर के मजलूम निवासियों को आज तक न्याय नहीं मिला।

चल रहे नाकाबिले बर्दाश्त गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की मेरी प्रस्तुतियां नहीं है। इसलिए संबंधित सरकारी एजेंसियों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा उचित जांच पड़ताल , कानूनी कार्रवाई / कार्यवाही होकर भारत नगर के मजलूम निवासियों को सही न्याय मिलने तक मैं दि : 11/02/2020. रोजी से प्रशासनिक भवन, अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (ई). मुंबई 400051 झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण कार्यालय के सामने अनशन ,धरना ,आंदोलन शुरू करूंगा। (शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है)

चल रहे इस गंभीर अपराधिक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों शेखर गावड़ा उर्फ (टकलू अन्ना) , जलील पशु शेख (उर्फ जालिम मुल्ला) , अनवर शहजाद खान उर्फ (अन्नू हनुमान) ने आदत के मुताबिक अल नूर व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा शहजाद , आरिफ, अकबर, शमसुद्दीन, इमरान मलिक, अन्य लोगों को इकट्ठा करके।

Scanned with CamScanner

प्लानिंग के तहत उन्हें समझाया गया। ACP Shri appasaheb Baburao shewale साहिब , BKC police inspector Shri kolekar साहिब से पूरी सेटिंग हो गई है . पहले मेरे और मेरे करीबी लोगों पर फर्जी मामले दर्ज किए जाएंगे। फिर नीच मनुष्य लोगों की भीड़ इकट्ठा करके मुझे जान से मारने की प्लानिंग किए. सूचना मिलने पर मैं दिनांक 06/02/2020 रोजी। 1:30 से 2:00 AM बजे के दरमियान। 100 नंबर पर कॉल करके बीकेसी पुलिस थाने में इनकी प्लानिंग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने गया। परंतु Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश शेखर गावड़ा उर्फ (टकलू अन्ना) , जलील पशु शेख (उर्फ जालिम मुल्ला) , अनवर शहजाद खान उर्फ (अन्नू हनुमान) व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत करने के कारण ड्यूटी ऑफिसर मुझे गुस्सा करके धमकियां देने लगे। मैंने addl CP W/R control फोन करके अनुरोध किया। उनके कहने पर ड्यूटी ऑफिसर ने बड़ी शर्मनाक तौर पर उनकी खुद की इच्छा के अनुसार मेरा बयान note करे.

बेहिसाब हराम कमाई के दम पर HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल , पालतू गुंडे बदमाश व्यक्ति जितेन्द्र मेहता उर्फ (जीतू भाई) , शेखर गावड़ा उर्फ (टकलू) सुफियान , सलीम कुरैशी , जलील पशु शेख (उर्फ जालिम मुल्ला) फिरोज बॉस , सुलेमान खैरानी, इरशाद खान उर्फ (कचरा मंत्री) , अनवर खान उर्फ (अन्नू हनुमान) अख्तर युसूफ अंसारी उर्फ (बबलू) और इनके साथी . यह नीच मनुष्य लोग सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को भिक्षा देकर शिकायतकर्ता व उनके करीबी बेगुनाह लोगों को सरेआम मारपीट खून खराबा हत्या फर्जी मामलों में फंसाने के बारे में बड़े माहिर व मशहूर हैं यह लोग। (इस प्रकार से दहशत बना कर बड़ी शान व शौकत भी महसूस करते हैं यह लोग)

"विनम्र प्रार्थना"

HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों द्वारा भारत नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. में चल रहे गैर कानूनी कार्यक्रम , गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई हो कर हमें न्याय मिलने तक। संबंधित गैर आवेदक आरोपियों पर प्रतिबंध कानूनी कठोर कार्रवाई करके हमारी सुरक्षा करें। (ताकि भारत नगर के मजलूम रही वासियों का कानून व पुलिस प्रशासन पर विश्वास बहाल हो सके)

धन्यवाद

पत्र स्विकारले
020833 6/02/20 16:21
...लीस ठाणे मुंबई.

पत्र मिळाले
06/02/2020
खेरवाडी विभाग, बांद्रा मुं.

6/2/2020

आपकी सेवा में : श्री बदरुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार

पता : रूम नंबर 81 नेहरू विकास मंडल भारत नगर बांदरा पूर्व मुंबई 400051 मो. नंबर 8169932031

Scanned with CamScanner

Exh=R
108

P R E S S

हिंदी पाक्षिक

उग्र तेज।

R.N.I. MAH HIN 2008/22953

Tejbahadur Thakur
(Editor)

Badruddin S. Manihar
Crime Reporter
Postal Add. 81, Nehru Vikas Mandal
Bharat Nagar, Near B.K.C. Teacher
Colony Road, Opp. University South
Gate Bandar (East), Mumbai-400 051.

58, Ahinsa Nagar, Government Colony, Opp. New English School, Bandra (E), Mumbai-400 051.
Mob. 8169932031 E-mail : crimecorruptionreport@gmail.com • www.crimecorruptionreport.bvija.com

Ref. No :

Date : 13/02/2020

उचित कार्रवाई के लिए : ....

प्रति : Shri. Anand D Mole
The Senior Police Inspector
BKC Police Station Bandra (East) Mumbai- 400051.

पत्र स्विकारले
13/2/2020
बारनिशी लेखनिक,
बी.के.सी.पोलीस ठाणे मुंबई.

महोदय :

भारत नगर, पत्थर नगर बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. HDIL owner Rakesh Wadhawan builder द्वारा REHAB , SRA योजना के नाम पर बनाई गई सभी इमारतों में Wadhawan Developer के पालतू गुंड व्यक्तियों ने वास्तविक झोपड़ा धारकों और वाधवान डेवलपर के घरों पर कब्जा करके। उनके घरों को किराए और हैवी डिपाजिट पर दे दिए हैं। उन अवैध निवासियों के लिए बीएमसी की मेन लाइन में से चोरी करके बड़ी-बड़ी मोटरों द्वारा रोजाना, तकरीबन 2230000/-लीटर। Twenty tow lack tharty thausand liter गैरकानूनी तरीके से पानी का व्यापार maintanenc के नाम पर जारी रखा है।(<u>जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है</u>) बेहिसाब हराम कमाई के लालच में पानी का कनेक्शन ऐसी जगह कर दिए हैं। जहां पर सभी बिल्डिंगों की संडास के लाइन छोड़ी गई है। जिसके कारण बीएमसी के पानी की लाइन में संडास गटर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। (<u>इस वजह से भयंकर बीमारी का अंदेशा जाहिरी तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है</u>)

HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल , पालतू गुंडे बदमाश व्यक्ति Rehab SRA योजना के नाम पर बनाई गई सभी इमारतों द्वारा बेहिसाब हराम कमाई के दम पर सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को भिक्षा देकर शिकायतकर्ता व उनके करीबी बेगुनाह लोगों को सरेआम मारपीट खून खराबा हत्या फर्जी मामलों में फंसाने के बारे में बड़े माहिर व मशहूर हैं । (इस तरह कानून व प्रशासन की धज्जियां उड़ा कर बड़ी शान व अभिमान का महसूस करते हैं यह लोग) इस बारे में बीकेसी पुलिस थाने में बहुत ज्यादा तकरार है।

13-2-2020
पोलीस उप आयुक्त,
परिमंडल-८, मुंबई
[illegible]

पत्र मिळाले
13/02/2020
बारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रा मुं.

Badruddin S. Manihar
Crime Reporter
Postal Add.: 81, Nehru Vikas Mandal, Bharat Ngr,
Bandra (East), Mumbai - 400 051.
E-mail : crimecorruptionnewsreporter@gmail.com

1/3

Scanned with CamScanner

V69

109

Wadhawan Developer के पालतू गुंड व्यक्तियों द्वारा चल रहे नाकाबिले बर्दाश्त गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ शिकायतें पर बीएमसी एच / पूर्व जल विभाग मार्फत दि: 11/02/2020. रोजी। पुलिस बंदोबस्त के साथ गैरकानूनी पानी के कनेक्शन पर उचित कानूनी कार्रवाई करना शुरू किया गया।

[illegible]ने में Wadhawan Developer के हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे व्यक्ति (1) जलील पशु शेख (उर्फ जालिम [illegible]) (2) इरशाद खान उर्फ (कचरा मंत्री) , (3) अनवर खान उर्फ (अन्नू हनुमान) इन लोगों ने भीड़ इकट्ठा [illegible] पुलिस अधिकारियों के सामने बीएमसी के अधिकारियों को जबरन गुंडागर्दी करके उचित कानूनी कार्रवाई करने से [illegible] दिया।

सबूत के तौर पर मैं अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरे। मेरा मोबाइल छीन लिए थे। मोबाइल में से वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने की कोशिश किए। मुझे गंदे अल्फाजों में बहुत बेइज्जत व धमकियां दिए। जिससे उन गुंडों की हिम्मत और दहशत का रुतबा और भी बढ़ गया। इसलिए वह लोग मुझे [illegible] गाली गलौज और झुंड इकट्ठा करके मुझे जान से मार देने की कोशिशें करने लगे। अपनी जान की हिफाजत के [illegible] मैंने 100 नंबर पर कॉल किया इस वजह से पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरे। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित हो [illegible] इसलिए मैं वहां से हट गया।

फिर मुझे फोन द्वारा सूचना मिली के जलील , इरशाद , अनवर , और उनके साथी पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरे। को मैनेज करके गैरकानूनी पानी का कनेक्शन जो बीएमसी के अधिकारियों ने कट किया था। उसे फिर से जोड़ने का कार्य शुरू किए

मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दिया। जिस पर फोन द्वारा मुझे पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरे। [illegible] पत्थर नगर बिल्डिंग में बुलाया। चल रहे गंभीर आपराधिक मामलों के खिलाफ शिकायतें करने के कारण। पुलिस उप निरीक्षक श्री प्रदीप अहिरे। ने मुझे फिर से गंदी गंदी गाली गलौज दिए। मुजरिम की तरह कॉलर पकडकर बीकेसी पुलिस थाने ले [illegible]

दि: 12/02/2020. रोजी। Wadhawan Developer के पालतू गुंड व्यक्ति जलील , इरशाद , अनवर , महबूब , सिकंदर , मैनू , इमरान मलिक, पप्पू मुर्गी , और उनके साथियों ने पत्थर नगर की सभी बिल्डिंग वालो को इकट्ठा करके , नीच मनुष्य लोगो की भीड़ बनाकर मुझे जान से मारने की साजिश किए थे। सूचना मिलते ही मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया। तो उन्होंने सारी भीड़ का मार्च के रूप में मेरे खिलाफ बीकेसी पुलिस थाने में ले गए।

भारत नगर में चल रहे गंभीर अपराध गैरकानूनी कामों पर कानून व प्रशासन की आंख में धूल झोंकने और आगे की [illegible] पड़ताल , कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। लोगों को मेरे खिलाफ उल्टा पुल्टा भड़का कर। लोगों को इमोशनल [illegible] करके ब्लैंक पेपर पर मेरे खिलाफ साइन करवाएं।

Badruddin S. Manihar
Crime Reporter
Postal Add.: 81, Nehru Vikas Mandal, Bharat Ngr, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
E-mail : crimecorruptionnewsreporter@gmail.com

2/3

Scanned with CamScanner

110

विनम्र प्रार्थना

1. इस आवेदन के अनुसार मेरा बयान दर्ज करें। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी कॉपी रिकॉर्ड पर लेकर जप्त करें।
2. दि: 11/02/2020. दोपहर के 1:00 बजे से 3:00 बजे तक। बीकेसी पुलिस थाने के मेन एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड लेकर जप्त करें।
3. दि: 12/02/2020. सुबह 10:00 से रात के 12:00 बजे तक। बीकेसी पुलिस थाने के मेन एंट्रेंस का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड पर लेकर जप्त करें।
4. इस आवेदन के अनुसार उचित जांच पड़ताल करके संबंधित अपराधियों पर कानूनी कठोर कार्रवाई करें। (ताकि भारत देश का लोकतंत्र बरकरार रहे)
5. Rehab SRA योजना के नाम पर बनाई गई इन सभी इमारतों द्वारा बेहिसाब हराम कमाई के दम पर HDIL owner Rakesh Wadhawan builder के दलाल , पालतू गुंडे बदमाश व्यक्ति सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को भिक्षा देकर शिकायतकर्ता व उनके करीबी बेगुनाह लोगों को सरेआम मारपीट खून खराबा हत्या फर्जी मामलों में फंसाने के बारे में बड़े माहिर व मशहूर हैं । (इस तरह कानून व प्रशासन की धज्जियां उड़ा कर बड़ी शान व शौकत भी महसूस करते हैं यह लोग) यदि फिर से इस प्रकार की कोई घटना घटी तो इसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित अपराधियों के साथ प्रशासन की होगी कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद

आपकी सेवा में

Badruddin S. Manihar
Crime Reporter
Postal Add.: 81, Nehru Vikas Mandal, Bharat Ngr, Bandra (East), Mumbai - 400 051
E-mail : crimecorruptionnewsreporter@gmail.com

Copy to : shri. Sanjay Barve IPS. The CP mumbai. (2) shri. Manuj Kumar Sharma IPS The Addl CP [illegible]. (3) The DCP Operation. (4) Shri. Manjunath Singhe IPS . The DCP Zone 8. (5) Shri. Appasaheb Baburau Shewale. The ACP K/D.

3/२

Scanned with CamScanner

115

Y 75

Exh-U
115

बी.के.सी.पोलीस ठाणे

B.K.C. Police Station

Bandra-Kurla Complex Road, Near Mahangr Gas Pump, Bandra East, Mumbai-51.
Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482

ReferenceNo: ~~1115~~ 1119 /BKC PS

Date: 19 /02 /2020

प्रति,

श्री.बदुदीण सदुदीण मणियार
पत्ता — रूम कमांक ८४, चाळ कमांक ५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर ,
वांद्रे पुर्व, मुंबई.

विषय :— अर्ज चौकशीकामी पोलीस ठाण्यात हजर रहाण्याबाबत.

उपरोक्त विषयास अनूसरून तुम्हास कळविण्यात येते की, तुम्ही एच डी आल एल चे मालक राकेश वाधवा यांचे दालल व पालतु गुड लोकांनी पत्थरनगर साठी पाणी पुरवाठा करणारी पाईप लाईन गटारातुन घेतलेली आहे. त्यामुळे गंभिर रोग होण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक ११/०२/२०२० रोजी जलील शेख व इतर २ इसम यांनी बी एम सी अधिका—यां सोबत गुंडागर्दी केली त्यांच्यावर कलम ३३२,३३३,१२०(ब) भा.द.वि अन्वये कारवाई करावी अशा मजकुराचा अर्ज बी के सी पोलीस ठाण्यात प्राप्त झाला आहे.

सदर अर्ज चौकशीच्या अनुषंगाने तुमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रे/पुराव्यासह सदरचे पत्र मिळाल्यापासुन ३ दिवसाच्या आत नमुद अर्जाचे चौकशी अधिकारी स पो नि एस एम कोले मो.क.९१३७२३७४६० वर संपर्क साधुन कार्यालयीन वेळेत बी के सी पोलीस ठाण्यात हजर रहावे.

तुम्ही पोलीस ठाण्यात हजर नाही राहिल्यास तुम्हाला सदरबाबत काही एक म्हणने नसल्याचे गृहित धरून सदर अर्जाची चौकशी बंद करून सदरचा अर्ज निकाला काढला जाईल येईल याचे नोंद घ्यावी.

[signature] I.P.
19/02/2020.

[signature]
(एस एम कोले)
सहा पोलीस निरिक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

Scanned with CamScanner

116
४७६

बी.के.सी.पोलीस ठाणे
B.K.C. Police Station
Bandra-Kurla Complex Road, Near Mahangr Gas Pump, Bandra East, Mumbai-!
Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482

ReferenceNo: 1122/BKC PS Date:19 /02 / 2020

प्रति,

बद्रुदीण सद्रुदीण मणियार
पत्ता – रूम कमांक ८४, चाळ कमांक ५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर ,
वांद्रे पुर्व, मुंबई

विषय :– अर्ज चौकशी बंद केल्याबाबत.

उपरोक्त विषयास अनूसरून आपनास कळविण्यात येते की तुम्ही एच डी आल एल चे मालक राकेश वाधवा यांचे दालल व पालतु गुड लोकांनी पत्थरनगर साठी पाणी पुरवाठा करणारी पाईप लाईन गटारातुन घेतलेली आहे. त्यामुळे गंभिर रोग होण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक ११/०२/२०२० रोजी जलील शेख व इतर २ इसम यांनी बी एम सी अधिका–यां सोबत गुंडागर्दी केली त्यांच्यावर कलम ३३२,३३३,१२०(ब) भा. द.वि अन्वये कारवाई करावी अशा मजकुराचा अर्ज बी के सी पोलीस ठाण्यात केलेला होता सदर अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यातील हकीकती बाबत बी एम सी चे अधिका–यांनी बी के सी पोलीस ठाण्यात तकार देणे कायदेशीर आहे.

तरी तुम्ही दिनांक १२/०२/२०२० रोजी बी के सी पोलीस ठाण्यात वर नमुद हकीकतीवरून पोलीसांनी गुन्हा नोंद करण्याच्या तकार अर्जाची बी के सी पोलीस ठाण्याकडुन चौकशी बंद करण्यात आली आहे याची तुम्ही नोंद घ्यावी.

(एस एम कोले)
सहा पोलीस निरिक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

.I.P.
19/02/2020.

Scanned with CamScanner

AA 1

117

477

बी.के.सी.पोलीस ठाणे
B.K.C. Police Station
Bandra-Kurla Complex Road, Near Mahangr Gas Pump, Bandra East, Mumbai-51.
Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482

ReferenceNo: ~~1113~~/BKC PS 1124

Date: 19 /02 /2020

प्रति,
श्री.बद्रुदीण सद्रुदीण मणियार
पत्ता – रूम क्रमांक ८४, चाळ क्रमांक ५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर ,
वांद्रे पुर्व, मुंबई.

विषय :– अर्ज चौकशीकामी पोलीस ठाण्यात हजर रहाण्याबाबत.

उपरोक्त विषयास अनूसरून तुम्हास कळविण्यात येते की, तुम्ही एच डी आल एल चे मालक राकेश वाधवा यांचे दालल व पालतु गुड लोकांनी पत्थरनगर साठी पाणी पुरवाठा करणारी पाईप लाईन गटारातुन घेतलेली आहे. त्यामुळे गंभिर रोग होण्याची शक्यता आहे. तसेच दिनांक ११/०२/२०२० रोजी जलील शेख व इतर २ इसम यांनी बी एम सी अधिका–यां सोबत गुंडागर्दी केली आणि कानुन कारवाई बंद केली त्यावेळी तुम्ही मोबाईल मध्ये चित्रण काढताना पोलीसांनी तुम्हला पोलीस ठाण्यात घेवुन आले अशा मजकुराचा अर्ज बी के सी पोलीस ठाण्यात प्राप्त झाला आहे.

सदर अर्ज चौकशीच्या अनुषंगाने तुमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रे/पुराव्यासह सदरचे पत्र मिळाल्यापासुन ३ दिवसाच्या आत नमुद अर्जाचे चौकशी अधिकारी स पो नि एस एम कोले मो.क्र.९९३७२३७४६० वर संपर्क साधुन कार्यालयीन वेळेत बी के सी पोलीस ठाण्यात हजर रहावे.

तुम्ही पोलीस ठाण्यात हजर नाही राहिल्यास तुम्हाला सदरबाबत काही एक म्हणने नसल्याचे गृहित धरून सदर अर्जाची चौकशी बंद करून सदरचा अर्ज निकाला काढला जाईल येईल याचे नोंद घ्यावी.

IP.
19/02/2020.

(एस एम कोले)
सहा पोलीस निरिक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

Scanned with CamScanner

478

118

बी.के.सी.पोलीस ठाणे

B.K.C. Police Station

Bandra-Kurla Complex Road, Near Mahangr Gas Pump, Bandra East, Mumbai-51.

Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482

ReferenceNo: 1113 /BKC PS **Date: 19 /02 /2020**

प्रति,

श्री.बद्रुदीण सद्रुदीण मणियार
पत्ता – रूम क्रमांक ८४, चाळ क्रमांक ५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर ,
वांद्रे पुर्व, मुंबई.

विषय :– अर्ज चौकशीकामी पोलीस ठाण्यात हजर रहाण्याबाबत.

उपरोक्त विषयास अनूसरून तुम्हास कळविण्यात येते की, तुम्ही एच डी आल एल चे मालक राकेश वाधवा यांचे दालाल व पालतु गुड लोकांनी घरांवर कब्जाकरून बेकायदेशीररित्या हेवी डीपॉजीट घेवुन सदनीका भाडयाने दिल्या आहेत अशा मजकुराचा अर्ज बी के सी पोलीस ठाण्यात प्राप्त झाला आहे.

सदर अर्ज चौकशीच्या अनुषंगाने तुमच्याकडे उपलब्ध कागदपत्रे/पुराव्यासह सदरचे पत्र मिळाल्यापासुन ३ दिवसाच्या आत नमुद अर्जाचे चौकशी अधिकारी स पो नि एस एम कोले मो.क्र.९१३७२३७४६० वर संपर्क साधुन कार्यालयीन वेळेत बी के सी पोलीस ठाण्यात हजर रहावे.

तुम्ही पोलीस ठाण्यात हजर नाही राहिल्यास तुम्हाला सदरबाबत काही एक म्हणने नसल्याचे गृहित धरून सदर अर्जाची चौकशी बंद करून सदरचा अर्ज निकाला काढला जाईल येईल याचे नोंद घ्यावी.

(एस एम कोले)
सहा पोलीस निरिक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

Scanned with CamScanner

FORM 1A

NCRB I.I.F.-I

पहिली खबर

0097516

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य ...., जिल्हा ...., पोलीस ठाणे ...., पहिली खबर क्र. ...., वर्ष ...., दिनांक ....
   State महाराष्ट्र District मुंबई Police Station खेरवाडी FIR No. 69/2020 Year 2020 Date 20/02/2020

2. (i) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
   (ii) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
   (iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections भा.द.वि. 420, 406, 34

3. (a) अपराधाची घटना : वार ...., तारीख पासून ...., वेळ ...., तारीख पर्यंत ...., वेळ ....
   Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
   वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion) 23/11/2020 रोजीच्या दरम्यान
   (1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
   (6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00

   (b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख ...., वेळ ....
   Information received at P. S. Date 20/02/2020 Time 12.30 वा.

   (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. ...., तारीख ...., वेळ ....
   General Diary Reference : Entry No. 45/20 Date 20/02/20 Time 12 [illegible]

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : ...., लेखी / तोंडी Written / Oral

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ...., चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्रमांक ....
   Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. Chouki / Beat / O.P. Name and No. 1
   (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव ...., ठिकाणाचे नंबर ...., गल्ली ...., रस्त्याचे नाव ....
   Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
   जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
   Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State
   [illegible handwriting]
   (c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
   In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
   (a) नाव .... (b) वडिलांचे / पतीचे नाव ....
   Name [illegible] खान Father's / Husband's Name [illegible] अली खान
   (c) जन्म तारीख व वय .... (d) राष्ट्रीयत्व ....
   Date of Birth and Age वय 34 वर्षे Nationality Phone No. [illegible]
   (e) पारपत्र क्रमांक ...., दिल्याचा दिनांक ...., दिल्याचे ठिकाण ...., (f) व्यवसाय ....
   Passport No. — Date of Issue — Place of Issue Occupation
   (g) धर्म Religion ...., जात Caste ...., जनजात Sub-Caste ....
   (h) पत्ता ...., गल्ली / सर्व्हे नं. ...., घर / नाव नं. ...., फोन / मो. नं. ...., पॅन नं. ...., मोटर नं. ....
   Address : Ward House/Name No. Phone/Mo. No. PAN No. Card No.
   रस्त्याचे नाव ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ....
   Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
   [illegible handwriting] वांद्रे पूर्व.
   तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ...., सध्याचा पत्ता ....
   Taluka Dist. मुंबई State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन .... वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व स. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
   Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to Case Diary.)
   ....
   1) [illegible handwriting]

Scanned with CamScanner

जबाब   दिनांक 20/02/2020

यातील फिर्यादी नामे श्री शहेजाद साबीर अली खान, वय ३५ वर्षे धंदा - टेलर, रा.ठी. रुम क्र.206, बिल्डींग क्र.01, सी. पत्थरनगर एसआरए. बिल्डींग, भारतनगर वांद्रे पुर्व मुंबई ५१ यांचा सविस्तर जबाब स्वतंत्र कागदावर संगणकावर टंकलिखीत केला असुन तो गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल म्हणून संबोधण्यात आला.

समक्ष,

(श्रीशैल्य म. कोळे)
सहा. पोलीस निरीक्षक
बीकेसी पोलीस ठाणे
मुंबई

[illegible]
[illegible] पोलीस निरीक्षक
[illegible]. पोलीस [illegible]
[illegible]

जबाब दिनांक २०/०२/२०२०

श्री.शहजाद साबीर अली खान वय ३४ वर्षे धंदा–टेलर, रा.ठी. रूम क्रमांक २०६ बील्डींग क्रमांक १ सी, पत्थरनगर, एस.आर.ए.बील्डींग,भारतनगर,वांद्रे पूर्व,मुंबई ५१. मोबाईल नं. ७९७७२१३००५.

मी वरील प्रमाणे असुन नमुद पत्यावर मार्च २०१९ पासुन माझ्या कुटुंबासह रहाणेस आहे. मी टेलर काम करत आहे त्यावर मिळणा–या उपत्नावर माझी उपजिवीका चालते. मी सन २०११ साली प्लॉट क्रमांक १०, भारतनगर, वांद्रे पूर्व येथिल एक झोपडे विकत घेतले होते. सदर ठिकाणी एस आर ए स्कीम आलेली होती त्यावेळी आम्हाला सदरची झोपडी निष्काशीत करून एच.डी.आय.एल.विकासकाकडुन प्रीमीयर रोड एच डी आय एल कॉलनी, कुर्ला पश्चिम, येथे रूम देण्यात आलेली होती.

एस.आर.ए.मार्फत नोव्हेंबर २०१८ साली लॉटरी मध्ये मला रूम क्रमांक २०६, बील्डींग क्रमांक १ सी विंग, पत्थरनगर, एस आर ए बील्डींग, भारतनगर, वांद्रे पूर्व, मुंबई ५१ येथे रूम मिळाला होता. सदर ठिकाणी आमच्या इमारत क्रमांक १, सी विंग व इमारत क्रमांक १, बी विंगला बी एम सी च्या कायदेशीर पाण्याची सोय नव्हती. त्यावेळेस रूम क्रमांक ११०६, १ बी, एस आर ए बील्डींग, पत्थरनगर येथे रहाणारा आमच्या तोंड ओळखीचा समीर शेख त्याच्या मार्फतीने आम्ही पाण्याच्या टॅकरने पाणी मागवून त्या पाण्याचा वापर करीत होतो.

मार्च २०१९ च्या पहिल्या आठवडयामध्ये समीर शेख व शमशुदीन खान यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन आम्हा रहिवाशांना विश्वासात घेऊन आम्हाला सांगितले की, इमारत क्रमांक १, सी विंग व इमारत क्रमांक १, बी विंग साठी पाण्याचे कनेक्शन मिळविण्याकरीता समीर शेख याचा जवळचा नातेवाईक बदरूददीन मणियार रा.ठी. नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर याची बी एम सी मध्ये ओळख आहे. त्याच्या मार्फतीने आपण बिल्डींगला अधिकृतरित्या पाणी कनेक्शन घेंतायेईल. त्यासाठी काही खर्च येइल तो आम्ही तुम्हाला सांगतो तो आमच्याकडे द्या असे त्यांनी मी व माझे साथीदार रहिवासी इम्रान मलिक व इतर रहिवासी यांना सांगितले. सदरची माहिती आम्ही आमच्या सोबत रहाणारे दोन्ही विंग मधील रहिवाशांना दिली. आम्हाला पाण्याची गरज असल्याने आम्ही सर्व सोसायटीत रहाणारे सदस्यांनी प्रत्येकी रु.५०००/– वर्गणी खर्चासाठी काढण्याचे ठरविले.

आम्ही रहिवाशांनी ठरवल्याप्रमाणे सन २०१९ जुन महिन्यात एके दिवशी समीर शेख, शमशुदीन खान व बदरूददीन मणियार यांनी आमच्याशी बोलणी केली. त्यावेळी बदरूददीन मणियार यांनी त्यांची बीएमसी मधील अधिका–याशी व राजकीय मोठ मोठया व्यक्तीशी ओळख आहे व तो प्रसिध्द पत्रकार आहे असे आम्हाला सांगितले. त्यांच्या ओळखीने आमच्या दोन्ही विंगला बीएमसी कडून अधिकृत पाणी कनेक्शन देण्याचे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले. त्यांच्या या बोलण्यावर आम्ही सर्व रहिवाशांनी विश्वास ठेवला. अधिकृत पाणी कनेक्शन साठी दोन लाख रुपये खर्च येईल तो आम्हाला दयावा असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. आम्ही रहिवाशांकडे रोखीने इतकी रक्कम नसल्याने ती प्रत्येकी रहिवासी वैयक्तिकरित्या चेक देतील व काही रहिवासी रोखीने पैसे देतील असे आम्ही त्यांना सांगितले. चेकव्दारे पैसे दिल्यावर पाणी कनेक्शन घेण्यास विलंब होईल

(पुढे चालू...२)

Scanned with CamScanner

दिनांक २०/०२/२०२० रोजीचा श्री.शहजाद खान यांचा जबाब पुढे चालू.

रोखीने दिल्यास लवकरात लवकर कनेक्शन मिळेल असे त्यांनी आम्हाला सांगितले. आम्हा रहिवाशांकडे आर्थिक अडचण असल्याने काही रहिवासी चेकनेच पैसे देणार असल्याचे सांगितले त्यावेळी समीर शेख व शमशुदीन खान यांनी सांगितले की, आम्ही अलाहाबाद बॅकेत जॉईट खाते उघडतो त्यामध्ये तुम्ही चेकव्दारे पैसे दयावेत. एके दिवशी समीर व शमशुदीन हे आमच्याकडे आले आणि त्यांनी सलीम मोहमद नजीर खान, व शमशुदीन दोस्त मोहमद खान व इरफान शेख यांच्या नावे अलाहाबाद बॅकेत जॉईट अंकाऊट काढलेले आहे त्याप्रमाणे त्यांच्या कोणाच्याही नावे चेक दिल्यास त्याचे पैसे नळ कनेक्शनसाठी वापरता येतील असे सांगितले. त्यांच्या सांगण्यानुसार आम्ही रहिवासी पैश्याची जमवा जमव करु लागलो. शमशुदीन व समीर यांनी पाणी कनेक्शनसाठी लागणारे पैसे शमशुदीन दोस्त मोहमद खान व सलीम खान यांच्या नावे चेक देण्यास सांगितले.

ठरलेल्या प्रमाणे आमच्या बिल्डींगमधील रहिवाशांनी समीर शेख कडे चेक व रोखीने पैसे दिलेले आहे. सदरबाबत समीर शेख याने आमच्या आमच्या बिल्डींगच्या रहिवाशांचा बनविलेला "Pathar Nagar Building #1" या वॉटसअॅप ग्रुपवर ज्याचे ज्याचे चेक व रोखीने पैसे आले त्याचे चेकचे फोटो व रोखीने आलेले रहिवाशांचे नाव टाकून सर्वाना माहिती दिलेली आहे. तसेच बदरूददीन मणियार याचे राजकीय व्यक्तीसोबत काढलेले फोटो हे देखील मेसेजव्दारे ग्रुपवर टाकून त्यांनी आमचा विश्वास संपादन केला. त्याच प्रमाणे पाणी पुरवठा होणेकरीता कोणती अडचणी येत आहे व ती सोडविण्याकरीता बदरूददीन मणियार हे काय प्रयत्न करीत आहे याबाबत वेळोवेळी माहिती रहिवाशांना वॉटसअप व्दारे समीर हा आम्हाला वर नमुद ग्रुपवर मेसेज टाकून कळवित होता.

त्याप्रमाणे मी सुध्दा माझे पैसे हे इंडसइंड बॅक अंकाऊटचा चेक क्रमांक ८६८५९१ याने एकुण रुपये ५,०००/—दिनांक ०८/०४/२०१९ रोजी खान मोह. सलीम मोह. नजीर याचे नावे दिलेला आहे. त्याची छायांकित प्रत सादर करत आहे.

समीर शेख याने आम्हा रहिवाशांना तोंडी माहिती दिली की, जस जसे पैसे जमा होत आहे त्यातून पाणी कनेक्शन करीता त्याने रुपये २,००,०००/— हे बदरूददीन मणियार यास दिलेले असून आणखी रुपये ६०,०००/ देणे आहे असे सांगितले. समीरने बदरूददीन मणियार यास रुपये २ लाख दिले का याची खात्री करणेकरीता व उर्वरीत रुपये ६०,०००/देणे करीता जुन २०१९ च्या पहिल्या आठवडयात बदरूददीन मणियार यास मी व माझे सहकारी इम्रान मलिक शेख, शमशुदीन खान असे समक्ष भेटून रुपये ६०,०००/ दिले. सदरवेळी आम्ही बदरूददीन मणियार यांच्याकडे विचारणा केली की, समीरने दोन लाख रुपये दिले का त्यावेळेस समीरने त्याच्याकडे पैसे दिले असल्याचे त्याने आम्हाला सांगितले. अधिकृतरित्या आमच्या बिल्डींगला पाणी कनेक्शन लवकरच मिळणार असून सध्या समीर शेख हा बिल्डींगकरीता पाण्याची तात्पुरती सोय म्हणुन टॅकरने पाणी पुरवठा करीत आहे. आणखी गरज पडली तर माझ्या घरी पाण्याची विहीर आहे. त्यातून पाणी पुरवठा केला जाईल असे ही बदरूददीन मणियार याने आम्हाला सांगितले.

(पुढे चालू...२)

(स्वाक्षरी)
(एस.एम. ओले)
(स्वाक्षरी)

.नांक २०/०२/२०२० रोजीचा श्री.शहजाद खान यांचा जबाब पुढे चालू.

आम्ही पैसे दिलेले रहिवाशांपैकी मला आठवत असलेले रहिवाशांची नावे खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	पैसे दिलेल्या रहिवाशाचे नाव	अ.क्र	पैसे दिलेल्या रहिवाशाचे नाव
१	साहिल शेख	७	मुबशीर काझी
२	मोहम्मद मेहमुद अली	८	सरवर आॅलम रफिक शेख,
३	अन्वर शहजाद खान	९	अन्वर हुसेन आदम शेख
४	आरिफ शेख	१०	श्रीमती रूक्साना यामीन कुरेशी
५	इस्लाम हुसेन अन्वर हुसेन उर्फ अकबर	११	साजीद बाशीत खान
६	इम्रान मलिक	१२	सुलतान

आम्ही पैसे दिल्यानंतर जुलै २०१९ च्या पहिल्या आठवडयात एके दिवशी समीर शेख व बदरूदद्दीन मणियार यांनी ७–८ कामगारासह बिल्डींगच्या मागील बाजुस असलेल्या बुध्द विहार जवळ असलेल्या नाल्याजवळ पाण्याची पाईप टाकण्याकरीता खोदकाम करताना व प्लंबिगचे काम करीत असताना आम्हाला दिसून आले. तेव्हा आम्ही रहिवाश्यापैकी काही रहिवाशांनी सदर ठिकाणी जाऊन बद्रुद्दीन मणियार व समीर शेख यांना विचारणा केली की, सदरचे काम हे आमच्या बिल्डींगला पाणी पुरवठा होणेकरीता करीत आहात आहे का ? त्यावेळी बदरूदद्दीन मणियार याने सांगितले की, मी बी.एम. सी. मध्ये पैसे भरुन आलो असुन नळ जोडणींची परवानगी घेऊन आलेलो आहे. तुमच्याच बिल्डींगला पाणी पुरवठा करणेकरीता सदरची पाईप लाईन टाकत आहे. असे त्याने आम्हाला तोंडी सांगितले.

सदरवेळी सदरचे काम करीत असताना कोणीही बी.एम.सी. अधिकारी कर्मचारी आम्हाला दिसून आले नाही म्हणुन आम्ही हे प्लंबींगचे काम करणारे लोक बी एम सी चे आहेत काय असे विचारले. सदरचे कामगार अस्थायी कामगार म्हणुन बी एम सी मध्ये काम करतात असे समीर व बदरूदद्दीन मणीयार यांनी आम्हाला सांगितले होते. नळ जोडणीचे काम त्यांनी दोन दिवसात पूर्ण करून आमच्या बिल्डींगला पाणी पुरवठा चालू केला. तेव्हा पासून आमच्या दोन्ही विंगला नियमित पाणी पुरवठा होत होता.

त्यानंतर महिनाभरात बी.एम.सी.चे अधिकारी व कर्मचारी येऊन बदरूदद्दीन मणियार व समीर शेख यांनी आमच्या विंगला पाणी पुरवठा करण्यासाठी जोडलेली पाईपलाईन तोडून आम्हाला होणारा पाणी पुरवठा बंद करुन जोडणी केलेले सर्व पाईप काढून ते घेऊन गेले.

आमच्या बिल्डीगला होणारा पाणी पुरवठा बंद का करण्यात आला याची विचारणा करण्याकरीता मी विंग १ बी व १ सी मधील काही रहिवासी मिळून समीर शेख व बदरूदद्दीन मणियार यांच्याकडे गेलो. त्यावेळी बदरूदद्दीन मणियार व समीर शेख यांनी सांगितले की, कटकारस्थान करणारे इसमांनी बी.एम.सी.मध्ये तक्रार करून तुमच्या बिल्डींगचे पाणी बंद केले असेल. सदरचे पाणी पुन्हा चालू करण्याकरीता आणखी दोन लाख रुपये इतकी रक्कम बी एम सी ऑफीसमध्ये भरावे लागेल. यापुढे बिल्डींगचे पाण्याचे कनेक्शन बी एम सी चे कोणतेही अधिकारी अथवा कट कारस्थान करणारे लोक पाणी कनेक्शन तोडू शकणार नाहीत अगर पाणी बंद करु शकणार नाही

(पुढे चालू–३)

Scanned with CamScanner

दिनांक २०/०२/२०२० रोजीचा श्री.शहजाद खान यांचा जबाब पुढे चालू.

अशी समीर व बदरूदद्दीन मणियार यांनी आम्हाला ग्वाही देऊन आमच्याकडे आण. लाख रूपयाची बदरूदद्दीन मणियार याने मागणी केली.

तेव्हा आम्ही बदरूदद्दीन मणियार यास विचारणा केली की, बी.एम.सी.कडुन कायदेशीर रित्या पाणी पुरवठा व्हावा म्हणून आम्ही रहिवाश्यांनी तुम्हाला यापुर्वीच रुपये २,६०,०००/—दिलेले आहे. तरी देखील बी एम सी ने पाणी पुरवठा खंडीत केला तरीही पुन्हा तुम्ही अधिकृत नळ जोडणी करीता आणखी २,००,०००/ रुपये मागत आहात. सदरचे पैंसे दिल्यानंतर तरी अधिकृतरित्या आम्हाला नळ जोडणी मिळेल का ? असे विचारले असता बदरूदद्दीन मणियार याने तुम्ही काळजी करू नका अधिकृत बी एम सी चे पाणी कनेक्शन जोडुण देण्याचे आश्वासन त्याने दिले.

आमच्या बील्डींगचे पाण्याचे कनेक्शन तोडल्यानंतर म्हणजे त्याच महिन्यात ऑगस्ट २०१९ मध्ये आमच्या बिल्डींगच्या पाठीमागील बाजुस बुध्द विहारा जवळ मी व इम्रान मलिक, अन्वर खान व इतर काही रहिवाशांनी बिल्डींगच्या साफ साफाई व पाणी पुरवठयासाठी गोळा केलेले रोख २ लाख रूपये बदरूदद्दीन मणियार व समीर शेख यांच्याकडे दिले. त्यावेळी त्यांनी काही काळजी करू नका लवकरच बी एम सी कडून हक्काचा पाणी पुरवठा चालू होईल असे आश्वासन दिले.

आम्ही पैसे दिल्यानंतर समीर शेख व बदरूदद्दीन मणियार यांनी ५ ते ६ दिवसानंतर ५ ते ७ कामगारसह येवुन बी एम सी ने पाणी पुरवठा खंडीत केलेल्या ठिकाणावरून पुन्हा आमच्या बिल्डींगला पाणी पुरवठा जोडुन दिला. तेव्हा पासुन आमच्या बिल्डींगचा पाणी पुरवठा सुरळीत चालु होता.

आमच्या बिल्डींगला होणारा पाणी पुरवठा सुरळीत चालु असल्याने व पुन्हा बीएमसी मार्फत नळ जोडणी खंडीत होवु नये या करीता आम्ही समीर शेख व बदरूदद्दीन मणियार यांच्याकडे त्यानी सांगीतल्याप्रमाणे बी एम सी कडुन आम्हाला होणारा पाणी पुरवठा कायदेशीर करून दिल्याचे कागदपत्रे देण्याची विनंती केली. तेव्हा त्यांनी दोघांनी तोंडी सांगीतले की, तुमचा पाणी पुरवठा कायदेशीररित्या चालु असून तो कोणी बंद करणार नाही तुम्ही काही काळजी करु नये.

त्यांच्या बोलण्यावर आमचा विश्वास न बसल्याने आम्ही बदरूदद्दीन मणियार व समीर शेख यांना बीएमसीची अधिकृत पावती तुम्ही दिल्याशिवाय तुमच्या बोलण्यावर आमचा विश्वास बसणार नाही. तर तुम्ही लवकरात लवकर पाणी नळ जोडणे पावती आम्हाला दयावी असे सांगीतले. त्यावेळी बदरूदद्दीन मणियार याने कायदेशीर नळ जोडण्याकरीता आणखी १,५०,०००/— रूपयाची गरज आहे. ते दिल्यानंतरच तुमचा पाणी पुरवठा कायदेशीर होवु शकतो. अन्यथा तुमचा पाणी पुरवठा बंद केला जाईल असे सांगीतले.

त्यांच्या या बोलण्याच्या पध्दतीमुळे मला व माझे साथीदारांना आश्चर्य वाटले. म्हणून मी व माझे सोबत राहणारे ५ ते ६ रहिवासी असे बृहन्मुंबई महानगरपालीका, एच पुर्व वार्ड सांताक्रुज पुर्व येथे जाऊन आमच्या बिल्डींगला बी एम सी कडून अधिकृतरित्या नळ जोडणी केलेली आहे की याबाबत तोंडी विचारणा केली असता आमच्या बिल्डींगला कायदेशीररित्या नळ जोडणी केली नसल्याचे तेथील अधिका—यानी तोंडी आम्हाला सांगितले. त्यावर समीर शेख बदरूदद्दीन मणियार हे आमचेकडून अधिकृत नळ जोडणी करुन देतो असे सांगून आमच्याकडून पैसे घेऊन आमची फसवणुक करीत असल्याचे

(पुढे चालू—४)

(स.त्र. कोले)
सहा. पो. निरीक्षक

Scanned with CamScanner

दिनांक २०/०२/२०२० रोजीचा श्री.शहजाद खान यांचा जबाब पुढे चालू.

आमच्या लक्षात आले.

तरी मार्च २०१९ ते दिनांक२७/०१/२०२० रोजीच्या दरम्यान समीर शेख याने बदरूददीन मणियार याची बीएमसी मधील अधिका—याशी, मोठ मोठया राजकिय व्यक्तीशी ओळख आहे, बदरूददीन मणियार हे प्रसिध्द पत्रकार आहेत. त्यांच्या ओळखीने लवकरच बी एम सी कडुन कायदेशीर मार्गाने पाणी कनेक्शन मिळवून देतो असे सांगून आमचा विश्वास संपादन करुन सर्व रहिवासांकडुन मिळुन एकुण तीन हप्त्यात रू. ४,६०,०००/— इतकी रक्कम घेऊन इसम नामे १) समीर शेख २) बदरूददीन मणियार यांनी अधिकृत नळ कनेक्शन करता महानगरपालीकेत रक्कम न भरता स्वत:च्या फायद्या करीता ठेवुन घेतली तसेच महानगरपालिकेच्या भारतनगर येथे पुरवठा करणा—या पाण्याच्या पाईपलाईनमधून बेकायदेशिररित्या नळ जोडणी करुन आम्हाला काही काळ पाणी पुरवठा करुन देऊन आमची दिशाभूल केली तसेच अधिकृतरित्या नळ कनेक्शनसाठी आणखी रुपये १,५०,०००/ची मागणी केली व सर्व रहिवाशांची फसवणूक केली म्हणून माझी त्यांचेविरुध्द कायदेशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब मराठीत टंकलिखित केला असून तो मराठीत वाचून हिंदीतून समजावून सांगितला तो माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष,

खरी नक्कल

(एस.एम.कोले)
सहाय्यक पोलीस निरिक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
बी.के.सी. पोलीस ठाणे

Scanned with CamScanner

23.02.2020 tweet Request of action

← Tweet

Manihar8169932031
@Manihar81699321

Request for action against corruption

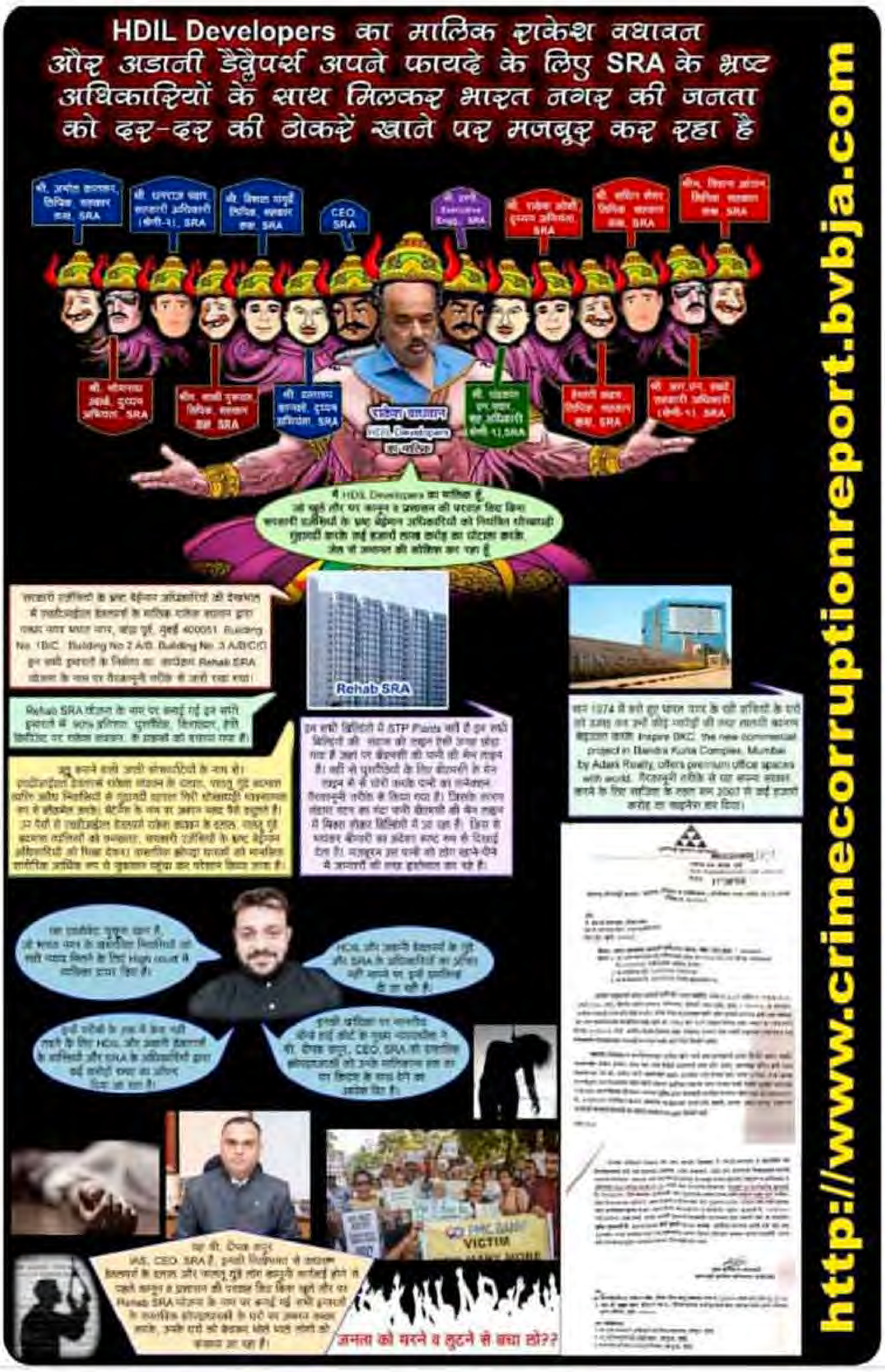

3:24 PM · 23 Feb 20 · Twitter for Android

2 Retweets **3** Likes

FORM-1A N.C.R.B.

I.I.F.-I

पहिली खबर

0094526

FIRST INFORMATION REPORT

26.5.20

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (**Under Section 154 Cr. P.C.)**

1. राज्य ...., जिल्हा ...., पोलीस ठाणे ...., पहिली खबर क्र. ...., वर्ष ...., दिनांक ....
   State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
   (ii) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
   (iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections ....

3. (a) अपराधाची घटना : वार ...., तारीख पासून ...., वेळ ...., तारीख पर्यंत ...., वेळ ....
   Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
   वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion).
   (1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
   (6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00
   (b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख ...., वेळ ....
   Information received at P. S. Date Time
   (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. ...., तारीख ...., वेळ ....
   General Diary Reference : Entry No. Date Time 12:59.

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : ...., लेखी / तोंडी Written / Oral

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ...., चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्र. ....
   Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. Chouki / Beat / O.P. Name and No.
   (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव ...., ठिकाणाचे नंबर ...., गल्ली ...., रस्त्याचे नाव ....
   Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
   जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
   Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State
   (c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
   In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
   (a) नाव .... (b) वडिलांचे / पतीचे नाव ....
   Name Father's / Husband's Name
   (c) जन्म तारीख व वर्ष .... (d) राष्ट्रीयत्व ...., फोन नं. ....
   Date of Birth and Age Nationality Phone No.
   (e) पारपत्र क्रमांक ...., दिल्याचा दिनांक ...., दिल्याचे ठिकाण ...., (f) व्यवसाय ....
   Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
   (g) धर्म Religion ...., जात Caste ...., जनजात Sub-Caste ....
   (h) पत्ता ...., गल्ली / सर्व्हे नं. ...., घर / नाव नं. ...., फोन / मो. नं. ...., पॅन नं. ...., वोटर्स नं. ....
   Address : Ward House/Name No. Phone/Mo. No. PAN No. Card No.
   रस्त्याचे नाव ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., पो. स्टे. ....
   Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
   तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ...., सध्याचा पत्ता ....
   Taluka Dist. State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
   Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to Case Diary.)

....

(1) ....

(2) ....

जबाब दिनांक २३/०५/२०२०.

श्री. सलीम अजीजुद्दीन अंन्सारी, वय ४० वर्षे, व्यवसाय – फुलविक्री, रा.ठि. रूम नं. ७७०, चाळ न.४९ समोर, भारतनगर, बीकेसी,बांद्रा पुर्व, मुंबई मो. ९००४३६११७८

––००––

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर मागील ३५ वर्षापासुन राहत आहे. माझ्या सोबत माझे आईवडील, पत्नी व मुले तसेच माझे दोन भाऊ तसेच त्यांची मुले असे एकत्रीत कुंटुब राहत आहे. आम्ही करत असलेल्या व्यवसायातुन मिळणा–या उत्पन्नातुन आमच्या कुंदुबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

आम्ही राहत असलेल्या परिसरात राहणारे रमजान मनियार, बद्रुद्दिन मनियार व जाकीर मनियार यांना मी ओळखतो. सध्या करोना विषानुच्या संसर्ग होत असल्याने पुर्ण भारत देशात लॉकडाऊन केले आहे. त्यामुळे आमच्या परिसरातील गरीब लोकांना आमचे कुंटुबामार्फत आम्ही किराणा तसेच इतर गरजेच्या वस्तु वाटत असतो. तसेच मनियार कुंटुब देखील सदरचे काम करत आहे. तसेच त्यानी काही दिवसापुर्वी आम्ही वाटत असलेले किराणा तसेच इतर गरजेच्या वस्तु त्यांच्या मार्फत वाटण्यात याव्या असे आम्हास सांगितले होते परंतु आम्ही त्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांचा आमच्या वर राग आहे. तसेच मागील १० दिवसापुर्वी देखील आमच्या किरकोळ वाद झाले होते. परंतु ते सदर ठिकाणी मिटले होते.

आज दि. २३/०५/२०२० रोजी सकाळी ०७.०० वा. च्या सुमारास माझ्या भावाचा मुलगा नामे मुरसल्लीन जावेद अन्सारी वय २० वर्षे हा त्याचे होणारी पत्नी नामे रिझवाना शेख वय १९ वर्षे हिला भेटण्याकरीता चाळ क्र. ५२, भारतनगर, बीकेसी, बांद्रा, पुर्व, मुंबई येथे तिच्या घरासमोर गेला होता. ती मनियार कुंटुबियांच्या घरासमोर राहत आहे. त्यावेळी बद्रुददीन मनियार याने येवुन त्यास मारहान करण्यास सुरूवात केली. सदरची बाब आम्हास समजल्याने मी माझा भाऊ शारिक अन्सारी वय ३२ वर्षे तसेच माझा मेव्हना सयद हनिफ अल्ताफ वय ३८ वर्षे तसेच माझी आई सलमा वय ६० वर्षे असे सर्व सदर ठिकाणी गेलो असता बद्रुद्दीन मनियार यांनी हाताने तसेच रमजान मनियार याने रॉडने आम्हास मारण्यास सुरूवात केली त्यामुळे माझ्या डोक्याला डाव्या बाजुला, तसेच माझा भाऊ शरिक याच्या उजव्या बाजुला डोक्याला रमजान याने रॉडने मारल्याने दुखापत झाली तसेच हनिफ याच्या डाव्या डोळयाखाली बद्रुद्दीन याने ठोसा मारल्याने त्यास दुखापत झाली तसेच माझी आईला देखील धक्काबुक्की केल्याने तिला उजव्या हाताला कोप–याजवळ दुखापत झाली. त्यानंतर आम्ही सर्व उपचार करण्याकरीता भाभा रूग्नालय बांद्रा येथे जावुन उपचार करून तक्रार देण्याकरीता पोलीस ठाणेस आलो आहे.

तरी दिनांक २३/०५/२०२० रोजी सकाळी ७.०० वाजे सुमारास चाळ क्र. ५२, भारतनगर, बीकेसी, बांद्रा, पुर्व, मुंबई या ठिकाणी रमजान मनियार याने रॉड ने माझ्या व माझ्या भावाच्या डोक्यावर मारून दुखापत केली तसेच बद्रुद्दीन याने माझ्या भावाचा मुलगा मुरसलीम , माझा मेव्हना हनिफ सयद व माझी आई यांना हाताने मारहान करून दुखापत केली तसेच शिवीगाळ करून बघुन घेण्याची धमकी दिली. म्हणुन माझी बद्रुदीन मनियार व रमजान मनियार यांच्याविरोधात विरोधात कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब मराठीमध्ये संगणकीकृत केला असुन, तो मला मराठीत वाचुन हिंदीमध्ये समजावून सांगितला असता, तो मी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष,

(दत्तात्रेय भोजने)
पोलीस उप निरीक्षक,
बी.के.सी. पोलीस ठाणे, मुंबई.

8. तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे ....

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

....

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य ....

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक ....

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.

First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

....

[illegible]

13. केलेली कार्यवाही – 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा : [illegible]

....

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण, [illegible]

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ...., जिल्हा ...., राज्य ....

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.)................. Rank................ No................ to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to.. (3) Transferred to P. S. .... District.. on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant, free of cost.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.
Signature of Officer in-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name ....
पदनाम Rank.......[illegible]........
तपासिक अं. चा कोड क्र. [illegible]
Posting
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख...................
1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.

Copy to 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

Attachment to item 7 of **First Information Report**

FORM-IA

N.C.R.B.
I.I.F.-I

0094527

पहिली खबर
FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य State महाराष्ट्र, जिल्हा District मुंबई, पोलीस ठाणे Police Station डोंगरी, पहिली खबर क्र. FIR No. 177, वर्ष Year 2020, दिनांक Date 23/05/2020

2. (i) अधिनियम Act भा.द.वि. कलमे Sections 324, 323, 504, 506, 34
(ii) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections ....

3. (a) अपराधी घटना : वार Occurrence of offence : Day शनिवार तारीख पासून Date from 23/05/2020 वेळ Time ...., तारीख पर्यंत Date to सकाळी 07:30 वा. च्या सुमा. वेळ Time

वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion).

(1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
(6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00

(b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची Information received at P. S. तारीख Date 23/05/2020 वेळ Time 15:30 वा.

(c) गुन्हा दाखल झालेल्या सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. General Diary Reference : Entry No. 18/2020 तारीख Date 23/05/2020 वेळ Time 16:47

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : [illegible], लेखी / तोंडी Written / Oral तोंडी

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P.S. पश्चिमेस 1 कि.मी. चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्र. Chowki / Beat / O.P. Name and No. 01

(b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव Address of Occurrence Name रूम नं. 8, ठिकाणचे नंबर No. if any [illegible], गल्ली Ward [illegible], रस्त्याचे नाव Name of road [illegible]

जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण Nearest identifiable place [illegible] (प), मुंबई, गाव Village ...., पोस्ट Post समोर, तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State ....

(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव In case, outside the limit of this Police Station ...., तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.

(a) नाव Name श्री. [illegible] (b) वडिलांचे / पतीचे नाव Father's / Husband's Name [illegible]

(c) जन्म तारीख व वय Date of Birth and Age 32 वर्ष (d) राष्ट्रीयत्व Nationality भारतीय फोन नं. Phone No. 8169932031

(e) पारपत्र क्रमांक Passport No. ...., दिल्याचा दिनांक Date of Issue ...., दिल्याचे ठिकाण Place of Issue ...., (f) व्यवसाय Occupation नोकरी

(g) धर्म Religion मुस्लिम, जात Caste ...., जनजाति Sub-Caste ....

(h) पत्ता Address : गल्ली / सर्व्हे नं. Ward रूम नं. [illegible], घर नं. House/Name No. [illegible], फोन/मो. नं. Phone/Mo. No. ...., PAN No. ...., Card No. [illegible]

रस्त्याचे नाव Road ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण Nearest Identifiable place [illegible] (प), मुंबई, गाव Village ...., पोस्ट Post ...., पो. स्टे. P. Stn. ....

तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State ...., सध्याचा पत्ता Present Address ....

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व स. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)

Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B or attach FIR 1-B to Case Diary.)

(1) साकिब अन्सारी (2) शाकिब अन्सारी
(3) जावेद अन्सारी (4) मुस्ताकिम अन्सारी

Scanned with CamScanner

8. तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे .... तात्काळ

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

....

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य ....

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक ....

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.

First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

यावेळी, नमूद तारीख, वेळी, ठिकाणी फिर्यादी हे आरोपी क्र 04
यास त्यांच्या [illegible] त्यांच्या मित्राकडून [illegible]
[illegible] त्याचा राग येऊन आरोपी क्र 1 व 2 यांनी
फिर्यादीस [illegible] मारहाण करून तसेच आरोपी क्र 3 व 4 यांनी
फिर्यादीस हाताने मारहाण करून तसेच फिर्यादीचा [illegible]
[illegible] सोडविण्याकरीता आले असता त्याला देखील मारहाण करून
तसेच शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली म्हणून [illegible]

13. केलेली कार्यवाही – [illegible] वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा : दत्तात्रय ओतारी पोलिस उपनिरीक्षक

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण, ...

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ...., जिल्हा ...., राज्य ....

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.)................ Rank................ No................ to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to.............................. (3) Transferred to P. S. ....
District.............................. on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant, free of cost.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.
Signature of Officer in-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name दत्तात्रय ओतारी
पदनाम Rank पोलिस उपनिरीक्षक.
तपासिक अं. चा कोड क्र. ....
Posting
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख..................
1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.

Copy to 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

Attachment to item 7 of First Information Report

Scanned with CamScanner

दिनांक २३/०५/२०२०.

जबाब

श्री बद्रुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार, वय ३० वर्षे, व्यवसाय – नोकरी, रा.ठि. रूम नं. ८१, नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर, बांद्रा पु, मुंबई मो.८१६९९३२०३१.

—००—

मी वरील प्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर माझ्या जन्मापासुन राहत आहे. माझ्या सोबत माझी पत्नी नामे इश्रत वय २५ वर्षे, माझ्या मुलो नामे उनेजा वय २ वर्षे ६ महिने , अनाया वय १ वर्षे ६ महिने , आई नामे ताहेराबानु वय ७२ वर्षे तसेच माझी बहीन हिना वय २१ वर्षे असे राहत आहे. मी नोकरी करत असुन त्यातुन मिळणा–या वेतनातुन आमच्या कुंटुबाचा उदरनिर्वाह चालतो.

आम्ही राहत असलेल्या परिसरात राहणारे इसम नामे सलीम अन्सारी, जावेद अन्सारी, शरीक अन्सारी, जावेद अन्सारी यांचा मुलगा मुरसलीन अन्सारी यांना मी ओळखतो.

आज दि. २३/०५/२०२० रोजी सकाळी ०७.०० वा. च्या सुमारास मी घराबाहेर आलो तेव्हा जावेद अन्सारी यांचा मुलगा नामे मुरसल्लीन जावेद अन्सारी वय २० वर्षे हा आमच्या घरासमोरील गल्लीत राहणा–या मुलीला घेवुन आमच्या घरासमोर बाईकवर बसला होता. मी घरातुन बाहेर आल्यानंतर मुरसल्लीन सोबत बसलेली मुलगी निघुन गेली. यापुर्वी देखील त्याने असे कृत्य केले असल्याने मी मुरसल्लीन यास समजावले की, आमच्या घरासमोर असा मुलीला घेवुन बसत नको जावु ते योग्य नाही. त्यावेळी त्याने माझ्याशी वाद घातला व फोन करून त्याचे वडील जावेद यांस बोलावुन घेतले त्यावेळी जावेद अन्सारी यांना मी सदरची हकिकत सांगितली त्यावेळी त्यांनी देखील त्यांच्या मुलाची चुक मान्य केली परंतु आमची चर्चा चालु असताना अचानक जावेद अन्सारी यांचा भाऊ नामे शरीक अन्सारी हा हातात बांबु घेवुन आला व त्याने मला मारहान करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे त्यास पाहुन जावेद व मुरसल्लीन यांनी देखील मला मारहान केली ते मारहान करत असताना जावेद यांचा दुसरा भाऊ सलीम देखील बांबु घेवुन सदर ठिकाणी आला व मला मारहान करण्यास सुरूवात केली. बाहेरील आवाज ऐकुन माझी बहिण हिना तसेच माझा भाऊ ज़ाकिर हे भांडण सोडविण्याकरीता आले असता त्यांना देखील त्यानी मारहान केली. तेथे जमलेल्या परिसरातील लोकांनी आमचे भांडण सोडविले त्यानंतर सलीम व शाकीर आम्हाला शिवीगाळ करत बघुन घेण्याची धमकी दिली. मी माझ्या बहिणीला घेवुन उपचार करण्याकरीता व्हि.एन.देसाई येथे जावुन उपचार करून तक्रार देण्याकरीता पोलीस ठाणेस आलो आहे.

तरी दिनांक २३/०५/२०२० रोजी सकाळी ७.३० वाजे सुमारास माझ्या घरासमोर रूम न. ८१, नेहरू विकास मंडळ, भारतनगर, बांद्रा पु, मुंबई या ठिकाणी सलीम अन्सारी, शारिक अन्सारी, यांनी बांबुने तसेच जावेद अन्सारी व त्यांचा मुलगा मुरसल्लीन यांनी हाताने मला ,माझा भाऊ जाकीर तसेच माझी बहीन हिना हिस मारहान करून दुखापत केली तसेच शिवीगाळ करून बघुन घेण्याची धमकी दिली . म्हणुन माझी सलीम अन्सारी, शाकिर अन्सारी, जावेद अन्सारी व मुरसल्लीन अन्सारी यांच्याविरोधात विरोधात कायदेशिर तक्रार आहे.

माझा जबाब मराठीमध्ये संगणकीकृत केला असुन, तो मला मराठीत वाचुन हिंदीमध्ये समजावून सांगितला असता, तो मी सांगितल्याप्रमाणे बरोबर आहे.

सही नुसार

वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक
बी.के.सी. पोलीस ठाणे

समक्ष.

(दत्तात्रय भोजने)
पोलीस उप निरीक्षक,
बी.के.सी. पोलीस ठाणे, मुंबई.

I.P.
23/5/2020.

7:37:35 पर शारिक ने बंबु से बदरूद्दीन के ऊपर हमला किया

शारिक

बदरूद्दीन

23/05/2020 07:37:36

23/05/2020 07:37:37

23/05/2020 07:37:37

मुर्सलीन का भाई आसमाँ

तालिब

तालिब (जो बचाने आया था) उसे मुर्सलीन का भाई आसमाँ, का हाथ पकड़कर खींच कर ले जा रहा है फिर सब (शारिक, मुरसलीन, आसमान आदि) मिलकर तालिब को मारते हैं जिससे तालिब गिर जाता है

और

बदरूद्दीन को नीले बरमुडे में सलीम, लुंगी में जावेद और इनके अन्य साथी मिलकर पकड़ कर मार रहे हैं

मुर्सलीन का भाई आसमाँ

तालिब

शारिक

सलीम

तालिब

शारिक

सलीम

Municipal Corporation of Greater Mumbai

.... Hospital.

15459

Date 23/05 20

O.P.D. Reg. No. ~~74608~~ Casualty No. PL0907745 Indoor Reg. No. ....

Deptt. No. 74609 X-Ray Report No. .... Clinic Path. Reg. No. ....

Name Rehan Shaikh M / F / C Age 21

Religion .... Address ....

DIAGNOSIS

History Chief Complaints :-

LTMG Hospital CASUALTY

2020/0

S/B CMO

/B/S A/H/O assault by 8 neighbours (known) near home, VKC at 09.00 pm on 23/05/2020 with bamboo.

Examination Findings :-

BT chest and back — Ref CSR (4) GNT

BT back of head

Abrasion near lips & near (Lt) eye

6 (Lt) 2×2 over (Lt) wrist

Inj TT ½ cc IM stat

Inj Taxim 1gm IV stat

Inj Pan (40) IV stat

Inj Ondem (4) IV stat

11:30

Investigation

24/5/201 12:05am — c/s/b CSR for Dr RK (Dr Shenivas / Dr Rahul)

Pt by Name Rehan Shaikh b/b and F/b relative (Bhavana) with alleged H/O Assault by 8 (six known person and 2 unknown person) on 23/05/20 at 9:00pm at Bandra (E) with alleged HI ō blunt trauma to abdo and chest for which clinically refered to SDON Hospital without accompanied doctor and prior informing

HC 44-BMPP-40832-2019-20-10,00,000 (M-2)

Scanned with CamScanner

Date	Treatment

- H/O Head injury (+)
- H/O Blunt trauma to Abdo and Chest (+)
- H/O vomiting – 2 episodes (+)
→ H/O giddiness (+)
→ NO H/O Loss of Consciousness
→ No H/O Convulsions
→ NO H/O ENT Bleed
→ NO H/O Long bone injury / Spine injury and Hematuria

Vital

GCS → 15/15
BP – 120/80
PR – 82
~~HS~~ SpO_2 → 98%

Pupil – B/L pupil Reactive to light
Log roll – Neg
PCT PDT – Neg.

RS – AEBE (+)
P/A → soft

~~Ad~~

EMI

→ (1) FA of 2x2 cm over (Rt) lateral eye brow
→ (2) FA of 1x1 cm over (Rt) Ala of nose
→ (3) FA of 1x1 cm over (Rt) angle of mouth
→ (4) FA of 2x2 cm over (Lt) ~~(Rt)~~ wrist Joint lateral aspect
→ (5) CLW of 7x3x2 cm over the (Lt) Scapular region

Adv

→ CXR + PBH
→ USG (FAST)
→ CT brain (P)

Scanned with CamScanner

Municipal Corporation of Greater Mumbai

CONTINUATION SHEET

Name Rehan Shaikh m/21

Deptt. 26 MAY 2020 P. D. Case No. 37474

Date	Investigations	Treatment
	Referred from Jion Hospital	
	40 gradiner	
	P 80	
	BP 110/70	
	Adv	B
	S+ nyurene	~~2 NS + IV F.B. Int~~
	5.30 pm	~~2 Para~~
		~~4 Email.~~

Scanned with CamScanner

Municipal Corporation of Greater Mumbai

.... Hospital.

15460 Date 23/05 20

O.P.D. Reg. No. 74608 Casualty No. PC090795 Indoor Reg. No. ....

Deptt. No. .... X-Ray Report No. .... Clinic Path. Reg. No. ....

Name Sufiya Manihar M / F / C Age 15

Religion .... Address ....

Y-44966
23/5/20

DIAGNOSIS

History Chief Complaints S/B CMO

1/B/s A/H/o assault by 8 neighbours near home, VKC at 09.00 pm on 23/05/2020.
Trauma to both hands
Trauma to chest

Ref COR (8)

CASUALTY

Examination Findings :- 23/5/20 10:30 am.

S/b HS ↓Dr. SS.
B/b 4 P/b self 4 relat
C/O Pain over B/L hands
(R) Hip
(R) Knee } 9:00 pm

Inj. Diclo 2cc IM (stat)
Inj. Tramadol 50mg in 100ml NS IV (stat)

Investigation :- A/h/o trauma d/t assault by 4-5 known people at home Bandra BKC with hands.
No H/O injury to chest/neck
No h/o AI/H/
No h/o any other bodily inj.
No h/o any comorbidity

HC 44-BMPP-40832-2019-20-10,00,000 (M-2)

Scanned with CamScanner

Date	Treatment

O/E
GC fair
vitals stable
Afebrile

L/E	(L) Hand	(R) hand	(R) knee	(R) Hip
Swelling	(−)	(−)	(−)	(−)
Tenderness	(+)	(+)	(+)	(+)
ROM	(N)	(N)	(N)	(N)
DNVD	(−)	(−)	(−)	(−)

Plan
Rx.

Rx - NBI

IP lan

OSF Y → Surgery ref. i/v/o assault h/o strangulation

T. PCM 1 OD
T. Ran 1 OD
T. Cal 500 1 OD
} 7d

F/u in OPD-14 on Thursday at 8:30am

2019-20-10,00,000 (M

Scanned with CamScanner

587/2020
Dt 26/5/2020

Seen & filed

'Exh-B' (9)

FORM-1A

N.C.R.B.

I.I.F.-I

पहिली खबर

0094530

26.5.20

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य ...., जिल्हा ...., पोलीस ठाणे ...., पहिली खबर क्र. 80/20 ...., दिनांक 24-5-2020
State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
(ii) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections ....

3. (a) अपराधाची घटना : वार ...., तारीख पासून 23-5-20 वेळ 14:30, तारीख पर्यंत ...., वेळ ....
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion).
(1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
(6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00

(b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख 23-5-20 वेळ ....
Information received at P. S. Date Time

(c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. ...., तारीख .... वेळ 2.38
General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : ...., लेखी / तोंडी Written / Oral ....

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ...., चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्र. ....
Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. Chouki / Beat / O.P. Name and No.

(b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव ...., ठिकाणाचे नंबर ...., गल्ली ...., रस्त्याचे नाव ....
Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State

(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
(a) नाव .... (b) वडिलांचे / पतीचे नाव ....
Name Father's / Husband's Name
(c) जन्म तारीख व वय 32 वर्षे (d) राष्ट्रीयत्व ...., फोन नं. ....
Date of Birth and Age Nationality Phone No.
(e) पारपत्र क्रमांक ...., दिल्याचा दिनांक ...., दिल्याचे ठिकाण ...., (f) व्यवसाय ....
Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
(g) धर्म Religion ...., जात Caste ...., जनजात Sub-Caste ....
(h) पत्ता ...., गल्ली / सर्व्हे नं. ...., घर / नाव नं. ...., फोन / मो. नं. ...., पॅन नं. ...., वोटर्स नं. ....
Address : Ward House/Name No. Phone/Mo. No. PAN No. Card No.
रस्त्याचे नाव ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., पो. स्टे. ....
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ...., सध्याचा पत्ता ....
Taluka Dist. State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to Case Diary.)
....

Scanned with CamScanner

(10)

[illegible]

স্বাক্ষর

[illegible signature]

[illegible]

[illegible signature]

Scanned with CamScanner

(11)

जबाब

दि. २४/५/२०२०

श्री शारीक अजीजुद्दीन अन्सारी वय/३२, धंदा–रिक्षा चालक, रा.ठी.– मार्केट कंपाउंड.रूम नं. ७७०, चाळ नं. ४९ चे समोर, भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई ५१मो.क्र. ९७७३०७३६६२

मी वरीलप्रमाणे असून वर नमूद पत्त्यावर माझे जन्मापासून कुटुंबियांसह राहावयास आहे. तसेच मी बाउंसर चे काम करीत असून त्यातून मिळणा–या उत्पन्नातून माझे कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह चालवितो.

दि.२३/५/२०२० रोजी सकाळी ०७.०० चे सुमारास चाळ क्र. ५२ भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई ५१, या ठिकाणी रमजान मणियार याने मला व माझा भाउ नामे सलीम यांना डोक्यात रॉड ने मारून दुखापत केली तसेच बद्रुद्दीन मणियार याने माझे भावाचा मुलगा मुरसलिम तसेच माझा मेहुणा हनिफ सय्यद व माझी आई यांना हाताने मारहाण करून दु:खापत केली तसेच शिवीगाळ करून बघुन घेण्याची धमकी दिली होती. सदरं बाबत माझा भाउ सलीम याने बीकेसी पोलीस ठाणेस सविस्तर तक्रार दिली असून त्यावरून बीकेसी पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

त्यानंतर दि. २३/५/२० रोजी १९.३० वा.चे दरम्यान आम्ही उपवास सोडून मी व माझा भाउ नामे जावेद व सलिम तसेच पुतण्या नामे मुरसलीम व सलीमचा मेहुणा नामे हनिफ सय्यद असे आम्ही आमचे राहते घराचे बाहेर बसलो असता, मुरसलिम याच्या लग्नाची बोलणी करण्याकरीता मुलीच्या वडीलांनी जावेद यांना त्यांच्या घरी बोलवून घेतले असता आम्ही त्यांचे घरी चाळ क्र. ५२, भारतनगर बांद्रा पूर्व मुंबई या ठिकाणी गेलो होतो. माझे सगळे नातेवाईक घरात बसले व मी व माझा पुतण्या नामे अश्मान असे आम्ही काही कामाकरीता घराचे बाहेर आलो असता, अचानकपणे बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम माझे समोर आले. त्यातील बद्रुद्दीन मणियार याचे हातात लोखंडी रॉड होता, तसेच रमजान व तालिब याचे हातात पाईप होता, तसेच हुसेन व आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हातातही काठी व बांबू होते. सदरचे सर्व इसम माझे राहते परीसरातील असल्याने मी त्यांस ओळखतो. सदरवेळी बद्रुद्दीन मणियार हा ओरडू लागला की, 'शारीक तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करू लागला व त्याचे हातातील रॉड ने माझे डोक्यात मारले. सदर त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. बद्रुद्दीने याने माझे डोक्यात रॉडने मारल्यामुळे माझे डोक्यातून रक्त येउ लागले. तसेच मी आरडा–ओरडा केली असता माझे इतर भाउ व नातेवाईक घराचे बाहेर आले व त्यांनी मला सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता, माझा भाउ नामे सलिम व माझे इतर नातेवाईकांस देखिल सदर जमावाने त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली.

त्यानंतर सदर ठिकाणी जमलेल्या लोकांनी सदर जमावाच्या तावडीतून आमची सुटका केली. मला दुखापत झाली असल्याने मी प्रथम पोलीस ठाणेस तक्रार देण्याकरीता गेलो. परंतु माझे नातेवाईकांनी मला प्रथम औषधोपचार करणेकरीता भाभा

Scanned with CamScanner

(12) रूग्णालया येथे जाण्यास सांगितले. त्यानुसार मी भाभा रूग्णालय येथे औषधोपचार घेउन तक्रार देण्याकरीता सदरवेळेस पोलीस ठाणेस आलो आहे.

तरी दि. २३/५/२०२० रोजी १९.३० वा.चे सुमारास बद्रुद्दीन मणियार व रमजान मणियार यांचे विरोधात पोलीसांत तक्रार दिल्याचा राग मनात ठेवून बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम यांनी एकत्रितपणे वर नमूद ठिकाणी अचानकपणे येउन 'शारीक तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून लोखंडी रॉड ने डोक्यात मारून मला दुखापत केली, तसेच त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते व त्यांनी माझा भाउ सलिम व माझे इतर नातेवाईकांस त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली, व शिवीगाळ केली म्हणून माझी वर नमूद इसमांविरोधात तक्रार आहे.

माझा वरील जबाब संगणकावर टंकलिखित केला असून तो मला मराठीतून वाचून हिंदीतून समजावून सांगितला असता तो माझे सांगणेप्रमाणे खरा व बरोबर आहे.

समक्ष

(signature)

(विकास बा. लांभाते)
पोलीस उप निरीक्षक
बीकेसी पोलीस ठाणे मुंबई

Ashasik

Scanned with CamScanner

(13)

तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे ....

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

....

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य ....

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक ....

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.

First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

[illegible]

13. केलेली कार्यवाही – 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा : [illegible]

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

....

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ...., जिल्हा ...., राज्य ....

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.)................. Rank................ No................ to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to:.. (3) Transferred to P. S. ....
District.. on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant, free of cost.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.
Signature of Officer in-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name..
पदनाम Rank.......... [illegible]
तपासिक अं. चा कोड क्र. [illegible]
Posting
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख....................
1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत,	2. फिर्यादी,	3. पोलीस अधीक्षक (संगणक),	4. तपासिक अंमलदार,	5. स्थळ प्रत.
Copy to	2. Complainant,	3. Supdt. of Police (Computer),	4. Inv. Officer,	5. Office Copy.

Attachment to item 7 of First Information Report

Scanned with CamScanner

ADDL CP

शारिक अजीजुद्दीन अंसारी
रुम नं. ८८०, चाळ क्र. ४१ समोर
मारकेत कंपाउंड, भारत नगर,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई -४०००५१.
दिनांक -२५-०५-२०२०

प्रति,
१) अॅडिशनल पोलीस कमीशनर
वेस्ट रिजन, मुंबई.
२) डीप्युटी पोलीस कमीशनर
झोन VIII, मुंबई.
३) वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक
बी.के.सी. पोलीस ठाणे.

महोदय!

मी शारीक अजीजुद्दीन अंसारी, वर नमूद पत्यावर सह कुटुंब राहत असुन. दिनांक २३, मे. २०२० रोजी सकाळी सुमार ८.०० वाजण्याच्या दरम्यान मला बदरुद्दीन मनीयार, रमझान मनीयार, जाकीर मनीयार. व नासीर मनीयार यांनी मारहाण व शिवीगाळ केली व स्वतः विरोधी पक्षाने माझ्या विरोधात FIR नमुद करण्यात आली त्यानंतर मी ही बी.के.सी. पोलीस ठाण्यात जाऊन खास FIR नमुद केली दोनही पक्षांवर कलम ३२४ व इतर कलम लावण्यात आ व मला व विरोधी पक्षांना अर्ध्या तासा पर्यंत जामीनदारांची व्यवस्था करण्याचे सांगितले व दोनही पक्षांना वरीष्ठ पोलीस निरीक्षकांना समजावन पाठविले!

त्याच दिवशी रात्री सुमार ८.०० ते ८.३० च्या दरम्यान माझ्या सर्व कुटुंबांवर चॉपर व लोखंडी सळीयांने बदरुद्दीन मनीयार व त्याचे सोबत सुमार १० ते ११ इतर इसमांनी हमला केला व माझ्यावर व माझ्या

P.T.O. 2

कुडबांवर चापर व लोखंडी सळीयाची खुप मारहाण केली। मी त्याच परिस्थीत मंजे जखमी हालतीत बी.के.सी. पोलीस ठाण्यात जाऊन FIR नमुद केली, पण त्यावेळी मी असंतोलीत अवसनेत होतो व त्या वेळी सर्व इसमांचा नाव अठवण आले ते सांगीतले, व त्यानंतर मला बी.के.सी. पोलीस शिपायांनी मेडीकल साठी भाभा हॉसपीटल वांद्रे (पूर्व.) येथे पाठवून मला वैद्यकीया सुविधा देण्यात आली.

आज मी २५-०५-२०२० रोजी FIR बघीतली तेव्हा मला असे अढळून आले की FIR मध्ये खालील नमुद इसमांचे नाव लागळण्यात आले आहे। मला हे बरोबर अठवण आहे की या इसमांनी ही देखील मला मारहाण केला होता।

१) नासीर मनीयार
२) भावना खिरकर
३) फैसल 12A
४) मोहसीन डालडा
५) सायरा
६) जुबेर हड्डी
७) हसनैन कालीया
८) समीर शेख

वर नमुद इसमांचे नाव माझ्या जबाबात पुढे घेण्यात यावे व FIR मध्ये जोडण्यात यावे- असाही विनंती करतो. मी सर्व इसमांना पहचान करुन देणार.

P.T.O. 3

मी एक वेळा परत विनंती करतो की वर
नमुद आरोपी इसमांचे नाव FIR मध्ये लवकरात
लवकर जोडण्यात यावे व त्यांचेवर पोलिस कायदे
अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी।

आपला विश्वासु,

Shariq

(शारीक अजीजुद्दीन अंसारी)

Edit with WPS Office

PRESS
हिंदी पाक्षिक
उग्र तेज।
R.N.I. MAH HIN 2008/22953
Tejbahadur Thakur
(Editor)

Badruddin S. Manihar
Crime Reporter
Postal Add : 81, Nehru Vikas Mandal Bharat Nagar, Near B.K.C. Teacher Colony Road, Opp. University South Gate Bandar (East), Mumbai-400 051.

58, Ahinsa Nagar, Government Colony, Opp. New English School, Bandra (E), Mumbai-400 051.
Mob. 8169932031 E-mail : crimecorruptionreport@gmail.com • www.crimecorruptionreport.bvbja.com

Ref: 20200525

दिनांक : 25/05/2020

सेवा में,

1. **माननीय पुलिस आयुक्त मुंबई**
2. **माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त W/R**
3. **माननीय पुलिस उपायुक्त। Zone 8**
4. **माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बीकेसी पुलिस थाने बांदरा पूर्व मुंबई, 51**

महोदय!

मैं बदरुद्दीन एस मनिहार सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाद-दाता आपसे निवेदन करता हूं। देश में आई आपदा कोरोना (COVID-19) की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दरमियान भी भरत नगर बांदरा पूर्व मुंबई, 51 बीकेसी पुलिस थाने बिट चौकी नंबर 1 की हद में मुफ्त बिरयानी बांटने के बहाने भारी तादाद में भीड़ इकट्ठा करके जावेद अंसारी, सलीम अंसारी, शारीक अंसारी, मुरसलीन अंसारी, अख्तर युसूफ अंसारी, बॉबी, शादाब लंगड़ा, और इनके अन्य साथी! चरस, गांजा, सिगरेट, गोवा गुटखे का कारोबार गैरकानूनी तरीके से कर रहे थे।

इस गंभीर आपराधिक कारोबार की रोकथाम और उचित जांच के लिए बीकेसी पुलिस थाने बिट चौकी नंबर 1 के बिट मार्शल श्री अनिल सरदार को मैंने स्पष्ट रूप से सूचना दिया। इस बारे में श्री अनिल सरदार ने मुझे बीट ऑफिसर Mr. SHAILYAM MAHADEV KOLE साहिब से मिलवाया| kole साहिब ने मुझे सबूत इकट्ठा करके लाने को कहा, गंभीर आपराधिक गैरकानूनी कारोबार करने वाले संबंधित आरोपियों को यह पता चल गया था कि मैंने पुलिस को उनके गैरकानूनी कामों के खिलाफ सूचना दी है।

इसलिए दि: 23/05/2020. संबंधित आरोपियों ने साजिश के तहत मुझे जान से मार देने के इरादे से तकरीबन सुबह 7:30 बजे के आसपास मुझ पर हमला किया। मेरे और मेरे छोटे भाई पर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। हमने ड्यूटी ऑफिसर को घटना का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, फुटेज देखने के बाद ड्यूटी ऑफिसर ने हमारी तरफ से भी उनके खिलाफ क्रॉस एफ.आई.आर. दर्ज की।

इतना होने के बावजूद रात को तकरीबन 8:00 बजे के आसपास संबंधित आरोपियों ने 70 से 80 तक लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके मेरी घर की गली के सामने आए, उस भीड़ में से आरोपी शारीक अंसारी, जावेद अंसारी, सलीम अंसारी, हनीफ मैकेनिक, आसिफ

Edit with WPS Office

मत्ती, और तीन अज्ञात व्यक्ति मेरे घर में घुस कर CCTV DVR उठाने लगे मेरी पत्नी और 15 वर्षीय भांजी उन्हें DVR उठाने से रोका तो जावेद और हनीफ ने मेरी भांजी सोफिया व मेरी पत्नी को आरोपी शारिक व सलीम ने बेरहमी से मारा, रेहान (रेहान के माता-पिता हमारे सामने की गली में रहते हैं, रेहान बचपन से ही हमारे परिवार में पला-बढा है) रेहान ने मेरी पत्नी और भांजी को बचाने की कोशिश की तो आरोपी शारिक ने उसकी पीठ पर चाकू से वार किया| जावेद, सलीम, हनीफ, आसिफ मत्ती आदि ने रिहान को अधमरा होने तक मारा और मेरे घर से DVR उठाकर ले गए।

सोफिया और रिहान का मेडिकल करवाने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ हम अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए बी.के.सी. पुलिस थाने गए। बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर संबंधित आरोपियों का पूरा कुटुंब मौजूद था। विवाद ना बढ़ जाए इसलिए ड्यूटी ऑफिसर ने उनके जाने के बाद हमें बुलाएंगे ऐसा समझाकर हमें वापस घर भेज दिया। परंतु संबंधित आरोपी पूरी रात और पूरा दिन बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर ही धरना देकर बैठे रहे, बी.के.सी. पुलिस थाने का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड पर ले कर देखा जा सकता है, और इसी वजह से अभी तक हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई है| आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि वे हम लोगों (मैं बदरूद्दीन, नासिर, रमजान) के खिलाफ ऐसी एफ.आई.आर. दर्ज करवायेंगे कि, हम लोग कई साल तक जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे|

श्रीमान जी ऐसी आपदा के समय किये जा रहे हमले और भीड़ को इकट्ठा करके कानून तोडना क्या जायज है? अतः हम चाहते हैं कि, पूरे मामले का आप संज्ञान लीजिये और दोषियों के खिलाफ एफ.आई.आर. करते हुये उन्हें सजा दिलाईये और किसी ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से उचित जांच पड़ताल करवाईये जिससे वास्तविक गुनहगारों को सजा मिल सके और निर्दोषों को इंसाफ|

धन्यवाद!

आपकी सेवा

श्री बदरुद्दीन एस मनिहार।

घायल करके DVR लूटकर ले जाने से संबंधित मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को Whatsapp पर भेजी गई शिकायत का snapshot

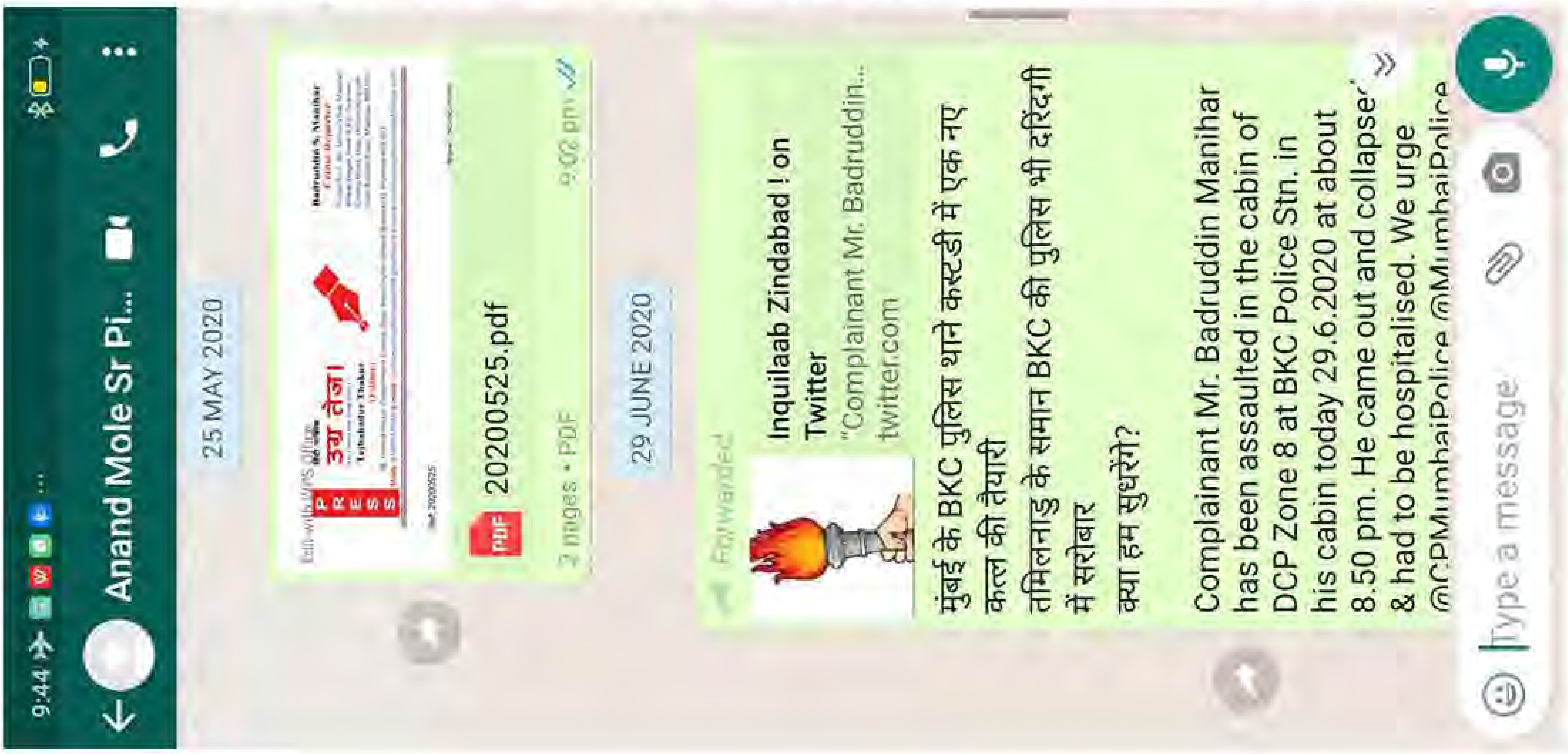

26.05.2020 tweet Commissioner of Police Mumbai

Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More
Tweet

Tweet

Manihar8169932031
@Manihar81699321

@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra
BKC पुलिस थाना फिल्मी स्टाईल में चरस गांजा बेचने वाले हमलावरों की तरफ से पीड़ित पर ही 307 का मामला दर्ज
पीड़ित पर किए हमले का गवाह CCTV मगर फिर भी हमलावर की तरफ से २ बार पीड़ित पर FIR दर्ज
दूसरी बार हमलावर पीड़ित के घर से DVR लूट लिया

Translate Tweet

6:48 AM · May 26, 2020 · Twitter for Android

14 Retweets and comments **16** Likes

शिव क्रांतिवीर @ShivNKrantiveer · May 26
Replying to @Manihar81699321 @CPMumbaiPolice and @CMOMaharashtra
उपरोक्त मामले में हमलावर का बड़ा भाई पीड़ित बददरुद्दीन के साथ शांति से बातचीत कर रहा है
उसी हमलावर भाग कर आता है और लट्ठ से पीड़ित पर हमला कर देता है जिससे पीड़ित व घायलों अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है
फिल्मी स्टाईल में हमलावर ही पीड़ित के ऊपर 324
में FIR दर्ज करवा देता है

1 6 5

शिव क्रांतिवीर @ShivNKrantiveer · May 26
फुटेज उपलब्ध होने की वजह से किसी प्रकार पीड़ित की तरफ से क्रास FIR 324 में हो पाती है
फिर रात को 8 से 8.30 के बीच हमलावर 70-80 लोगों की भीड़ के साथ इसी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और 5-6 लोग पीड़ित बददरुद्दीन के घर मे घुसकर फुटेज नष्ट करने के लिए DVR लूट लेते हैं

1 4 5

Inquilaab Zindabad ! @GRVora · Jun 8
Replying to @Manihar81699321 @CPMumbaiPolice and @CMOMaharashtra
Demand imediate action by @MumbaiPolice against the asaulters who barged into house of Manihar family in Mumbai BKC's Bharat Ngr & stole DVR of CCTV to erase evidence. All false cases be withdrawn against this family. Action be taken against #BKCPolice for suporting criminals.

1 12 11

Ravi Shukla @RaviShukla1985 · Jun 8
Some officers need to be shunted who have time & again helped the criminals to harass, threaten & torture the Manihar family...
@AnilDeshmukhNCP ji please order immediate enquiry in the said matter related to BKC Police Station

4 3

Sharik Ansari 777 @777Sharik · May 31
Replying to @Manihar81699321 @CPMumbai
Badru gang per 10 case bkc police st me hai m
hai . Aur abhi tak sab aropi farar hai

Search Twitter

Recent

Manihar81699
@Manihar8169

crimecorruptio
@crimecorrupti
The official acc
Commissioner
Param Bir Sing

CMO Mahara
@CMOMahar
Office of the C
Maharashtra

What's happenin

COVID-19 · LIVE
COVID-19 in India

#WatchKhudaHaafiz
A dangerous journey to Khuda Haafiz now
Promoted by Disney+H

Entertainment · Trending
#VakeelSaab
3.19M Tweets

Cricket · 53 minutes ago
MS Dhoni and Suresh from international cri
Trending with: Retirement

Trending in India
Sehwag
4,341 Tweets

Show more

Terms Privacy policy Coo
© 2020 Twitter, Inc.

सोनिका क्रांतिवीर
@sonikashiv

Messages

Actual date 02.06.2020 (see BKC PS Stamp)

दिनांक: 02.05.2020

प्रति,

Commissioner of Police
Mumbai 400001.

मैं श्रीमती इशरत पत्नि बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी निचे लिखे होये पते पर पति बदरुद्दीन मनिहार बच्ची उनेजा बदरुद्दीन मनिहार (2.6 वर्ष) अनाया बदरुद्दीन मनिहार (1.6 वर्ष) के साथ रहती हूँ उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ गुनाह की जानकारी दे रही हूँ।

गुनाह की खबर देने वाले का नाम व पता: श्रीमती इशरत पति बदरूद्दीन मनिहार
पता: रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल,
भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई मोब. 9137921207

आरोपी का नाम व पता:

1. शरीक अजीजुद्दीन अंसारी - पता: रूम नं. 770, चाल नं. 49 के सामने, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई
2. जावेद अजीजुद्दीन अंसारी - पता: रूम नं. 770, चाल नं. 49 के सामने, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई
3. सलीम अजीजुद्दीन अंसारी - पता: रूम नं. 770, चाल नं. 49 के सामने, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई
4. हनीफ मैकेनिक - पता: भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई
5. आसिफ मत्ती - पता: भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई
6. सालेम महफूज कुरैशी - पता: माहिम मुंबई

गुनाह करने की तारीख व समय : 23 मई 2020 की रात 8:00 वजे से 8:30 के बीच

गुनाह का ठिकाना: गली नं. 52 रूम नं. 81, नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई 51.

हकीकत:-

23 मई 2020 की सुबह लगभग 7:30 बजे मेरे पति बदरूद्दीन हमारे घर की गली के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि, एक लड़का मुरसलीन अंसारी पुत्र जावेद अंसारे सामने, एक लड़की के साथ गलत अवस्था में स्कूटर पर बैठे थे| मेरे पति लड़का-लड़की को पहचानते थे और मेरे पति को यह भी मालूम था कि, लड़की के घरवाले, अपनी लड़की का उस लड़के से मिलना पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से लड़का व लड़की के परिवार के बीच में पहले भी 3-4 बार तक्रार हो चुकी थी| इसी बात को ध्यान में रखते हुये मेरे पति ने लड़के को समझाया कि, "आप यहाँ घर के सामने ऐसा मत करो, कहीं पार्क आदि या इस प्रकार की अन्य जगहों पर जाओ, यहाँ परिवार रहते हैं अच्छा नहीं लगता बेवजह माहौल खराब होता है" जिसके बाद लड़का भड़क कर मोबाईल पर किसी से बात करने लगा और उसने अपने अब्बा व चाचा को बुला लिया| पहले लड़के मुरसलीन अंसारी के अब्बा जावेद अंसारे आये जो मेरे पति के साथ बातचीत करने लगे यह वार्तालाप शांती से चल रहा था लेकिन तभी बातचीत के बीच में ही लड़के के चाचा शरीक अंसारी लट्ठ लेकर भागते हुये आया और मेरे पति को मारा (CCTV Footage में साफ दिखाई दे रहा है)

इसके साथ ही तुरंत अन्य और लोग भी हमलावरों के साथ आ गये और मारपीट करने लगे जिसकी वजह से मेरे पति बदरूद्दीन, मेरे पति के भाई जाकिर, और उनकी छोटी बहन हिना को चोटें आईं, आसपास वालों ने किसी तरह मामला शांत कराया जिसके बाद हम लोग अस्पताल गये और मैडिकल व ईलाज कराकर बी.के.सी. पुलिस थाने पहुँचे, जहाँ मालूम पड़ा कि, हमलावरों ने ही मेरे पति व अन्य के खिलाफ झूठी F.I.R. दर्ज करा दी है, F.I.R. No. 176/2020. दि. 23.05.2020.

घटनास्थल पर CCTV कैमरा लगा हुआ था मेरे पति की तरफ से बी.के.सी. पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलीस निरीक्षक व अन्य पुलिस अधिकारियों को CCTV Footage दिखाई गई तब जाकर हम लोगों की तरफ से भी क्रॉस F.I.R. No. 177/2020. दि. 23.05.2020. दर्ज की गई|

हमारी तरफ से F.I.R. दर्ज करने से पहले ड्यूटी ऑफिसर ने आरोपी सलीम को फोन करके बीकेसी पुलिस थाने में आने को कहा आरोपी सलीम उसकी मां सलमा के साथ बीकेसी पुलिस थाने में आया| ड्यूटी ऑफिसर ने आरोपी सलीम को क्रॉस F.I.R. की सूचना दी आरोपी सलीम यह सुनकर हक्का-बक्का हो गया| और ड्यूटी ऑफिसर को API Shelyam Mahadev Kole जो बीकेसी भारत नगर बीट चौकी नंबर 1 के बीट ऑफिसर है| Kole साहेब या API श्री शिंदे साहेब से बात करने को कहा, Kole साहेब का सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है इनके खिलाफ Metropolitan Magistrate, 32nd Court में केस चल रहा है:

Case Details

Case Type	Summons Cases SS
Filing Number	7300/2018
Filing Date	05-09-2018
Registration Number	1515/2018
Registration Date	06-09-2018
CNR Number	MHMM180093452018

Scanned with CamScanner

तो ड्यूटी ऑफिसर ने सलीम को समझाया की 'घटना का CCTV Footage वरिष्ठ अधिकारियों को वायरल हो चुका है, 324 हल्का-फुल्का कलम है, पुलिस किसी को हिरासत में नहीं लेगी' चिंता मत करो! मेरे पति व सभी लोग शाम 6:00 बजे के आसपास घर वापस पहुँचे, मार लगी होने की वजह से सभी लोग घर पर ही आराम कर रहे थे, लगभग 8:00 बजे से 8:30 बजे के आसपास हम लोगों को घटनास्थल पर भीड़ दिखाई दी तो मेरे पति ने सोचा कि, देखें वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ कौन लोग हैं? जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि, सुबह वाले हमलावर के ही लोग भारी तादाद में गली के सामने मौजूद थे| मेरे पति किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे इसलिये वे वहाँ से हट गये और उस जगह पहुँच गये जहाँ पर हम लोगों ने साधारण मरीजों के लिये डॉक्टर का कैंप लगा रखा था| मेरे पति के घर से निकलने के कुछ ही देर बाद ही शरीक अंसारी, जावेद अंसारी, सलीम अंसारी, हनीफ मैकेनिक, मुरसलीन अंसारी, अश्मन अंसारी, आसिफ मत्ती और तीन अज्ञात व्यक्ति हमारे घर के अंदर घुस आये और आपस में कहने लगे कि, "DVR ढूँढो, उसे लेकर चलो" व हमसे भी पूछने लगे कि, "कहाँ है DVR" हम कुछ कहते इससे पहले ही हमें धक्का देते हुये अंदर कमरे में मौजूद DVR तक पहुँच गये और उसे निकालने लगे तब मैंने ब मेरी 15 वर्षीय भांजी सोफिया ने उन्हें DVR उठाने से रोंका तो जावेद व हनीफ ने मुझ पर व सोफिया पर हमला कर दिया| उस वक्त रेहान भी हमारे घर पर मौजूद था, रेहान ने मुझे व भांजी सोफिया को बचाने की कोशिश की तो आरोपी शरीक ने उसकी पीठ पर चाकु से वार किया, फिर जावेद, सलीम, हनीफ, आरिफ मत्ति ने रेहान को बेरहमी से मारा और मेरे घर से DVR उठा कर ले गये| सोफिया और रिहान का मेडिकल करवाने के बाद संबंधित आरोपियों के खिलाफ हम अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए बी.के.सी. पुलिस थाने गए| बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर संबंधित आरोपियों का पूरा कुटुंब मौजूद था, 'विवाद ना बढ़ जाए' का बहाना बनाकर ड्यूटी ऑफिसर ने 'उनके जाने के बाद हमें बुलाएंगे' ऐसा समझाकर हमें वापस घर भेज दिया,

संबंधित आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत इतने गंभीर आपराधिक अत्याचार करने के बावजूद मेरे पति कुटुंब व हमारे करीबी लोगों पर फ़र्ज़ी गंभीर मामला F.I.R No. 180/2020. IPC 307. दि: 24.05.2020 दर्ज करवा दिया परंतु हमारी शिकायत आज तक दर्ज नहीं की गई है| हम बीकेसी पुलिस ठाणे अपनी शिकायत दर्ज करने जाते है तो बीकेसी पुलिस के अधिकार कोले और शेंडे साहब हमे केस में फ़सादेने की धमकी देकर भगा देते है जबकि संबंधित आरोपियों का पूरा कुटुंब एकसाथ 3 दिनों तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर ही हमारी शिकायत दर्ज न हो सके इसलिए लगातार धरना देकर बैठे रहे, बी.के.सी. पुलिस थाने का CCTV Footage रिकॉर्ड पर ले कर देखा जा सकता है, और इसी वजह से अभी तक हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई है| आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि वे मेरे पति व मेरे पति के भाईयों को कई सालों तक जेल से बाहर नहीं आने देंगे, उन्हें जेल में ही जान से मरवा दिया जाएगा|

गुनाह करने का कारण :

मेरे पति बदरूद्दीन एक सामाजिक कार्यकर्ता और क्राइम रिपोर्टर हैं. देश में आई आपदा कोरोना (COVID-19) माहमारी से निपटने के लिये Madrasa Aastana Gaus-e-Aazam, (Reg) Haman Rights Foundation of India (Reg) संस्था मार्फ़त मेरे पति जरूरतमंदों को खाना, डॉक्टरों द्वारा हलकी-फुल्की बीमारियों का इलाज और मुफ्त दवाइयाँ देते थे इसके अलावा Public Health Department MCGM

Scanned with CamScanner

H/EAST Ward में एम्बुलेंस और ड्राइवरों की कमी होने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के निर्देशानुसार मेरे पति गाड़ी से कोरोना संक्रमित लोगो को मुफ्त में quarantine center में छोड़कर और लेकर आते थे, जो सलीम महफ़ूज़ कुरैशी व उनके साथियों को नापसंद था (सालेम महफूज कुरैशी जो बीकेसी पुलिस थाने में दर्ज F.I.R. No. 140/2019 dt. 01.06.2019 IPC. 302 का मुख्य आरोपी और बेगुनाह लोगों को IPC 307 जैसे गंभीर फर्जी मामले में फसाने के मामले में बहुत माहिर व मशहूर है) सलीम महफ़ूज़ कुरैशी के खिलाफ उचित जाँच-पड़ताल व कानूनी करवाई के लिए मेरे पति द्वारा कई पत्र-व्यवहार संबंधित विभागों में किये गये थे साथ ही वरिष्ठ अधिकारयों से मिल कर शिकायतें भी की गई थी| जिसकी वजह से कई बार सालेम कुरैशी व उसके साथियों द्वारा तरह-तरह के बहानों का इस्तेमाल करके मेडिकल कैंप बंद करवाने की लगातार कोशिश की गई थी, मेडिकल कैंप जारी रखने के लिए इन लोगों से परेशान हो कर मेरे पति ने श्री भोसले साहेब (MEDICAL OFFICER OF HEALTH, H/E WARD) से मिल कर 'गुलावी दवाखाने' की जगह पर मेडिकल कैंप चलाने की फर्याद की थे| जिसके लिए श्री भोसले साहेब ने डॉ. तेजल जी का नंबर दिया था और उनसे इस बारे में मदद लेने को कहा था, मेरे पति ने उनसे फ़ोन द्वारा बात की थी और उनकी अनुमती पर 'गुलाबी दवाखाने' की जगह पर साफ-सफाई करवाई थी| अगले दिन पत्र-व्यवहार करने के बाद मेरे पति 'मेडिकल कैंप, गुलाबी दवाखाने' में शिफ्ट करने वाले थे, जो सालिम कुरैशी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया| सालेम कुरैशी माहिम का रहने वाला है व संबंधित आरोपी भी माहिम के नामचीन हिस्टिरीशीटर बदमाश है और संबंधित आरोपियों के आपसी संबंध काफी अच्छे हैं. इसलिए सालिम कुरैशी के बल पर कानून व प्रशासन की परवाह किये बिना निडर हो के सलीम व शाकीर ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया। अन्यों के बीच में आने की वजह से अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सके| मगर फिर मेरे पति व हमारे कुटुम्ब व करीबी लोगो पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के सभी को गंभीर मामले में बुरी तरह फंसा दिया गया|

यह सारे गंभीर आपराधिक अत्याचार बीकेसी पुलिस थाने के भ्रष्ट, बेईमान अधिकारयों की मिलीभगत से हो रहा है। ऐसा जाहिरी तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है| क्योंकि हमारे घर के सामने घटना-स्थल पर CCTV CAMERA लगा हुआ था|

1. CCTV FOOTAGE में यह स्पष्ट दिखाई देता है की संबंधित आरोपी लोग लॉकडाऊन के बावजूद भीड़ के रूप में हमारे घर की गली के सामने मेरे पति को कितनी बेरहमी से मारते हैं।

2. ड्यूटी अफसर ने CCTV FOOTAGE देखने के बावजूद पहली F.I.R. सम्बंधित हमलावर आरोपियों की तरफ से ही दर्ज की.

3. FIR में एक लाइन छोड़ कर धाराएं लिखी गई? जो पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाती है|

4. शिकायतकर्ता सलीम अंसारी के बयान के अनुसार उसके भाई शरीक अंसारी को रमजान मनिहार ने रॉड से सर पर मारा है|

Scanned with CamScanner

5. जबकि शारिक अंसारी ने 'मुंबई पुलिस को सलाम' चैनल पर इंटर्व्यू देते हुये कहा है कि, "मुझे सुबह पत्थर से मारा था जिसकी वजह 5 टाँके सिर पर आये थे"

6. शिकायतकर्ता शरीक अंसारी के बयान के अनुसार लॉकडाऊन के दरमियान वे सभी फिर से भीड़ के साथ गली No 52 अपने भाई के बेटे 'मुरसलीन' की लड़की के घर वालों से शादी की बातचीत करने के लिए आ गये जबकि उन्हें अच्छे से पता है की गली No 52 में हमारा घर है जबकि लड़की वालों का घर हमारे सामने वाली गली No 56 में है।

7. शिकायतकर्ता शरीक अंसारी के बयान के अनुसार मेरे पति के साथ 20 से 25 लोगो की भीड़ ने शरीक को लोहे की रॉड, पाइप, बम्बू, काठी, से मारा जबकि सलीम अंसारी ने 'मुंबई पुलिस को सलाम' चैनल पर इंटर्व्यू देते हुये कहा है कि "उस के भाई शरीक के ऊपर चॉपर से भी हमला कर रहे थे " इसकी सच्चाई का पता मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकता है।

8. सुबह क्रॉस FIR होने के बावजूद भी सम्बंधित आरोपी लोग हमारी घर की गली में आए और घर में घुसकर मुझे मारा, मेरी भांजी को भी मारा, चाकू से रेहान पर भी वार किया और उसे अधमरा होने तक मारते रहे। फूटेज के सबूत नष्ट करने के लिए हमारे घर में से DVR भी उठाकर ले गए। इतना गंभीर अपराध होने के बावजूद भी बी.के.सी. पुलिस हमारी फर्याद सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि मेरे पति अधिकतर भ्रष्टाचार के विरोध में काम करते थे|

9. ध्यान देने वाली बात है कि सुबह की FIR 176/2020 में बिना CCTV FOOTAGE देखे FIR दर्ज की गई मगर जब मालुम पड़ा घटना-स्थल पर केमरा है, व CCTV FOOTAGE देखी गई तब क्रॉस FIR लिखी गई, जब शाम उसी घटना-स्थल पर घटना हुई तब तो उन्हें मालुम था कि घटना-स्थल पर केमरा है, अतः CCTV FOOTAGE देखकर FIR दर्ज करनी चाहिये थी, इसका मतलब साफ है कि पुलिस को पता था कि DVR गायब कर दिया गया है, और इसी वजह से वह घटना-स्थल पर नहीं पहुंची और बिना CCTV FOOTAGE देखे FIR 180/2020 दर्ज कर दी|

10. यहाँ पर नोट करनेवाली बात है कि, दोनों ही हमले हमारे घर की गली नंबर 52 में हुये जबकि दूसरा पक्ष हमारे घर से लगभग 600-700 मीटर की दूरी पर अंदर की तरफ रहते हैं,

<u>विनम्र प्रार्थना:</u> आपसे अनुरोध है कि, हो रहे इस गंभीर आपराधिक मामले में सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ अर्ज़ी अनुसार सांविधानिक कायदे के मुताबिक धाराएं लगा के गुनाह दर्ज करके किसी अन्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी या क्राइम ब्रांच द्वारा उचित जाँच करवाकर सम्बंधित अपराधियों पर कठोर कानूनी करवाई करें ताके भारत देश का लोकतंत्र बरक़रार रहे|

<u>अंततः</u> हो रहे इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए अदालत में याचिका दायर करने की मेरी स्थितियों नहीं है इसलिए सरकार द्वारा न्याय की आशा के आधार पर में दिनांक 04/06/2020. रोजी से

Scanned with CamScanner

Additional Commissioner Of Police West/ Region. Carter Road, Bandra West, Mumbai - 400050. कार्यालय के सामने भूख हड़ताल, धरना, आंदोलन शुरू करुँगी अपने सांविधानिक अधिकार के लिए कृपया दर्ज करें|

धन्यवाद

عشرت جہان

श्रीमती इशरत पत्नि बदरूद्दीन मनिहार
Mob. 91379-21207

संलग्न दस्तावेज़ :

1. Copy of F.I.R. No 176.
2. Copy of F.I.R. No 177.
3. Copy of F.I.R. No 180.
4. Medical Report of Rehan
5. Medical Report of Hina
6. Medical Report of Sofya
7. Photo copy of Rehan

प्रतिलिपी:

1. माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र
2. माननीय संयुक्त पुलिस आयुक्त crime
3. माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त W/R
4. माननीय माननीय उपायुक्त पुलिस ZONE 8
5. माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वी.के.सी. पुलिस थाने
6. माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बांद्रा पश्चिम पुलिस स्टेशन

पत्र स्विकारले
Jadhav.n.v 2/6/2020
वारनिशी लेखनिक,
वी.के.सी.पोलीस ठाणे मुंबई.

Scanned with CamScanner

Greater Mumbai Police

Online Complaint

Date: 04/06/2020 06:19:09

Police Station / पोलीस ठाणे : B.K.C.

Complaint Id.: 5819/2020

Complaint Details:-

Full Name / पूर्ण नाव	:ishrat badruddin manihar
Contact Number / संपर्क क्रमांक	:7208107847
E-mail ID / ई-मेल आयडी	:shaijadmansuri46@gmail.com
Room No. / Street Name /दरवाजा क्र. / मार्गाचे नाव	:Room no 81 chawl no 52 nehru vikas mandal
Address / पत्ता	:bharat nagar bandra east
City / शहर	:mumbai
State / राज्य	:maharashtra
Country / देश	:india
Pin code / पिनकोड	:400051
Complaint / तक्रार	:जानलेवा हमले के तकनीकी सबूत के बावजूद BKC के भ्रष्ट पु अधि द्वारा फर्जी FIR, सबूतों नष्ट करने के लिये घर से DVR लूटने व २ ladies सहित ३ पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई. मैं यह अवश्य बताना चाहूँगी कि, यदि ५.६.२०२० तक मेरी फरियाद नहीं सुनी गई तो मैं बी.के.सी पुलिस थाने के सामने अपने बच्चों के साथ भूख-हड़ताल पर बैठ जाऊँगी जिसके जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी होंगे| आशा है, इंसाफ अवश्य मिलेगा, पूरा मामला संलग्न आवेदन-पत्र के रूप में भेजा जा रहा है| धन्यवाद!

Note:—

(1). This is a computer-generated document. No signature is required.(हे संगणक व्युत्पन्न दस्तऐवज आहे. स्वाक्षरीची आवश्यकता नाही.)

(2). False report to police is a punishable offence as per IPC & IT Act. (पोलिसांना खोटे अहवाल / तक्रार देणे म्हणजे भादंवि आणि तंत्रज्ञान कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.)

(3). As per the prevailing laws, FIR of a major crime can only be registered at a Police Station. (Cognizable Crimes like theft, burglary, motor vehicle theft, accident, chain-snatching, assault, rape, murder, attempt to commit murder, robbery, dacoity, extortion etc)(प्रचलित कायद्यानुसार, एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याची (दखलपात्र गुन्हा) एफआयआर (F.I.R.)फक्त पोलीस ठाण्यामध्येच नोंदविली जाऊ शकते.(दखलपात्र गुन्हे - चोरी, घरफोडी, मोटार वाहन चोरी, अपघात, साखळी स्नॅचिंग, प्राणघातक हल्ला, बलात्कार, खून, खुनाचा प्रयत्न, जबरी चोरी, दरोडा, खंडणी इ.)

(4). For Lodging an FIR the traditional system of lodging it at the police station prevails.(F.I.R. दाखल करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्याची पारंपारिक यंत्रणा प्रचलित आहे.)

DISCLAIMER /अस्वीकरण :—

As per the prevailing laws, FIR of a major crime ('cognizable crimes like theft, burglary, motor vehicle theft, accident, chain-snatching, assault, rape, murder, attempt to commit murder, robbery, dacoity, extortion etc) can only be registered at a Police Station. Please contact your nearest Police Station for the same. (प्रचलित कायद्यांनुसार एखाद्या मोठ्या गुन्ह्याबद्दल तक्रार/प्रथम खबरी अहवाल संबंधित पोलीस ठाणे येथे नोंदणी करावी. (उदा. चोरी, घरफोडी करून चोरी, मोटर वाहन चोरी, अपघात, सोन-साखळी चोरणे, मारहाण, बलात्कार, खून, खून करण्याचा प्रयत्न, दरोडा, डकैती, खंडणी वगैरे) यासाठी आपल्या जवळच्या पोलीस ठाणेशी संपर्क साधावा.)

This site shall only entertain complaints about minor crimes ('non-cognizable crimes').Your complaint shall be referred to the concerned Police Station, where you may be called for further clarification and/or to give statement. (येथे फक्त गांभीर्याच्या गुन्ह्यांबद्दलच्या तक्रारींची दखल

Scanned with CamScanner

आत्महत्या करने से पहले प्रार्थना पत्र

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Sat, 6 Jun 2020 at 3:14 pm

To: cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in
Bcc: tcp.eow@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.traf@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.admn@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.south@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.central@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.east@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.north@mahapolice.gov.in, addlcp.traffic@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.sbcid@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.armed@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.prot@mahapolice.gov.in, addlcp.mt.mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.sb2.cid@mahapolice.gov.in, dcpzone1-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone2-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone3-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone4-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone6-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone7-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone9-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone10-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone11-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone12-mum@mahapolice.gov.in, dcpzoneport-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.hq1@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.hq2@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, dcpwmumbai@mahapolwireless.gov.in, cp.mum.dcp.det@mahapolice.gov.in, dcpdet-mumsuburban@mahapolice.gov.in, Mumbaidcpeowzone-mum@mahapolice.gov.in, dcpeowzone-mum@mahapolice.gov.in, dcpsouth.traffic@mahapolice.gov.in, dcpsub.traffic@mahapolice.gov.in, dcphq.traffic@mahapolice.gov.in, dcpeast.traffic@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.sb1.cid@mahapolice.gov.in, dcpla1.mum@mahapolice.gov.in, dcpla2.mum@mahapolice.gov.in, dcpla3.mum@mahapolice.gov.in, dcpla4.mum@mahapolice.gov.in, dcpprotection.mum@mahapolice.gov.in, dcpsecurity.mum@mahapolice.gov.in, dcpprevintivemumbai@mahapolice.gov.in, dcpenforcement-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.narcotics@mahapolice.gov.in, dcbcid.cawc-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.mantsec@mahapolice.gov.in, dcpcybercrime.mum@mahapolice.gov.in, acpcolaba.mum@mahapolice.gov.in, acpam.mum@mahapolice.gov.in, acpdongri.mum@mahapolice.gov.in, acppyd.mum@mahapolice.gov.in, acpgirgaon.mum@mahapolice.gov.in, acpgamdevi.mum@mahapolice.gov.in, acpyg.mum@mahapolice.gov.in, acpwadala.mum@mahapolice.gov.in, acptardeo.mum@mahapolice.gov.in, acpagripada.mum@mahapolice.gov.in, acpworli.mum@mahapolice.gov.in, acpbhoiwada.mum@mahapolice.gov.in, acpmatunga.mum@mahapolice.gov.in, acpsion.mum@mahapolice.gov.in, acpdadar.mum@mahapolice.gov.in, acpmahim.mum@mahapolice.gov.in, acpkurla.mum@mahapolice.gov.in, acpchembur.mum@mahapolice.gov.in, acptrombay.mum@mahapolice.gov.in, acpdeonar.mum@mahapolice.gov.in, acpghatkopar.mum@mahapolice.gov.in, acpvikhroli.mum@mahapolice.gov.in, acpbhandup.mum@mahapolice.gov.in, acpmulund.mum@mahapolice.gov.in, acpvakola.mum@mahapolice.gov.in, acpkherwadi.mum@mahapolice.gov.in, acpbandra.mum@mahapolice.gov.in, acpsantacruz.mum@mahapolice.gov.in, acpdnnagar.mum@mahapolice.gov.in, acpmeghwadi.mum@mahapolice.gov.in, acpsakinaka.mum@mahapolice.gov.in, acpandheri.mum@mahapolice.gov.in, acpgoregaon.mum@mahapolice.gov.in, acpborivali.mum@mahapolice.gov.in, acpdindoshi.mum@mahapolice.gov.in, acpsamtanagar.mum@mahapolice.gov.in, acpdahisar.mum@mahapolice.gov.in, ps.aareysub.mum@mahapolice.gov.in, ps.agripada.mum@mahapolice.gov.in, ps.airport.mum@mahapolice.gov.in, ps.amboli.mum@mahapolice.gov.in, ps.azadmaidan.mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in, ps.bangurnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.bhoiwada.mum@mahapolice.gov.in, ps.borivali.mum@mahapolice.gov.in, ps.byculla.mum@mahapolice.gov.in, ps.chembur.mum@mahapolice.gov.in, ps.chunabhatti.mum@mahapolice.gov.in, ps.colaba.mum@mahapolice.gov.in, ps.cuffeparade.mum@mahapolice.gov.in, ps.dbmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.dnnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dadar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dahisar.mum@mahapolice.gov.in, ps.deonar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dharavi.mum@mahapolice.gov.in, ps.dindoshi.mum@mahapolice.gov.in, ps.dongri.mum@mahapolice.gov.in, ps.gamdevi.mum@mahapolice.gov.in, ps.ghatkopar.mum@mahapolice.gov.in, ps.gorai.mum@mahapolice.gov.in, goraips@gmail.com, ps.goregaon.mum@mahapolice.gov.in, ps.govandi.mum@mahapolice.gov.in, ps.jjmarg.mum@mahapolice.gov.in, juhu.ps.mumbai@mahapolice.gov.in, ps.kalachowky.mum@mahapolice.gov.in, ps.kandivali.mum@mahapolice.gov.in, ps.kanjurmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.kasturba.mum@mahapolice.gov.in, ps.khar.mum@mahapolice.gov.in, ps.kherwadi.mum@mahapolice.gov.in, ps.kurar.mum@mahapolice.gov.in, ps.kurla.mum@mahapolice.gov.in, ps.ltmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.mhb.mum@mahapolice.gov.in, ps.midc.mum@mahapolice.gov.in, ps.mra.mum@mahapolice.gov.in, ps.mahim.mum@mahapolice.gov.in, ps.malbarhill.mum@mahapolice.gov.in, ps.malad.mum@mahapolice.gov.in, ps.malvani.mum@mahapolice.gov.in, ps.mankhurd.mum@mahapolice.gov.in, ps.marinedrive.mum@mahapolice.gov.in, ps.matunga.mum@mahapolice.gov.in, ps.meghwadi.mum@mahapolice.gov.in, ps.mulund.mum@mahapolice.gov.in, ps.nmjoshimarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.nagpada.mum@mahapolice.gov.in, ps.navghar.mum@mahapolice.gov.in, ps.nehrunagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.nirmalnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.oshiwara.mum@mahapolice.gov.in, ps.pantnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.parksite.mum@mahapolice.gov.in, ps.powai.mum@mahapolice.gov.in, ps.paydhunie.mum@mahapolice.gov.in, ps.rcf.mum@mahapolice.gov.in, ps.sahar.mum@mahapolice.gov.in, ps.sakinaka.mum@mahapolice.gov.in, ps.samtanagar.mum@mahapolice.gov.in,

ps.sewri.mum@mahapolice.gov.in, ps.shahunagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.shivajinagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.shivajipark.mum@mahapolice.gov.in, ps.sion.mum@mahapolice.gov.in, ps.tardeo.mum@mahapolice.gov.in, ps.tilaknagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.trombay.mum@mahapolice.gov.in, ps.vbnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.vproad.mum@mahapolice.gov.in, ps.vakola.mum@mahapolice.gov.in, ps.goregaoneast.mum@mahapolice.gov.in, ps.varsova.mum@mahapolice.gov.in, ps.vikhroli.mum@mahapolice.gov.in, ps.vileparle.mum@mahapolice.gov.in, ps.wadala.mum@mahapolice.gov.in, ps.wtt.mum@mahapolice.gov.in, ps.worli.mum@mahapolice.gov.in, ps.mumbaisagari.mum@mahapolice.gov.in, cyberpst-mum@mahapolice.gov.in

महोदय,

मैं श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी (पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई) पीड़ित महिला आपको सूचित करना याद दिलाना चाहती हूँ। मेरे पति एक सामाजिक कायकर्ता तथा क्राइम सावंदता है। जो अधिकतर भ्रष्टाचार व गंभीर अपराध-संबंधी मामलो के खिलाफ पत्र-व्यवहार करते थे। इस वजह से मेरे पति व हमारे कुटुम्भ पर लगातार हमले व गंभीर फ़र्ज़ी मामले दर्ज करवाए जा रहे है। इस बारे में मेरे पति ने श्री संजय बर्वे The commissioner of police mumbai । श्री मनोज कुमार शर्मा। The ADDL commissioner of police W /R। श्री मंजुनाथ संघे DCP जोन 8। साहेब को कई बार लिखत रूप में व मिलकर फर्याद किये है। फॉर भी मेरे घर में दिनांक २३ मई २०२० के दिन रात ८ से ८.३० के बीच घुसकर हमला किया गया और सुबह किये गए हमले की CCTV फूटेज गायब करने के मकसद से DVR लूटकर ले गए, जिसे ले जाने से रोकने की वजह से लुटेरे हमलावरों द्वारा मुझ पर व मेरी भांजी सोफिया के अलावा रेहान पर जानलेवा हमला किया गया| जिसकी शिकायत दिये जाने के बावजूद बी.के.सी. पुलिस थाने के भ्रष्ट बेईमान पुलिस अधिकारी ईस गंभीर आपराधिक मामले में शामिल होने के नाते आज तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई| इसलिए अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए मैं दिनांक ०५/०६/२०२०। दोपहर के १ बजे से रात के १२ बजे तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर ड्यूटी अफसर को सूचित करके व मुंबई पुलिस को ट्वीट करके बैठी रही। फिर भी बी.के.सी. पुलिस भ्रष्टाचार के अहंकार में हमारी शिकायतों को सुनने व दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है

इसलिए मैं आज फिर अपनी फरयाद दर्ज करवाने के लिए बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन पर बैठी हूँ। यदि मेरे फरयाद नहीं सुनी गई तो मैं आत्महत्त्या करलूँगी. इसके जुम्मेदार **श्री आनंद मोले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बी.के.सी. पुलिस थाने. श्री मंजुनाथ संघे DCP जोन 8। श्री मनोज कुमार शर्मा ADDL CP W/R की होगी कृपया दर्ज करें।**

धन्यवाद !

आपकी सेवा में : श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार

Thread

crimecorruptionreport@gmail.com
@crimecorruptio4

@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @PMOIndia
Direct the BKC police to register an FIR against serious crime The lady victim is on hunger strike at front of BKC Police station since 5/6/2020. for justice. Shame Shame Shame

10:56 AM · 07 Jun 20 · Twitter Web App

9 Retweets **7** Likes

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 8h
Replying to @crimecorruptio4

Tweet your reply

07.06.2020 tweet Hunger strike

77% 9:04 PM
crimecorruptionreport@gmail...
21 Tweets
Tweets
Tweets & replies
Media
Likes
crimecorruptionreport@gmail.com · 12m
Mai Isharat badrudin manihar BKC senior inspector ne mujhe bula kar bola hai ghar jao inspector shinde kal subha ayege aur ap ki FIR lege mujhe bola hai par mai abhi bhi anshan par hu
crimecorruptionreport@gmail.com · 54m
7:43
8275046700, 913757785...
kar di aur unki bhid ka dar dikhakar hame bhaga diya. Hamari sachchi ghanta v
1
crimecorruptionreport@gmail.com · 54m
Abhi tak koi reply nahi diye mujhe aaj ka 3 din ho chuke hai bus constable aate hai aur khete hai ki ghar jao sir aaye ge to FIR lege lekin sir kub ate hai hume nahi bolte hum bus police station ke bahar baithe hai insaf ke liy
9823126333
9205860811
8275046700, 913757785...

77% 9:04 PM
crimecorruptionreport@gmail...
21 Tweets
Tweets
Tweets & replies
Media
Likes
crimecorruptionreport@gmail.com · 54m
Abhi tak koi reply nahi diye mujhe aaj ka 3 din ho chuke hai bus constable aate hai aur khete hai ki ghar jao sir aaye ge to FIR lege lekin sir kub ate hai hume nahi bolte hum bus police station ke bahar baithe hai insaf ke liye
9823126333
9205860811
Move to Notifications
Mute Notifications
Always on Top
8275046700, 913757785...
kar di aur unki bhid ka dar dikhakar hame bhaga diya. Hamari sachchi ghanta v medical ke bavjood FIR nahi, yah doglapan hai
Mai ishrat manihar mujhe abhi tak koi insaf nhi mila hai mai
1
crimecorruptionreport@gmail.com ... · 2h
Sms bhejne ke baad bhi koi reply nahi aya BKC police station se
aap mile paper liye kaha ki, jab fursat hogi parhunga investigation karunga aur sochunga ki FIR lu ya nahi. Main BKC PS ke bahar Anshan par baithi hun, aap bataiye kab, kitne baje karyawahi shuru karenge to main
9823126333
9205860811
Move to Notifications
Mute Notifications
Always on Top

N 77% 9:04 PM

crimecorruptionreport@gmail...
21 Tweets

Tweets | Tweets & replies | Media | Likes

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 2h
Sms bhejne ke baad bhi koi reply nahi aya BKC police station se

aap mile paper liye kaha ki, jab fursat hogi padhunga investigation karunga aur sochunga ki FIR lu ya nahi. Main BKC PS ke bahar Anshan par baithi hun, aap bataiye kab kitne baje karyawahi shuru karenge to main

9823126333
9205860811
Move to Notifications
Mute Notifications
Always on Top

crimecorruptionreport@gmail.... · 10h
@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @PMOIndia Direct the BKC police to register an FIR against serious crime The lady victim is on hunger strike at front of BKC Police station since 5/6/2020. for j...
Show this thread

1 1

crimecorruptionreport@gmail.com Retweeted
G R Vora @GRVora · 7h
Replying to @crimecorruptio4 @CPMumbaiPolice and 2 others
@MumbaiPolice **needs to act imediately** ...

N 76% 9:05 PM

crimecorruptionreport@gmail...
21 Tweets

Tweets | Tweets & replies | Media | Likes

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 19h
– at bkc police station

2 4 3

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 19h
@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @PMOIndia – at bkc police station

2 2 2

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 18h
@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @PMOIndia Insaf na milne par Anshan jari, Senior Officers andhe ho chuke – at bkc police station

1 2 2

crimecorruptionreport@gmail.com ...
See this video how this kind of attack ... done by victim with their goons on accused

Scanned with CamScanner

9:05 PM 76%

crimecorruptionreport@gmail...
21 Tweets

Tweets | Tweets & replies | Media | Likes

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 2d
See this video how this kind of attack has done by victim with their goons on accused at near accuse house and twice lodge an FIR on accused by corrupt officers of BKC police station and fasely implicated in the matter u/s 307.

2 1

Show this thread

crimecorruptionreport@gmail.com ... · 2d
@CPMumbaiPolice @CMOMaharashtra @PMOIndia जानलेवा हमले के तकनीकी सबूत के बावजूद BKC के भ्रष्ट पु अधि द्वारा फर्जी FIR, सबूतों नष्ट करने के लिये घर से DVR लूटने व २·ladies सहित ३ पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की.गई
पीड़िता 05.06.2020 से अनशन पर

9:06 PM 76%

Thread

crimecorruptionreport@gmail.com
@crimecorruptio4

5:52 PM · 05 Jun 20 · Twitter Web App

2 Retweets

G R Vora @GRVora · 7h
Replying to @crimecorruptio4
@MumbaiPolice needs to act imediately & file FIR aganst the asaulters who broke into house of lady who is on hunger strike since 5thJune outside #BKCPoliceStation since the latter has filed false FIR against her but not

Tweet your reply

Scanned with CamScanner

गंभीर आपराधिक अत्याचार अन्याय के खिलाफ आत्महत्या करने से पहले प्रार्थना पत्र

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Mon, 8 Jun 2020 at 3:04 pm
To: cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, cyberpst-mum@mahapolice.gov.in
Bcc: tcp.eow@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.traf@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.admn@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.south@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.central@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.east@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.north@mahapolice.gov.in, addlcp.traffic@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.sbcid@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.armed@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.prot@mahapolice.gov.in, addlcp.mt.mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.sb2.cid@mahapolice.gov.in, dcpzone1-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone2-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone3-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone4-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone6-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone7-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone9-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone10-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone11-mum@mahapolice.gov.in, dcpzone12-mum@mahapolice.gov.in, dcpzoneport-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.hq1@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.hq2@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, dcpwmumbai@mahapolwireless.gov.in, cp.mum.dcp.det@mahapolice.gov.in, dcpdet-mumsuburban@mahapolice.gov.in, Mumbaidcpeowzone-mum@mahapolice.gov.in, dcpeowzone-mum@mahapolice.gov.in, dcpsouth.traffic@mahapolice.gov.in, dcpsub.traffic@mahapolice.gov.in, dcphq.traffic@mahapolice.gov.in, dcpeast.traffic@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.sb1.cid@mahapolice.gov.in, dcpla1.mum@mahapolice.gov.in, dcpla2.mum@mahapolice.gov.in, dcpla3.mum@mahapolice.gov.in, dcpla4.mum@mahapolice.gov.in, dcpprotection.mum@mahapolice.gov.in, dcpsecurity.mum@mahapolice.gov.in, dcpprevintivemumbai@mahapolice.gov.in, dcpenforcement-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.narcotics@mahapolice.gov.in, dcbcid.cawc-mum@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcp.mantsec@mahapolice.gov.in, dcpcybercrime.mum@mahapolice.gov.in, acpcolaba.mum@mahapolice.gov.in, acpam.mum@mahapolice.gov.in, acpdongri.mum@mahapolice.gov.in, acppyd.mum@mahapolice.gov.in, acpgirgaon.mum@mahapolice.gov.in, acpgamdevi.mum@mahapolice.gov.in, acpyg.mum@mahapolice.gov.in, acpwadala.mum@mahapolice.gov.in, acptardeo.mum@mahapolice.gov.in, acpagripada.mum@mahapolice.gov.in, acpworli.mum@mahapolice.gov.in, acpbhoiwada.mum@mahapolice.gov.in, acpmatunga.mum@mahapolice.gov.in, acpsion.mum@mahapolice.gov.in, acpdadar.mum@mahapolice.gov.in, acpmahim.mum@mahapolice.gov.in, acpkurla.mum@mahapolice.gov.in, acpchembur.mum@mahapolice.gov.in, acptrombay.mum@mahapolice.gov.in, acpdeonar.mum@mahapolice.gov.in, acpghatkopar.mum@mahapolice.gov.in, acpvikhroli.mum@mahapolice.gov.in, acpbhandup.mum@mahapolice.gov.in, acpmulund.mum@mahapolice.gov.in, acpvakola.mum@mahapolice.gov.in, acpkherwadi.mum@mahapolice.gov.in, acpbandra.mum@mahapolice.gov.in, acpsantacruz.mum@mahapolice.gov.in, acpdnnagar.mum@mahapolice.gov.in, acpmeghwadi.mum@mahapolice.gov.in, acpsakinaka.mum@mahapolice.gov.in, acpandheri.mum@mahapolice.gov.in, acpgoregaon.mum@mahapolice.gov.in, acpborivali.mum@mahapolice.gov.in, acpdindoshi.mum@mahapolice.gov.in, acpsamtanagar.mum@mahapolice.gov.in, acpdahisar.mum@mahapolice.gov.in, ps.aareysub.mum@mahapolice.gov.in, ps.agripada.mum@mahapolice.gov.in, ps.airport.mum@mahapolice.gov.in, ps.amboli.mum@mahapolice.gov.in, ps.azadmaidan.mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in, ps.bangurnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.bhoiwada.mum@mahapolice.gov.in, ps.borivali.mum@mahapolice.gov.in, ps.byculla.mum@mahapolice.gov.in, ps.chembur.mum@mahapolice.gov.in, ps.chunabhatti.mum@mahapolice.gov.in, ps.colaba.mum@mahapolice.gov.in, ps.cuffeparade.mum@mahapolice.gov.in, ps.dbmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.dnnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dadar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dahisar.mum@mahapolice.gov.in, ps.deonar.mum@mahapolice.gov.in, ps.dharavi.mum@mahapolice.gov.in, ps.dindoshi.mum@mahapolice.gov.in, ps.dongri.mum@mahapolice.gov.in, ps.gamdevi.mum@mahapolice.gov.in, ps.ghatkopar.mum@mahapolice.gov.in, ps.gorai.mum@mahapolice.gov.in, goraips@gmail.com, ps.goregaon.mum@mahapolice.gov.in, ps.govandi.mum@mahapolice.gov.in, ps.jjmarg.mum@mahapolice.gov.in, juhu.ps.mumbai@mahapolice.gov.in, ps.kalachowky.mum@mahapolice.gov.in, ps.kandivali.mum@mahapolice.gov.in, ps.kanjurmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.kasturba.mum@mahapolice.gov.in, ps.khar.mum@mahapolice.gov.in, ps.kherwadi.mum@mahapolice.gov.in, ps.kurar.mum@mahapolice.gov.in, ps.kurla.mum@mahapolice.gov.in, ps.ltmarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.mhb.mum@mahapolice.gov.in, ps.midc.mum@mahapolice.gov.in, ps.mra.mum@mahapolice.gov.in, ps.mahim.mum@mahapolice.gov.in, ps.malbarhill.mum@mahapolice.gov.in, ps.malad.mum@mahapolice.gov.in, ps.malvani.mum@mahapolice.gov.in, ps.mankhurd.mum@mahapolice.gov.in, ps.marinedrive.mum@mahapolice.gov.in, ps.matunga.mum@mahapolice.gov.in, ps.meghwadi.mum@mahapolice.gov.in, ps.mulund.mum@mahapolice.gov.in, ps.nmjoshimarg.mum@mahapolice.gov.in, ps.nagpada.mum@mahapolice.gov.in, ps.navghar.mum@mahapolice.gov.in, ps.nehrunagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.nirmalnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.oshiwara.mum@mahapolice.gov.in, ps.pantnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.parksite.mum@mahapolice.gov.in, ps.powai.mum@mahapolice.gov.in, ps.paydhunie.mum@mahapolice.gov.in, ps.rcf.mum@mahapolice.gov.in,

ps.sahar.mum@mahapolice.gov.in, ps.sakinaka.mum@mahapolice.gov.in, ps.samtanagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.sewri.mum@mahapolice.gov.in, ps.shahunagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.shivajinagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.shivajipark.mum@mahapolice.gov.in, ps.sion.mum@mahapolice.gov.in, ps.tardeo.mum@mahapolice.gov.in, ps.tilaknagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.trombay.mum@mahapolice.gov.in, ps.vbnagar.mum@mahapolice.gov.in, ps.vproad.mum@mahapolice.gov.in, ps.vakola.mum@mahapolice.gov.in, ps.goregaoneast.mum@mahapolice.gov.in, ps.varsova.mum@mahapolice.gov.in, ps.vikhroli.mum@mahapolice.gov.in, ps.vileparle.mum@mahapolice.gov.in, ps.wadala.mum@mahapolice.gov.in, ps.wtt.mum@mahapolice.gov.in, ps.worli.mum@mahapolice.gov.in, ps.mumbaisagari.mum@mahapolice.gov.in, cyberpst-mum@mahapolice.gov.in

Reference : O.W. No. 3678/CyPS/ADJ /2020.
Senior Inspector of Police, Cyber Police Station,
Crime Branch, C.I.D., B.K.C. Complex,Mumbai. Dated :- 04/06/2020.

महोदय,

मैं श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी (पीड़ित महिला) आपको सूचित करना याद दिलाना चाहती हूँ। गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए मैं दिनांक ०५/०६/२०२०। रोजी से बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन पर बैठी हूँ । इंस्पेक्टर कन्हैया लाल शिंदे साहेब और कांस्टेबल कदम ने आज मेरा स्टेटमेंट नोट किया। परन्तु भ्रष्टाचार के दर से अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं किये। स्टेटमेंट की कॉपी मांगने पर शिंदे साहेब और कांस्टेबल कदम ने भ्रष्टाचार के अहंकार में मेरी जेठानी को बहुत गंदे शब्दों में जवाब दिए. मुझे अनशन से हटने के लिए गंदे गंदे गहन शब्दों में गेल्या दिए और मुझे केस में फसाने की धमकी भी दिए.

यदि इस गंभीर आपराधिक अत्याचार अन्याय के खिलाफ मैं आत्महत्त्या करूँगी तो इसके जुम्मेदार श्री आनंद मोले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बी.के.सी. पुलिस थाने. श्री मंजुनाथ संघे DCP जोन 8। श्री मनोज कुमार शर्मा ADDL CP W/R होंगे कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद !

आपकी सेवा में : श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार.

मोबाइल नो**9137921207**

09.06.2020 tweet Hunger strike

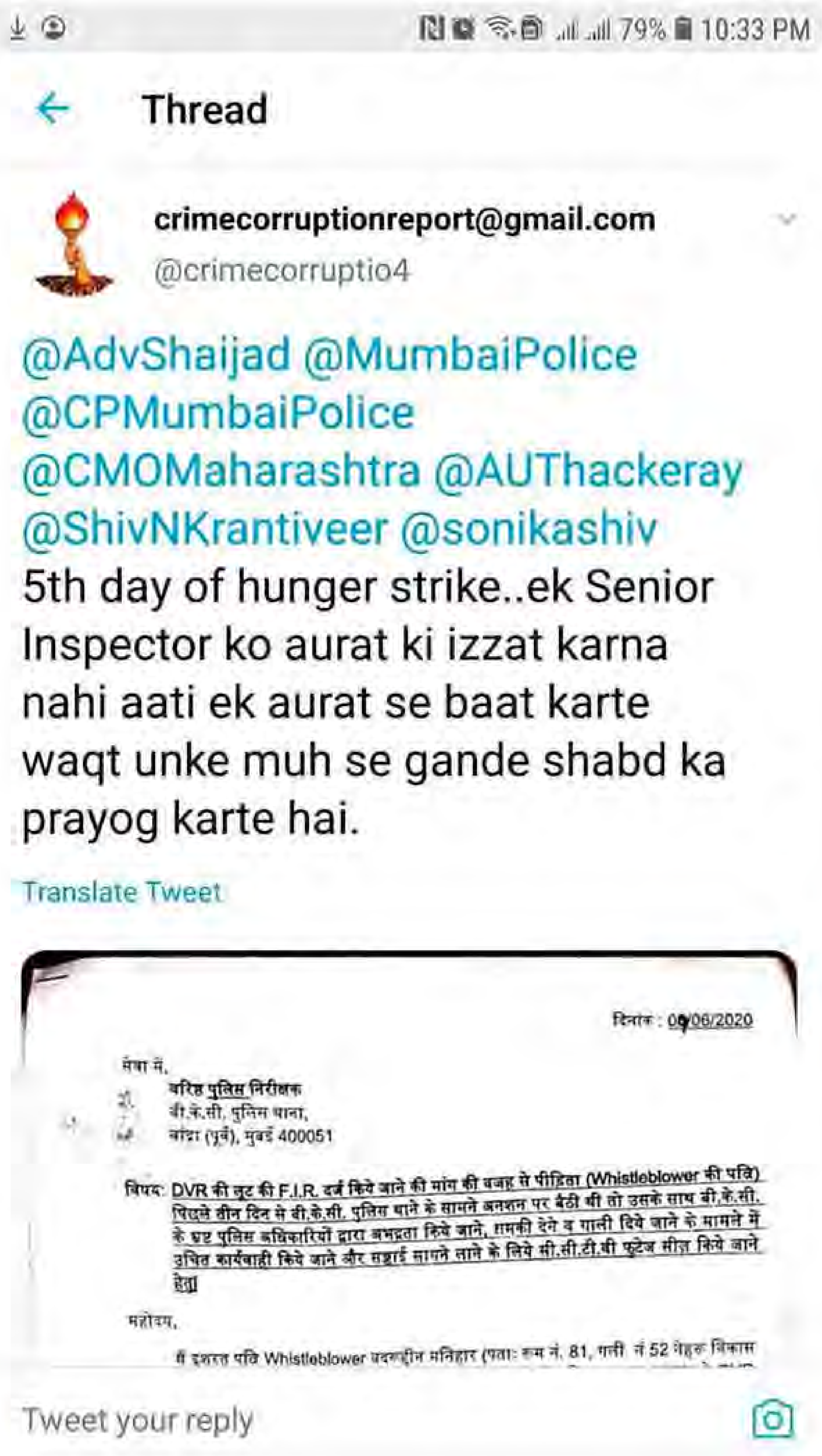

Recived date 8/9/2020

(2)

जा.क्र.९७ /सपोआ/जमाअ/खेवि/२०
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
तथा जन माहिती अधिकारी,
खेरवाडी विभाग,बांद्रा पू. मुंबई.
दिनांक:–९४/०७/२०२०.

प्रति,
श्री. नासीर हुसैन मनिहार,
रूम नं. ८१, चाळ नं. ५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारत नगर,
बांद्रा (पु), मुंबई ५१.

विषय :–केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम–२००५ अंतर्गत माहिती.

संदर्भ :–१) नस्ती क्र. १२७/सपोआ/जमाअ/खेवि/२०२०.
यांचा दिनांक १०/०६/२०२० रोजीचा अर्ज प्राप्त दि. १०/०६/२०२०.

उपरोक्त विषय व संदर्भान्वये, आपण मागणी केलेली माहिती, व.पो.नि. बी.के.सी. पोलीस ठाणे जा.क्र. ४४५९/२० दि. १४/०७/२०२० अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झाली असून सदर माहिती सोबत जोडून देण्यात येत आहे.

सदर माहिती ही समाधानकारक नसल्यास ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपिलीय अधिकारी मा.पो.उप.आयुक्त परिमंडळ–८, बी.के.सी. पोलीस ठाणे पहिला मजला येथे प्रथम अपिल दाखल करू शकता.

(ए.बी.सेवाळे)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
तथा जन माहिती अधिकारी,
खेरवाडी विभाग, मुंबई.

O/C

call on Date 16/7/20 Time 12:37 pm to Nasir Manihar his contact no. is witch off.

Scanned with CamScanner

वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक
बीकेसी पोलीस ठाणे,मुबंई
दिनांक.   /०७/२०२०

अक्र	अर्जदाराचे नाव	श्री. नासीर हुसैन मनिहार
१	अर्जदाराचा पत्ता	रुम नं ८१,चाळ नं ५२ नेहरू विकास मंडल,भारत नगर बांद्रा पुर्व,मुंबई ५१
२	मागितलेल्या माहितीचा विषयच/—	All Incidents of 23 & 24/05/20 in which FIR has been registerd of BKC Police Station
३	<u>मागितलेल्या माहिती.</u> FIR & Medical Dated 23 & 24/05/20 and Station Diary of BKC Police Station.	<u>दिलेली माहिती</u> सदर महितीच्या अर्जामध्ये अर्जदार यांनी कोणत्याही विशिष्ट विषयाची किवां गुन्हयाची माहितीची मागणी न करता त्यांनी दिनांक २३/०५/२० व दिनांक २४/०५/२० रोजीची घटना संदर्भात मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी प्रथम खबरी अहवाल व वैदयकीय अहवाल यांची मागणी केली आहे. राज्य माहिती आयोग,खंडपीठ पुणे यांच्या दिनांक १३ जुन २००८ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे अर्जदार यांची माहितीची मागणी नेमकी व सुस्पष्ट असावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरी अर्जदार यांना हवी असलेली माहिती नेमकी व सुस्पष्ट दिल्यास त्यांना माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती पुरवण्यात येईल.

पोलीस निरिक्षक(गुन्हे)
बीकेसी पोलीस ठाणे,मुंबई.

पोलीस निरिक्षक(प्रशा)
बीकेसी पोलीस ठाणे,मुंबई.

Scanned with CamScanner

By Hand delivery **MOST URGENT** *and* **HIGHLY CONFIDENTIAL(SOS)**

4-B

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Bharat Nagar, Chawl No.52, Bharat Nagar, Bandra (E), Mumbai-400051.

To,

Date: 22-9-2020(11:00hrs)

Shri A.B. shiwade (A.C.P.), PIO's
Kherwadi Division,
BKC police station Bandra (e), Mumbai-400051

Sub: You are illogically letter from asking me to inspect the documents when I am seeking the same from the given period of time and type of documents are made clear in my RTI Application. You please send me the cost in ambit with section 7(6) of the RTI Act, 2005.

Re: RTI Application dated 10-6-2020 Your illogical reply dated 14-7-2020 Recived date: 8-9-2020

Sir,

I am the Applicant and have to state as under:

1) I had clearly mentioned in my RTI Application what information I am seeking and what is the period of time and those documents available on record, I had provided the self addressed envelope for informing me the total cost and pages of information. I will get.
2) **But you always take a short cut and asking me to come and inspect the documents when I have said that all information as per the subject matter and it is crystal clear in English.**
3) Your illogical letter is incomplete, misleading, incorrect and is in contravention to the said provision of law, you all were duty bound to information me the total cost of the information and the number of pages of information, I will get for the same.
4) I am requesting you to please give me the said cost of information and total pages of information within ambit of section 7(6) of the RTI Act, 2005, within seven days on receipt of this letter, failing which I will be forced to file my first appeal with cost for harassment and recommendation for DE against you all, please note!

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

Encl: Copy of your reply. Last page No.3

पत्र मिळाले
22/09/2020
बारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, वांद्रा मुं.

Scanned with CamScanner

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat
Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51.

Date: 11-06-2020(1100hrs)

To,

Smt Aparsamea Sharma
A.C.P., Kherwadi Division
BKC, Bandra (E) Mumbai-400051

Sub: Complaint against non-stop false and serious cases being registered against us by the BKC Police Station as we are activist and social workers as was done 23-05-2020 vide two false cases against us. Failure to register FIR against the serious brutal assault on my brothers, sister and my son and others despite having given evidence of the same.

Re: False FIR No. 176 & 180/2020 at BKC Police Station.

Sir,

I am the social and RTI Activist and have to state as under:

1) We the Manihar family are regularly targeted by way of false cases registered by the BKC Police Station due to our legal battle with them.

2) Every time our counter case is never registered as per the serious incidents but under diluted sections of the IPC.

3) These above two false cases are being registered under serious IPC Sections despite having produced the evidence of CCTV footage of otherwise but still false cases are registered against us.

4) **The senior officials of the Rank of ACP(KD), DCP(Z-8) and Addl.C.P (WR) are least bothered to correct the same or take action on the concerned delinquent police officials of BKC Police Station.**

5) **Our serious case is not being registered against the accused who have given false FIR against my family despite the wife of the victim on hunger strike outside the BKC Police Station.**

6) I am requesting your goodself for detailed inquiry against the present two false cases registered against the Family and directions for registering the FIR against the accused for the serious incident of 23-05-2020 and I should be called for my statement by way of call letter, to meet the ends to justice and equity. Note: **We fear for our lives as they may get us killed in retaliation in some seen or unseen manner,**

Thanking you, in anticipation!

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

पत्र मिळाले
11/6/2020
कार्यालयीन लेखनिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रा पु

Scanned with CamScanner

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No 84, Chawl No 52, Bharat
Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51
Date: 11-06-2020(1100hrs)

To,
Shri Manjunath S. IPS
DCP, Zone 8, BKC
Bandra (E) Mumbai-400051.

Sub: Complaint against non-stop false and serious cases being registered against us by the BKC Police Station as we are activist and social workers as was done 23-05-2020 vide two false cases against us. Failure to register FIR against the serious brutal assault on my brothers, sister and my son and others despite having given evidence of the same.

Re: False FIR No. 176 & 180/2020 at BKC Police Station.

Sir,

I am the social and RTI Activist and have to state as under:

1) We the Manihar family are regularly targeted by way of false cases registered by the BKC Police Station due to our legal battle with them.

2) Every time our counter case is never registered as per the serious incidents but under diluted sections of the IPC.

3) These above two false cases are being registered under serious IPC Sections despite having produced the evidence of CCTV footage of otherwise but still false cases are registered against us.

4) The senior officials of the Rank of ACP(KD), DCP(Z-8) and Addl.C.P (WR) are least bothered to correct the same or take action on the concerned delinquent police officials of BKC Police Station.

5) Our serious case is not being registered against the accused who have given false FIR against my family despite the wife of the victim on hunger strike outside the BKC Police Station.

6) I am requesting your goodself for detailed inquiry against the present two false cases registered against the Family and directions for registering the FIR against the accused for the serious incident of 23-05-2020 and I should be called for my statement by way of call letter, to meet the ends to justice and equity. **Note: We fear for our lives as they may get us killed in retaliation in some seen or unseen manner,**

Thanking you, in anticipation!

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

12-6-2020
अप्पर उप आयुक्त
परिमंडळ-८, मुंबई
कार्यकारीक

Scanned with CamScanner

2

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat
Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51.

Date: ..11...-..06..-2020(1100hrs)

To, Paramveer Singh
~~Shri Sanjay Barve IPS~~
Commissioner Of Police, M.P
Crawford Market, CST Mumbai-400001

(शाखा २) नोंदणी शाखा
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय
11/6/2020

Sub: Complaint against non-stop false and serious cases being registered against us by the BKC Police Station as we are activist and social workers as was done 23-05-2020 vide two false cases against us. Failure to register FIR against the serious brutal assault on my brothers, sister and my son and others despite having given evidence of the same.

Re: False FIR No. 176 & 180/2020 at BKC Police Station.

Sir,

I am the social and RTI Activist and have to state as under:

1) We the Manihar family are regularly targeted by way of false cases registered by the BKC Police Station due to our legal battle with them.

2) Every time our counter case is never registered as per the serious incidents but under diluted sections of the IPC.

3) These above two false cases are being registered under serious IPC Sections despite having produced the evidence of CCTV footage of otherwise but still false cases are registered against us.

4) **The senior officials of the Rank of ACP(KD), DCP(Z-8) and Addl.C.P (WR) are least bothered to correct the same or take action on the concerned delinquent police officials of BKC Police Station.**

5) **Our serious case is not being registered against the accused who have given false FIR against my family despite the wife of the victim on hunger strike outside the BKC Police Station.**

6) I am requesting your goodself for detailed inquiry against the present two false cases registered against the Family and directions for registering the FIR against the accused for the serious incident of 23-05-2020 and I should be called for my statement by way of call letter, to meet the ends to justice and equity. **Note: We fear for our lives as they may get us killed in retaliation in some seen or unseen manner,**

Thanking you, in anticipation!

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

Scanned with CamScanner

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat
Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51.

Date: 11-06-2020(1100hrs)

To,

Shri Subodh Jaiswal, IPS
DGP, Maharashtra Police
Kala Ghoda Mumbai-400032

Sub: Complaint against non-stop false and serious cases being registered against us by the BKC Police Station as we are activist and social workers as was done 23-05-2020 vide two false cases against us. Failure to register FIR against the serious brutal assault on my brothers, sister and my son and others despite having given evidence of the same.

Re: False FIR No. 176 & 180/2020 at BKC Police Station.

Sir,

I am the social and RTI Activist and have to state as under:

1) We the Manihar family are regularly targeted by way of false cases registered by the BKC Police Station due to our legal battle with them.

2) Every time our counter case is never registered as per the serious incidents but under diluted sections of the IPC.

3) These above two false cases are being registered under serious IPC Sections despite having produced the evidence of CCTV footage of otherwise but still false cases are registered against us.

4) **The senior officials of the Rank of ACP(KD), DCP(Z-8) and Addl.C.P (WR) are least bothered to correct the same or take action on the concerned delinquent police officials of BKC Police Station.**

5) **Our serious case is not being registered against the accused who have given false FIR against my family despite the wife of the victim on hunger strike outside the BKC Police Station.**

6) I am requesting your goodself for detailed inquiry against the present two false cases registered against the Family and directions for registering the FIR against the accused for the serious incident of 23-05-2020 and I should be called for my statement by way of call letter, to meet the ends to justice and equity. **Note: We fear for our lives as they may get us killed in retaliation in some seen or unseen manner,**

Thanking you, in anticipation!

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

निरीक्षक
पोलीस महासंचालक कार्यालय,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ०१
11/06/20

Scanned with CamScanner

2

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

DCP zone

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat
Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51.
Date: 11-06-2020(1100hrs)

To,
Shri Subodh Jaiswal, IPS
DGP, Maharashtra Police
Kulaba Ghoda Mumbai-400032

Sub: Complaint against non-stop false and serious cases being registered against us by the BKC Police Station as we are activist and social workers as was done 23-05-2020 vide two false cases against us. Failure to register FIR against the serious brutal assault on my brothers, sister and my son and others despite having given evidence of the same.

Re: False FIR No. 176 & 180/2020 at BKC Police Station.

Sir,

I am the social and RTI Activist and have to state as under:

1) We the Manihar family are regularly targeted by way of false cases registered by the BKC Police Station due to our legal battle with them.

2) Every time our counter case is never registered as per the serious incidents but under diluted sections of the IPC.

3) These above two false cases are being registered under serious IPC Sections despite having produced the evidence of CCTV footage of otherwise but still false cases are registered against us.

4) **The senior officials of the Rank of ACP(KD), DCP(Z-8) and Addl.C.P (WR) are least bothered to correct the same or take action on the concerned delinquent police officials of BKC Police Station.**

5) **Our serious case is not being registered against the accused who have given false FIR against my family despite the wife of the victim on hunger strike outside the BKC Police Station.**

6) I am requesting your goodself for detailed inquiry against the present two false cases registered against the Family and directions for registering the FIR against the accused for the serious incident of 23-05-2020 and I should be called for my statement by way of call letter, to meet the ends to justice and equity. **Note: We fear for our lives as they may get us killed in retaliation in some seen or unseen manner,**

Thanking you, in anticipation

Yours faithfully

(Nasir H.S.Manihar)

Scanned with CamScanner

NOTICE

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: 16-06-2020(1100hrs)

To,

Shri Manjunath Singe, IPS
DCP-8, BKC,
Bandra (E) Mumbai-400051

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. No. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

16/06/20
पोलीस उप आयुक्त
परिमंडळ-८, मुंबई
यांचेकरीता

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir Manihar)

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory
U Tube news clipping. {CD of alleged news}.

Scanned with CamScanner

NOTICE

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: ..16..-06-2020(1100hrs)

To,

SHRI. MANOJ KUMAR SHARMA
ADDL. COMM. OF POLICE (WESTERN REGION)
CARTER ROAD, BANDRA (W) Mumbai-400050

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. NO. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir Manihar)

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory U Tube news clipping. {CD of alleged news}.

Received 18/06/2020
West Region, Bandra (W)
Mumbai

Scanned with CamScanner

NOTICE

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: 17-06-2020(1100hrs)

To,

Shri Parambir Singh IPS
Commissioner Of Police, M. P. HQ
Crawford Market, CST Mumbai-400001

17/6/2020.
(कक्ष २) नोंदणी शाखा
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. No. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir Manihar)

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory U Tube news clipping. {CD of alleged news}.

Scanned with CamScanner

NOTICE

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: 17-06-2020(1100hrs)

To,

Shri Subodh Jaiswal, IPS
D.G.P., Maharashtra Police HQ.
Kala Ghoda, Mumbai-400032

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. No. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir Manihar)

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory U Tube news clipping. {CD of alleged news}.

17/06/2020
Clerk
D.G.P. Office
Mumbai

Scanned with CamScanner

NOTICE

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: 16-06-2020(1100hrs)

To,

Shri Ahmad Mulla (Sr.P.I.)
BKC Police Station, BKC
Bandra (E) Mumbai-4000.5.1

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. No. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

Thanking you,

Yours faithfully

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory U Tube news clipping. (CD of alleged news).

पत्र स्विकारले
17/6/2020 19.25
आवक नं 3733
ठाणे अंमलदार/लेखनिक
बी.के.सी. पोलीस ठाणे मुंबई.

(Nasir Manihar)

Scanned with CamScanner

By hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL (SOS)

NOTICE

Mr. Nasir Hussain Sadruddin Manihar,
Room No.84, Chawl No.52, Bharat Nagar,
BKC, Bandra (e), Mumbai-400051.

Date: 16-06-2020(1100hrs)

To,

Smt. Arpan Singh Sharma
Asst. Commissioner of Police (KP).
BKC, Bandra (E) Mumbai-400051

Sub: Complaint against the fake and false viral news dated 26-05-2020 about the Manihar Family in the U Tube Channel named "Mumbai Police Ko Salam" which is the mouth piece of the Mumbai Police especially the BKC Police Station.

Re: The serious incident dated 23 & 24 of May, 2020, while fake and false defamatory news is spread against my family and friends. CR. No. 180/2020.

Sir,

I am one of the married son of Manihar family and have to state as under:

1) I and my family members and friend besides relatives were shocked and left speechless when we heard about the news being uploaded against our family and friends and were informed about this fake and false news being spread in the social media by the news channel named "Mumbai Police Ko Salam".

2) This social media news is highly defamatory and besides being false and fake as we are being branded as NPDS dealers and besides being tagged with Don "Dawood Ibrahim" family and branded as criminals in the eyes of the public, friends and relatives despite the facts being otherwise, as we have hardcore evidence to show the same.

3) I am providing the news report which is till today available on the website of the U Tube Platform and which is causing my family and relatives mental agony, harassment and depression besides being defamed in the eyes of the public, friends and relatives.

4) I am requesting for immediate strict action against the social media news channel and those who said wrongs things against us in the alleged news reports, as per the due process of law and immediate suspension of the news channel fake and false highly defamatory news, to meet the ends of justice and equity. I will be seeking criminal and civil remedy in law against this serious illegalities. I have annexed the copy of the fake and false news for kind perusal and immediate action. I am ready to clarify any doubts and bring on record any documents as and when required!

Yours faithfully

Thanking you,

(Nasir Manihar)

Encl: Copy of the false, fake and highly defamatory U Tube news clipping. {CD of alleged news}.

पत्र मिळाले
Bhaidas
17/06/2020
वारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, वांद्रे मुं.

Scanned with CamScanner

हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामने अनशन पर बैठने की सूचना देने बाबत्

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Tue, 16 Jun 2020 at 11:00 pm

To: dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, ig.lo@mahapolice.gov.in, lo.dgpoffice@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.mra.mum@mahapolice.gov.in, ps.azadmaidan.mum@mahapolice.gov.in

अर्जीदार: श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी. पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई 400051) मोबाइल नंबर. 9137921207. पति बदरुद्दीन मनिहार 32 वर्ष बच्ची उनेजा बदरुद्दीन मनिहार (2.6 वर्ष) अनाया बदरुद्दीन मनिहार (1.6 वर्ष) के साथ रहती हूँ।

सेवा में: 1. श्री। मनोज कुमार शर्मा. माननीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त। पश्चिम क्षेत्र

2. श्री मंजुनाथ सिंघे। माननीय पुलिस उपायुक्त। जोन 8 बी.के.सी. बांद्रा (पू.), मुंबई 400051.

3. श्री आनंद मोले . माननीय वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाने बांद्रा (पू.), मुंबई 400051.

संदर्भ : 1. मा. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाने को दिया गया आवेदन पत्र दि: 02/06/2020.

2. दि: 05/06/2020। रोजी से दि: 11/06/2020। रोजी तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन. धरना , आंदोलन...

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ अनुसार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ की उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ जानलेवा हमले के साबित तकनीकी सबूत देने के बावजूद फर्जी F.I.R. किये जाने व तकनीकी सबूत को नष्ट करने के लिये घर में घुसकर महिला, नाबालिग लड़की सहित रेहान को तेजधार चाकू से वॉर और बेरहमी से अधमरा होने तक मार-पीट कर DVR लूटकर ले जाने के मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करें। और पीड़ितों को न्याय दिलाएं.

अन्यथा: इस गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी परिस्थितियां नहीं है. इसलिए मैं न्याय की आशा के आधार पर दिनांक 18/06/2020। रोजी से आदरणीय पुलिस आयुक्त मुंबई, मुख्यालय के सामने अनशन, धरना , आंदोलन , पर बैठूंगी. इस मामले में हमारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समय का जो भी नुकसान हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित आरोपियों के साथ सम्बंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ प्रशासन की होगी कृपया दर्ज करें

धन्यवाद

आपकी सेवा में **: श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार.**

संलग्न दस्तावेज :

IN THE COURT OF SESSIONS FOR GR.BOMBAY AT MUMBAI

ANTICIPATORY BAIL APPLICATION NO.645 OF 2020

1. Badruddin Sadruddin Manihar
2. Ramzan Sadruddin Manihar
3. Talib Nasir Hussain Manihar
4. Zakir Hussain Sadruddin Manihar
5. Asif Haroon Ansari **...Applicants/Accused**

V/s.

The State (at the instance of
BKC Police Station,
C.R.No.180/2020) **...Respondent**

Appearances:
Ld. Adv. Mr.Solkar for the applicants/accused
Ld.A.P.P. Mr. D.M. Lade for the State.

CORAM : HIS HONOUR ADDL.SESSIONS JUDGE SHRI ABHIJEET A. NANDGAONKAR (C.R.No.30)
DATED : 17th June,2020

ORDER

This is an anticipatory bail application under Section 438 of Cr.P.C. filed by the applicants to release them on pre-arrest bail in the offence registered vide C.R.No.180/2020 by BKC Police Station for the offence punishable under Sections 307,324,504,143,148,149 of IPC.

2. Say of the learned A.P.P was called. I.O. through learned A.P.P filed reply and opposed the application on the grounds that, series of offence have been registered against the applicants and DVR was missing due to act of the applicants/accused. Hence, they opposed the application.

3. Heard both the sides. Perused the record and submissions.

4. After hearing both the sides it appears that each of the applicants herein is having criminal antecedent. Whatever may be the fact, the alleged incident took place on 23.05.2020 at about 07.00 p.m. in respect of inquiry about the complaint made by the informant, the applicants have gathered together with weapon like iron rod and stick. The applicants allegedly assaulted the informant. Therefore, offence has been registered with BKC Police Station for the offence punishable under Sections 307,324,504,143,148,149 of IPC vide C.R.No.180/2020.

5. As per the case of prosecution by means of iron rod and stick the applicants/accused threatened the informant about dire consequences. The applicant No.1 Baddrudin injured the informant on his head by rod causing bleeding injury to him. Therefore, he was taken in the hospital. Therefore, considering the nature of offence and previous enmity between the accused and informant, which have taken place due to inquiry about morning incident in the evening resulted in the alleged incident.

6. The learned Advocate Mr.Solkar has submitted that though offence is registered against the applicants/accused, however, the informant and other have also assaulted the applicants/accused. But no cognizance was taken. Therefore, considering the nature of offence the applicants are ready to cooperate the police by attending the police station and also ready to abide any terms and conditions imposed by this Court.

7. The alleged incident took place on 23.05.2020 amidst of lockdown. At that time prohibitory order was issued by the District Magistrate. As per submissions of I.O. one of the accused Mohd. Hussain Ismail Ansari was arrested on 25.05.2020 and at his instance weapon of offence came to be seized. Therefore, further custody of the present applicant will not suffice any purpose. As per submissions of I.O DVR is yet to be seized. However, for that purpose applicants can be directed to cooperate the investigation by directing them to attend the police station for investigation.

8. Now, it is not disputed that more than 19 crimes have been registered against the accused, which is none else than threatening and preventing public servant form discharging their public duty. It cannot be said that they may create bar to the applicant/accused to seek protection in this offence. The offence seems to have registered against each other but the nature of injury cannot be said to be fatal one though having on head. On the other hand the applicant itself had lodged the complaint registered at C.R.No.177/2020 against the opponents. In which also there was assault by means of bamboo stick.

9. In such circumstances, considering the nature of offence against the applicants/accused though required detail investigation but presence of the applicants/accused is sufficient enough for the investigation agency to go forward for which no custodial interrogation of the applicant is required. Therefore, applicants/accused if directed to appear before the concerned I.O. with certain conditions will suffice the purpose of investigation for which the prosecution has opposing the application. Hence, the following order :-

ORDER

1. A.B.A.No.645 of 2020 is allowed.
2. In the event of arrest in C.R.No.180/2020 registered with BKC Police Station Applicant No.1. Badruddin Sadruddin Manihar, No.2. Ramzan Sadruddin Manihar, No.3. Talib Nasir Hussain Manihar, No.4. Zakir Hussain Sadruddin Manihar and No.5. Asif Haroon Ansari be enlarged on bail on executing their PB and SB of Rs.25,000/- each.
3. The applicants shall report to the concerned police station on every Wednesday and Friday from 10.00 a.m. to 12.00 noon till filing of charge sheet.
4. The applicants shall not tamper with the evidence or attempt to influence or contact the complainant, witnesses or any person concerned with the case.
5. The applicants shall inform their latest place of residence and mobile contact number immediately after being released and/or change of residence or mobile details, if any, from time to time to the Investigation Officer of the concerned Police Station.
6. The applicants shall not leave jurisdiction of this Court without prior permission.
7. Authenticated copy of this order be supplied to both the sides.

(ABHIJEET A. NANDGAONKAR)
Additional Sessions Judge (C.R.No.30)
Gr.Bombay at Mumbai.

Dt.: 17/06/2020

Dictated on & Signed on : 17.06.2020
kps/-

“CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL SIGNED JUDGMENT/ORDER”	
17.06.2020 at **04.05** p.m. UPLOAD DATE AND TIME	(KISHOR PRAKASH SHERWADE) NAME OF STENOGRAPHER

Name of the Judge	HHJ SHRI A.A. NANDGAONKAR (COURT ROOM NO.30)
Date of pronouncement of judgment/order	**17.06.2020**
Judgment/order signed by P.O. on	**17.06.2020**
Judgment/order uploaded on	**17.06.2020**

बी.के.सी. पोलीस ठाणे

B.K.C. Police Station

Bandra-Kurla Complex Road, Opp. I.C.I.C.I. Bank, Bandra (E), Mumbai-51.
Phone No.: 022-26504483,Fax No. 022-26504481, 26504482
E-mail : ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

दिनांक. १७/०६/२०२०

जा.क्र.3045...../वपोनि/बीकेसी/२०२०

प्रति,

मा. ३० वे सत्र न्यायालय,
बृहमुबंई.

विषय- पाहीजे आरोपी बद्रुद्दीन सद्रुद्दीन मणियार व इतर यांचा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याबाबतचा अहवाल.

रांदर्भ-१)गु.र.क्र. १८०/२०२०, कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९भा.दं.वि.
२) अटकपुर्व जामीन अर्ज क्र ६४५/२०२०.

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरुन बीकेसी पोलीस ठाणे कडून अहवाल सादर करण्यात येतो की, अर्जदार पाहीजे आरोपी बद्रुद्दीन सद्रुद्दीन मणियार व इतर यांनी सदर्भीत गुन्हयामध्ये अटकपुर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज सादर केलेले असून त्यांचे नमुद अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यासाठी खालीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यात येत आहे.

गुन्हयाची थोडक्यात हकिकत:-यातील फिर्यादींचा खाली नमूद प्रमाणे सविस्तर जबाब नोंद केला असून तो असा आहे की, दि.२३/५/२०२० रोजी सकाळी ०७.०० चे सुमारास चाळ क्र. ५२ भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई ५१, या ठिकाणी रमजान मणियार याने फिर्यादींना व त्यांचा भाउ नामे सलीम यांना डोक्यात रॉड ने मारुन दुखापत केली तसेच बद्रुद्दीन मणियार याने फिर्यादींचे भावाचा मुलगा मुरसलिम तसेच मेहुणा हनिफ सय्यद व आई यांना हाताने मारहाण करून दु:खापत केली तसेच शिवीगाळ करून बघुन घेण्याची धमकी दिली होती. सदर बाबत फिर्यादींचा भाउ सलीम याने बीकेसी पोलीस ठाणेस सविस्तर तक्रार दिली असून त्यावरून बीकेसी पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

त्यानंतर दि. २३/५/२० रोजी १९.३० वा.चे दरम्यान फिर्यादी व त्यांचे नातेवाईक उपवास सोडून त्यांचे राहते घराचे बाहेर बसले असता, मुरसलिम याच्या लग्नाची बोलणी करण्याकरीता मुलीच्या वडीलांनी जावेद यांना त्यांच्या घरी बोलवून घेतले असता फिर्यादी व त्यांचा भाउ नामे सलिम व नातेवाईक त्यांचे घरी चाळ क्र. ५२, भारतनगर बांद्रा पूर्व मुंबई या ठिकाणी गेले. फिर्यादींचे सर्व नातेवाईक घरात बसले व फिर्यादी व त्यांचा पुतण्या नामे अश्मान असे काही कामाकरीता घराचे बाहेर आले असता, अचानकपणे बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम त्यांचे समोर आले. त्यातील बद्रुद्दीन मणियार याचे हातात लोखंडी रॉड होता, तसेच रमजान व तालिब याचे हातात पाईप होता, तसेच हुसेन व आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हातातही काठी व बांबू होते. सदरचे सर्व इसम फिर्यादींचे राहते परीसरातील असल्याने ते त्यांस ओळखतात. सदरवेळी बद्रुद्दीन मणियार हा ओरडू लागला की, 'शाकीर तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करु लागला व त्याचे हातातील रॉड ने फिर्यादींचे डोक्यात मारले. सदर त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. बद्रुद्दीने याने डोक्यात रॉडने मारल्यामुळे फिर्यादींचे डोक्यातून रक्त येउ लागले. तसेच त्यांनी आरडा-ओरडा केली असता फिर्यादींचे इतर भाउ व नातेवाईक घराचे बाहेर आले व त्यांनी फिर्यादींना सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता, फिर्यादींचा भाउ नामे सलिम व इतर नातेवाईकांस देखिल सदर जमावाने त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली.

Scanned with CamScanner

त्यानंतर सदर ठिकाणी जमलेल्या लोकांनी सदर जमावाच्या तावडीतून फिर्यादीची व त्यांचे नातेवाईकांची सुटका केली. फिर्यादींना दुखापत झाली असल्याने ते प्रथम पोलीस ठाणेस तक्रार देण्याकरीता गेले. परंतु फिर्यादींचे नातेवाईकांनी फिर्यादींना प्रथम औषधोपचार करणेकरीता भाभा रुग्णालया येथे जाण्यास सांगितले. त्यानुसार ते भाभा रुग्णालय येथे जाउन औषधोपचार घेउन तक्रार देण्याकरीता सदरवेळेस पोलीस ठाणेस आले.

तरी दि. २३/५/२०२० रोजी १९.३० वा.चे सुमारास बद्रुद्दीन मणियार व रमजान मणियार यांचे विरोधात पोलीसांत तक्रार दिल्याचा राग मनात ठेवून बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम यांनी एकत्रितपणे वर नमूद ठिकाणी अचानकपणे येउन 'शाकीर तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून लोखंडी रॉड ने डोक्यात मारुन फिर्यादींना दुखापत केली, तसेच त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते व त्यांनी फिर्यादींचा भाउ सलिम व इतर नातेवाईकांस त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली, व शिवीगाळ केली म्हणून नमूद आरोपीविरोधात वरील प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

तपास- सदर गुन्ह्याच्या तपासात, सदर गुन्हयातील फिर्यादी श्री शारीक अजिजुद्दीन अन्सारी यांना डोक्याला पुर्वी जखम झाली असताना पुन्हा डोक्याला मोठी जखम झाली असल्याबाबतचा भाभा हॉस्पीटल येथील डाक्टरांनी दिलेला अहवाल गुन्हयाच्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेला आहे.तसेच फिर्यादी यांचे रक्ताचे नमुने घेउन पुढील चाचणीकरीता मा. संचालक,न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र शासन, कालिना,सांताक्रूझ (पू), मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहेत.

आरोपी नामे मोहम्मद हुसैन ईस्माईल अन्सारी याला दि. २५/०५/२०२० रोजी अटक करण्यात आली असून आरोपी पोलीस कोठडीत असताना त्याचे, बद्रुद्दीन मणियार व इतर साधीदारांनी गुन्हयात वापरलेले हत्यार तसेच इतर आरोपींबाबत चौकशी केली असता त्याने गुन्हयात फिर्यादी व साक्षीदार यांना जखमी करण्यास वापरलेलया हत्याराबाबत आपखुशीने निवदेन करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने दोन लायक पंचासमक्ष त्याचे निवेदन नोंद करून त्याने निवेदन पंचनाम्याअंतर्गत लपवुन ठेवलेले लोंखडी पाईप, लोखंडी रॉड, व बांबु दोन पंचा समक्ष काढुन दिल्याने ते पंचनाम्याअतर्गत ताब्यात घेण्यात आलेले असून वैज्ञानीक पुरावे मिळविण्याच्या दृष्टीने मा. संचालक, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र शासन, कालिना,सांताक्रूझ (पू), मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहेत.

नमुद गुन्हयातील पाहीजे आरोपी बद्रदुद्दीन सदरुद्दीन मणिहार व त्यांचे कुटुंबाविरुध्द दाखल गुन्हे.

बद्रदुद्दीन सदरुद्दीन मणिहार याचे विरुध्द् दाखल गुन्हे

१) गु.र.क्र.१७८/९८, कलम ३२३,३२४,५०४ भादवि खेरवाडी पोलीस ठाणे
२) गु.र.क.१४४/०९ कलम ३०२,३४ भा.द.वि
३) गु.र.क्र.१६२/१४, कलम ३३२,३५३,५०४,५०६,३४ भादवि
४) गु.र.क्र.१३५/१५, कलम ३२४ भादवि
५) अ.द.गु.र.क्र.८८१/१०, कलम ३२३,५०४ भादवि
६) अ.द.गु.क. ८८४/१०, कलम ३२३,५०४,५०६ भादवि
७) अ.द.गु.र.क्र.१७०/१४, कलम ५०४,५०६ भा.दवि
८) अ.द.गु.र.क्र.३८५/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि
९) अ.द.गु.र.क्र.५१२/१५, कलम ५०४,३२३ भादवि
१०) अ.द.गु.र.क्र.५६५/१५, कलम ५०६ भादवि
११) अ.द.गु.र.क्र.६५१/१५ कलम ४२७ भा.द.वि.
१२) गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, ३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भादंवि

Scanned with CamScanner

१३) गु.र.क.२७९/१६ कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
१४) २५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
१५) २५५/१९ कलम ३२३, ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. खेरवाडी पोलीस ठाणे
१६) ६९/२० कलम ४२०,४०६,३४ भादवी.
१७) १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवी
१८) गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

नासिर हुसेन सद्रुद्दीन मनियार याचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

१) गु.र.क्र.१४४/०९ कलम ३०२,३४ भा.द.वि.
२) खेरवाडी पो.ठाणे गु.र.क्र.१०९/२००२ कलम-३२४,३४ भा.द.वि.
३) बी.के.सी.पो.ठाणे अ.द.गु.र.क्र.८७९/१५ कलम-५०४, ५०६ भा.द.वि.
४) बी.के.सी.पो.ठाणे कलम १५१(३) फौ.द.प्र.सं. अन्वये कारवाई
५) गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१,१४२,१४३,१४४,१४५, १४६, १४७, १४८, ३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भादं
६) गु.र.क.२७९/१६,कलम-३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
७)गु.र.क.१६२/१४,कलम ३५३,३३२,५०४,५०६,३४ भा.द.वि.
८) २५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
९) २५५/१९ कलम ३२३, ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. खेरवाडी पोलीस ठाणे
१०) गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

रमझान सदरूद्दीन मणिहार याचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

१) गु.र.क.१६२/१४, कलम ३३२,३५३,५०४,५०६,३४ भादवि
२) गु.र.क.१३६/१५, कलम ३२३,३५४,५०४,३४ भादवि
३) अ.द.गु.र.क.३४२/१०, कलम ३२३,५०४ भादवि
४) अ.द.गु.र.क.१७०/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि
५) अ.द.गु.र.क.१७४/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि
६) गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८, ३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि
७) २५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
८) २५५/१९ कलम ३२३, ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. खेरवाडी पोलीस ठाणे
९) १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवी
१०) गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

झाकीर हुसेन सदरूद्दीन मणियार, ३६ वर्षे याचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

१) गु.र.क.१६२/१४, कलम ३५३,३३२,५०४,५०६,३४ भा.द.वि.
२) गु.र.क.२७९/१६, कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
३) गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६, १४७, १४८, ३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भा
०४) गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

श्रीमती अविदा झाकिर हुसेन मनियार हीचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

१) बी.के.सी पो.ठाणे गु.र.क्र.१४४/०९ कलम-३०२,३४ भा.द.वि.
२) गु.र.क.२७९/१६, कलम-३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
३) गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भादंवि

श्रीमती हीना कौसर मनियार हीचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, ३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भा

श्रीमती रूखसाना हन्नार मनियार हीचे विरूध्द् दाखल गुन्हे

गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१, १४२, १४३, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, ३३२, ३३३, ३५३, १२०(ब) भा

Scanned with CamScanner

श्रीमती बशिराबी नासीर हुसेन मनीहार हीचे विरुध्द दाखल गुन्हे

गु.र.क्र.२७९/१६, कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.

सदर गुन्हयाच्या तपासादरम्यान फिर्यादी यांचा दि. ३१/०५/२०२० रोजी पुरवणी जबाब नोंद केला असुन, त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, दि. २३/०५/२०२० रोजी १९.३० वाजता त्यांचा पुतण्या मुरसलीम याच्या लग्नाच्या बोलणीकरीता मुलीचे वडील नामे महेमुद (जुनियर) यांच्या घरी ते सगळे नातेवाईक गेले होते. घरात बसण्यासाठी जागा नसल्याने कामाचे निमित्त करुन फिर्यादी व त्यांचा पुतण्या अश्मान असे बाहेर गेले असता अचानकपणे बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ, नासीर मणियार, रिहान चुहा, मोहसिन डालडा तसेच झाकीर व इतर काही इसम व महीला माझे समोर आले. त्यातील बद्रुद्दीन मणियार याचे हातात हिरव्या रंगाचा लोखंडी रॉड होता, तसेच नासीर मणिहार, झाकीर मणिहार, हुसेन रिहान चुहा व तसेच रमजान व तालिब याचे हातात लोखंडी पाईप होता, तसेच आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हाततही काठी व बांबू होते. सदरचे सर्व इसम माझे राहते परीसरातील असल्याने मी त्यांस ओळखतो. सदरवेळी बद्रुद्दीन मणियार हा ओरडू लागला की, 'शारीक तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करु लागला व त्याचे हातातील रॉड ने माझे डोक्यात मारले. सदर त्याचे इतर सहकारी ही ' मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. बद्रुद्दीने याने माझे डोक्यात रॉडने मारल्यामुळे माझे डोक्यातून रक्त येउ लागले. डोक्यावर सकाळी मारहाणीत झालेल्या जखमेमुळे डेसिंग पटटी केलेली असताना देखील जिव घेण्याच्या उद्देशाने पुन्हा डोक्यावरच लोखंडी रॉडने मारल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रक्तस्त्राव सुरु झाला तरी देखील रमजान मणियार व तालिब यांनी लोखंडी पाईपने तसेच हुसेन, आसिफ, झाकीर मणियार यांच्यासह नासीर मणियार व रिहान चुहा यांनी देखील त्यांच्या हातातील बांबुने मारहाण केली त्यावेळी मोहसिन डालडा हा देखिल लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करीत होता. असे फिर्यादीने त्यांच्या पुरवणी जबाबात सांगितल्याने नासीर मणियार, रिहान चुहा व मोहसिन डालडा यांची नावे पाहीजे आरोपीतांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेली आहेत.

तसेच नमुद गुन्हयाच्या तपासादरम्यान काही डोळस साक्षीदारांचे जबाब नोंद करण्यात आले असून त्यांनी त्यांच्या जबाबात असे नमुद केले आहे की, सदरच्या घटनेमुळे फिर्यादीच्या डोक्याला मोठी जखम झाल्याने त्यातुन मोठया प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असल्याने फिर्यादीच्या नातेवाईकांनी फिर्यादीस घेउन प्रथम ते पोलीस ठाणे येथे व नंतर तेथून भाभा हॉस्पीटलमध्ये गेले होते असे जबाबात सांगितले आहे. तसेच काही डोळस साक्षीदारांच्या जबाबात आरोपी हे सदरच्या घडनेनंतर त्यांच्या घराकडे गेले होते असे सांगितले आहे. अर्जदार आरोपी बद्रुद्दीन सदरुद्दीन मणिहार व इतर यांची गुन्हेगारी पार्शभुमी पाहील्यास अर्जदार आरोपींना जामिन झाल्यास ते साक्षिदारांवर दबाव आणतील व त्यामुळे गुन्हयाच्या तपासावर विपरीत परिणाम होईल व आणखी डोळस साक्षीदार मिळणे दुरापस्त होईल.

यातील अर्जदार पाहिजे आरोपीतांचा गुन्हयातील सहभाग स्पष्ट झालेला असून, अधिक पुरावा मिळविण्याच्या दृष्टीने पुढील तपास करण्यासाठी खालील कारणास्तव आरोपींचा अटकपुर्व जामिन अर्ज फेटाळण्याची मा. न्यायालयास विनंती आहे.

१. सदर गुन्हयातील पाहिजे अर्जदार आरोपीतांनी पुर्वतयारीने दंगल करुन फिर्यादीला गुन्हयाच्या दिवशी सकाळीच डोक्याला मार लागलेला असतांना देखील जीवघेण्याच्या इरादयाने पुन्हा डोक्यालाच गंभीर दुखापत केलेली आहे. सदरचा गुन्हा हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा असुन अधिक पुरावे मिळविण्याच्या दृष्टीने पुढील तपास चालू आहे.

2. गुन्हयाच्या घटनास्थळावर आरोपीतांमार्फत अवैध सीसीटीव्ही बसविण्यात आलेले असून त्याचा DVR आरोपीतांच्या घरी असतो. सदर सी.सी.टि.व्ही फुटेजमध्ये गुन्हा घडला त्यादिवशीच्या घटनेचे संपूर्ण चित्रण जतन झालेले असून त्यात गुन्हयाची पुर्वतयारी व प्रत्यक्ष गुन्हा घडला याबाबतचे पुरावे असल्याने पाहीजे आरोपीतांनी जाणिवपूर्वक सदरचा DVR स्वत: लंपास केला जेणेकरून सी.सी.टि.व्ही फुटेजसारखा महत्वाचा पुरावा पोलीसांच्या हाती लागणार नाही. तरी सदरचा डिव्हीआर गुन्हयाच्या पुराव्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्वाचा असल्याने तो हस्तगत करण्यासाठी पाहीजे आरोपीतांची पोलीस कोठडी अत्यंत आवश्यक आहे.

Scanned with CamScanner

३. नमूद गून्हयातील आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये शरिराविरूध्दच्या गुन्हयांची मोठया प्रमाणात नोंद असल्याने संपूर्ण परिसरात पाहीजे आरोपीतांची दहशत आहे त्यामुळे को‍ साक्षीदार स्वतःहुन पुढे येत नाहीत. तरीही अधिक डोळस साक्षीदार मिळविण्याच्या दृष्टीने तपास चालु आहे अशा परिस्थितीत पाहिजे अर्जदार आरोपींना जामीन झाल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची दाट शक्यता असून नविन साक्षिदार मिळविणे दूरापास्त होईल त्यामुळे गुन्हयाच्या तपासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे.

४. यातील आरोपीतांविरूध्द पोलीस ठाण्यास कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यास यातील आरोपी हे जाणिवपूर्वक गुन्हयातील फिर्यादी तसेच साक्षीदारांविरुध्द परस्परविरोधी गुन्हा दाखल करण्याकरीता जाणीवपुर्वक स्वतःला दुखापत करुन घेतात कींवा गुन्हा दाखल करण्यासाठी घरातील महीलांचा उपयोग करीत असतात म्हणून त्यांच्याविरूध्द कोणीही साक्ष देण्यास पुढे येत नाही.

५. दि.२३/०५/२०२० रोजी घडलेल्या गुन्हयानंतर बरोबर ११ दिवस उशीराने विचारांती (**After Thoughts**) यातील आरोपीतांकडून यातील फिर्यादीवर तसेच इतर साक्षिदारांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी दि. ०२/०६/२०२० रोजी तक्रार अर्ज पोलीस ठाण्यास दाखल केलेला आहे. सदरचा तक्रार अर्ज मा.वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्हास चौकशीकामी वर्ग करण्यात आलेला आहे. सदर अर्जाच्या चौकशी दरम्यान अर्जदार महीलेचा तसेच गैरअर्जदारांचा जबाब नोंद करण्यात आलेला असताना देखील अर्जदार महिलेकडून आमच्यावर खोटे आरोप करुन त्याबाबतचे ई मेल बृहन्मुंबई हद्दीतील विविध प्राधिकरणांना पाठवून तसेच पत्रकार, सोशल मिडीया, इलेक्टॉनिक मिडिया या माध्यमांचा वापर करून जाणिवपूर्वक तपासी अधिका-यावर दबाव आणून तपासाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच सदर अर्जावर कारवाई व्हावी या उददेशाने यातील अर्जदार आरोपीताची पत्नी दि. ०५/०६/२०२० पासून पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या मांडून बसल्याने त्या अप्रत्यक्षपणे पोलीसांवर दबाव आणून तपासापासून लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

६. सदर गुन्हयातील अर्जदार पाहीजे आरोपीतांना अंतरीम/जामीन मंजुर झाल्यास त्यांच्याकडून पोलीसांवर/तपासी अधिका-यावर, साक्षीदार, फिर्यादी यांच्यावर कोणत्याही पातळीचे खोटे आरोप करुन विविध प्रकारचे चौकशी अर्ज वेगवेगळया प्राधिकारणांना पाठवून त्यांच्यामागे चौकशीचा सेसमिरा लावून त्यांचे मनोबल खच्चीकरण करुन तपासाची दिशाभुल करण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी देखील अर्जदार आरोपीतांकडून याप्रकारची आगळीक जाणिवपूर्वक वारंवार करण्यात आलेली आहे(Modus operandi)

७. सदर गुन्हयाचा तपास महत्वाच्या टप्प्यात असुन पाहिजे आरोपींना अटक करून त्यांच्याकडून गुन्हयातील वापरलेले इतर हत्यार तसेच DVR हस्तगत करणे बाकी आहे. सदर परिसरात नमुद गुन्हयामुळे तणावाचे वातावरण असुन अशा परिसस्थीतीत अर्जदार आरोपींना जामिन झाल्यास ते साक्षिदारांवर दबाब आणतील व त्यामुळे गुन्हयाच्या तपासावर विपरीत परिणाम होउन कायदा व सूव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

८. सदर गुन्हयातील अर्जदार आरोपीतांविरोधात मोठया प्रमाणात गुन्हे दाखल आहेत त्यामुळे ते निर्ढावलेले असल्याकारणाने त्यांना मा. न्यायालयापुढे शरणागती पत्करण्याबाबत आदेश होण्यास विनंती आहे.

उपरोक्त सर्व कारणास्तव अर्जदार आरोपींचा अटकपुर्व जामिन अर्ज फेटाळण्यास मा. न्यायालयास नम्र विनंती आहे.

आपला विश्वासू,

Shinde 17/06/2020

(कन्हैयालाल शिंदे)
तपास अधिकारी/ पोलिस निरिक्षक,
बी.के.सी. पोलिस ठाणे मुंबई

Scanned with CamScanner

हमलावरों द्वारा तकनीकी सबूत नष्ट करने के लिये DVR लूटने व घायल करने के मामले में बी.के.सी. पुलिस थाने द्वारा FIR ना किये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के सामने अनशन, धरना , आंदोलन ,जारी करने की सूचना देने बाबत्

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Sat, 20 Jun 2020 at 3:23 pm
To: dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

अर्जीदार: श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार.

पता: रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई 400051) मोबाइल नंबर. 8169932031.

सेवा में: श्री। परम बीर सिंह आदरणीय पुलिस आयुक्त मुंबई.

संदर्भ : 1. मा. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाने को दिया गया आवेदन पत्र दि: 02/06/2020.

दि: 05/06/2020। रोजी से दि: 11/06/2020। रोजी तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन, धरना ,

दिनांक 18/06/2020। रोजी से पुलिस आयुक्त मुंबई, मुख्यालय के सामने अनशन, धरना , आंदोलन ,

-

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ अनुसार मैं आपको सूचित करना याद दिलाना चाहती हूं कि उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ जानलेवा हमले के साबित तकनीकी सबूत देने के बावजूद फर्जी F.I.R. किये जाने व तकनीकी सबूत को नष्ट करने के लिये घर में घुसकर महिला, नाबालिग लड़की सहित रेहान को तेजधार चाकू से वॉर और बेरहमी से अधमरा होने तक मार-पीट कर DVR लूटकर ले जाने के मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई है।

ताज्जुब की बात है कि : कन्हैयालाल शिंदे। पुलिस निरीक्षक द्वारा अभी तक इस गंभीर आपराधिक मामले की जांच करवाई जा रही है। कन्हैयालाल शिंदे। वह अधिकारी है जो चंद पैसों के लिए, हराम कमाई के

खातिर बेगुनाह लोगों पर फर्जी एफ आई आर दर्ज करने, हमलावर गुनहगारों को बचाने के लिए कानून प्रशासन खाकी वर्दी की धज्जियां पागलों की तरह उड़ाते हैं।

श्रीमान जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूं: इस गंभीर आपराधिक मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करें। और पीड़ितों को न्याय दिलाएं।

अन्यथा: इस गंभीर आपराधिक मामले के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी परिस्थितियां नहीं है. इसलिए मैं न्याय की आशा के आधार पर दिनांक 22/06/2020। रोजी से बीकेसी पुलिस थाने के सामने मैं अपने पति और दो बच्चियों के साथ। अनशन, धरना , आंदोलन , जारी रखूंगी। सरकार द्वारा सही न्याय मिलने तक। इस मामले में हमारा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक समय का जो भी नुकसान हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित आरोपियों के साथ सम्बंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ प्रशासन की होगी कृपया दर्ज क

धन्यवाद

आपकी सेवा में : **श्रीमती इशरत पत्नि बदरूद्दीन मनिहार.**

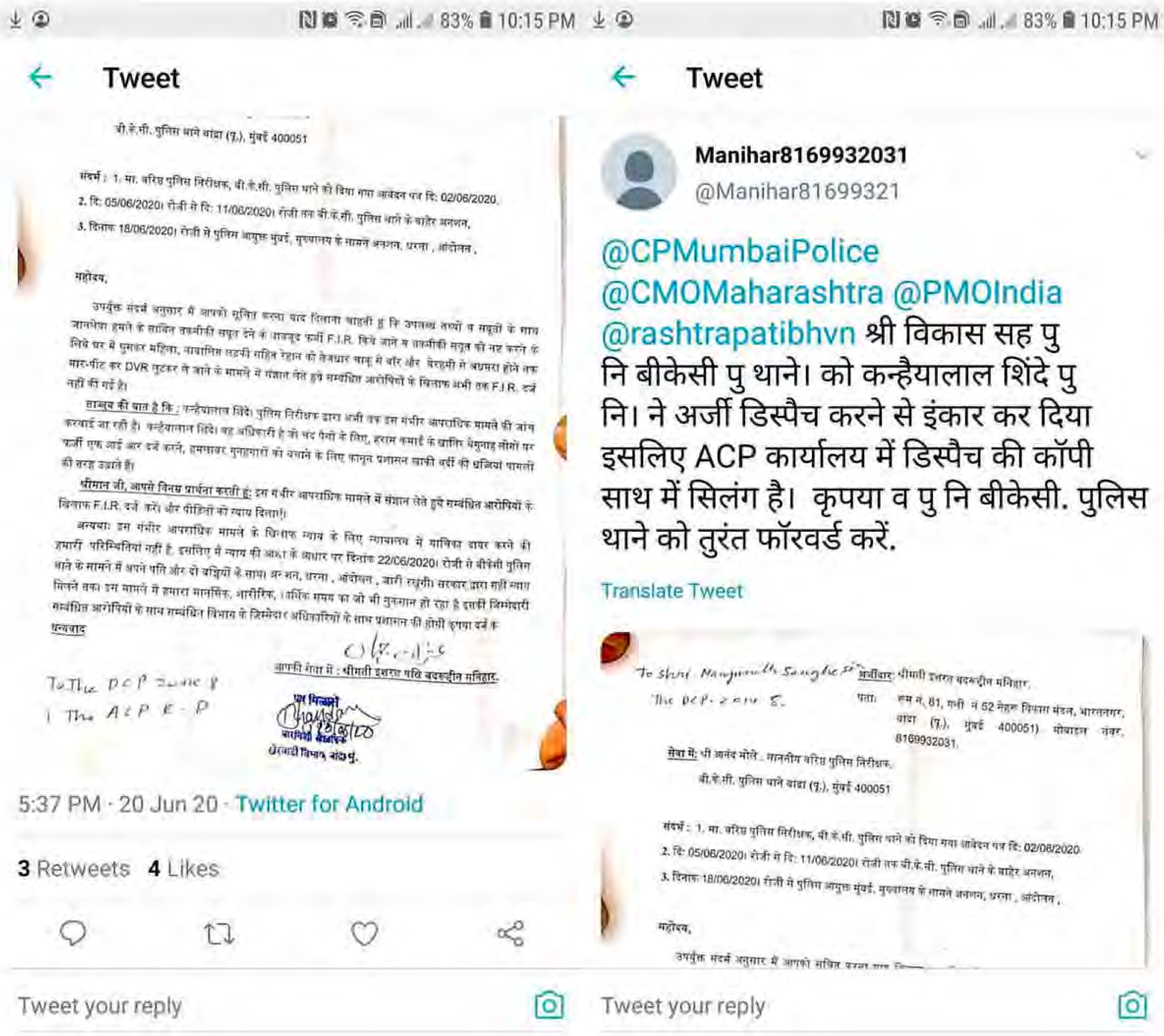

20.06.2020 tweet Hunger strike

By Hand-delivery

APPLICATION FOR URGENT INFORMATION WITHIN 48 HOURS UNDER SECTION 6(1) & 7 OF THE CENTRAL RTI ACT, 2005 for filing complaints which is affecting life and liberty of the applicants.

From: *Mr. Nasir H.S. Manihar,*
Room No.84, Chawl No.52,
Bharat Nagar, BKC, Bandra(E), Mumbai-400051.

To, Shri Appasaheb Shevale, State Public Information Officer,
Kherwadi Division, BKC, Bandra(e), Mumbai-400051,

(1) Full name of the Applicant: Nasir S.H. Manihar

(2) Address (permanent): same as above.

(3) Particulars of information required:

(i) Subject matter of information :

Detailed Information related FIR No, 176, 177 & 180 of 2020 and all complaints filed from 24-05-2020 till date with the BKC Police Station, ACP (KD), DCP (Zone 8), Addl.C.P (WR) & CP (Mum) besides those received from higher authorities and the action taken on these complaints filed by the Manihar Family and CCTV Footage of 23 to 31 of May, 2020 of BKC Police Station and CR No. 144/2009 and the "Say" dated 17-06-2020 filed in ABA No.645/2020 in Hon. Sessions Court, as per record!

(ii) The Period to which the information relates to: May to June, 2020 and available on record.

(iii) Description of the information required :

(a) Give copies, details and information on record regarding the above subject matter of all complaints and the action taken reports and copy of the Chargesheet filed in the Hon. Sessions Court in FIR No.144/2009 u/s 302 & 34 of the IPC and names of all accused in the Chargesheet filed in the Hon. Sessions Court in the ABA No.645/2020 by BKC Police Station, As Per Record(APR).

(b) Copies of all FIR and Chargesheet mentioned in the "Say" Dated 17-06-2020 filed in the Hon. Sessions Court in CR No.180/2020 APR.

(c) The information is required because it relates to life and liberty of an individual hence required within 48 hours and will give further details if required and also for filing complaints which is affecting life and liberty.

(d) In case certain information is not available in your office the same should be obtained from the concerned office by transferring the related part of the application to the concerned office as per section 6(3) of the RTI Act, 2005 with due intimation to me. This is also as per the latest case history/rulings of the CIC in Sarabhjit Vs Delhi Development Board that applicant cannot be made to file maximum number of Applications for information due to numbers of PIO's appointed with related offices. In case of third party third party clause may be used for giving information.

(e) I should receive intimation of the number of pages of information I will receive and the subsequent amount I am supposed to pay as per the rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am ready to follow any other norms required as per rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am requesting for intimation by way of registered A.D only as I fail to receive ordinary letters. I am enclosing a self addressed envelope with necessary stamps affixed.

पत्र मिळाले
22/6/20
बारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रे पू.

(f) Information based on records and the above queries, which again based on records available. These queries are without being prejudiced to anybody or to any officials or any department.

(g) I want to physically examine the original documents before I collect the information only after being informed of the total cost of information.

(iv) Whether information is required by post or in person: In person after due intimation of total cost.

(v) In case by post : N/A.

(4) Whether the Applicant is below poverty line : No.

Date: 22nd of June, 2020 at 11:00hrs

Applicant ......Ishrat Manihar......................(Nasir Manihar)

Encl: self addressed envelope with stamps affixed for intimation of total cost of information and number of pages of information. Last page number is five.

Scanned with CamScanner

R. 8-9-20

जा.क्र.९८६/सपोआ/जमाअ/खेवि/२०
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
तथा जन माहिती अधिकारी,
खेरवाडी विभाग,बांद्रा पू. मुंबई.
दिनांक:– २०/०७/२०२०.

प्रति,

श्री. नासीर हूसैन सदरूद्दिन मनिहार,
रूम नं. ८४, भारत नगर, चाळ नं. ५२,
नेहरू विकास मंडल, बांद्रा (पु), मुंबई –५१.

विषय :–केंद्र शासनाचा माहिती अधिकार अधिनियम--२००५ अंतर्गत माहिती.

संदर्भ :–१) नस्ती क्र. १३०/सपोआ/जमाअ/खेवि/२०२०.
यांचा दिनांक २२/०६/२०२० रोजीचा अर्ज प्राप्त दि. २२/०६/२०२०.

उपरोक्त विषय व संदर्भान्वये, आपण मागणी केलेली माहिती, व.पो.नि. बी.के.सी. पोलीस ठाणे जा.क्र. ४५१०/२० दि. १७/०७/२०२० अन्वये या कार्यालयास प्राप्त झाली असून सदर माहिती सोबत जोडून देण्यात येत आहे.

सदर माहिती ही समाधानकारक नसल्यास ३० दिवसांच्या आत प्रथम अपिलीय अधिकारी मा.पो.उप.आयुक्त परिमंडळ–८, बी.के.सी. पोलीस ठाणे पहिला मजला येथे प्रथम अपिल दाखल करू शकता.

(ए.बी.शेवाळे)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
तथा जन माहिती अधिकारी,
c/c खेरवाडी विभाग, मुंबई.

8-9-2020
P.2

नस्ती क्र. 130/20 नस्ती क्र. ~~184~~ 127/20 ची माहिती सोबत दि. 22/7/20 रोजी Ragistee post with AD ने पाठविले आहेत.

... below poverty line : No. ...

R. 8-9-20

B.K.C.Police Station, Mumbai. **Date 17 -07-2020**

1	**Full name of the Applicant**	MR. Nasir Hussain Sadruddin Manihar & Isharat Manihar
2	**Address**	Room No 84, Bharat Nagar, Chawl no 52, Neharu Vikas Mandal, Bandra East, Mumbai 400 051 Mob:- 8108507786
3	**Particulars of the information required**	
i)	**Subject matter of information**	**Detailed Information related FIR 176,177 & 180 of 2020 and all complaints filed from 24/05/2020 till date with the BKC Police Station, ACP (KD), DCP (Zone 8) Addl.C.P (WR), & CP (Mum) besides those received from higher authorities and the action taken on these complaints filed by the Manihar Family and CCTV Footage of 23 to 31 of May,2020 of BKC Police Station and CR No. 144/2009 and The " Say" dated 17/06/2020 filed in ABA No. 645/2020 in Hon. Session Court, as Per Record.**
ii)	**The period to which information relates**	**May to June 2020 and available on Record**
iii)	**Description of the information**	
	a) Give copies, Details and information on record regarding the above subject matter of all complaints and the action taken reports and copy of the Chargesheet filed in the Hon. Session Court in FIR No.144/2009 u/s 302 & 34 of the IPC and names of all accused in the Chargesheet filed in the Hon. Session Court in ABA no. 645/2020 by BKC Police Station, As per Record (APR)	बीकेसी गुरक्र १४४/०९ या गुन्हयाचे दोषारोपपत्र मा. सत्र न्यायालयात दाखल असून सदरबाबतची माहीती अर्जदार यांनी मा. न्यायालयातुन प्राप्त करावी. अर्जदाराने मागणी केलेली दि. २४/०५/२०२० पासून अदयापर्यन्त मनिहार परिवाराने दाखल केलेले तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने अर्जदार यांच्याकडे मागीतलेल्या माहीतीची पुर्तता अर्जदार यांनी न केल्याने सदरच्या अर्जाची चौकशी चालु असल्याकारणाने माहीती नाकारण्यात येत आहे. बीकेसी गुरक्र १७६/२०, १७७/२०, १८०/२० हे गुन्हे तपासाधीन असल्याने गोपनियतेच्या कारणास्तव सदरची माहीती नाकारण्यात येत आहे. अर्जदार यांनी दि. २४/०५/२०२० ते दि. ३१/०५/२० पर्यतचे सी.सी.टी.व्ही फुटेज मागणी केली आहे. सदरची माहीती गोपनियतेच्या व सुरक्षीततेच्या कारणास्तव नाकारण्यात येत आहे.
	b) Copies of all FIR and Chargesheet mentioned in the "Say" Dated 17-06-2020 filed in the Hon. Session Court in CR No. 180/2020 APR	अर्जदार यांनी मागितलेल्या माहितीचा बोध होत नसल्याने अर्जदार यांनी मागणी केलेली माहिती बोध होईल अशा प्रकारे सादर करावी. तद्नंतर अर्जदारास अपेक्षित असलेली माहिती देणे शक्य होईल.

Shinde 17/07/2020
(Kanhaiyalal Shinde)
Police Inspector,
BKC Police Station, Mumbai.

16/07/2020
(Sadashiv Sawant)
ASS.Police Inspector, (Admin.)
BKC Police Station, Mumbai.

(4) Whether the Applicant is below poverty line : No.

Scanned with CamScanner

Urgent APPEAL for URGENT HEARING UNDER SECTION 19 OF THE RTI ACT, 2005.

From: Mr. Nasir H·S · MANIHAR

Room No.81, Chawl No.52, Nehru Vikas MANPAL BHARAT Nagar, Bandra(E), Mumbai-400051..

To, Shri ...Manjunath Singe, DCP...,

Appellate Authority/...Zone VIII, BKC...,

...Bandra (East), BKC Police...,

...Station.......................*Mumbai-4000*..51.

Name of Appellant: same as above.

Address of Appellant: same as above.

Particulars of PIO: ...Mr. A.B Shivare, ACP (K.D)...

Details of the Order appealed: Orders dated ...20-07-20... Received on: 8-9-20

Last date for appeal: ..08..-.10.-2020

Particulars of Information: As per my RTI Application dated ..22.-.06-2020

Department to which the information relates to: Information as per RTI Application dated 22-.06-2020.

Grounds for Appeal:

1) *No information has been given by the PIO despite having given self addressed envelope with stamps affixed for intimation of cost of information and number of pages of information and the date of inspection of files and urgency of the information within 48 hours as it was matter of life and liberty of an individual/s.*

2) *No information has been given and Information is delayed AS NO RESPONSE WITHIN 48 HOURS. The information GIVEN is misleading and incorrect*

3) *The section 6 & 7 of the RTI Act, 2005 has not been followed by the alleged PIO.*

4) *My self-addressed envelope was not even used by the PIO.*

5) *Inspection only after intimation of cost of information and number of pages of information.*

6) *The failure on part of the PIO to deny or give Information is willful within 48 hours and with care two hoots attitude, which is denial of information without valid reasons or provisions.*

7) *The Information is not voluminous as falsely stated by the PIO to hide the illegalities of the officials but to hide the illegalities. The PIO has failed to mention the name of the Appellate Authority as required under the due process of law.*

8) *Action as per section 20 the RTI Act, 2005, the PIO may be recommended for action under section 20 of the RTI Act, 2005. The presence of the PIO is must and necessary for the appeal.*

9) *If the alleged PIO wants to still give complete Information free of cost as per section 7(6) of RTI Act, 2005, then he may do so within the next four days on receipt of this appeal by RPAD or SPAD. Note: I do not get ordinary letters or they are delayed so request for Intimation of hearing by hand-delivery or RPAD or Speedpost atleast well four days in advance not clash with my prior commitments.*

Date: 16 *of* September, *2020 at 11:00hrs at Mumbai.*

Appellant......Bashir Manihar &......(Nasir Hussain Sadruddin Manihar)

Encl: Copy of the RTI Application dated 22-06-2020 *and Orders dated* 20-07-2020 *Last page number is* ...Four (04)

Scanned with CamScanner

Most Urgent and Highly Confidential (SOS)

Ramzan S. Manihar

Room No. 96, Nehru Vikas Mandal

Chawl No.52, Bharat

Nagar, BKC, Bandra(E),

Mumbai-400051.

Date: 22-06-2020

To,

Shri Manjunath Singe, I.P.S,

DCP Zone 8, BKC,

Bandra(E), Mumbai-400051.

22/06/20
पोलीस उप आयुक्त
परिमंडळ-८, मुंबई
यांचेकरीता

Sub: Complaint against the all illegal actions in the past and possible retaliation under the Vendetta and grudge by the complainant in Cr No.180/2020 & 176/2020, as even the IO/PI Shri Shinde is in connivance with them and we may face further some form seen or unseen action against us.

Re: The false actions on my family by BKC Police Station.

Sir,

I am the one of the aggrieved victim of the false cases on Manihar family by the BKC Police Station and have to state as under:

1) My family is facing false cases against us due to our legal actions against the Builders of MMRDA and Mhada besides the SRA and local corporator.

2) These Builders and Politicians besides the officials are supported by the BKC police Station.

Scanned with CamScanner

3) We have also filed many complaints against the MMRDA, MHADA, SRA and BMC besides Police Officials of our region, which has aggrieved these officials hence the illegal actions against me and my family in retaliation and under grudge by misusing their official positions and Government machinery.

4) Any false complaint against us is made into a family affair by putting names of all four brothers and their wife's and other members of the family by the BKC Police Station by dragging the entire family!

5) Now recently two more false cases were filed against me and my family member's i.e CR No.176 and 180 of 2020 by the BKC Police Station.

6) It seems the alleged victim suffered 5 stitches in the CR No. 176/2020 and three stitches in CR No.180/2020.

7) The CR No.176/2020 was filed u/s 324 etc., while the CR No. 180/2020 was filed u/s 307 etc., shows the amount the grudge and vendetta these police officials are working besdies possible monetary gain.

8) There is no role of any of my brothers or me in the CR No.144/2009 filed u/s 302 & 34 IPC except sister in law Mrs. Abida Zakir Hussain, who was acquitted honorable by the Hon. Sessions Court after full trial but just to defame us and show false cases on us and to prejudice the mind of the Hon. Sessions and other Courts of Law this is being done by the BKC Police Station regularly, as was done even in the ABA No.645/2020.

9) There was another CR No. 278/2016 u/s 332 IPC etc which has been stayed by the Hon. Sessions on filing of Revision besides the CR No. 279/2016 which was also stayed but despite situation these cases alleged cases are being mentioned, in which there was serious allegations against us that my sister

Scanned with CamScanner

had hit the police officer with an iron rod but when the medical papers were filed in the Chargesheet it was mentioned a small stone injury!!!!

10) We were shocked and left speechless by the "Say" filed by the BKC Police Station in the ABA No.645/2020 and the contents therein which were basically false, wrong and improper just to defame us in the eyes of the public and show us as criminals it was done by the BKC Police Station!

11) None of our hardcore evidence is considered as they are on mission "Mangal" to get all of us in all false FIR's filed against us by the BKC Police Station.

12) The investigations in the cases will make the best laughing joke in the "Laughter Series" program as the mode of investigation is grudge, vendetta, personal interest and money!!! If shown on TV it will have highest TRP!!

13) There is one You Tube news Channel named " Mumbai Police ko Salam" which is mouth piece of the Mumbai Police and the BKC Police Station giving false and wrongs news besides defamatory against my family and us.

14) Now that we have managed to ABA in the false CR No.180 /2020 by the BKC Police Station as there is anger, grudge and vendetta waiting to get back at us using their official positions and Government machinery!

15) I am seeking detailed inquiry in time bound period against the actions of the BKC Police Station for all their acts of illegalities and inactions on our many complaints filed against them by an IPS level officer to bring out the truth and illegalities committed with absolute immunity by them against us who are soft targets for them.

Thanking you,

Yours faithfully

(Ramzan S. Manihar)

Scanned with CamScanner

विषय : अनशन, धरना , आंदोलन, आत्महत्या, करने से पहले प्रार्थना पत्र..

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Wed, 24 Jun 2020 at 8:40 pm
To: cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in
Bcc: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, cm@maharashtra.gov.in, sahabhag.maharashtra@gov.in, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in

सेवा में : श्री। आनंद मोले मा. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस पुलिस थाने बांद्रा (पू.), मुंबई 51.

<u>विषय : अनशन, धरना , आंदोलन, आत्महत्या, करने से पहले प्रार्थना पत्र..</u>

संदर्भ : 1. मा. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस को दिया गया आवेदन पत्र दि: 02/06/2020.

2. दि: 05/06/2020। रोजी से दि: 11/06/2020। रोजी तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन, धरना ,

3. दिनांक 18/06/2020। रोजी से पुलिस आयुक्त मुंबई, मुख्यालय के सामने अनशन, धरना , आंदोलन ,

4. दि: 05/06/2020। रोजी से दि: 11/06/2020। रोजी तक बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहेर अनशन, धरना

महोदय,

मैं श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी (पीड़ित महिला) पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई 51. संपर्क नंबर। 8169932031. न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करती हूं

1. मेरे पति बदरुद्दीन मनिहार सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाद-दाता हैं। मेरे पति ने अधिकतर सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार व गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ पत्र व्यवहार किया है। इस वजह से मेरे पति और हमारे कुटुंब पर लगातार जानलेवा हमले, व गंभीर फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

2. उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ जानलेवा हमले के साबित तकनीकी सबूत देने के बावजूद फर्जी F.I.R. किये जाने व तकनीकी सबूत को नष्ट करने के लिये घर में घुसकर महिला, नाबालिग लड़की सहित रेहान को तेजधार चाकू से वॉर और बेरहमी से अधमरा होने तक मार-पीट कर DVR लूटकर ले जाने के मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई है।

3. ताज्जुब की बात है कि गंभीर आपराधिक घटना दिनांक 23/05/2020। की है। बी.के.सी थाने के पुलिस निरीक्षक कन्हैयालाल शिंदे, शलयम महादेव कोले. हमारी दी हुई तकरार अर्जियों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। जबकि यह ऐसे नालायक अधिकारी है। जो कुछ पैसों के लिए हराम कमाई के खातिर मुजरिमों को बचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके। कानून प्रशासन खाकी वर्दी की धज्जियां उड़ा कर। Whistle-blower, शिकायतकर्ताओं के खिलाफ घटिया तरीके से गंभीर फर्जी मामले दर्ज कर देते हैं भ्रष्टाचार के अहंकार में।

श्रीमान जी, आपसे विनम्र प्रार्थना करती हं: इस गंभीर आपराधिक मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ F.I.R. दर्ज करें। और पीड़ितों को न्याय दिलाएं।

अन्यथा: इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी परिस्थितियां नहीं है. इसलिए मैं न्याय की आशा के आधार पर दिनांक 22/06/2020। रोजी से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोड़ बांद्रा पश्चिम मुंबई। कार्यालय के सामने। मैं अपने पति और दो बच्चियों के साथ। अनशन, धरना , आंदोलन , पर बैठूंगी। यदि इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ संबंधित विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी और सरकार की आंखें खोलने के लिए मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने आत्महत्या कर ली तो इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित आरोपियों के साथ सम्बंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ प्रशासन की होगी कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद

आपकी सेवा में : श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार.

इसके साथ संलग्न: दस्तावेज़ और सबूत.

1. APPLICATION.
2. CCTV FOOTAGE.
3. MEDICAL REPORT OF SOFYA
4. MEDICAL REPORT OF REHAN
5. F.I.R.No 176/20.
6. F.I.R.No 177/20.
7. F.I.R.No 180/20.

न्याय की आशा के आधार पर गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ अनशन, धरना , आंदोलन, जारी करने से पहले प्रार्थना पत्र...

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Sun, 28 Jun 2020 at 2:48 pm
To: cp.mumbai@mahapolice.gov.in, Vinoy Kumar Choubey <cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in>, Jt CP (Crime) Brihan Mumbai MH <cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in>, Addl Commissioner of Police West Region Mumbai <cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in>, DCP ZONE VIII OFFICE <dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in>, Sr PI BKC <ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in>, Bandra Police Station <ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in>
Bcc: cm@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, narendramodi1234@gmail.com

महोदय,

मैं श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार 23 वर्ष गृहिणी (पीड़ित महिला) पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई 51. संपर्क नंबर। 8169932031. न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करती हूं,

उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ जानलेवा हमले के साबित तकनीकी सबूत देने के बावजूद फर्जी F.I.R. किये जाने व तकनीकी सबूत को नष्ट करने के लिये घर में घुसकर महिला, नाबालिग लड़की सहित रेहान को तेजधार चाकू से वॉर और बेरहमी से अधमरा होने तक मार-पीट कर DVR लूटकर ले जाने के मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई है। जब की सोची समझी साजिश के तहत की गई गंभीर आपराधिक घटना दिनांक 26/06/2020। रोजी की है।

इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी परिस्थितियां नहीं है. इसलिए मैं न्याय की आशा के आधार पर दिनांक 26/06/2020। रोजी से अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोडबांद्रा पश्चिम मुंबई।कार्यालय के सामने। अपने पति और दो बच्चियों के साथ। अनशन, धरना , आंदोलन , पर बैठी थी।

हमें बीकेसी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने अनशन स्थल पर आकर आश्वासन दिए कि दिनांक 29/06/2020। सोमवार को श्री मंजुनाथ सिंगे. पुलिस उपायुक्त। (zone 8) ड्यूटी पर आने के बाद उनसे इजाजत लेकर संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करके उचित जांच पड़ताल की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोडबांद्रा पश्चिम मुंबई।कार्यालय के सामने

यदि! दिनांक 29/06/2020। सोमवार को बीकेसी पुलिस थाने के जिम्मेदार अधिकारियों मार्फत हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो मैं अपने पति और दो बच्चियों के साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोडबांद्रा पश्चिम मुंबई। कार्यालय के सामने न्याय मिलने तक अनशन, धरना , आंदोलन जारी रखूंगी। इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ संबंधित विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी और सरकार की आंखें खोलने के लिए मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने आत्महत्या कर ली तो इसकी जिम्मेदारी सम्बंधित आरोपियों के साथ सम्बंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ प्रशासन की होगी कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद

आपकी सेवा में : श्रीमती इशरत बदरूद्दीन मनिहार.

29.06.2020 tweet assaulter in the cabin of DCP Zone 8 at B.K.C. Police station

Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More

Tweet

Thread

Inquilaab Zindabad !
@GRVora

Complainant Mr. Badruddin Manihar has been assaulted in the cabin of DCP Zone 8 at BKC Police Stn. in his cabin today 29.6.2020 at about 8.50 pm. He came out and collapsed & had to be hospitalised. We urge @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice to imediately suspend the DCP & investigate.

9:44 PM · Jun 29, 2020 from Mumbai, India · Twitter for Android

104 Retweets and comments **79** Likes

Inquilaab Zindabad ! @GRVora · Jun 29
Replying to @GRVora
Seems to be Mumbai's version of the recent Tamil Nadu police brutality. Police seem to be blatently supporting land grabbers in prime BKC area and victimising citizens who complaint against it. Police - land grabber nexus is deplorable. Demand immediate action by @CPMumbaiPolice

4 29 30

Inquilaab Zindabad ! @GRVora · Jun 30
Today matter could be verified since Mr. Badruddin regained consciousness & was able to inform what transpired in DCP Zone 8's cabin. He was threatened and intimidated (not assaulted) and asked to not give any more complaints against land grabbers and their goons.@CPMumbaiPolice

1 11 6

शिव क्रांतिवीर @ShivNKrantiveer · Jun 29
Replying to @GRVora @CPMumbaiPolice and @MumbaiPolice
व्हिसिलब्लोअर बदरुद्दीन जी का तुरन्त स्टेटमेंट दिलवाया जाए
आखिर क्या हुआ उनके साथ DCP Zone viii के केबिन में?
क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा?
@PTI_News
@News18India @bandra_news @ANI @BBCWorld @IndiaMediaNews @saamTVnews @News18lokmat @BBCHindi @News18UP @ABC @CNNnews18

7 4

Civic Activist @TMS190 · Jun 29
Replying to @GRVora @Rakesh0879 and 2 others
This is repeat of the incidence ,when an Activist was assaulted by the DCP during Appeal hearing. Maharashtra Home Minister kindly wake up

2 14 12

शिव क्रांतिवीर @ShivNKrantiveer · Jun 29
व्हिसिलब्लोअर बदरुद्दीन जी का तुरन्त स्टेटमेंट दिलवाया जाए
आखिर क्या हुआ उनके साथ DCP Zone viii के केबिन में?
क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा?
@PTI_News
@News18India @bandra_news @ANI @BBCWorld @IndiaMediaNews @saamTVnews @News18lokmat @BBCHindi @News18UP @ABC @CNNnews18

3 4

naseer jahagirdar @naseerbj · Jun 30
Replying to @GRVora @CPMumbaiPolice and @MumbaiPolice
Highly condemnable. Strict action warranted.

5 3

Ravi Shukla @RaviShukla1985 · Jun 29
Replying to @GRVora @CPMumbaiPolice and @MumbaiPolice
This is a clear example of human rights violation by the DCP... No one, I repeat no one, can take law in his own hands...
Urge @CPMumbaiPolice @choubeyvk to immediately pending investigation

Messages

Search Twitter

Relevant people

Inquilaab Zin
@GRVora Foll
A concerned c bringing abou accountability process. Retwe endorsements.

CP Mumbai P
@CPMumbaiP
The official acc Commissioner Param Bir Sing

Mumbai Polic
@MumbaiPoli
Official accoun any emergenc

What's happenin

COVID-19 · LIVE
COVID-19 in India

#WatchKhudaHaafiz
A dangerous journey to Khuda Haafiz now
Promoted by Disney+H

Entertainment · Trending
#VakeelSaab
2.23M Tweets

Cricket · 49 minutes ago
MS Dhoni and Suresh from international cri
Trending with: Retirement

Trending in India
Sehwag
4,210 Tweets

Show more

Terms Privacy policy Coo
© 2020 Twitter, Inc.

सोनिका क्रांतिवीर
@sonikashiv

विषय : सरकार द्वारा न्याय के लिए अनशन, धरना , आंदोलन, आत्महत्या, करने के बारे में प्रार्थना पत्र..

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Wed, 1 Jul 2020 at 3:04 pm
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, cm@maharashtra.gov.in, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in
Cc: ravish@ndtv.com, crimetak@aajtak.com, toieditorial@timesgroup.com

आदरणीय महोदय!
मैं श्री बदरुद्दीन एस मनिहार सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाद-दाता. पता: रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई मोब. 8169932031. पीड़ित व्यक्ति न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करता हूं।

उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के साथ जानलेवा हमले के साबित तकनीकी सबूत देने के बावजूद फर्जी F.I.R. किये जाने व तकनीकी सबूत को नष्ट करने के लिये घर में घुसकर महिला, नाबालिग लड़की सहित रेहान को तेजधार चाकू से वॉर और बेरहमी से अधमरा होने तक मार-पीट कर DVR लूटकर ले जाने के मामले में संज्ञान लेते हुये सम्बंधित आरोपियों के खिलाफ अभी तक F.I.R. दर्ज नहीं की गई है। जब की सोची समझी साजिश के तहत की गई गंभीर आपराधिक घटना दिनांक 23/05/2020। रोजी की है।

इस गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी परिस्थितियां नहीं है. इसलिए मैं मेरी पत्नी और दो बच्चियों के साथ। न्याय की आशा के आधार पर दिनांक 29/06/2020। रोजी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोड बांद्रा पश्चिम मुंबई। कार्यालय के सामने। अनशन, धरना , आंदोलन , पर बैठे थे।
श्री मंजुनाथ सिंगे. पुलिस उपायुक्त (zone 8) अनशन स्थल पर आकर अनशन से हटाने के लिए हमें बहुत बेइज्जत किए बांद्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा हमें बीकेसी पुलिस थाने ले गए। पुलिस उपायुक्त कार्यालय में मुझे अकेले बुलाया गया। पुलिस उपायुक्त। के साथ श्री अप्पासाहेब बाबूराव शिवाले! सहायक पुलिस आयुक्त श्री आनंद मोले. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मौजूद थे। श्री मंजुनाथ सिंगे. पुलिस उपायुक्त अपने पद का दुरुपयोग करके! तानाशाह की तरह सहायक पुलिस आयुक्त को आदेश दिए। कि इसे मकोका के केस में फंसा कर जेल भेज दो। यह कई सालों तक जेल से आना नहीं चाहिए। COID 19 lokdawon के चलते कोई पूछने वाला नहीं है. इस पर कई सारे केस दर्ज है.
मैं और गंभीर आपराधिक अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता था! और मुझे अच्छे से पता था कि श्री मंजुनाथ सिंगे. पुलिस उपायुक्त. श्री अप्पासाहेब बाबूराव शिवाले! सहायक पुलिस आयुक्त. भ्रष्टाचार के अहंकार में मुझे जीने नहीं देंगे। इसलिए मैंने पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जहर पी लिया था! बीकेसी पुलिस थाने द्वारा मुझे V N Desai सांताक्रुज मुंसिपल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही सारे मामलों की किसी वरिष्ठ ईमानदार अधिकारी द्वारा उचित जांच पड़ताल होने तक मैं अपनी और अपने परिवार वालों की जान की हिफाजत के लिए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) कार्टर रोड बांद्रा पश्चिम मुंबई। कार्यालय के सामने। अनशन, धरना, आंदोलन, पर बैठेंगे। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है।
Note: बीकेसी पुलिस थाने द्वारा भ्रष्टाचार व गंभीर आपराधिक मामलों से गुमराह करने के लिए मेरे और मेरे परिवार वालों पर भ्रष्टाचार के अहंकार में घटिया तरीके से दर्ज किए गए फर्जी मामलों को अजीब तरीके से पेश करेंगे। यदि उन सभी घटिया तरीके से दर्ज किए गए फर्जी मामलों की उचित जांच पड़ताल श्री मंजुनाथ सिंगे. पुलिस उपायुक्त द्वारा कराई जाएगी। तो भी हम सबूत और दस्तावेज के मुताबिक बेगुनाह साबित होंगे।
धन्यवाद
आपकी सेवा में! श्री बदरुद्दीन एस मनिहार.
सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाद-दाता

बी.के.सी. पोलीस ठाणे

B.K.C. Police Station

Bandra-Kurla Complex Road, Opp. I.C.I.C.I. Bank, Bandra (E), Mumbai-51.
Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482
E-mail :ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

ReferenceNo.: 4292/20 Date: / 07/ 2020

प्रति,

श्रीमती इशरत बद्रुद्दीन मनिहार
रा.ठी खो.क्र.८१, चाळ क्र.५२,
नेहरू विकास मंडळ, भारत नगर,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई

विषय :- आपल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने खालील माहिती तात्काळ पोलीस ठाण्यास सादर करणेबाबत.

उपरोक्त विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की, आपल्या दि ०२/०६/२०२० रोजीच्या तक्रार अर्जानुसार दिनांक २३/०६/२०२० रोजी रात्रौ ०८.०० ते ०८.३० वा दरम्यान १) शारीक अजिजुद्दीन अन्सारी २) जावेद अजिजुद्दीन अन्सारी ३) सलिम अजिजुद्दीन अन्सारी ४) हनीफ मॅकेनिक ५) असिफ मत्ती ६) सालेम महफुज कुरेशी व इतर हे आपल्या घरात येवुन आपल्याला व आपल्या नातेवाईकांना मारहाण करून आपल्या घरातील डीव्हीआर घेवुन गेलेबाबतचा तक्रार अर्ज आपण पोलीस ठाण्यास दाखल केलेला आहे. सदर तक्रार अर्जातील नमुद डीव्हीआर संदर्भातील खालील माहिती तात्काळ पोलीस ठाण्यास सादर करावी.

१) डीव्हीआर कोणत्या कंपनीचा होता व सिरीयल नंबर काय होता. ?
२) डीव्हीआरची मॅन्युफॅक्चरींग तारीख कोणती होती ?
३) डीव्हीआरची किंमत किती होती ?
४) डीव्हीआर कोणत्या दुकानातुन घेतला याची खरेदी पावती (BILL)सादर करावी ?
५) डीव्हीआर हा कोणत्या कारणासांठी लावला होता त्याची माहिती सादर करावी.?
६) डीव्हीआरमध्ये किती क्षमतेपर्यत फुटेज साठविले जात होते याबाबत माहिती सादर करावी ?
७) डीव्हीआरमध्ये किती सी.सी.टी.व्ही कॅमऱ्यांचे चित्रण केले जात होते तसेच सी.सी.टी.व्ही कॅमेऱ्यांची कंपनी कोणती आहे ?
8) डीव्हीआर हा कोणी व कोणत्या दिवशी बसविला होता (INSTALLATION) ?
९) डीव्हीआरला स्टॅटीक आयपीची सर्वीस जोडली होती का ?
10) डीव्हीआरचा आयपी सर्वीसचा आयएसपी कोण आहे त्याची माहिती देणे ?
११) डीव्हीआरच्या हार्डडीक्सची क्षमता (Storage Capacity) किती होती (GB/TB)व ती कोणत्या कंपनीची होती ?
१२) डीव्हीआरमधुन फुटेज काढली असता कोणत्या स्टोरेज डीव्हाइसने काढली जाते याची माहिती देणे ?
१३) स्टॅटीक आयपी असेल तर तो कोणत्या मोबाईल क्रमांकाशी कनेक्ट होता याची माहिती देणे ?

तरी उपरोक्त प्रश्नावलीमधील माहिती आपला तक्रार अर्ज निकाली काढण्यासाठी महत्वपुर्ण असल्याने सदरची माहिती दोन दिवसाच्या आत लेखी स्वरूपात पोलीस ठाण्यास सादर करावी.

Shinde 08/07/2020

(कन्हैयालाल शिंदे)
पोलीस निरीक्षक
बी.के.सी.पोलीस ठाणे मुंबई

Scanned with CamScanner

आवेदनकर्ता :
इशरत बदरुद्दीन मनिहार
पताः रूम नं. 81, गली नं 52, नेहरू
विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.),
मुंबई मोब. 9137921207

दिनांक : 09.07.2020

सेवा में,

कन्हैय्यालाल शिंदे
पुलिस निरीक्षक
बी.के.सी. पुलिस थाने, मुंबई

विषयः <u>बी.के.सी. पुलिस थाने के लैटर हैड पर यह नोटिस संदर्भ क्र. 4292/20 दि. 08.07.2020 प्राप्त हुआ जिसके जवाब हेतु उपस्थित होकर जवाब दिये जाने की सूचना बावत्।</u>

जहांपनाह,

मैं श्रीमती इशरत बदरुद्दीन मनिहार (पीड़ित महिला) अपनी और अपने परिवार वालों की जान व फर्जी मामलों से बचने की सलामती चाहते हुए मेरी अर्जी दि. 02.06.2020 और आपके दिए हुए पत्र दि. 08.07.2020 के अनुसार इस आवेदन के साथ सावित सबूत दस्तावेज साथ में लेकर बी.के.सी. पुलिस थाने में आपकी खिदमत के लिए आज दिनांक 09.07.2020 को हाजिर होकर मौखिक जवाब दूँगी जिसे दर्ज किया जाये। कृपया इन सभी सावित सबूतों को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ संवैधानिक कायदे के अनुसार धाराएं लगाकर F.I.R. दर्ज करके उचित जांच पड़ताल व कानूनी कार्रवाई करें और वकील शकील अहमद की तरफ से F.I.R. No. 176/20, F.I.R. No. 180/20 व F.I.R. No. 69/20 से संबंधित याचिका बॉम्बे सेशन कोर्ट में दाखिल की गई है, इस याचिका की अगली सुनवाई की तारीख 10.07.2020 है। अतः मैं चाहती हूँ कि, भारतीय संविधान व कानून की ईज्जत बरकरार रखने के लिये संबंधित सभी सबूत पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के पास विश्लेषण के साथ समय से पहले पहुँचा दिये जायें जिससे इस मामले में जो झूठी व गलत F.I.R. दर्ज की गई है वह पब्लिक प्रॉसीक्यूटर के संज्ञान में आ सके और माननीय अदालत को बेहतरीन व न्यायप्रिये इंसाफ देने में असुविधा ना हो सके और भारत देश का लोकतंत्र बरकरार रहे।

विनम्र प्रार्थनाः

संबंधित आरोपियों को बचाने के खातिर भ्रष्टाचार के अहंकार में मेरे परिवार वालों को और फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश ना की जाये। जैसे कि दि. 19.02.2020. श्री शीलम महादेव कोले पुलिस निरीक्षक बी.के.सी. पुलिस थाने ने मेरी पति की दी हुई अर्जियों के अनुसार दस्तावेज और सबूत तत्काल जमा

पोलिस उप आयुक्त
परिमंडल ८, मुंबई 9/7/2020

खेरवाडी विभाग, बांद्रा मु.

Scanned with CamScanner

करने के लिए पत्र देकर प्लानिंग के तहत संबंधित आरोपियों को बचाने के लिए कानून, प्रशासन, खाकी वर्दी, की धज्जियां उड़ाते हुए जल्दबाजी में उचित जांच पड़ताल किए बिना मनगढंत कहानी के आधार पर मेरे पति के खिलाफ घटिया तरीके से बी.के.सी. पुलिस थाने में F.I.R. No. 69/2020. दि. 20.02.2020 दर्ज कर दी| जबकि मेरे पति ने यह सूचना मिलते ही कि उनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यों की वजह से उनको व उनके करीबियों को जान से मारने और फर्जी मामलों में फँसाने की कोशिश की जा रही है तो तुरंत मेरे पति ने 100 नंबर पर फोन करके बी.के.सी. पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए गये थे लेकिन आपने मेरे पति की शिकायत दर्ज नहीं की थी। मेरे पति की फरियाद नहीं सुनी गई| जिसकी वजह से मेरे पति ने तुरंत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिम क्षेत्र नियंत्रण) पर फोन किया और अगले दिन लिखित रूप में श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8), श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन), श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) को दिनांक 06/02/2020. रोजी अर्जी दी थी।

उपरोक्त तथ्य साबित कर रहे हैं कि मेरे पति के द्वारा सामाजिक कार्य किये जाने की वजह से बी.के.सी. पुलिस थाने के भ्रष्ट अधिकारी, अपराधियों के साथ मिलकर उन्हें फर्जी मामलों में फँसाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें जान का खतरा तो है ही साथ ही फर्जी मामलों में फँसाने का खतरा भी है और यही कारण है कि हम लोगों ने अपने घर के नजदीक सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया था और सरकार भी साफ-साफ कह रही है कि, 'अपराधों की रोकथाम के लिये गली-मौहल्ले आदि सभी जगह सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जायें, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 'CCTV footage is a strong piece of evidence' (Tomaso Bruno & Anr vs State Of U.P on 20 January, 2015 in CRIMINAL APPEAL NO. 142 OF 2015) है|

सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने का ही नतीजा है कि, 23.06.2020 को जो घटना मेरे पति के साथ घटित हुई उसकी सच्चाई सामने आई और साबित हो गया कि F.I.R. No. 176/20 में जो आरोप लगाये गये हैं वह झूठे व वेबुनियाद हैं बल्कि F.I.R. No. 176/20 का शिकायतकर्ता व आरोपी शाकिर और उनके परिवारवाले हमलावर है और यही कारण रहा कि, हमारी क्रॉस F.I.R. No. 177/20 शाम के 5:00 बजे जाकर ली गई जबकि F.I.R. No. 176/20 बिना जाँच पड़ताल व सबूत के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों व हमलावरों की मिलीभगत से दर्ज कर दी गई|

दि. 09.06.2020 मेरी द्वारा दी गई अर्जी के अनुसार उम्मीद है कि, बी.के.सी. पुलिस थाने मार्फत सी.सी.टी.वी. कैमरे की फुटेज रिकॉर्ड पर लेकर जब्त की गई होगी, कृपया उसकी एक कॉपी हमें दे ताकि बॉम्बे सेशन कोर्ट के रूम नंबर 30 के माननीय न्यायाधीश के सामने सी.सी.टी.वी. फुटेज का विश्लेषण करते हुये सारे मामले की सच्चाई को हम सही तरीके से पेश कर सकें।

मुझे अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है, मेरे पास जो भी सबूत है वह मैं आपको दे रही हूँ, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं मैं सब सच बताऊँगी|

Jadhav.A.V
9/7/2020

बारनिशी लेखनिक,
बी.के.सी. पोलीस ठाणे मुंबई

इशरत बदरुद्दीन मनिहार

cc to DCP zone 8. ACP. KD. SRPI. BKC

Scanned with CamScanner

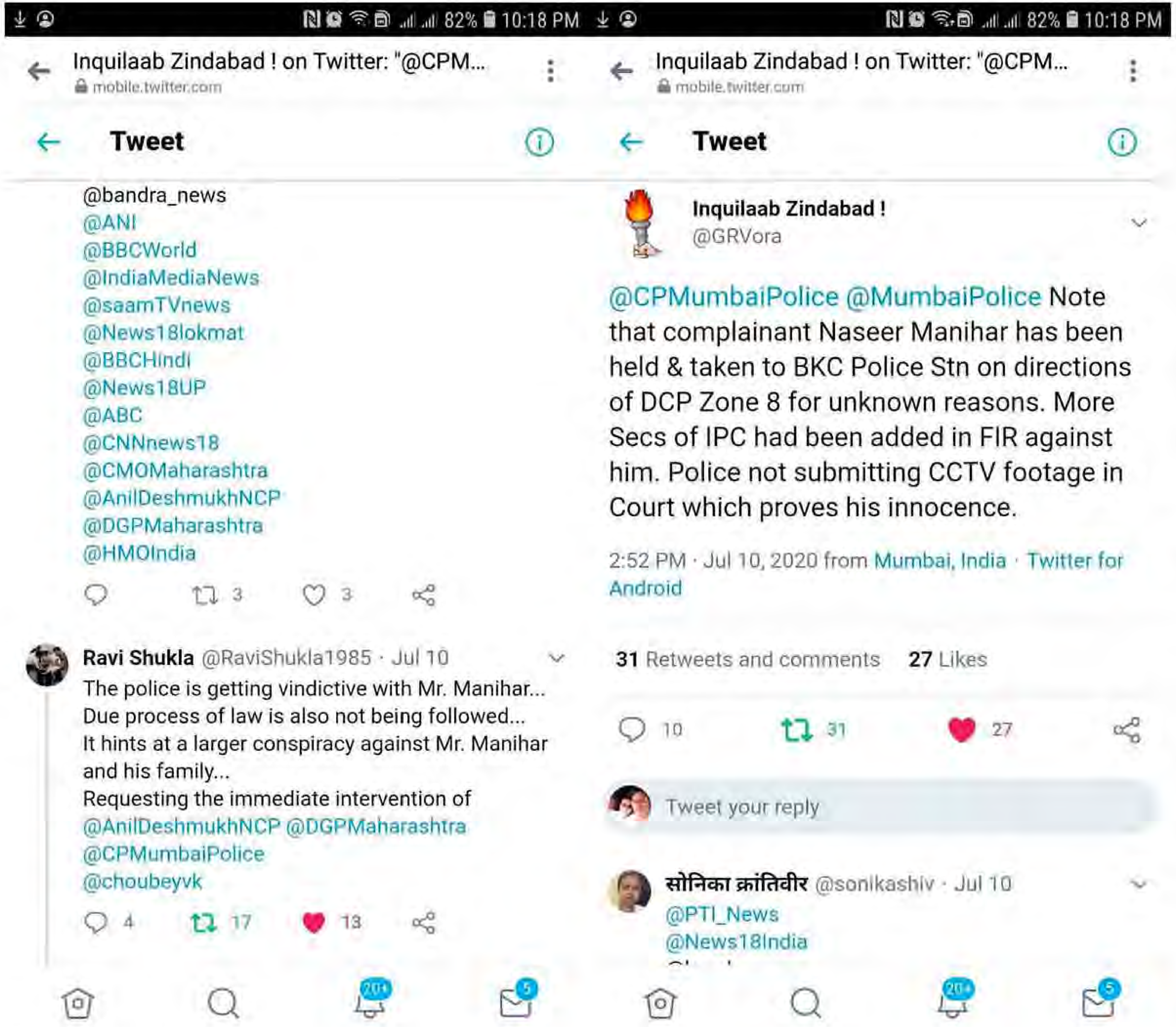

10.07.2020 tweet Violation of Human Rights.

10:18 PM 82%

Inquilaab Zindabad ! on Twitter: "@CPM...
mobile.twitter.com

Tweet

सोनिका क्रांतिवीर @sonikashiv · Jul 11

नासिर मनिहार को जिस प्रकार गैर-संवैधानिक तरीके से मौहल्ले में मारते हुये घुमाया गया जिसका विरोध करते हुये बदरूद्दीन द्वारा पूर्व में झूठी F.I.R. करने व मारने के मामले में की गई शिकायतों का हवाला देते हुये ईमेल द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजा गया शिकायत-पत्र

1 1

Show replies

Civic Activist @TMS190 · Jul 10

Appeal for immediate intervention of Home Minister in this matter. This seems to be the work of Builder lobby in targetting innocent people,who act as Whistle blowers

1 3 4

20+ 5

10:20 PM 82%

शिव क्रांतिवीर on Twitter: "@GRVora @CP...
mobile.twitter.com

Tweet

शिव क्रांतिवीर @ShivNKrantiveer · Jul 10

तकनीकी सबूत CCTV फुटेज व अन्य जरूरी सबूतों को रिकॉर्ड पर लेने अदालत में दिए जाने हेतु एप्लिकेशन दिया गया था
जिसमें भ्रष्ट अधिकारी कन्हैयालाल शिंदे के फंसने के पूरे चांस हैजिसकी वजह से भड़क कर PI शिंदे द्वारा यह असंवैधानिक कदम उठाया गया
उन्हें नोटिस देकर कार्यवाही की जानी चाहिए थी

3 14 12

सोनिका क्रांतिवीर @sonikashiv · Jul 10

@PTI_News
@News18India
@bandra_news
@ANI
@BBCWorld
@IndiaMediaNews

20+ 5

FW: Request for justice from the men in uniform and atrocities committed on me and my family members by the BKC Police Station. Re: Illegal actions of BKC Police Station on 10-07-2020 and previously!

1 message

Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister) <CM@maharashtra.gov.in> Sat, 11 Jul 2020 at 6:58 pm
To: Sanjay Kumar <acs.home@maharashtra.gov.in>
Cc: crimecorruptionreport@gmail.com <crimecorruptionreport@gmail.com>

माननिय श्री / श्रीमती

धन्यवाद,

आपला "ईमेल" मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधीत विभागास पाठविण्यात आला आहे.

नोंदणी शाखा,

मुख्यमंत्री कार्यालय.

From: Crime Corruption [crimecorruptionreport@gmail.com]
Sent: Saturday, July 11, 2020 10:29 AM
To: narendramodi1234@gmail.com; presidentofindia@rb.nic.in; Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister); Sanjay Kumar; dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in; cp.mumbai@mahapolice.gov.in; cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in; cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in; cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in; dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in; ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in
Cc: adpp.mumbai@gmail.com; dppmaharashtra@gmail.com; dydpkonkan@gmail.com; ravish@ndtv.com; crimetak@aajtak.com; toieditorial@timesgroup.com
Subject: Sub: Request for justice from the men in uniform and atrocities committed on me and my family members by the BKC Police Station. Re: Illegal actions of BKC Police Station on 10-07-2020 and previously!

Sir,

I Badruddin S Manihar social worker and Crime Reporter. Address: Room No.81, Chawl No.52, Bharat Nagar, BKC, Bandra (e), Mumbai-51 Mob: no 8169932031.

1) I had filed complaint against Housing Development owner RAKESH WADHWAN Builders and His goons, certain corrupt Government Officials due to which retaliation started against me and my family by the BKC Police Station. They had planned their action with ACP and PI Kole!

2) I was warned by ACP Shivale and PI Kole that I will be killed or trapped in some false case so I went to gave complaint against it but it was not taken by the PI Shinde.

3) On the next day I gave written complaint to the Sr.P.I, ACP and DCP about the above incident.

4) PI Kole then called me by Call letter dated 19-02-2020 for bringing all my evidence in support and when I gave my evidence they took an false FIR against me only on 20-02-2020 making the accused my complainant.

5) On 23-05-2020 I was brutally assaulted by well planned attack on me and my family members which was under the instructions of the BKC Police Station by the complainant in CR No.176/2020.

6) I went to give complaint of the same but instead of taking action on those who brutally assaulted us they took a false FIR against us.

7) We showed them CCTV footage of the brutal attack on us but still failed to file FIR against those accused.

8) The same accused who is the complainant in FIR No.176/2020 came to my house and brutally assaulted my family members and robbed our DVR from the house in the same evening of 23-05-2020 and again no FIR was taken despite showing the medical certificate of assault in which one minor girl was also brutally assaulted by tearing her clothes.

9) Instead of taking action on those accused they again took a false FIR against us and refused to register our FIR against them.

10) My wife and family members regularly went and requested them and finally my wife gave a written complaint on 02-06-2020 to the BKC Police Station.

11) Till today they have refused to register FIR against them as they are their own men used against us!

12) On 08-07-2020 PI Shinde gave me letter to give some details and sought some information from my wife and she gave the reply to it.

13) On 10-07-2020 my brother Nasir was picked up by brutally assaulting him and then paraded him in the area by the Police Officer Shinde and his team.

14) I feel that the BKC Police Station wants to kill all my brothers and me and also my family or put us constantly behind bars!

15) All our complaints should be inquired into in detail and in time bound period manner and also all false FIR filed so far against us in free, fair and impartial manner.

16) I cannot rule out that such illegal actions will continue against us in future also.

17) I and family members will sit on hungry strike outside BKC Police Station till inquiry is conducted on our complaints and seeking justice

from this harassment meted out to my family!

18) In case in future any illegal action is taken against us by the DCP (Z-8) , ACP (KD) and PI Kole and PI Shinde then we will continue our hungry strike in custody or jail, please note!

Thanking you, Yours faithfully

(Badruddin Manihar)

बी.के.सी.पोलीस ठाणे
B.K.C. Police Station
Bandra-Kurla Complex Road, Near Mahangr Gas Pump, Bandra East, Mumbai-51.
Phone No.: 022-26504483, Fax No. 022-26504481, 26504482
E-mail :ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

ReferenceNo: 4456 /BKC PS Date: 14/07/ 2020

प्रति,

मा. सत्र न्यायालय,
कोर्ट क. ३०, मुंबई.

विषय:- आरोपीतांचा जामिन रदद् करण्याबाबत...

संदर्भ :- १) एम सी ए टोकन क. 182/२०२० दिनांक ०२/०७/२०२०.
२) ए बी ए कमांक ६४५/२०

महोदय,

उपरोक्त विषय व संदर्भास अनुसरुन बी.के.सी.पोलीस ठाणे कडून अहवाल सादर करण्यात येतो की, बी.के.सी. पोलीस ठाणे गु.र.क्र. १८०/२०२०, कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९भा.दं.वि. दिनांक २४/०५/२०२० अन्वये नोंद करण्यात आलेल्या गुन्हयाचा सविस्तर अहवाल खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

गुन्हयाची थोडक्यात हकिकत :- यातील फिर्यादींचा खाली नमूद प्रमाणे सविस्तर जबाब नोंद केला असून तो असा आहे की, दि.२३/५/२०२० रोजी सकाळी ०७.०० चे सुमारास चाळ क. ५२ भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई ५१, या ठिकाणी रमजान मणियार याने फिर्यादींना व त्यांचा भाउ नामे सलीम यांना डोक्यात रॉड ने मारून दुखापत केली तसेच बद्रुद्दीन मणियार याने फिर्यादींचे भावाचा मुलगा मुरसलिम तसेच मेहुणा हनिफ सय्यद व आई यांना हाताने मारहाण करून दु:खापत केली तसेच शिवीगाळ करून बघुन घेण्याची धमकी दिली होती. सदर बाबत फिर्यादींचा भाउ सलीम याने बीकेसी पोलीस ठाणेस सविस्तर तक्रार दिली असून त्यावरून बीकेसी पोलीस ठाणे गु.र.क. १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

त्यानंतर दि. २३/५/२० रोजी १९.३० वा.चे दरम्यान फिर्यादी व त्यांचे नातेवाईक उपवास सोडून त्यांचे राहते घराचे बाहेर बसले असता, मुरसलिम याच्या लग्नाची बोलणी करण्याकरीता मुलीच्या वडीलांनी जावेद यांना त्यांच्या घरी बोलवून घेतले असता फिर्यादी व त्यांचा भाउ नामे सलिम व नातेवाईक त्यांचे घरी चाळ क. ५२, भारतनगर बांद्रा पूर्व मुंबई या ठिकाणी गेले. फिर्यादींचे सर्व नातेवाईक घरात बसले व फिर्यादी व त्यांचा पुतण्या नामे अश्मान असे काही कामाकरीता घराचे बाहेर आले असता, अचानकपणे बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम त्यांचे समोर आले. त्यातील बद्रुद्दीन मणियार याचे हातात लोखंडी रॉड होता, तसेच रमजान व तालिब याचे हातात पाईप होता, तसेच हुसेन व आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हातातही काठी व बांबू होते. सदरचे सर्व इसम फिर्यादींचे राहते परीसरातील असल्याने ते त्यांस ओळखतात. सदरवेळी बद्रुद्दीन मणियार हा ओरडू लागला की, 'शाकीर तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करू लागला व त्याचे हातातील रॉड ने फिर्यादींचे डोक्यात मारले. सदर त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. बद्रुद्दीने याने डोक्यात रॉडने मारल्यामुळे फिर्यादींचे डोक्यातून रक्त येउ लागले. तसेच त्यांनी आरडा-ओरडा केली असता फिर्यादींचे इतर भाउ व नातेवाईक घराचे बाहेर आले व त्यांनी फिर्यादींना सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता, फिर्यादींचा भाउ नामे सलिम व इतर नातेवाईकांस देखिल सदर जमावाने त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली.

Scanned with CamScanner

त्यानंतर सदर ठिकाणी जमलेल्या लोकांनी सदर जमावाच्या तावडीतून फिर्यादींची व त्यांचे नातेवाईकांची सुटका केली. फिर्यादींना दुखापत झाली असल्याने ते प्रथम पोलीस ठाणेस तक्रार देण्याकरीता गेले. परंतु फिर्यादींचे नातेवाईकांनी फिर्यादींना प्रथम औषधोपचार करणेकरीता भाभा रूग्णालया येथे जाण्यास सांगितले. त्यानुसार ते भाभा रूग्णालय येथे जाउन औषधोपचार घेउन तक्रार देण्याकरीता सदरवेळेस पोलीस ठाणेस आले.

तरी दि. २३/५/२०२० रोजी १९.३० वा.चे सुमारास बद्रुद्दीन मणियार व रमजान मणियार यांचे विरोधात पोलीसांत तक्रार दिल्याचा राग मनात ठेवून बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ तसेच झाकीर व इतर काही इसम यांनी एकत्रितपणे वर नमूद ठिकाणी अचानकपणे येउन 'शाकीर तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून लोखंडी रॉड ने डोक्यात मारून फिर्यादींना दुखापत केली, तसेच त्याचे इतर सहकारी ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते व त्यांनी फिर्यादींचा भाउ सलिम व इतर नातेवाईकांस त्यांचेकडील पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केली, व शिवीगाळ केली म्हणून नमूद आरोपीविरोधात वरील प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

तपासः- सदर गुन्हयाच्या तपासात, सदर गुन्हयातील फिर्यादी श्री शारीक अजिजुद्दीन अन्सारी यांना नमुद आरोपीतांकडुन सकाळी झालेल्या मारहानीमुळे डोक्याला दुखापत झालेली असताना देखील पुन्हा डोक्यावरच लोखंडी रॉड ने प्रहार केल्याने मोठी जखम झाली त्याबाबतची वैद्यकीय कागदपत्रं भाभा हॉस्पीटल येथील डाक्टरांनी दिलेले असुन ते गुन्हयाच्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेले आहेत. तसेच फिर्यादी यांचे रक्ताचे नमुने घेउन पुढील चाचणीकरीता मा. संचालक,न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र शासन, कालिना,सांताक्रूझ (पू), मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहेत.

आरोपी नामे मोहम्मद हुसैन ईस्माईल अन्सारी याला दि. २५/०५/२०२० रोजी अटक करण्यात आली असून आरोपी पोलीस कोठडीत असताना त्याचे, बद्रुद्दीन मणियार व इतर साधीदारांनी गुन्हयात वापरलेले हत्यार तसेच इतर आरोपींबाबत चौकशी केली असता त्याने गुन्हयात फिर्यादी व साक्षीदार यांना जखमी करण्यास वापरलेलया हत्याराबाबत आपखुशीने निवदेन करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने दोन लायक पंचासमक्ष त्याचे निवेदन नोंद करून त्याने निवेदन पंचनाम्याअंतर्गत लपवुन ठेवलेले लोंखडी पाईप, लोखंडी रॉड, व बांबु दोन पंचा समक्ष काढुन दिल्याने ते पंचनाम्याअतर्गत ताब्यात घेण्यात आलेले असून वैज्ञानीक पुरावे मिळविण्याच्या दृष्टीने मा. संचालक, न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा महाराष्ट्र शासन, कालिना,सांताक्रूझ (पू), मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आलेले आहेत.

नमुद गुन्हयातील आरोपी बद्रदुद्दीन सदरूद्दीन मणिहार व त्यांचे कुटुंबाविरुध्द दाखल गुन्हे.

<u>अर्जदाराचे पती नामे बद्रदुद्दीन सदरूद्दीन मणिहार याचा गुन्हेगारी अभिलेख :-</u>
<u>अ) दखलपात्र दाखल गुन्हे</u>

१) गु.र.क्र.१७८/९८, कलम ३२३,३२४,५०४ भादवि खेरवाडी पोलीस ठाणे
२) गु.र.क्र.१४४/०९ कलम ३०२,३४ भा.द.वि
३) गु.र.क्र.१६२/१४, कलम ३३२,३५३,५०४,५०६,३४ भादवि
४) गु.र.क्र.१३५/१५, कलम ३२४ भादवि
५)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि
६) गु.र.क्र.२७९/१६ कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
७) २५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
८) २५५/१९ कलम ३२३, ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. खेरवाडी पोलीस ठाणे
९) ६९/२० कलम ४२०,४०६,३४ भादवी.
१०) १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवी
११) गु.र.क्र १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.
१२) गु.र.क्र १९२/२० कलम ३०९ भादवी.

Scanned with CamScanner

ब) अदखलपात्र दाखल गुन्हे

१) अ.द.गु.र.क.८८१/१०, कलम ३२३,५०४ भादवि
२) अ.द.गु.क. ८८४/१०, कलम ३२३,५०४,५०६ भादवि
३) अ.द.गु.र.क.१७०/१४, कलम ५०४,५०६ भा.दवि
४) अ.द.गु.र.क.३८५/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि
५) अ.द.गु.र.क.५१२/१५, कलम ५०४,३२३ भादवि
६) अ.द.गु.र.क.५६५/१५, कलम ५०६ भादवि
७) अ.द.गु.र.क्र.६५१/१५ कलम ४२७ भा.द.वि.
८)अ.द.गु.र.क्र.१०५९/१९ कलम ५०६ भा.द.वि.
९) अ.द.गु.र.क्र.४२४/१८ कलम ४२७,५०६ भा.द.वि.
१०) अ.द.गु.र.क्र.९२८/१७ कलम ५०४,५०६ भा.द.वि.
११) अ.द.गु.र.क्र.११७२/१७ कलम ५०४ भा.द.वि.
१२) अ.द.गु.र.क्र.११५३/१६ कलम ५०४ भा.द.वि.
१३) अ.द.गु.र.क्र.६६/२० कलम ५०४,५०६ भा.द.वि.
१४) अ.द.गु.र.क्र.११४/२० कलम ५०४,५०६ भा.द.वि.
१५) अ.द.गु.र.क्र.११५/२० कलम ५०४,५०६ भा.द.वि.

नासिर हुसेन सद्रुद्दीन मनियार याचा गुन्हेगारी अभिलेख

१) गु.र.क्र.१४४/०९ कलम ३०२,३४ भा.द.वि.
२) खेरवाडी पो.ठाणे गु.र.क्र.१०९/२००२ कलम-३२४,३४ भा.द.वि.
३) बी.के.सी.पो.ठाणे अ.द.गु.र.क्र.८७९/१५ कलम-५०४, ५०६ भा.द.वि.
४) बी.के.सी.पो.ठाणे कलम १५१(३) फौ.द.प्र.सं. अन्वये कारवाई
५)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि
६) गु.र.क.२७९/१६,कलम-३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
७) गु.र.क.१६२/१४,कलम ३५३,३३२,५०४,५०६,३४ भा.द.वि.
८) गु.र.क.२५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
९) गु.र.क.२५५/१९ क-३२३,३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७(१)(३) भादवी. खेरवाडी पो.ठाणे
१०) गु.र.क.१८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

रमझान सदरूद्दीन मणिहार याचा गुन्हेगारी अभिलेख :-

अ) दखलपात्र गुन्हे

१) गु.र.क.१६२/१४, कलम ३३२,३५३,५०४,५०६,३४ भादवि
२) गु.र.क.१३६/१५, कलम ३२३,३५४,५०४,३४ भादवि
३)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि
४) २५४/१९ कलम ३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७ (१)(३) भादवी. बीकेसी पोलीस ठाणे
५) २५५/१९ कलम ३२३,३२४,१४३,१४४,१४७,१४८,१४९,३७(१)(३) भादवी. खेरवाडी पो.ठाणे
६) १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवी
७) गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

ब) अदखलपात्र गुन्हे

१) अ.द.गु.र.क.३४२/१०, कलम ३२३,५०४ भादवि
२) अ.द.गु.र.क.१७०/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि
३) अ.द.गु.र.क.१७४/१४, कलम ५०४,५०६ भादवि

Scanned with CamScanner

झाकीर हुसेन सदरूद्दीन मणियार, ३६ वर्षे याचा गुन्हेगारी अभिलेख

१) गु.र.क्र.१६२/१४, कलम ३५३,३३२,५०४,५०६,३४ भा.द.वि.
२) गु.र.क्र.२७९/१६, कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
३)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि
०४) गु.र.क्र १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४,१४३,१४७,१४८,१४९ भादवि.

अर्जदार यांचे घरातील महिलांचा गुन्हेगारी अभिलेख

श्रीमती अबिदा झाकिर हुसेन मनियार हीचा गुन्हेगारी अभिलेख

१) बी.के.सी पो.ठाणे गु.र.क्र.१४४/०९ कलम-३०२,३४ भा.द.वि.
२) गु.र.क्र.२७९/१६, कलम-३५३,५०४,३४ भा.द.वि.
३)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि

श्रीमती हीना कौसर मनियार हीचा गुन्हेगारी अभिलेख
१)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि

श्रीमती रूखसाना हन्नार मनियार हीचा गुन्हेगारी अभिलेख
१)गु.र.क्र.२७८/१६क-१४१,१४२,१४३,१४४,१४५,१४६,१४७,१४८,३३२,३३३,३५३,१२०(ब) भादंवि

श्रीमती बशिराबी नासीर हुसेन मनीहार हीचा गुन्हेगारी अभिलेख
१) गु.र.क्र.२७९/१६, कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि.

सदर गुन्हयाच्या तपासादरम्यान फिर्यादी यांचा दि. ३१/०५/२०२० रोजी पुरवणी जबाब नोंद केला असुन, त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, दि. २३/०५/२०२० रोजी १९.३० वाजता त्यांचा पुतण्या मुरसलीम याच्या लग्णाच्या बोलणीकरीता मुलीचे वडील नामे महेमुद (जुनियर) यांच्या घरी ते सगळे नातेवाईक गेले होते. घरात बसण्यासाठी जागा नसल्याने कामाचे निमित्त करुन फिर्यादी व त्यांचा पुतण्या अश्मान असे बाहेर गेले असता अचानकपणे बद्रुद्दीन मणियार, रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ, नासीर मणियार, रिहान चुहा, मोहसिन डालडा तसेच झाकीर व इतर काही इसम व महीला माझे समोर आले. त्यातील बद्रुद्दीन मणियार याचे हातात हिरव्या रंगाचा लोखंडी रॉड होता, तसेच रमजान व तालिब याचे हातात लोखंडी पाईप होता, तसेच नासीर मणिहार, झाकीर मणिहार, हुसेन रिहान चुहा व आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हातातही काठी व बांबू होते. सदरचे सर्व इसम माझे राहते परीसरातील असल्याने मी त्यांस ओळखतो. सदरवेळी बद्रुद्दीन मणियार हा ओरडू लागला की, 'शारीक तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करू लागला व त्याचे हातातील रॉड ने माझे डोक्यात मारले. सदर त्याचे इतर सहकारी ही ' मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. बद्रुद्दीने याने माझे डोक्यात रॉडने मारल्यामुळे माझे डोक्यातून रक्त येउ लागले. डोक्यावर सकाळी मारहाणीत झालेल्या जखमेमुळे ड्रेसिंग पट्टी केलेली असताना देखील जिव घेण्याच्या उद्देशाने पुन्हा डोक्यावरच लोखंडी रॉडने मारल्यामुळे मोठया प्रमाणावर रक्तस्त्राव सुरू झाला तरी देखील रमजान मणियार व तालिब यांनी लोखंडी पाईपने तसेच हुसेन, आसिफ, झाकीर मणियार यांच्यासह नासीर मणियार व रिहान चुहा यांनी देखील त्यांच्या हातातील बांबुने मारहाण केली त्यावेळी मोहसिन डालडा हा देखिल लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करीत होता. असे फिर्यादीने त्यांच्या पुरवणी जबाबात सांगितल्याने नासीर मणियार, रिहान चुहा व मोहसिन डालडा यांची नावे पाहीजे आरोपीतांमध्ये समाविष्ठ करण्यात आलेली आहेत.

तसेच नमुद गुन्हयाच्या तपासादरम्यान काही डोळस साक्षीदारांचे जबाब नोंद करण्यात आले असून त्यांनी त्यांच्या जबाबात असे नमुद केले आहे की, सदरच्या घटनेमुळे फिर्यादीच्या डोक्याला मोठी जखम झाल्याने त्यातुन मोठया प्रमाणात रक्तस्त्राव होत असल्याने फिर्यादीच्या नातेवाईकांनी फिर्यादीस घेउन प्रथम ते पोलीस ठाणे येथे व नंतर

Scanned with CamScanner

तेथून भाभा हॉस्पीटलमध्ये गेले होते असे जबाबात सांगितले आहे. तसेच काही डोळस साक्षीदारांच्या जबाबात आरोपी हे सदरच्या घडनेनंतर त्यांच्या घराकडे गेले होते असे सांगितले आहे.

आरोपी नामे बद्रदुद्दीन सदरूद्दीन मणिहार व इतर आरोपीतांना अटकपुर्व जामिन मंजुर झाल्यानंतर देखील नमुद आरोपी बद्रुद्दीन व त्याची पत्नी नामे इशरत मनिहार यांनी केलेल्या अर्जावर कारावाई करावी म्हणुन दबाव आणण्यासाठी मा. पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ ८ यांचे दालनात यातील आरोपी बद्रुद्दीन याने मा. पोलीस उपायुक्त परिमंडळ ८ यांना उद्देशुन " आप कुछ कारवाई नही करते. आप कैसे कारवाई नही करते ये मे देख लेता हु, आपको दिखाता हु " असे म्हणुन पोलीसांवर दबाव आणण्यासाठी त्याचे जवळील फिनाईलसारखे पाढऱ्या रंगाचे विषारी द्रावण पिण्याचा प्रयत्न करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला म्हणुन त्याच्या विरुध्द वपोनि बीकेसी यांच्या तक्रारीवरुन दि. २९/०६/२०२० रोजी बीकेसी पोलीस ठाणे गुरक्र १९२/२० कलम ३०९ भादवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे. नमुद आरोपीताचे वरील कृत्य पोलीसावंर दबाव निर्माण करून त्यांच्या विरोधात असलेल्या गुन्हयाच्या तपासावर विपरीत परिणाम करणारे आहे.

आरोपी बद्रुद्दीन सदरूद्दीन मणियार व इतर यांचा जामिन रदद् करण्याची कारणे पुढिल प्रमाणे.

१) मा हुजुर न्यायालयाने आरोपीतांना खालील अटी व शर्तीवर जामीन मंजुर केला होता.

अ) नमुद आरोपीतांना मा हुजुर न्यायालयाने जामीन मंजुर करतेवेळी प्रत्येकी २५ हजार रुपयाचा पर्सनल बॉन्ड व शुअरिटी बॉन्ड देण्याबाबत आदेशीत केलेले असताना देखील नमुद आरोपीतांनी अदयाप पर्यन्त रुपये २५ हजाराचा पर्सनल बॉन्ड व शुअरिटी बॉन्ड दिलेला नाही.

ब) नमुद आरोपीतांना मा हुजुर न्यायालयाने जामीन मंजुर करतेवेळी आदेशीत केले होते की, नमुद आरोपीतांनी प्रत्येक आठवडयाच्या बुधवार व शुक्रवारी सकाळी १० ते दुपारी १२.०० वाजेपर्यन्त संबंधीत पोलीस ठाण्यात दोषारोपपत्र दाखल होईपर्यन्त हजेरी देण्याबाबत आदेशीत केले होते. परंतु नमुद सर्व आरोपी दिलेल्या वेळेत हजेरी देण्यासाठी येत नाहीत. तसेच हजेरीसाठी आले तर एक कींवा दोन या संख्येने येतात. दिनांक २६/०६/२०२० रोजी नमुद आरोपीतांपैकी कोणीही पोलीस ठाण्यास हजेरी देण्यासाठी आले नाहीत.

क) नमुद आरोपीतांना मा हुजुर न्यायालयाने जामीन मंजुर करतेवेळी आदेशीत केले होते की, नमुद आरोपी हे कोणत्याही प्रकारचा पुरावा नष्ट करणार नाहीत तसेच फर्यादी, साक्षीदार किंवा नमुद गुन्हयाशी संबंधीत कोणत्याही व्यक्तीस संपर्क अथवा प्रभाव टाकणार नाहीत परंतु असे असताना देखील नमुद आरोपीतांपैकी बद्रुद्दीन मनिहार याने मा. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-८ यांच्या दालनात पोलीसांवर तसेच तपासी अधिका-यावर दबाव आणण्याच्या दृष्टीने फिनाईलसारखे पाढऱ्या रंगाचे विषारी द्रावण प्राशन करुन आत्महात्याचा प्रयत्न केला होता म्हणून त्याच्या विरुध्द बीकेसी पोलीस ठाणे गुरक्र १९२/२० कलम ३०९ भादवी अन्वये गंभीर स्वरूपाचा दखलपात्र गुन्हा नोंद केलेला आहे.

ड) नमुद आरोपीतांना मा हुजुर न्यायालयाने जामीन मंजुर करतेवेळी आदेशीत केले होते की, नमुद आरोपीतांनी त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणांबाबत आणी मोबाईल क्रमांका बाबतची माहीती तपासी अधिका-यांना तत्काळ कळविण्याबाबत आदेशीत केलेले असताना देखील. नमुद आरोपीतांपैकी कोणीही अदयापर्यन्त त्यांच्या वास्तव्याबाबत तसेच मोबाईल क्रमांकाबाबतची माहीती तपासी अधिका-यांना सादर केलेली नाही.

तरी मा. न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन अर्ज क्रमांक ६४५/२०२० मंजुर करतेवेळी घालुन दिलेल्या कोणत्याही अटी व शर्तिंची पुर्तता केलेली नाही.तसेच गुन्हयासंदर्भात तपासी अधिका-यांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केलेले नाही. परंतु हजेरीसाठी येताना नमुद आरोपीतांपैकी बद्रुद्दीन मनिहार याने नमुद गुन्हयाच्या तपासावरुन लक्ष विचलीत करुन तपासी अधिका-यावर दबाव आणण्यासाठी वेळोवेळी तथ्यहीन तक्रार अर्ज पोलीस ठाण्यास दाखल केलेले आहेत.

Scanned with CamScanner

२) नमुद गुन्हयात इतर आरोपीतांचा सहभाग असुन त्यांच्या ठाव ठिकाणा बाबत कोणतीही उपयुक्त माहिती नमुद आरोपीतांकडुन मिळत नाही. तसेच नमुद गुन्हयातील डीव्हीआरची विल्हेवाट आरोपीतांनी कुठे लावली याबाबत कुठल्याही प्रकारचे तपासात सहकार्य करीत नाही.

३) नमुद गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा व दंगलीचा असल्याने यात आरोपीतांचे गुन्हा करतेवेळी सामाईक उद्दीष्ट (**Common Intention**) असल्याने नमुद आरोपीतांची एकत्रीत चौकशी करणे गरजेचे आहे.

४) बद्रुद्दीन मनिहार व इतर आरोपी हे सराईत गुन्हेगार असुन देखील त्याना अटक पुर्व जामिन मंजुर झाल्याने नमुद गुन्हयातील फिर्यादी तसेच साक्षिदार यांच्यात भीतीचे वातावरण तयार झाल्याने नमुद गुन्हयात आणखी डोळस साक्षीदार मिळणे दुरापास्त झालेले आहे.

५) नमुद गुन्हयातील आरोपीताना जामिन मंजुर झाल्यानंतर यातील फिर्यादी, साक्षिदार व पोलीस यांच्या विरोधात एकुण १८ तक्रार अर्ज हे विविध प्राधिकरणास पाठवुन पोलीसांचे प्रत्यक्ष तपासापासुन लक्ष विचलीत करीत आहेत.

६) नमुद आरोपी हे नमुद गुन्हयातील साक्षिदाराविरूध्द तसेच पोलिसांन विरोधात सोशल मीडीयावर बदनामीकारक संदेश प्रसारित करून साक्षिदारावर व तपास अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत आहे.

७) नमुद आरोपीतांविरूध्द वेगवेगळया पोलीस ठाण्यात मोठया प्रमाणात शरीराविरूद्धचे गुन्हे दाखल असुन त्यातील एक गुन्हा पोलीस अधिकाऱ्यास मारहाण केलेली असल्याबाबत आहे. त्यामुळे ते सरावलेले असुन त्यांच्या कडुन गुन्हयाच्या पुढील तपासात कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नाही.

तरी वरिल कारणास्तव यातील अर्जदार आरोपीतांचा मंजुर झालेला अटक पुर्व जामिन रदद् होण्यास मा.हुजूर न्यायालयास विनंती आहे.

आपला विश्वासु,

Shinde 14/07/2020

(कन्हैयालाल शिंदे)

पोलीस निरिक्षक

बी.के.सी.पोलीस ठाणे,मुंबई

Scanned with CamScanner

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम–१९५१ कलम ५६(१)(अ) अन्वये हद्दपार करण्याकरीता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम–१९५१ चे कलम ५९ प्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस.

दिनांक: १४/०७/२०२०

प्रति,

श्री. बद्रुद्दीन सद्रुद्दीन मनियार, वय ३६ वर्षे,
रा.ठी. चाळ नं ५२, रूम नं. ८१, नेहरूविकास मंडळ,
भारतनगर, बांद्रा पुर्व, मुंबई ५१

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम–१९५१ (सन १९५१ चा अधिनियम क्र.२२) चे कलम ५९ अन्वये तुम्हास सुचित करण्यात येते की, सदर अधिनियमाचे कलम ५६(१)(अ) अन्वये तुमच्या विरुध्द करण्यात येणाऱ्या कारवाईत खालील नमुद अभिकथने केले जात आहेत आणि त्यामध्ये तुम्हाला मुंबई, मुंबई उपनगरे, नवी मुंबई, ठाणे जिल्हयाच्या हद्दीबाहेर दोन वर्षाकरीता हद्दपार करण्याचे प्रस्तावित आहे.

१. तुमच्याविरुध्द असलेल्या तक्रारी संबंधी खुलासा करण्यासाठी व तुमचे कोणतेही साक्षीदार असतील तर त्यांची साक्ष ऐकण्याकरीतां व तुम्हाला मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, ठाणे, नवी मुंबई जिल्हयांचे हद्दीबाहेर हद्दपार का करु नये? इत्यादी विषयी तुम्हास तुमची बाजु मांडण्याकरीतां एक संधी म्हणुन मी, ए.बी. शेवाळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, मुंबई–५१, **दि. २२/०७/२०२० रोजी १७:००** वा.ची वेळ निश्चित करीत आहे. मी, ए.बी.शेवाळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, मुंबई–५१, या कारवाईची चौकशी करण्याकरीता मा.पोलीस उप–आयुक्त, परिमंडळ–८, मुंबई यांनी प्राधिकृत केले आहे. मी आपणास सुचित करतो की, **दि. २२/०७/२०२० रोजी १७:००** वा. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, बांद्रा–कुर्ला संकुल पोलीस ठाणे इमारत,पहिला माळा, बांद्रा (पुर्व), मुंबई–५१, या ठिकाणी माझे कार्यालयात तुम्ही स्वत: व तुमचे कोणी साक्षीदार असतील तर त्यांचेसह हजर रहावे. तुम्ही तुमच्या वकिलासह हजर राहु शकता. जो पर्यत सदर चौकशीची कारवाई चालु राहील तो पर्यत तुमची उपस्थिती करीता तुम्हास रु. ५,०००/–चे बंधपत्र व तेवढयाच लायक रक्कमेच्या एका योग्य जामीनदारासह जातमुचलका लिहुन द्यावा लागेल. जर तुम्ही या कारवाईच्या दरम्यान हजर रहाण्याकरीता व जामीनदारासह बंधपत्र देण्याकरीता असफल झालात तर तुमच्या गैरहजेरीत सदरची कारवाई पुर्ण केली जाईल, याची आपण जाणीव ठेवावी.

२.अभिकथने :–

सन १९९८ पासून आजतागायत (पोलीस कोठडी व न्यायालयीन कोठडी कालावधी सोडुन) तुम्ही तुमच्या साथीदारांसह पत्थरनगर, भारतनगर, वाल्मीकीनगर व आजूबाजूच्या परिसरातील गुन्हेगारी क्षेत्रात वावरत असुन, तुम्ही गुन्हेगारी जीवनास वाहुन घेतलेले आहे. तुम्ही आजपर्यत शांतताप्रिय नागरिकांना मारामारी करणे, दुखापती करणे, धमकी देणे, गैरकायदयाची मंडळी जमवून मारामारी करणे, जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करणे, सरकारी नोकरावर हल्ला करून दुखापत करणे, लोकांची फसवणुक करणे अशा प्रकारचे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे केलेले आहेत.

तुमच्या अशा कारवाया राजरोसपणे तुमचे साथीदारासह चालू असतात. तसेच तुम्ही तुमच्या साथीदार समवेत तुम्ही राहत असलेल्या परिसरात बीएमसीच्या अधिकृत पाईप लाईन मधुन अनधिकृतरित्या पाणी पुरवठा करून देऊन त्यामोबदल्यात पैसा मिळविणे. तसेच शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे, शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, शासकीय कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणे, शासकीय नोकरावर कर्तव्यापासुन परावृत्त होण्यास, आत्महत्या करण्याचे भय दाखवून दबाव आणणे, लोकांची फसवणुक करणे अशा प्रकारच्या गुन्हयांत सहभागी आहात. तुमच्या दहशतीपोटी नागरिकांच्या जिवीतास, धोका, इजा व नुकसान होईल या भितीपोटी कोणीही तुमच्या विरूध्द उघडपणे बोलत नाहीत अथवा पोलीसांत तक्रार देण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे सदर विभागातील शांतताप्रिय नागरिक हे तुमच्या गैरकृत्यामुळे भितीच्या छायेत वावरत आहेत. तुमच्याविरुध्द विश्वसनीय कारणे आहेत कि, तुम्ही व तुमच्या साथीदारासह भारतीय

(पुढे चालु–२)

सहाय्यक पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, मुंबई

Scanned with CamScanner

दंड विधान संहितेच्या प्रकरण क्र. १६, १७ व २२ मधील दाखविलेल्या कलमांतर्गत शरिराविरुध्द व मालमत्तेच्या संबंधी गुन्हयांत कार्यरत व क्रियाशिल आहात. तसेच तुम्ही यापुढेही तुमच्या साथीदारासह नमुद परीसरात कार्यरत राहण्याची दाट शक्यता व संभावना आहे.

तुमच्याविरुध्द बी.के.सी व खेरवाडी पोलीस ठाणे येथे खालील प्रमाणे दखलपात्र गुन्हे नोंद झालेले आहेत.

अक्र	पोलीस ठाणे	गु.र.क्र व कलम	कोर्ट केस क्रमांक	प्रकरणाची सद्यस्थिती
१	बीकेसी	गु.र.क १९२/२० कलम ३०९ भादवि.	—	तपासाधिन
२	बीकेसी	गु.र.क १८०/२० कलम ३०७,३२४, ५०४, १४३, १४७, १४८, १४९ भादवि.	—	तपासाधिन
३	बीकेसी	गु.र.क १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०६,५०४,३४ भादवि.	—	तपासाधिन
४	बीकेसी	गु.र.क ६९/२० कलम ४२०,४०६,३४ भा द वि.	—	तपासाधिन
५	बीकेसी	गु.र.क.२५५/१९ कलम ३४२,३२३, १४१, १४३, १४४,१४७,१४८,१४९ सह म.पो.का.कलम ३७(१)(३)	—	तपासाधिन
६	बीकेसी	गु.र.क्र.२७८/१६ कलम १४१,१४२,१४३,१४४,१४५, १४६,१४७,१४८,३३२,३३३, ३५३,१२०(ब) भा दं वि.	६०१/पीडब्ल्यु/१७	न्यायप्रविष्ठ
७	बीकेसी	गु.र.क.१६२/१४,कलम ३३२,३५३,५०४,५०६,३४,भा द वि	१५८२/पीडब्ल्यु/१५	न्यायप्रविष्ठ
८	बीकेसी	गु.र.क्र. १४४/०९ कलम ३०२,३४ भादवि.	—	दोषमुक्त
९	बीकेसी	गु.र.क्र.१३५/०४, कलम ३२४ भा द वि	३८४/पीडब्ल्यु/०४	न्यायप्रविष्ठ
१०	खेरवाडी	१७८/९८ कलम ३२४,३२३,५०४ भादवि.	३३१/पीडब्ल्यु/९८	न्यायप्रविष्ठ

त्याचप्रमाणे तुमच्यावर बी.के.सी पोलीस ठाणे अभिलेखावर एकुण १५ अदखलपात्र स्वरूपाचे मारहाण करणे, शिवीगाळ करणे व धमकी दिल्याच्या तक्रारी नोंद आहेत.

तुमची व तुमचे साथीदार यांची बी.के.सी पोलीस ठाणे हद्दीतील पत्थरनगर, भारतनगर, वाल्मीकीनगर व आजूबाजूच्या परिसरात इतकी दहशत आहे की, तुम्ही रहात असलेल्या परिसरात रहाणाऱ्या इसमास त्यांच्या घरी असलेल्या लग्न कार्यात तुम्ही व तुमचे साथीदार येवुन लग्न कार्यात व्यत्यय आणुण त्याच्या कुटूंबियांच्या जिवाचे काहीतरी बरे वाईट करील अशी भिती निर्माण झाल्याने तुम्ही व तुमच्या साथीदारांपासुन त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणुन त्यांनी बी.के.सी. पोलीस ठाणेकडे संरक्षणाची मागणी केल्याचा अर्ज प्राप्त झालेला आहे.

तुमच्या विरुध्द उपरोक्त नमुद प्रमाणे दखलपात्र गुन्हे नोंद असतांना देखील त्याचा काही एक परिणाम तुमच्यावर न होता तुम्हीं तुमची गैरकृत्ये तशीच पुढे जोमाने चालु ठेवल्याने, तुमच्या सततच्या गैरकृत्यांमुळे सदरहू परिसरातील लोंकाच्या जिवीतास व मालमत्तेस धोका निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे तुम्हांला कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे भय वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे. तुमच्या गैरकृत्यास वेळीच आळा बसून, परिसरात शांतता व सुव्यवस्था व लोंकाच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण व्हावे म्हणून तुमच्या विरुध्द यापूर्वी बीकेसी पोलीस ठाणे कडून सन २०१९ मध्ये तुमच्यावर चॅ.के.क्र ८२/१९ व को.के.क्र १७१/१९ फौ.प्र.सं कलम १०७ अन्वये कारवाई करण्यात आली होती. परंतु सदर प्रतिबंधक कारवाई मध्ये तुम्ही नोटीस घेण्यास नकार दिला होता.

परंतू तुमच्या वर्तनात कोणताही बदल झालेला नसून तुमच्यावर कायदयाचा वचक राहिलेला नसल्याचे दिसुन येत आहे. तुम्ही पुन्हा पुन्हा दखलपात्र/अदखलपात्र गुन्हे सतत करीत आहात. तुमच्या वर्तणुकीचा व हालचालीचा विचार करता पोलीस ठाणे हददीमध्ये तुमच्या कारवाया हया खुल्या व छुप्या पध्दतीने तुमचे साथीदार यांच्यासमवेत तुम्ही करीत आहात. त्याचप्रमाणे तुम्हाला शरीराविरूध्दचे व मालमत्ताविरूध्दचे अपराध करण्याची सवय जडलेली आहे. तुमच्याविरुध्द नजीकच्या कालावधीत नमुद प्रमाणे गुन्हे दाखल आहेत.

(पुढे चालु—३)

Scanned with CamScanner

१)गु.र.क्र १७६/२०,कलम—३२४,३२३, ५०६, ५०४, ३४ भादवि

नमुद गुन्हयातील फिर्यादी व तुम्ही एकाच परिसरामध्ये रहावयास आहात. फिर्यादी हे तुम्हाला व तुमचे साथीदार भाऊ नामे रमजान मनियार व झाकीर मनियार यांना ओळखतात. सध्या करोना विषानुचा संसर्ग होत असल्याने पुर्ण भारत देशात लॉकडाऊन केले आहे. त्यामुळे फिर्यादी व तुम्ही रहात असलेल्या परिसरातील गरीब लोकांना फिर्यादीचे कुटुंबामार्फत किराणामाल तसेच गरजेच्या वस्तु वाटप करीत असतात. तसेच तुमचेही कुटूंब देखील सदरचे काम करत होते. तुम्ही व तुमचे साथीदार हे काही दिवसापुर्वी फिर्यादी वाटत असलेले किराणामाल तसेच इतर गरजेच्या वस्तु तुमच्या कुटूंबाच्या मार्फत वाटण्यात याव्या असे फिर्यादीस म्हणाला होतात. परंतु फिर्यादीने तुम्हाला व तुमचे साथीदारांना नकार दिल्याने तुमचा व तुमचे साथीदार भाऊ यांचा फिर्यादीवर राग होता.

दिनांक २३/०५/२०२० रोजी सकाळी ०७:०० वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादीच्या भावाचा मुलगा नामे मुरसल्लीन जावेद अन्सारी, वय २० वर्षे, हा त्याची होणारी पत्नी नामे रिझवाना शेख वय १९ वर्षे, हि तुम्ही रहात असलेल्या घरासमोर रहात असल्याने तिला भेटण्याकरीता चाळ क्र.५२, भारतनगर, बीकेसी, बांद्रा पुर्व मुंबई येथे तिच्या घरासमोर गेलेला होता. त्यावेळी तुम्ही फिर्यादीच्या भावाचा मुलगा मुरसल्लीन याला मारहाण करण्यास सुरूवात केली. सदरची बाब फिर्यादीला समजल्याने फिर्यादी व फिर्यादीचा भाऊ शारिक अन्सारी, मेव्हणा सय्यद हानिफ अल्ताफ तसचे फिर्यादी आई सलमा असे सर्वजन सदर ठिकाणी आले असता तुम्ही हाताने व तुमचा साथीदार भाऊ रमजान मनियार याने रॉडने फिर्यादी व फिर्यादीचे साथीदार यांना मारहाण केलीत. त्यावेळी फिर्यादीच्या डोक्याला डाव्या बाजुला, तसेच फिर्यादीचा भाऊ शारिक याच्या डोक्याच्या उजव्या बाजुला मारल्याने दुखापत झाली. फिर्यादीचा मेव्हणा हानिफ याच्या डाव्या डोळयाखाली तुम्ही ठोसा मारल्याने त्यास दुखापत झाली. तसेच फिर्यादीच्या आई सलमा हिला देखील धक्काबुक्की केल्याने तिच्या उजव्या हाताला कोपराजवळ दुखापत झाली म्हणुन फिर्यादी व फिर्यादीचे सर्व नातेवाईक हे भाभा रूग्णालय, बांद्रा, मुंबई येथे जावुन औषधोपचार करून येऊन बी.के.सी पोलीस ठाणेस दिलेल्या कायदेशिर तक्रारीवरुन तुमच्या व तुमचे साथीदार भाऊ रमजान मनियार यांच्या विरोधात गु.र.क्र. १७६/२० कलम ३२४,३२३,५०४,५०६,३४ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद झाल्याने तक्रार दिल्याचा राग मनात ठेवुन तुम्ही व तुमच्या साथीदारांनी पुन्हा सायंकाळी १९:३० वाजण्याच्या सुमारास फिर्यादी व साक्षीदार यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केलेला आहे. त्या नमुद गुन्हयाची हकिगत खालील प्रमाणे.

२) गु.र.क्र १८०/२० कलम ३०७, ३२४, ५०४, १४३, १४७, १४८, १४९ भा.द.वि.

दिनांक २३/०५/२०२० रोजी सायंकाळी १९.३० वा.चे सुमारास फिर्यादी व फिर्यादीचे भाऊ जावेद, सलिम व पुतण्या मुरसलीम आणि सलीमचा मेहुणा नामे हनिफ सय्यद असे सर्वजन उपवास सोडून राहते घराचे बाहेर बसलेले असताना मुरसलिम याच्या लग्नाची बोलणी करण्याकरीता मुलीच्या वडीलांनी फिर्यादीचा भाऊ जावेद याला फोन करून त्यांच्या घरी बोलवून घेतले असता फिर्यादी व फिर्यादीचे भाऊ व सर्व नातेवाईक हे मुलीच्या घरी म्हणजेच तुम्ही राहत असलेल्या घराच्या समोर चाळ क्र. ५२, भारतनगर बांद्रा पूर्व मुंबई ठिकाणी आले होते. फिर्यादी व फिर्यादीचे भाऊ व सर्व नातेवाईक घरात बसलेले असताना त्यावेळी फिर्यादी व फिर्यादीचा पुतण्या अश्मान हे काही कामानिमित्त घराचे बाहेर आले असता, अचानकपणे तुम्ही व तुमचे साथीदार नामे रमजान मणियार, तालिब, हुसेन, आसिफ, झाकीर व इतर काही इसम फिर्यादीच्या समोर गेलात.

त्यावेळी तुमच्या हातात लोखंडी रॉड होता, तसेच तुमचे साथीदार रमजान व तालिब यांचे हातात पाईप होता, तसेच हुसेन व आसिफ यांचे हातात बांबू होते. इतर इसमांच्या हातातही काठी व बांबू होते.

(पुढे चालु—४)

सदरवेळी तुम्ही ओरडू लागलात की, 'शारीक तुम लोगो ने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट करी है! मै तुझे आज जिंदा नही छोडुंगा, यहा से इनकी लाशे निकलनी चाहिए' असे बोलून शिवीगाळ करुन तुम्ही तुमच्या हातातील रॉडने फिर्यादीच्या डोक्यात मारले. त्यावेळी तुमचे इतर साथीदार ही 'मार उसे, जिंदा नही छोडना इसे' असे ओरडत होते. तुम्ही फिर्यादीच्या डोक्यात रॉडने मारल्याने फिर्यादीच्या डोक्यातून रक्त येऊ लागले. त्यावेळी फिर्यादींनी आरडा–ओरडा केली असता फिर्यादीचे भाऊ व इतर नातेवाईक घराचे बाहेर आले व त्यांनी तुमचे व तुमच्या साथीदारांचे तावडीतुन फिर्यादीला सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता, फिर्यादीचा भाऊ नामे सलिम व फिर्यादीचे इतर नातेवाईकांस देखिल तुम्ही रॉडने व तुमचे इतर साथीदारांनी त्यांचेकडील असलेल्या पाईप, बांबू व काठीने मारहाण केलीत.

त्यावेळी सदर ठिकाणी जमलेल्या लोकांनी तुमच्या व तुमचे साथीदारांचे तावडीतून फिर्यादी व फिर्यादीचे इतर साथीदार यांची सुटका केली. त्यावेळी फिर्यादींना गंभीर दुखापत झाल्याने व त्यांचे साथीदार यांना देखील दुखापत झाल्याने ते सर्वजण औषधोपचारा करीता भाभा रूग्णालय, बांद्रा पश्चिम,मुंबई येथे जावून औषधोपचार करुन येवुन तुमच्या व तुमचे साथीदार तुमचे विरूध्द पोलीस ठाण्यास येऊन दिलेल्या तक्रारी वरुन गु.र.क्र १८०/२० कलम ३०७,३२४,५०४, १४३, १४७,१४८,१४९ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून नमुद गुन्हयात तुम्हाला मा. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाने अटकपुर्व जामीन मंजुर झालेला असून सध्या तुम्ही व तुमचे साथीदार अटकपुर्व जामिनावर मुक्त आहात.

३) गु.र.क्र. १९२/२० कलम ३०९ भा.द.वि.

दिनांक २९/०६/२०२० रोजी २०:३० वाजताच्या सुमारास मा.पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ ८, मुंबई यांचे दालनात तुमची साथीदार पत्नीने केलेल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाणे तुम्हाला बोलण्याची संधी दिल्यानंतर तुमचे म्हणणे व्यवस्थीतपणे ऐकुण घेवून तुमच्या अर्जाची कागदपत्रे मा.पोलीस उप आयुक्त हे स्वत: पाहुन व्यवस्थीत व नि:पक्षपाती पणे चौकशी होईल आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन दिले असता, तुम्ही मा. पोलीस उप आयुक्त यांना म्हणालात की, "आप कुछ कारवाई नही करते, आप कैसे कारवाई नही करते ये मे देख लेता हु, आप को दिखाता हु" असे म्हणुन तुम्ही तुमचे पॅन्टच्या खिशामध्ये ठेवलेली फिनाईल या विषारी द्रव्यासारख्या वास येत असलेल्या द्रावणाची बाटली खिशातुन बाहेर काढुन तोंडाला लावुन द्रावण पिऊ लागलात. त्यावेळी तुम्हास लागलीस तेथील पोलीस अधिकाऱ्यांनी द्रावण पिण्यास प्रतिबंध केले व उपचारार्थ शासकीय रूग्णालयात दाखल केले. परंतु तुम्हाला पोलीसांनी तुमचे म्हणण्याप्रमाणे तुमचे काम करावे यासाठी पोलीसांवर दबावतंत्र म्हणुन फिनाईल सारखे विषारी द्रावण पिवून आत्महत्या करण्याचा बनाव केल्याने तुमचे विरोधात बी.के.सी. पोलीस ठाणेस गु.र.क्र. १९२/२० कलम ३०९ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे.

४) गु.र.क्र. ६९/२० कलम ४२०,४०६,३४ भा.द.वि.

तुम्ही व तुमचे साथीदाराने पत्थरनगर, बिल्डींग क्र.१बी व सी मधील रहिवाशांना तुमची बीएमसी मधील अधिकाऱ्याशी व मोठमोठया राजकीय व्यक्तीशी ओळख असल्याचे सांगुन, तुमचे राजकीय नेत्यानसोबतचे असलेले फोटो रहिवाशांना दाखवुन बीएमसी कडुन कमी खर्चात अधिकृत नळ जोडणी करून देतो असे खोटे अश्वासन देवुन त्यांचा विश्वास संपादन केला. आणि त्यांच्याकडुन वेळोवेळी एकुण रोख ४,६०,०००/– रूपये घेतले.

तुम्ही व तुमच्या साथीदाराने प्रत्थरनगर परिसरातुन जाणाऱ्या बीएमसीच्या अधिकृत पाईपलाईनला अनाधिकृत नळ जोडणी करून सदरचे पाणी पत्थरनगर इमारतीमधील रहिवाशांना पाणी पुरवठा करून त्यांच्याकडून अधिकृत नळ जोडण्याकरीता म्हणुन रूपये ४,६०,०००/– घेवुन त्यांची फसवणुक केल्याने तुमचे विरोधात बी.के.सी. पोलीस ठाणेस गु.र.क्र. ६९/२० कलम ४२०,४०६,३४ भा.द.वि. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे.

(पुढे चालु–५)

Scanned with CamScanner

५) <u>गु.र.क्र २५५/१९, कलम ३२३,३२४, १४३, १४४, १४७, १४८,१४९ भा.द.वि. ३७(१)(३) म.पो.का.</u>

फिर्यादी नामे मेहबुब नुरमोहम्मद चौहाण यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन फिर्यादी यांचा साथीदार भाऊ नामे जलिल शेख व त्यांचे इतर साथीदार हे एस.आर.ए ची नोटीस एच.डी.आय.एल कंपणीतर्फे पत्थरनगर, भारतनगर परिसरामध्ये वाटप करत होते. त्यावेळी तुम्ही व तुमचे साथीदार यांनी गैरकायदयाची मंडळी जमवून सदरची नोटीस वाटप करायची नाही या कारणावरून फिर्यादी व फिर्यादी यांचे साथीदार यांना शिवीगाळ करून धक्काबुकी केली. त्यावेळी फिर्यादी हे तुम्हाला व तुमचे साथीदारांना शिवीगाळ करू नका असे बोलले असता फिर्यादी यांना पकडुन तुम्ही व तुमचे साथीदारांनी हाता पायांनी मारहाण केली. तुम्ही व तुमचे साथीदार यांच्यापैकी कोणीतरी फिर्यादींना मारहाण करते वेळी पाठीवर चाकुने वार करून दुखापत केलीत. तसेच तुम्ही व तुमचा साथीदार भाऊ नासीर मणियार याने फिर्यादी यांना बांधकाम चालु असलेल्या साईटवरील लोंखडी सळीने मारहाण केली. म्हणून फिर्यादी यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून तुमचे व तुमचे साथीदाराविरुध्द वर नमुद कलमान्वये गुन्हा बी.के.सी.पोलीस ठाणेस नोंद करण्यात आलेला आहे.

तुमच्या गैरकृत्यास आळा घालाण्याचा शासकीय अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर हल्ले केलेबाबत तुमच्याविरूध्द पुढील प्रमाणे गुन्हे नोंद आहेत.

६) गु.र.क्र १६२/१४ कलम ३५३,३३२,५०४,५०६,३४ भा.द.वि या गुन्हयाची थोडक्यात हकिकत पुढील प्रमाणे.

दिनांक २०/०८/१४ रोजी १०:०० वाजता एमएमआरडीचे अधिकारी तुम्ही रहात असलेल्या परिसर चाळ क्र.५२, एस.एफ ३ व ४ या शासकीय राखीव भुखंडाच्या हद्दीवर कुंपन घालण्याचे काम करत असताना तुम्ही व तुमचे साथीदारांनी सदर ठिकाणी गोंधळ घालुन, शिवीगाळ करून, धमकावून तेथील निकामी टयुबलाईट फोडुन स्वत:स मारून घेवुन जखमा करून शासकीय नोकरावर दबाव आणलात. एमएमआरडीएचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धक्का बुक्की करून त्यांच्यावर हल्ला केलात. सदर वेळी तेथील कर्तव्यावरील पोलीसांनी तुम्हाला व तुमचे साथीदारांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला असता. तुम्ही व तुमचे साथीदार पोलीसांच्याही अंगावरती जावुन धक्का बुक्की केलीत. म्हणुन तुमचे व तुमच्या साथीदारा विरूध्द बी.के.सी पोलीस ठाणेस वरीलप्रमाणे गुन्हा नोंद आहे.

७) गु.र.क्र २७८/१६, कलम ३३३,३३२,३५३,१२०(ब),१४१,१४२,१४३,१४४, १४५, १४६, १४७, १४८ भा.द.वि या गुन्हयांची थोडक्यात हकिकत पुढील प्रमाणे.

मुंबई महानगर प्रदेशविकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) कडून दिनांक १५/१२/१६ रोजी जी.एन विभागातील भुखंड क्र.एस.एफ ४ व एस.एफ ५ भारतनगर येथे तुम्ही व तुमचे साथीदारांनी अनधिकृत अतिक्रमण केल्यामुळे सदर ठिकाणचे निष्काशन कुंपन घालण्याचे काम करण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केलेली होती. मागणी केल्याप्रमाणे पोलीस ठाण्याकून योग्यतो पोलीस बंदोबस्त नेमण्यात आलेला होता.

निष्काशनाचे काम चालू झाल्यानंतर सदर ठिकाणी तुम्ही व तुमचे साथीदार निष्काशन कारवाईस विरोध करू लागलात. त्यावेळी सदर ठिकाणी असलेले बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी व अमलदारांनी वेळोवेळी तुम्हाला व तुमचे साथीदारांना शासकीय कामात अडथळा आणण्याची समज दिलेली होती. तरी ही तुम्ही व तुमचे साथीदार जोर जोराने आरडा–ओरड करून, शिवीगाळ करून, एमएमआरडीएच्या कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणत होतात.

तुम्ही व तुमचे साथीदार सदर ठिकाणी बंदोबस्तावरील असलेल्या अचाणकपणे पोलीसांन जवळ जावून पोलीसांवरती दबाव आणण्याकरीता तुम्ही तुमची आजारी आईस पोलीसांच्या अंगावरती ढकलुन दिले आणि तुमच्या साथीदारांनी रॉडने पोलीस अधिकारीऱ्याच्या तोंडावर प्रहार करून गंभीर जखमी करून, लाथा बुक्कयाने मारहाण केलीत. म्हणुन तुमचे व तुमच्या साथीदारा विरूध्द बी.के.सी. पोलीस ठाणेस वरीलप्रमाणे गुन्हा नोंद आहे.

(पुढे चालु–६)

पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, बृहन्मुंबई

Scanned with CamScanner

सदर वेळी एमएमआरडीचे अधिकारी सदर ठिकाणी शासकीय कर्तव्या करत असताना तुमच्या साथीदारांनी एमएमआरडीएच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली त्यावरून तुमच्या साथीदारां विरूध्द बी.के.सी पोलीस ठाणेस गु.र.क्र. २७९/१६, कलम ३५३,५०४,३४ भा.द.वि अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

तुम्ही सन–१९९८ पासुन गुन्हेगारी क्षेत्रात वावरत असुन, तुम्ही बी.के.सी पोलीस ठाणे हद्दीतील सराईत गुन्हेगार आहात. तुमच्या विरुध्द आजपर्यंत शांतताप्रिय नागरिकांना मारहाण करणे, दुखापत करणे, धमकी देणे, बेकायदेशीर जमाव जमवून दंगल करणे, जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करून दहशत निर्माण करणे, फसवणुक करणे अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद असुन तुम्ही व तुमचे साथीदार शासकीय कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, शासकीय जागेवर अतिक्रमण करणे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी तुमचे अनधिकृत कामावर कारवाई केल्यास अथवा ते करण्यास विरोध केल्यास त्यांचेवर हल्ला करणे अशा विशिष्ट प्रकारच्या गुन्हयात सहभागी व सक्रीय आहात.

नमुद कालावधीत व विभागात आपण आपले साथीदारांच्या मदतीने वर नमुद गुन्हे केलेले आहेत की, जे भारतीय दंड विधान संहिता प्रकरण क्र. १६, १७ व २२ अन्वये शिक्षेस पात्र आहात. तुमची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि तुम्ही व तुमचे साथीदाराच्या अशा प्रकारच्या वर्तनामुळे आणि गैरकृत्यांमुळे बी.के.सी.पोलीस ठाणे परिसरातील रहिवासी यांच्यामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली असून, जनसामान्यांच्या जिवीतास, इजा, भय व मालमत्तेस धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तुम्हांला तुमच्या गैरकृत्यांपासून वेळीच परावृत्त करण्यासाठी तुम्हांला मुंबई शहर,मुंबई उपनगरे, नवी मुबंई आणि ठाणे जिल्हयातुन हद्दपार करण्याचे प्रायोजित केले आहे. कारण की, मुंबई जवळील ठाणे जिल्हयातुन व नवी मुबंई जिल्हयातून मुंबईत येण्यास पर्याप्त संख्येत दळणवळणाच्या सोईमुळे तुम्ही मुंबई शहरात केव्हाही प्रवेश करुन तुम्हीं तुमची गैरकृत्ये करुन पुन्हा बाहेर जाण्याची शक्यता असल्याने तुमच्या विरुध्द उपरोक्त नमुद जिल्हयांच्या हद्दीबाहेर हद्दपार करण्याची कारवाई का केली जावू नये? या विषयी चौकशी करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटिस आदेशीत करीत आहोत.

(ए.बी.शेवाळे)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
खेरवाडी विभाग, मुंबई

दिनांकः– १४/०७/२०२० रोजी नोटीस मी दिली.
नोटीसची मुळ प्रत मला मिळाली.

(एस.एम.कोले)
सहा.पोलीस निरिक्षक,
बीकेसी पोलीस ठाणे,मुबंई

पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग, बृहन्मुंबई

17/7/20

(बद्रुद्दीन सद्रुद्दीन मनियार)
यांची सही व डा.हा.निशानी अंगठा

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम - 1951 की कलम 59 के तहत दिनांक 14/07/2020 को दिए गए नोटिस का जवाब

दिनांक: 22.07.2020

सेवा में,

सहाय्यक पोलिस आयुक्त

खेरवाडी विभाग, मुंबई

1. आपके दिए गए नोटिस के जवाब में हाजिर होकर अपना जवाब दाखिल कर रहा हूँ, आपने गवाहों के लिए कहा था उसके लिए केवल इतना ही विनती करना चाहुंगा कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से आवागमन की सुविधायें ठप्प है, जैसे ही लॉक डाऊन खत्म हो जाएगा, मैं साक्षीदार/गवाह को आपके सामने हाजिर कर दूंगा|

2. B(i). **1998 से आजतक (पुलिस कस्टडी या न्यायालयीन कस्टडी) तुम व तुम्हारे साथीदार पत्थरनगर, भारतनगर, वाल्मीकीनगर और आजु-बाजु के परिसर में गुन्हा करते हो और गुन्हा को ही अपनी जिन्दगी बना लिया है| तुमने आज तक शांतिप्रीय नागरिकों को मारना, जख्मी करना, धमकी देना, गुंडों को इकट्ठा करके मारा-मारी करना, जान से मारने की कोशिश करना, सरकारी नौकर पर हमला करके उन्हें घायल करना, लोगों को फँसाना आदि आप पर दर्ज है|**

समीक्षा: मैं बदरुद्दीन पुत्र सदरुद्दीन मनिहार पता: रुम नं. 81, गली नं 52 नेहरु विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई (मोब. 81699-32031) में रहता हूँ| पिछले कई वर्षों से मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाता आ रहा हूं, मेरी माताजी भी पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़ी रही उनके द्वारा भी हमें यही सिखाया गया था कि सच्चाई का साथ देना है, किसी का हक नहीं छीनना है, संवेधानिक में रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रखना है और उन्होंने हमें भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्यों की जानकारी भी दी थी जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)0 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया. इसे रुस के संविधान से लिया गया है, इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया| मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है:

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें.

प्रत गिरव्हल
22/07/2020
कारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रा मुं.

Scanned with CamScanner

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे.
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे.
4. देश की रक्षा करे.
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे.
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे.
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे.
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे.
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे.
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे.
11. माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन).

जिनका पालन मैं लगातार करता चला आ रहा हूँ, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है, जिसकी वजह से मैंने व मेरे परिवार ने हमेशा सार्वजनिक संपत्ति पर असंवेधानिक तरीके से अवेध कब्जा करने वाले सभी असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं या भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई है और इसके लिए मैंने कभी भी सीधे तकरार करने की अपेक्षा कानूनी सुविधा 100 का इस्तेमाल किया है, जिसके संपूर्ण सबूत मेरे पास मौजूद है, मेरे द्वारा किये जा रहे अवेध कब्जे को रोकने की वजह से भू-माफियओं के गुण्डे मेरे दुश्मन बन गए है, और यह सर्वविदित है, कि गरीब के निर्दोष होने के बावजूद उसके सबूतों को देखने के बावजूद उसकी कोई नहीं सुनता, जबकि भू-माफियाओं व बाहुबलियों के पास कोई भी सबूत न होने के बावजूद उनकी झूठी शिकायत पर भी घातक गंभीर शिकायतों पर बिना जाँच-पड़ताल के तुरंत FIR दर्ज कर दी जाती है, मेरे व मेरे परिवार के साथ भी यही हो रहा है, एक भी सबूत न होने के बावजूद हम लोगों के खिलाफ झूठी शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज हो रही है, जबकि सबूत दिए जाने के बावजूद गुनहगारों पर कोई भी FIR दर्ज नहीं की जा रही, उदाहरण के रूप में एक सबूत के बारे में बताता हूं, MMRDA ने ओमकार बिल्डर को स्टॉम्प पेपर पर एक रेन्ट का एक एग्रीमेंट बनाकर दिया है, जिसमें न तो तारीख डाली गई है, न ही हस्ताक्षर हुए है, और यह

संवेधानिक नियम है कि एक स्टॉम्प पेपर ईसू किए जाने के बाद छः महीने के अन्दर उपयोग किया जाना चाहिये, लेकिन डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी उस स्टॉम्प पेपर में लिखे नियमों के अनुसार ओमकार बिल्डर को सुविधा प्राप्त हो रही है जो कि गैर-संवेधानिक है, अगर आप कहते हैं कि जो उपरोक्त स्टॉम्प पेपर का उपयोग छः महिने की समयावधी बीतने के बाद भी किया जाना गैर-संवेधानिक नहीं है, मैं व मेरा परिवार आपके द्वारा दी जाने वाली हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, इसी प्रकार के बहुत सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद है, जिससे बड़े-बड़े भ्रष्ट सरकारी अधिकारी जेल भेजे जा सकते हैं, और इन्हें जेल भिजवाने का काम पुलिस विभाग का है, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम बड़े-बड़े वकीलों को तगड़ी फीस देकर अदालत के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भिजवा सके| यदि आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कभी भी सर्वजनिक रूप से वीडियो केमरे के सामने दस्तावेजी सबूताँ के साथ मुझसे या मेरे प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श कर सकते हैं, अगर मेरे द्वारा दिए गए सबूतों में से एक भी सबूत झूठा निकला तो आप मुझे व मेरे परिवार सर्वजनिक रुप से जो भी सजा देंगेम हमारा परिवार भुगतने को तैयार है| मैं सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ व्हीसिलब्लोअर व क्राइम संवाददाता भी हूँ|

मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं 1998 से अपराध की दलदल में गले तक डूबा हूं, इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से 22 वर्ष पहले जब मैं 16 वर्ष का था तब मेरे ऊपर एक मामला कलम 324 का दर्ज किया गया जो खत्म हो गया था। मगर फिर भी मेरे द्वारा किए जा रहे अहिंसात्मक अनशन को रोकने के लिए इस मामले को आपके विभाग द्वारा उठाया गया मेरे ऊपर जितने भी अपराधिक मुकदमें दर्ज है उसका मुख्य कारण गलत के खिलाफ आवाज उठाना है, न कि मेरा, आपके अनुसार कथित अपराधी प्रवृति का होना, और जिसके लिए मैं कभी भी सर्वजनिक रुप से वीडियो केमरे के सामने सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं| संवेधानिक नियमानुसार आरोप लगाने वाले अधिकारी/विभाग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अतः यह मामला सेशन कोर्ट द्वारा स्टे प्राप्त है, गु.र.क्र. 162/14, गु.र.क्र. 278/16, गु.र.क्र. 279/16 से संबंधित (ओमकार बिल्डर) forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4, SF 5) सरकार की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति किसी भी हाल में हथियाना चाहता था। कोई रुकावट ना हो सके **इसलिए एमएमआरडीए व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए फिर से यह फर्जी मामला दर्ज**

करके हमें फंसाया गया था। यदि अभी भी इस मामले में उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा। सारे सबूत मौजूद हैं|

B(ii). तुम दिन दहाडे ये सब गुन्हा करते हो, तुम अपने साथियों| तुम अपने साथियों के साथ तुम्हारे परिसर में मनपा के पानी का गैर-कानूनी रुप से लोगों को सप्लाई करके पैसे लिये हैं|

समीक्षा: Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के मालिक (राकेश वाधवान) और उसके हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों के खिलाफ मेरी दी गई शिकायतों के अनुसार लाखों करोड़ का घोटाला गंभीर आपराधिक मामले में साबित तकनीकी सबूत व दस्तावेज देखने के बाद संबंधित आरोपियों को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी के आधार पर साजिश के तहत FIR No. 69/20 दर्ज की गई है। हमारे द्वारा सभी तथ्यों व सबूतों को शिकायतों के साथ दिया गया है जिसकी समीक्षा करके चार्जशीट तुरंत दाखिल की जा सकती है अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो हम हर सजा भुगतने के लिये तैयार हैं|

B(iii). सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना, सरकारी काम में अडचन पैदा करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करना, सरकारी नौकर को काम नहीं करने देना

समीक्षा: इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा स्टे प्राप्त है, गु.र.क्र. गु.र.क्र. 278/16, 162/14, गु.र.क्र. 279/16 से संबंधित (ओमकार बिल्डर) forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4, SF 5) सरकार की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति किसी भी हाल में हथियाना चाहता था। कोई रुकावट ना हो सके इसलिए एमएमआरडीए व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए फिर से यह फर्जी मामला दर्ज करके हमें फंसाया गया था। **<u>यदि अभी भी इस मामले में उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा।</u> सारे सबूत मौजूद हैं|**

B(iv). आत्महत्या की कोशिश करके डर पैदा करना, लोगों को फँसाने का काम करना, इस प्रकार के सभी गुन्हा आपने किये है|

समीक्षा: मैंने शुरुआत में ही बताया है कि मैं गलत के खिलाफ सबूतों के साथ आवाज उठाता हूं और जब कोई कार्यवाही नहीं होती तो अहिन्सात्मक तरीके से

अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल करते हुए अनशन पर बैठता हूं पहली बार मुझे DCP के कार्यालय में मुझे विषाक्त पदार्थ खाने की आवश्यकता पड़ी, जिसके जिम्मेदार खुद पुलिस अधिकारी है जिसकी व्याख्या मैंने सबूतों के साथ सलग्न शपथ-पत्र के बिन्दू क्र. F (6) (i) (c) में की है, जिससे साबित होता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने डी. के. बासू की गाईड-लाईन का उल्लंघन किया था और मुझे मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया था, और मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं विषाक्त पदार्थ खाकर अपनी इहलीला समाप्त कर लूं

B(v). नागरिकों की जान को खतरा तुम्हारी वजह से है लेकिन तुम्हारे डर की वजह से कोई कुछ कहता नहीं है और पुलिस को शिकायत नहीं देता|

समीक्षाः जैसा कि मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ, कि मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ और प्रत्येक उसी व्यक्ति, गुंडे या भ्रष्ट अधिकारी ने मेरे खिलाफ FIR या शिकायत की है जो मेरे द्वारा सबूतों के साथ की गई शिकायतों से जेल जाने या भारी जुर्माने की सजा के हकदार हैं| उनके पास आर्थिक पूँजी की ताकत है और मेरे पास सच्चाई की| हर सामाजिक कार्यकर्ता मानवतावादी या गलत के खिलाफ आवाज़ उठानेवाला मेरे साथ है और हम लोगों से आम नागरिक कभी नहीं डरते बल्कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिये हमारे पास आते हैं और सामाजिक संस्थायें भी वे लोग जो मुझे व मेरी ईमानदारी को जानते हैं वे भी किसी भी पीड़ीत व्यक्ति को उसकी समस्या के समाधान के लिये मेरे पास भेजते हैं| आप चाहें तो मेरा व मेरे परिवार का साथ देनेवाले अन्य सामाजिक संस्थाओं व मेरी पहचान वाले सम्मानीय नागरिकों का "कि वे मेरी ईमानदारी के प्रति आश्वस्त है" का पत्र दे सकता हूँ| उदाहरण के रूप में डी.सी.पी. व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को दिया गया वह शिकायत-पत्र देखिये जिसमें क्षेत्र के व सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं और जिसे मेरे द्वारा उठाये गये मामले की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया गया था| अतः लगाया गया उपरोक्त आरोप बिल्कुल झूठा है, कोई भी आम नागरिक मुझसे नहीं घबराता है बल्कि मुझसे मदद लेता है|

B(vi). शांतिप्रिय नागरिक भय के माहौल में जी रहे हैं, तुम्हारे विरुद्ध विश्वसनीय कारण है कि तुम और तुम्हारे साथी IPC 16, 17 व 22 के तहत शरीर के विरुद्ध और संपत्ति संबंधित गुन्हा कर रहे हो और यह लगातार जारी है इसलिये तुम व तुम्हारे साथी परिसर में रहते हुये यही सब करते रहेंगे, हमें यही उम्मीद है|

समीक्षाः इसी जवाब के बिंदु क्र. 2.B(i). में विस्तृत रूप में जानकारी दी गई है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कानून का पालन करता हूँ अतः जो भी मामले मेरे

ऊपर दर्ज हैं उसके बारे में भी मैंने विस्तृत रुप से जवाबी पत्र में जवाब दिया है| और यह कहा कि, हमारी वजह से रहिवासियों में असुरक्षा की भावना बन रही है तो यह कहना बिल्कुल गलत है मेरे सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से हरेक पीड़ित नागरिक मेरे पास मदद मांगने के लिये आता है और मदद व्यक्ति मांगने आता है जिसे मदद देने वाले पर भरोसा हो| अतः मेरे ऊपर लगाये जाने वाला आरोप झूठा व बेबुनियाद है|

तुमच्याविरुद्ध बी.के.सी. व खेरवाड़ी पोलिस ठाणे येथे खालील प्रमाणे दखलपात्र गुन्हे नोंद झालेले आहेत.

अक्र.	**पोलिस ठाणे**	**गु.र.क्र. व कलम**	**कोर्ट केस क्रमांक**	**प्रकरणाची सद्यस्थिती**
1	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 192/20, कलम 309 भा.द.वि **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)3(a) को देखिये	–	तपासाधिन
2	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 180/20, कलम 307, 324, 504, 143, 147, 149 भा.द.वि. **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)2(a) को देखिये	–	तपासाधिन
3	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 176/20 कलम 324, 323, 504, 506, 334 भा.द.वि. **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)1(a) को देखिये	–	तपासाधिन
4	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 69/20 कलम 420, 406, 34 भा.द.वि. **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)4(a) को देखिये	–	तपासाधिन
5	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 255/19 कलम 324, 323, 141, 143, 144, 147, 148, 149, सह म.पो.का. कलम 37(1)(3) **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)5(a) को देखिये	–	तपासाधिन
6	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 278/16 कलम 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 332, 333,	601/पीडब्ल्यु/17	न्यायप्रविष्ठ

		353, 120(ब) भा.द.वि. **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)7(a), B(xiii)7(b), B(xiii)7(c) को देखिये		
7	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 162/14, कलम 332, 353, 504, 506, 34 भा.द.वि. **समीक्षा:** बिंदु क्रमांक B(xiii)6(a) को देखिये	1582/पीडब्ल्यु/15	न्यायप्रविष्ठ
8	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 144/09, कलम 302, 34 भा.द.वि. **समीक्षा:** इस मामले में कोर्ट द्वारा निर्दोष बरी हुये हैं, जाँच अधिकारी की आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ मानसिकता साफ नजर आ रही है| इसी बी.के.सी. पुलिस थाने के द्वारा एक अन्य दस्तावेज में उक्त गुन्हा क्रमांक दिखाया गया है जिसमें साफ-साफ 'दोषमुक्त' लिखा है लेकिन इस सेशन कोर्ट के कोर्ट नं. 30 में दिये 'say' में उक्त गुन्हा क्रमांक को 'दोषमुक्त' नहीं दिखाया है, आखिर क्यों?	–	दोषमुक्त
9	बी.के.सी.	गु.र.क्र. 135/04, कलम 324 भा.द.वि. **समीक्षा:** इस मामले का शिकायतकर्ता अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, जिससे यह तो अवश्य साबित होता है कि शिकायतकर्ता खुद एक आपराधिक प्रवृति का है, मगर यह कहना कि अगर कोई अपराधी है, तो हमें उसे मारने का हक मिल गया, यह बिल्कुल गलत है, यदि कोई ऐसा करता है, तो यह मोब-लिंचिंग के अपराध में आता है, उस वक्त में 20 वर्ष का था, आरोप झूठा लगाया गया था इसका मामला अदालत में चल रहा है	384/पीडब्ल्यु/04	न्यायप्रविष्ठ
10	खेरवाड़ी	गु.र.क्र. 178/98, कलम 323, 324, 504 भा.द.वि.	331/पीडब्ल्यु/98	न्यायप्रविष्ठ

		समीक्षा: DORMANT File CASE MEANS (NO ACTIVITY) SINCE LONG		

B(viii).तुम्हारे खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में 15 NC भी है, गाली देने व धमकी देने की भी शिकायतें हैं|

समीक्षा: मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और लगातार गलत के खिलाफ सबूतों के साथ अहिंसात्मक तरीके से शिकायत देते हुये आवाज़ उठाता हूँ जिसके सारे सबूत मौजूद हैं, मेरी आवाज को दबाने के लिये अधिकांशतः भ्रष्ट अधिकारी मेरे ऊपर NC दर्ज करवा देते हैं| यह भ्रष्ट अधिकारी जानते हैं कि यदि मामले की गहराई में अधिक जाएंगे तो उनकी पोल-पट्टी दस्तावेज़ी सबूतों के साथ बेनकाब हो जायेगी इसीलिये कानून का गैर-संवैधानिक फायदा उठाते हुये NC दर्ज करवा देते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि, हम लोग निर्दोष हैं इसी वजह से इतने सारे अदखल गुन्हा हमारे ऊपर दर्ज किये गये हैं जो अपने अंजाम तक जानबूझ कर नहीं पहुँचाये जाते| संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. H (3) (i) (ब.) में संपूर्ण विवरण दिया गया है|

B(ix). तुम व तुम्हारे साथी बी.के.सी. पुलिस थाने की हद्द में आने वाले पत्थरनगर, भारतनगर, वाल्मीकिनगर और आजु-बाजु के परिवार में दहशत फैलाते हो|

समीक्षा: इसका जवाब इसी पत्र के 2e. में दिया गया है|

B(x). तुम्हारे परिसर में रहनेवाले आदमी जिसके घर में शादी होने वाली है उसकी जान को खतरा है इसलिये उसने संरक्षण मांगा है तुम व साथी से|

समीक्षा: जिसकी शादी होनेवाली है वे खुद आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, परिसर में नशे का धंधा करते हैं जिसकी शिकायत लॉकडाऊन के समय "जब उनके परिवार द्वारा गरीब लोगों को राशन से संबंधित सामान बाँटा जा रहा था" तब दिखाई दिया था क्योंकि उस वक्त वहीं पास में हम लोगों ने डॉक्टर का कैंप लगा रखा था जिसको कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से किये गये लॉकडाऊन के दौरान हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था तब हम लोगों ने देखा था कि, उनके परिवार द्वारा बाँटे जा रहे राशन की वजह से लॉकडाऊन के नियमों के खिलाफ जाकर बहुत अधिक भीड़ हो रही थी| तब हमने समझाते हुये कहा था कि, भीड़ अधिक होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढेगा अतः अगर आप चाहें तो जिस वक्त हमारा कैंप बंद रहता है उस वक्त हमारे कैंप का उपयोग करके लॉकडाऊन के नियमों का पालन करते हुये गरीबों को राशन बाँटेंगे तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा मगर उनके

परिवार ने हमारी सलाह पर गौर नहीं किया| ऐसा तभी होता है जब आपस में दुश्मनी हो या फिर कोई निजी लाभ की वजह हो| तब पता चला कि उनकी एक छोटी पान की दुकान है (जिसपर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमारा रहना व उठना-बैठना हमारी गली के पास ही रहा है जबकि उनका परिवार हमारे घर से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है) जहाँ पर वह सिगरेट, बीढी, गुटका, तंबाकु आदि बेचते हैं मगर जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो समझ आया कि, दुकान से कुछ ही दूरी पर शादी करनेवाला लड़का मुर्सलीन व उसके परिवार के अन्य सदस्य नशे(चरस) आदि का धंधा राशन के लिये उमड़ी भीड़ का फायदा उठाते हुये कर रहे हैं जिसके बाद हम लोगों ने 100 पर भी खबर की और पुलिस अधिकारियों को sms करके जानकारी भी दी जिससे वे खुद आगे बड़ कर संबंधित मामले में छापेमारी करें और किये जा रहे अपराध को रोकें जिसके बाद इस मामले में हम लोगों ने हवलदार(सरदार) के द्वारा इंस्पैक्टर श्यामल कोले से भी बात की गई मगर उन्होंने धमकाते हुये कहा कि, "यदि कोई सबूत है तो कहो नहीं तो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही FIR कर देंगे" जिसके बाद हम लोग वापस आ गये क्योंकि हम जानते हैं कि यह नशे के व्यापारी खतरनाक होते हैं, जब तक चुपचाप छापा ना मारा जाये पकडाई नहीं आते जिसके बाद हमलोग चुप हो गये और मामला आया-गया हो गया| इसके बाद इन्हीं लोगों ने हमलोगों के ऊपर हमला किया और झूठी FIR लिखवाई जिसके सारे सबूत सी.सी.टी.वी. फुटेज, घटनास्थल का नक्शा, FIR में दर्ज बयान के साथ-साथ पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत को दिये गये बयान से साबित होता है, संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. A, B, C, D, E, F, G & H में दिये गये संपूर्ण विवरण व समीक्षा से साबित होता है कि, शिकायत करनेवाले शिकायतकर्ता व उनका परिवार जिनमें महिलायें भी शामिल हैं वे खुद के द्वारा खुद को झूठा प्रमाणित कर रहे हैं| अतः लगाया गया आरोप झूठा व बेबुनियाद है|

B(xi). तुम्हारे विरुद्ध 10 FIR होने के बावजूद तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिये तुम गुन्हा करते जा रहे हो, तुम्हारी वजह से लोगों की जान व संपत्ति को खतरा है| पर तुम्हारे दिमाग में कानून का कोई डर नहीं है तुम्हारे गैर-कानूनी कामों को रोकने के लिये 2019 में चॅ.के.क्र. 42/19 व को.के.क्र. 171/19 फौ.प्र.सं. कलम 107 के तहत कार्यवाही की थी मगर नोटिस लेने से तुमने मना कर दिया था|

समीक्षा: इसका जवाब इसी पत्र के 2e. में दिया गया है| मैं संवैधानिक नियमों को तोड़ने से डरता हूँ और इसी वजह से मैंने कभी भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया

है अतः यह कहना कि, मेरे दिमाग में कानून का कोई डर नहीं है, यह कहना बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है| जैसा कि, उपरोक्त पैरा में कहा गया है कि, मैंने कलम 107 के तहत कार्यवाही किये जाने का नोटिस लेने से मना कर दिया था तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि जिस वक्त मेरे पास नोटिस आया था उस वक्त मैंने नोटिस लेने से पहले बी.के.सी. पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी जिसके बाद जब मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिला और उन्हें जानकारी दी कि, जिस FIR No. 255/19 की वजह से मुझपर 107 की कलम लगाई जा रही है वह FIR झूठी शिकायत पर बनाई गई है और इसके लिये मेरे द्वारा उन सी.सी.टी.वी. फुटेज को सीज़ करके जाँच करने के कई आवेदन दिए गये थे और मेरे द्वारा कहा गया था कि, अगर सी.सी.टी.वी फुटेज में मैं दोषी नजर आ गया तो आप मुझपर तुरंत कार्यवाही कर सकते हैं **जिसकी वजह से वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक द्वारा मुझे कहा गया कि मैं देखकर बताता हूँ मगर तब से लेकर आजतक वह नोटिस मेरे पास दुबारा नहीं आया जिससे साबित हो गया था कि मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को आवश्यक विवेचना के साथ जो कहा गया था वह सही था** और इसी वजह से मेरे पास दुबारा नोटिस नहीं भेजा गया अतः अगर आज उस नोटिस की बात उठाई जा रही है तो साफ है कि, मुझे अधिक से अधिक दोषी साबित करने के लिये बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत है, संवैधानिक नियमों के तहत जिम्मेदार अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिये |

B(xii). लेकिन तुमको डर नहीं लगता, तुम कानून से डरते नहीं, तुम्हारे खिलाफ बार-बार FIR और NC होती जा रही है| तुम्हारे व्यवहार को ध्यान में रखते हुये ऐसा दिख रहा है कि तुम व तुम्हारे साथी बी.के.सी. पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत खुलेआम व छुपके गुन्हा करते हो| तुम्हें शारीरिक व संपत्ति का अपराध करने की आदत है|

समीक्षाः इसका जवाब इसी पत्र के 2e. में दिया गया है| मैं संवैधानिक नियमों को तोड़ने से डरता हूँ और इसी वजह से मैंने कभी भी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन नहीं किया है अतः यह कहना कि, मेरे दिमाग में कानून का कोई डर नहीं है, बिल्कुल गलत व बेबुनियाद है|

B(xiii). तुम्हारे खिलाफ हाल ही में दर्ज FIR का विवरण दिया है|

1) गु.र.क्र. 176/20 कलम 324, 323, 506, 504, 34 भा.द.वि.

a. उक्त अपराधिक घटना का फरियादी व तुम एक ही परिसर में रहते हो| फरियादी तुम्हें व तुम्हारे भाईयों रमजान मनिहार, जाकिर मनिहार को

पहचानता है, वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाऊन है| इसलिये फरियादी और तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ के रहिवासी परिसर में रहनेवाले गरीब लोगों को फरियादी के परिवार द्वारा राशन माल तथा जरूरी चीजों का वितरण किया जाता है, तथा तुम्हारा परिवार भी यही काम कर रहा था। तुम और तुम्हारे साथी, जो राशन फरियादी बाँट रहा था तो उस वक्त तुम लोगों ने उससे कहा कि, 'यह राशन हमारे जरिये बँटवाओ' लेकिन फर्यादी द्वारा तुम और तुम्हारे साथियों को मना कर दिया गया जिसकी वजह से तुम और तुम्हारे साथी, फरियादियों पर गुस्सा थे|

समीक्षाः यह बात सही है कि कथित आपराधिक घटना का फरियादी और हमलोग एक ही परिसर में रहते हैं और यह भी सही है कि, फरियादी मुझे व मेरे भाईयों रमजान मनिहार, जाकिर मनिहार को पहचानता है| यह भी सही है कि, वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पूरे देश में लॉकडाऊन है| यह भी सही है कि जिस परिसर में हम रहते हैं वहाँ पर गरीब लोगों को फरियादी के परिवार द्वारा राशन माल तथा जरूरी चीजों का वितरण किया जाता था| और यह भी सही है कि मेरा व मेरा परिवार भी गरीब लोगों के सहयोग के लिये परिसर में राशन माल वितरण के साथ-साथ मैडिकल सुविधायें भी दे रहा था| यह बिल्कुल सही नहीं है कि उस वक्त हम लोगों ने कहा कि, 'यह राशन हमारे जरिये बँटवाओ' बल्कि हमने उन्हें समझाते हुये यह कहा था कि, 'भीड़ अधिक होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढेगा अतः अगर आप चाहें तो जिस वक्त हमारा कैंप बंद रहता है उस वक्त हमारे कैंप का उपयोग करके लॉकडाऊन के नियमों का पालन करते हुये गरीबों को राशन बाँटेंगे तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा' ऐसा इसलिये कहा था क्योंकि लॉकडाऊन के समय जब उनके परिवार द्वारा गरीब लोगों को राशन से संबंधित सामान बाँटा जा रहा था (उस वक्त वहीं पास में हम लोगों ने डॉक्टर का कैंप लगा रखा था जिसको कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से किये गये लॉकडाऊन के दौरान हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था) तब हम लोगों ने देखा था कि, उनके परिवार द्वारा बाँटे जा रहे राशन की वजह से लॉकडाऊन के नियमों के खिलाफ जाकर बहुत अधिक भीड़ हो रही थी| तब हमने उन्हें समझाते हुये कहा था कि, 'भीड़ अधिक होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढेगा अतः अगर आप चाहें

तो जिस वक्त हमारा कैंप बंद रहता है उस वक्त हमारे कैंप का उपयोग करके लॉकडाऊन के नियमों का पालन करते हुये गरीबों को राशन बाँटेंगे तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा' मगर उनके परिवार ने हमारी सलाह पर गौर नहीं किया| ऐसा तभी होता है जब आपस में दुश्मनी हो या फिर कोई निजी लाभ की वजह हो| तब पता चला कि उनकी एक छोटी पान की दुकान है (जिसपर हमने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमारा रहना व उठना-बैठना हमारी गली के पास ही रहा है जबकि उनका परिवार हमारे घर से लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर है) जहाँ पर वह सिगरेट, बीढी, गुटका, तंबाकु आदि बेचते हैं मगर जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो समझ आया कि, दुकान से कुछ ही दूरी पर शादी करनेवाला लड़का मुर्सलीन व उसके परिवार के अन्य सदस्य नशे(चरस) आदि का धंधा राशन के लिये उमड़ी भीड़ का फायदा उठाते हुये कर रहे हैं जिसके बाद हम लोगों ने 100 पर भी खबर की और पुलिस अधिकारियों को sms करके जानकारी भी दी जिससे वे खुद आगे बड़ कर संबंधित मामले में छापेमारी करें और किये जा रहे अपराध को रोकें जिसके बाद इस मामले में हम लोगों ने हवलदार(सरदार) के द्वारा इंस्पैक्टर श्यामल कोले से भी बात की गई मगर उन्होंने धमकाते हुये कहा कि, "यदि कोई सबूत है तो कहो नहीं तो भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ही FIR कर देंगे" जिसके बाद हम लोग वापस आ गये क्योंकि हम जानते हैं कि यह नशे के व्यापारी खतरनाक होते हैं, जब तक चुपचाप छापा ना मारा जाये पकडाई नहीं आते जिसके बाद हमलोग चुप हो गये और मामला आया-गया हो गया| इसके बाद इन्हीं लोगों ने हमलोगों के ऊपर हमला किया और झूठी FIR लिखवाई जिसके सारे सबूत सी.सी.टी.वी. फुटेज, घटनास्थल का नक्शा, FIR में दर्ज बयान के साथ-साथ पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत को दिये गये बयान से साबित होता है, संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. A, B, C, D, E, F, G & H में दिये गये संपूर्ण विवरण व समीक्षा से साबित होता है कि, शिकायत करनेवाले शिकायतकर्ता व उनका परिवार जिनमें महिलायें भी शामिल हैं वे खुद के द्वारा खुद को झूठा प्रमाणित कर रहे हैं| अतः लगाया गया आरोपे झूठा व बेबुनियाद है|

b. घटनास्थल का समय दिनांक 23.05.2020 की सुबह 7:00 बजे का है

समीक्षा : FIR के अनुसार कथित घटना का समय सुबह 7:00 बजे का है जबकि हमारे द्वारा संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार सी.सी.टी.वी. फुटेज में 7:31 के समय मुर्सलीन व बदरुद्दीन, बदरुद्दीन के पड़ोसी वकील भाई के साथ आपस में बातचीत कर रहे हैं| सी.सी.टी.वी. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि, मुर्सलीन को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है और ना ही उसके साथ कोई झगड़ा किया जा रहा है|

c. **सुबह 7:00 बजे सलीम के भाई जावेद का लड़का मुर्सलीन (उम्र 20 वर्ष) होने वाली पत्नि रिज़वाना शेख (19 वर्ष) से मिलने चाल नं. 52, भारत नगर, बांद्रा (पू.), मुंबई – 400051 गया था**

समीक्षा : सहमत, संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार (सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार समय 7:31 के बाद का है उस वक्त लड़की घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी) ध्यान देने वाली बात है कि, यदि फरियादी के भाई के लड़के मुर्सलीन व उसकी होनेवाली पत्नि के बीच घनिष्ठ संबंध होते तो मुर्सलीन व उसके परिजनों को निश्चित तौर पर मालूम होता कि, मुर्सलीन की होने वाली पत्नि का घर गली नं. 52 में नहीं है बल्कि गली नं. 56 के काफी अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर है| पूर्व के अनुसार इन दोनों के मेल-मिलाप की वजह से कई बार मुर्सलीन व उसकी होनेवाली पत्नि के परिजनों के बीच तक्रार भी हुई थी|

d. **उस वक्त तुमने फरियादी के भाई के लड़के मुर्सलीन के पहुँचने के बाद उसे मारना शुरु किया**

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज देखिये 7:32:54 के समय मुर्सलीन फोन पर बात कर रहा है और 7:33:42 के समय मुर्सलीन व उसके पिता जावेद मित्रतापूर्ण माहौल में आपस में बातचीत कर रहे हैं, सी.सी.टी.वी. फुटेज से साफ साबित है कि शिकायतकर्ता झूठ बोल रहा है

e. **इस मसले को समझाने के लिये फरियादी व फरियादी के भाई शारिक अंसारी, सैय्यद हनीफअल्ताफ (साला) और फरियादी की माँ आदि सभी लोग घटनास्थल पर आये**

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरूप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज देखिये 7:37:35 पर शारिक बंबू लेकर दौड़ते हुये आया है और हमले की स्थिती में साफ दिखाई दे रहा है, सी.सी.टी.वी. फुटेज में शारिक, बदरुद्दीन पर लगातार हमला कर रहा है और बदरुद्दीन को अच्छे से मारा जा सके इसके लिये जावेद द्वारा बदरुद्दीन को पीछे से पकड़ा हुआ है, सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित होता है कि पहले शारिक बंबू लेकर आया और बदरुद्दीन को मारना शुरु किया अतः शिकायतकर्ता के द्वारा यह कहना कि, 'सलीम, शारिक अंसारी, सैय्यद हनीफ अल्ताफ और सलमा घटनास्थल पर एकसाथ पहुँचे' बिल्कुल गलत है|

f. **तब घटनास्थल पर तुमने हाथ से और तुम्हारे साथ भाई रमजान मनिहार ने फरियादी व फरियादी के साथियों को रॉड से मारना शुरु किया**

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरूप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज में 7:37:39 के समय को देखिये साफ दिखाई दे रहा है कि, सलीम, शारिक व मुर्सलीन बदरुद्दीन पर हमला कर रहे हैं और जावेद ने बदरुद्दीन को पकड़ रखा है, 7:37:30 से 7:38:20 के बीच का सी.सी.टी.वी. फुटेज देखिये किस प्रकार बदरुद्दीन को जावेद, सलीम, शारिक और मुर्सलीन आदि ने पकड़ कर मारने का काम किया है, अतः सी.सी.टी.वी फुटेज से साबित होता है कि, बदरुद्दीन और रमजान के हाथ में किसी भी प्रकार का कोई भी हथियार मौजूद नहीं है जबकि शारिक के हाथ में बंबू है जिससे वह लगातार हमले कर रहा है| अतः यह कहना कि, 'बदरुद्दीन ने हाथ से और रमजान ने रॉड से मारा है' बिल्कुल झूठ है

g. **फरियादी सलीम के सिर के बाईं ओर लगी**

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरूप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार 7:38 के समय तक सलीम पूर्ण रूप से स्वस्थ है उसे

कहीं कोई चोट नहीं लगी है बल्कि सी.सी.टी.वी. फुटेज बता रहा है कि सलीम व उसके परिवार के लोगों ने बदरुद्दीन पर हमला किया है| सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित होता है कि, 'सलीम पूर्ण रुप से स्वस्थ है और वह अपने परिवार के साथ बदरुद्दीन, रमजाव व तालिब आदि पर हमला कर रहे हैं| अतः यह कहना कि, 'सलीम के सिर के बाईं ओर लगी है' बिल्कुल झूठ है अगर उसे लगी भी है तो वह अन्य घटनास्थल पर या अन्य किसी वजह से लगी होगी अथवा साजिश रच कर चोट लगाई गई होगी|

h. फरियादी सलीम के भाई शरीक को उसके सिर के दाहिनी तरफ मारा

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार 7:38 के समय तक शारिक पूर्ण रुप से स्वस्थ है उसे कहीं कोई चोट नहीं लगी है बल्कि घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज से साफ पता चल रहा है कि शारीक व उसके परिवार के लोगों ने बदरुद्दीन व रमजान पर हमला किया हुआ है, सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित होता है कि, 'सलीम के भाई शारिक पर कोई भी हमला बदरुद्दीन या रमजान द्वारा नहीं किया गया है| अतः यह कहना कि, 'रमजान ने शिकायतकर्ता के भाई शारिक को रॉड से मारा', बिल्कुल झूठ है

i. तुमने हनीफ को बाईं आंख में मुक्के से मारा जिससे वह घायल हो गया

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज में हनीफ व सलीम का परिवार बदरुद्दीन के ऊपर हमला कर रहा है, साफ है कि, हनीफ को जो भी चोट आई है वह हमला करने की वजह से बचाव में आई होगी या फिर उन्हें कहीं और लगी होगी| सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित है कि, 'हमला शिकायतकर्ता के परिजन कर रहे हैं ना कि, FIR में नामजद किये आरोपी' अतः यह कहना कि, 'बदरुद्दीन ने हनीफ की बाईं आँख पर मुक्के से मारा' बिल्कुल झूठ है| बिन्दु क्रमांक G (6) (i) को देखें

j. **सलीम की माँ सलमा को भी इस धक्का-मुक्की की वजह से दाहिने हाथ के कोने में लगी और वह घायल हो गई**

समीक्षा : संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के मुख्य बिंदुओं के लिखित स्वरुप के अनुसार घटनास्थल की सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार शारिक व उनका परिवार ही बदरुद्दीन पर हमला कर रहा है साफ है कि, सलीम की माँ सलमा को यदि कोई चोट आई भी है तो उसके जिम्मेदार हमलावर (सलीम, जावेद, शारिक, हनीफ, मुर्सलीन आदि) ही हैं| सी.सी.टी.वी. फुटेज से साबित है कि, 'हमला शिकायतकर्ता के परिजन कर रहे हैं ना कि, FIR में नामजद किये आरोपी' अतः यह कहना कि, 'इस लडाई-झगड़े से सलीम की माँ सलमा को लगी और वह घायल हुईं तो उसका कारण बदरुद्दीन या उसका परिवार नहीं है बल्कि खुद शिकायतकर्ता व उसका परिवार है क्योंकि सी.सी.टी.वी. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि, बदरुद्दीन व उसके परिवार ने कोई हमला नहीं किया बल्कि शिकायतकर्ता व उसके परिवार द्वारा हमला किया गया है|

k. **इसलिये इलाज के लिये भाभा अस्पताल गये और फिर शिकायत देने के लिये पुलिस थाने पहुँचे**

समीक्षा : सहमत, मगर कितनी कथित चोट किसे लगी है इसकी जानकारी अस्पताल में प्रवेश व निकासी की जगह मौजूद सी.सी.टी.वी. फुटेज से ही पता चल सकेगी कि, किसे कितनी कथित चोट लगी है या लगी भी है या नहीं साथ ही पुलिस थाने में मौजूद सी.सी.टी.वी. फुटेज से भी सच्चाई सामने आयेगी और मैडिकल रिपोर्ट से भी पता चलेगा कि, किसे कितने टाँके आये हैं|

l. **उसके बाद थाने में कानूनन शिकायत की गई जिसके बाद तुम्हारे व तुम्हारे साथी भाई रमजान मनिहार के खिलाफ गु.र.क्र. 176/20 कलम 324, 323, 504, 506, 34 भा.द.वि. के तहत गुन्हा दाखिल किया गया**

समीक्षा : डी.के.बासु की गाईडलाईन के अनुसार यदि कोई झूठी शिकायत लेकर आता है और FIR दर्ज करने की माँग करता है तो भी किसी पुलिस अधिकारी को हक नहीं कि वह खुद जज बनकर फैसला करे कि FIR दर्ज की जानी चाहिये या नहीं अगर नजर आता है कि, फरियादी ने झूठी शिकायत करके FIR दर्ज करवाई है तो जाँच अधिकारी को हक है कि

बी-समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करके केस बंद करने का ऑर्डर ले और फिर फरियादी के खिलाफ Cr.P.C. 182 के तहत FIR दर्ज करके कार्यवाही करे| अतः जो FIR दर्ज की गई है उसपर सवाल उठाने का हक मुझे नहीं है बस मैं कानुन के दायरे में रहकर अपनी बेगुनाही के सबूत देने का हक रखता हूँ जिसको रिकॉर्ड पर लेकर और सुनकर पुलिस अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की जरूरत है

m. **तुम्हारे खिलाफ शिकायत दिये जाने की वजह से तुम लोगों को गुस्सा आया और तुम लोगों ने अपने साथियों का सहयोग लेकर शाम को 19ः30 बजे फरियादी व गवाहों पर घातक, गंभीर हमला किया जिसके बाद दर्ज गुन्हा के तथ्य इस प्रकार हैं**

समीक्षा : सलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. B में प्रस्तुत किये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज के लिखित विवरण के अनुसार सी.सी.टी.वी. फुटेज के विश्लेषण से साबित होता है कि FIR No. 176/20 झूठी शिकायत पर दर्ज किया गया है| अतः यह कहना कि मैं व मेरे परिवार ने गुस्से व बदले से शाम को 19ः30 बजे कथित घटनास्थल पर कथित हमला किया झूठा व बेबुनियाद है

2. **गु.र.के. 180/20 कलम 307, 324, 504, 143, 147, 148, 149 भा.द.वि.**

a. **दिनांक 23/05/2020 के दिन शाम 7:30 बजे फरियादी, फरियादी के भाई जावेद, सालिम, भतीजा मुर्सलीन व सलीम का साला हानीफ सैय्यद ने रोजा खत्म करके घर के बाहर बैठे थे| इस बीच, लड़की के पिता ने वादी के भाई जावेद को मुरसलिन की शादी के लिए बातचीत करने के लिए अपने घर बुलाया| इसके बाद फरियादी व फरियादे के भाई लड़के के घर गये जो तुम्हारे घर के सामने चाल क्र. 52, (भारत नगर, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400051) में है| फरियादी, उसके भाई और परिजन घर में बैठे थे तभी किसी काम से फरियादी व फरियादी का भतीजा असमाँ बाहर आये| अचानक तुम और तुम्हारे साथी जिनका नाम रमजान मनिहार, तालिब, हुसैन, आसिफ, जाकिर व अन्य फरियादी के सामने आ गये।**

समीक्षाः पता नहीं, लेकिन F.I.R. No. 180/2020 के शिकायतकर्ता शारिक के घर के बगल में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे में जमा फुटेज को देखकर सच्चाई को सामने लाया जा सकता है अथवा कॉल डीटेल से भी सच्चाई

सामने लाई जा सकती है| यह निश्चित है कि, शिकायतकर्ता के अनुसार घटित कथित घटना के कुछ समय पहले ही शिकायतकर्ता व उनके परिजनों द्वारा लड़कीवालों के घर जाने की योजना बनी थी, यानि पहले से कोई योजना तय नहीं थी अतः ऐसे किसी मामले में जिसमें 10-15 या 20-25 हमलावरों द्वारा हथियारों के साथ किये जाने वाले हमले की योजना कम से कम 2 घंटे पहले अवश्य बनती है जिससे साबित होता है कि इस कथित घटना के मामले में हमला करने के लिये हमलावरों के पास योजना बनाने के लिये समय ही नहीं था| अतः पहली नजर में ही कथित घटना पर उठाये जाने वाला यह प्रश्न शिकायतकर्ता की शिकायत को संदिग्ध बनाता है| संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. A के विश्लेषण से साबित होता है कि किन हालातों में कोई अचानक सामने आ सकता है|

b. **उस वक्त तुम्हारे के हाथ में लोहे की रॉड थी और तुम्हारे साथियों रमजान व तालिब के हाथों में पाईप था, हुसैन व आसिफ के हाथों में बंबू था, बाकी सभी के हाथ में काठी व बंबू थे**

समीक्षाः शपथ-पत्र के बिंदु क्र. E (12), (13), (14) में किये गये विश्लेषण से सच्चाई साबित होती है कि, शिकायतकर्ता शारिक झूठ बोल रहा है

c. **तुम तभी चिल्लाने लगे कि, तुम लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत की है, "मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूँगा, यहाँ से इनकी लाशें निकलनी चाहिये" ऐसा कहते हुये गालियाँ देने लगे, फिर तुमने अपने हाथ की रॉड से शारिक के सिर पर मारा| इसके बाद तुमने अपने साथियों को कहा कि, "मार उसे जिंदा नहीं छोड़ना इसे" ऐसे चिल्ला रहे थे| तुमने फरियादी के सिर पर रॉड से मारा था इसलिये उसके सिर से खून बहने लगा| इसके बाद फरियादी ने बचने के लिये चिल्लाना शुरु किया जिसके बाद फरियादी के भाई व रिश्तेदार बाहर आये और उन्होंने शारिक को छुड़ाने का प्रयास किया| फरियादी के भाई सलीम व अन्य रिश्तेदारों को देखते ही तुमने रॉड व तुम्हारे साथियों ने अपने पास मौजूद पाईप, बंबू व लाठी से पिटाई की|**

समीक्षाः संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. E (12), (13), (14) में किये गये विश्लेषण से सच्चाई साबित होती है कि, शिकायतकर्ता शारिक झूठ बोल रहा है और उसके द्वारा लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं

d. **उसके बाद घटनास्थल पर जमा हो गये लोगों ने तुम्हारे व तुम्हारे साथियों से फरियादी व फरियादी के अन्य साथियों को छुड़ाया, उस वक्त फरियादी व फरियादी के अन्य साथी घायल हो गए, जिसके बाद सभी लोग ईलाज के लिए भाभा अस्पताल, बान्द्रा पश्चिम, मुंबई गए वहाँ ईलाज करवा कर शिकायत करने पुलिस थाने वापस आये| उसके बाद सभी लोग घटना की शिकायत करने बी.के.सी. पुलिस थाने गये और FIR No. 180/20 कलम 307, 324, 504, 143, 457, 148, 149 भा.द.वि दर्ज की गई| उक्त मामले में तुम्हें माननीय सेशन कोर्ट से अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है, तुम व तुम्हारे साथी अंतरिम जमानत पर आजाद हो|**

समीक्षाः संलग्न शपथ-पत्र के बिंदु क्र. E (12), (13), (14) में किये गये विश्लेषण से सच्चाई साबित होती है कि, शिकायतकर्ता शारिक झूठ बोल रहा है और उसके द्वारा लगाये गये आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं| यह सही है कि मैं व FIR No.180/20 के आरोपी माननीय सेशन कोर्ट से अंतरिम जमानत पर है |

3. **गु.र.क्र. 192/20 कलम 309 भा.द.वि.**

a. **29.06.2020 के दिन 20ः30 के करीब मा. पुलिस उपायुक्त, ज़ोन-8, मुंबई के कार्यालय में तुम्हारी साथी पत्नि द्वारा दी गई शिकायत की वजह से आपको बोलने का मौका देने के बाद बात ठीक से सुनकर तुम्हारी अर्जी के दस्तावेज़ मा. पुलिस उपायुक्त ने खुद ठीक से देखकर आश्वासन दिया था कि, "निष्पक्ष जाँच होगी"| तुमने मा. पुलिस उपायुक्त को कहा कि, "आप कुछ कार्यवाही नहीं करते, आप कैसे नहीं करते ये मैं देख लेता हूँ" ऐसा कहकर तुमने अपनी पैंट के जेब में रखी फिनाईल इस जहरीला द्रव्य जैसे बदबू आनेवाली बोतल जेब से निकालकर मुँह को लगाकर द्रव्य पीने लगे| उस वक्त तुमको वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने द्रव्य पीने से प्रतिबंध किया और इलाज के लिये सरकारी अस्पताल में भर्ती किया लेकिन पुलिस तुम्हारे कहे अनुसार काम करे इसलिये दबावतंत्र के तौर पर फिनाईल जैसा जहरीला द्रव्य पीकर आत्महत्या करने की नौटंकी करने के लिये तुम्हारे खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में गु.र.क्र. 192/20 कलम 309 भा.द.वि. के तहत दर्ज कर दिया गया है|**

समीक्षाः यह सही है कि मुझे पुलिस उपायुक्त द्वारा मेरी पत्नि द्वारा दी गई शिकायत जिसके अनुसार 'लुटेरे हमलावरों द्वारा घायल करके घर से DVR लूटने की शिकायत के मामले में FIR दर्ज किये जाने के संबंध में'

अपने कार्यालय में बुलाया गया था लेकिन यह गलत है कि दस्तावेज़ देखकर उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष जाँच होगी बल्कि उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था और कहा था कि, "तुम क्यों HDIL के मालिक के पीछे पड़े हो?" फिर अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन) को आदेश दिया कि, "इसे मोक्का के तहत जेल भेज दो यह कई सालों तक जेल से आना नहीं चाहिये, कोविड 19 लॉकडाऊन के चलते कोई पूछनेवाला नहीं है, इसपर कई सारे केस दर्ज हैं" और यह कहना कि, 'उपायुक्त महोदय को कहा था कि, "आप कुछ कार्यवाही नहीं करते, आप कैसे नहीं करते ये मैं देख लेता हूँ" मैंने ऐसे कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किये थे बल्कि मैंने कहा था कि, "डी.के.बासु की गाईडलाईन का इस्तेमाल करके DVR लूट से संबंधित FIR दर्ज करें" और यह कहा कि, 'अपनी पैंट के जेब में रखी फिनाईल इस जहरीला द्रव्य जैसे बदबू आनेवाली बोतल जेब से निकालकर मुँह को लगाकर द्रव्य पीने लगा था' यह बिल्कुल सही है क्योंकि मुझी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था| भ्रष्टाचार के अहंकार में मुझे जीने नहीं दिया जाएगा पूर्व में भी कई अनशन किये जाने के बावजूद भ्रष्टाचारियों व गुंडों की आवाज ही सुनी जा रही थी, सबूतों के साथ दी गई मेरी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, उन शिकायतों में मैं यह भी हर बार कह रहा था कि, मुझे रोकने व डराने के लिये मेरे ऊपर झूठे गंभीर अपराध दर्ज कर दिये जायेंगे जो लगातार दर्ज करते जा रहे हैं अतः मैं समझ गया था कि, अगर मैं आज़ाद रहूँगा तो मुझ पर नये गंभीर अपराध लगाकर फिर से नये मामले दर्ज कर दिये जायेंगे, जो लगातार दर्ज करते जा रहे हैं अतः मैं समझ गया था कि, अगर मैं आज़ाद रहूँगा तो मुझ पर नये गंभीर अपराध लगाकर फिर से नये मामले दर्ज कर दिये जायेंगे इसलिये मैं चाहता था कि, मैं हमेशा सी.सी.टी.वी. कैमरे के सामने रहूँ जिससे HDIL के मालिक व गुंडे अगर मुझपर पर कोई गंभीर संज्ञेय अपराध दर्ज करना भी चाहें तो सी.सी.टी.वी. फुटेज में मैं लगातार मौजूद रहने की वजह से गंभीर अपराध के आरोप से बचा रहूँगा और मुझे DVR लूट की FIR भी दर्ज करवानी थी जो नहीं की जा रही थी और ना ही पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के इच्छुक थे बल्कि साफ नजर आ रहा था कि, वे मुझे नये बड़े गंभीर मामले में फँसाने

की कोशिश करेंगे इसलिये मैंने तय कर लिया कि, 'ऐसी दयनीय स्थिती से मौत भली' इसलिये मैंने अपने साथ फिनायल की शीशी रखी हुई थी) अतः मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपनी कुर्बानी देनी होगी जिससे उन्नाव रेप कांड के समान मेरी मौत की सच्चाई भी मेरे मरने के बाद समाज के सामने हाईलाईट होगी और संपूर्ण मामले की उच्च स्तरीय जाँच होगी जिसमें मेरे द्वारा की गई सभी शिकायतों को पढ़ा व समझा जायेगा और सबूतों को सामने रखते हुये HDIL के मालिक व गुंडों के साथ-साथ प्रत्येक भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी जिससे मेरे परिवार को तो कम से कम चैन से जी सकने का मौका मिल सकेगा इसलिये मैंने विषाक्त द्रव्य पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था| यह कहना कि, 'उस वक्त तुमको वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने द्रव्य पीने से प्रतिबंध किया और इलाज के लिये सरकारी अस्पताल में भर्ती किया' हाँ यह सही है कि विषाक्त द्रव्य पीने के लिये मजबूर करने व मेरे द्वारा पीये जाने की वजह से मेरी हालत बिगड़ने लगी थी और इसी वजह से घबराकर उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने मुझे सरकारी अस्पताल भर्जी करवाया| यह कहना कि, 'पुलिस तुम्हारे कहे अनुसार काम करे इसलिये दबावतंत्र के तौर पर फिनाईल जैसा जहरीला द्रव्य पीकर आत्महत्या करने की नौटंकी की' यह कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस मेरे दबाव में काम करे, मैं कानून का सम्मान करता हूँ और कानून तोड़ने से डरता हूँ और यही कारण है कि, जब भी कोई भी गैर-कानूनी गतिविधी या असामाजिक तत्वों द्वारा किये जा रहे गैर-संवैधानिक कार्यों को देखता हूँ तो तुरंत 100 पर फोन करके पुलिस को सूचित करता हूँ जिससे पुलिस खुद घटनास्थल पर पहुँचे और गलत करनेवालों के खिलाफ कार्यवाही करे इसकी सच्चाई को परखने के करने के लिये आप मेरे या मेरे परिवार द्वारा 100 पर किये गये कॉलों की रिकॉर्डिंग व शिकायतें देख सकते हैं जिससे साफ नजर आ जायेगा कि मैंने कभी कानून तोड़ने का प्रयास नहीं किया और ना ही पुलिस अधिकारियों या सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने का प्रयत्न नहीं किया| हाँ मैंने शिकायतें की हैं और सोशल मीडिया पर भी डाला है, उसके लिये आपके वह अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्हें मेरे द्वारा सबूतों के साथ दी गई शिकायतों पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी थी, जब वे

अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों तक आवाज़ पहुँचा कर उनके सामने पूरे मामले को लाने का प्रयत्न करता हूँ साथ ही मानव अधिकार के कल्याण में लगी सभी संस्थाओं, सदस्यों आदि के सामने सबूतों के साथ लाने का प्रयास करता हूँ इसे यदि दबाव डालना कहा जायेगा तो वे पुलिस अधिकारी मुझे खुद मजबूर कर रहे हैं इस तरह का दबाव डालने के लिये| अतः यह कहना कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ बिल्कुल गलत है अगर अन्य जलकर या जहर पीकर आत्महत्या करनेवालों के समान मैं भी मर जाता तो शायद आप इसे नौटंकी नहीं कहते और इसके लिये आपको मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी| हाँ यह सही है कि, 'बी.के.सी. पुलिस थाने में गु.र.क्र. 192/20 कलम 309 भा.द.वि. के तहत दर्ज किया गया है' अगर मेरे द्वारा सबूतों के साथ दी गई शिकायतों में से एक भी शिकायत झूठी या बनावटी(fabricated) हुई तो मैं हर सजा भुगतने के लिये तैयार हूँ| मुझे मजबूर किया गया कि मैं वह कदम उठाऊँ जिसे कोई भी इंसान उठाना नहीं चाहता मगर मैं अपने व अपने परिवार के इंसाफ के लिये वह सभी संवैधानिक कदम उठा चुका हूँ जो संविधान ने मुझे दिये हैं| अतः मुझे इंसाफ के लिये अपनी लड़ाई जारी रखनी पडेगी, मेरे ऊपर IPC 309 के तहत लगाये गये गंभीर संज्ञेय अपराध के असली अपराधी वे पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया था विशाक्त पदार्थ पीने के लिये| डी.के.बासु की गाईडलाईन के नियमों का पालन करके मेरी पत्नि के द्वारा (दो महिलाओं व एक युवक को घायल करके DVR लूट) दी गई शिकायत की FIR दर्ज की जानी चाहिये थी जो ना करके जिम्मेदार पुलिस अधिकारी संवैधानिक नियमों की अवमानना कर रहे हैं साथ ही आत्महत्या के लिये मजबूर किये जाने के बाद विषाक्त द्रव्य पीने के मामले को नौटंकी कहा जा रहा है, यह भी अपने आप में शर्मनाक है| अतः इस मामले में असली दोषी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं|

4) गु.र.क्र. 69/20 कलम 420, 406, 34 भा.द.वि.

a. तुम व तुम्हारे साथियों ने पत्थरनगर, बिल्डिंग क्र. 1 बी व सी के रहिवासियों से कहा है कि तुम्हारी मनपा के अधिकारियों व बड़े-बड़े नेताओं से अच्छी पहचान है| तुमने राजनेताओं के साथ खींची हुई फोटो रहिवासियों को दिखाई और कहा कि, मनपा में कम खर्चे पर पानी का कनैक्शन दिलवा दूँ, ऐसा झूठा

आश्वासन देकर सभी का विश्वास जीता| फिर तुमने थोड़ा-थोड़ा करके कुल 4,60000/- रु. ले लिये| तुम और तुम्हारे साथीदारों ने पत्थरनगर परिसर में जाकर मनपा की पाईपलाईन से गैर-कानूनी तरीके लाईन जोड़ी और 4,60,000/- रु. ले लिये और फँसा दिया इसलिये तुम्हारे खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में गु.र.क्र. 69/20 कलम 420, 406, 34 भा.द.वि. दाखिल किया गया है|

समीक्षाः Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के मालिक (राकेश वाधवान) और उसके हिस्ट्रीशीटर नामचीन पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों के खिलाफ मेरी दी गई शिकायतों के अनुसार लाखों करोड़ का घोटाला गंभीर आपराधिक मामले में साबित तकनीकी सबूत व दस्तावेज देखने के बाद संबंधित आरोपियों को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी के आधार पर साजिश के तहत यह FIR दर्ज की गई है। हमारे द्वारा सभी तथ्यों व सबूतों को शिकायतों के साथ दिया गया है जिसकी समीक्षा करके चार्जशीट तुरंत दाखिल की जा सकती है अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो हम हर सजा भुगतने के लिये तैयार हैं|

5) **गु.र.क्र. 255/19 कलम 323, 324, 143, 144, 147, 148, 141 भा.द.वि. 37(1)(3) म.पो.का**

a. **शिकायतकर्ता मेहबूब नूरमौहम्मद चौहान द्वारा की गई शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ उसका भाई जमील शेख व अन्य सहयोगी, ये सभी SRA की नोटिस HDIL कंपनी की तरफ से पत्थरनगर, भारतनगर में बाँट रहे थे| उस समय तुम व तुम्हारे सहयोगियों ने असामाजिक तत्वों को जमाकर के "यह नोटिस नहीं बाँटना है" कहते हुये शिकायतकर्ता तथा उसके सहयोगियों के साथ गाली-गलौच व धक्कामुक्की की| उस समय शिकायतकर्ता ने तुमसे व तुम्हारे सहयोगियों से गाली गलौच करने से मना किया तो तुमने व तुम्हारे सहयोगियों ने उसे पकड़कर हाथों-पैरों से उसके साथ मारपीट की| तुम व तुम्हारे साथियों में से किसी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करते समय पीठ पर चाकु से प्रहार करके घायल कर दिया तथा तुम व तुम्हारे भाई नासिर मनिहार ने निर्माणाधीन ईमारत के साईट पर इस्तेमाल होने वाली लोहे की सरिया से मारपीट की इसलिये शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुम और**

तुम्हारे सहयोगियों के खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में ऊपर लिखी धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है|

समीक्षाः Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) ने पत्थरनगर की लगभग सभी इमारतों का गैर-कानूनी तरीके से निर्माण किया है जिसकी वजह से इन सभी इमारतों को NOC नहीं हुआ है और यही कारण है कि, इन बिल्डिंगों में मनपा के द्वारा ना तो पानी का कनैक्शन दिया गया है और ना ही सीवर लाईन का कनैक्शन कानूनी रुप से जोड़ा गया है बल्कि गैर-कानूनी तरीके से मनपा के पाईपलाईन से कनैक्शन लेकर सभी बिल्डिंगों में पानी की सप्लाई की जाती है साथ ही गैर-कानूनी तरीके से ही बिल्डिंगों की सीवर लाईन की गंदगी नाले में खुले में मनपा के पानी के कनैक्शन के ऊपर छोड़ दी जाती है जिसकी वजह से गंदगी मनपा के पाईप लाईन में भी जाती है और रहिवासियों को गंदा पानी पीना पड़ता है जिससे बीमारियाँ फैलती हैं| इसी को ध्यान में रखते हुये कि, अगर HDIL कंपनी पूर्व में बनाई हुई बिल्डिंगों की कानूनी नियमानुसार खानापूर्ति करके NOC दिलाती है तो इस बिल्डर को आगे लगातार कार्य करने की इजाजत दी जानी चाहिए जिसके प्रति हम लोगों में जागरूकता लाते हैं और रहिवासियों को समझाते हैं कि, यह एक ब्लैक लिस्टिड बिल्डर के द्वारा बनाई गई इमारतें और यह भी साबित हो गया है कि, इस बिल्डर के द्वारा गैर-संवैधानिक कार्य किये जाने की वजह से 'पी.एम.सी. व येस बैंक' जैसों का 'दिवाला' निकल चुका है| 'पी.एम.सी. व येस बैंक' के खाताधारकों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है और कुछ की मौत अटैक आने से हुई है जिसके जिम्मेदार HDIL है| ठीक उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी गरीबों के घरों को HDIL के गुंडो द्वारा जबरदस्ती छीन कर या डर दिखाकर खाली करवाया गया है जिसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता बाबु भाई व रफीक भाई व उनके साथ अन्य लोगों द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य किया जाने लगा था, जनता जागरूक हो रही थी और इसी वजह एस HDIL कंपनी के नामचीन गुंडे सालिम कुरैशी (जो A.I.M.I.M. का लीडर है) व उनके गुंडे साथियों फिरोज बॉस, सुलेमान खैरानी, जलील पशु शेख उर्फ जलील मुल्ला, इरशाद खान, शेखर HDIL, अनवर खान आदि के द्वारा बाबु भाई का कत्ल कर दिया गय और पत्थरनगर व भारतनगर में दहशत फैलाई गई

जिससे आम नागरिकों में घबराहट थी| इसीलिये हम लोग ऐसी परिस्थिती में जागरुकता का काम करते हैं जिससे HDIL जैसी ब्लैक लिस्टिड कंपनी अपने नामचीन गुंडों का सहारा लेकर वापस सर्वे के नाम पर डराने व लोगों के घरों को छीनने का काम ना कर सके| सबूतों के रुप में प्रत्येक दस्तावेज़ मौजूद है कि किस प्रकार असली झोपड़ा मालिक का मकान छीनकर, अन्य को बेच दिया गया है| आज भी असली झोपड़ामालिक के नाम पर ही एस.आर.ए. के तहत मिलनेवाले कई फ्लैट रजिस्टर्ड हैं जिसमें नाम तो असली झोपड़ा मालिक है लेकिन रहनेवाले वे लोग हैं जिन्हें कम कीमत पर फ्लैट बेच दिए गये हैं और अब पानी व मैंटेनेंस के नाम पर पैसा तो लिया जाता है लेकिन जो पानी बिल्डिंग में रहनेवाले फ्लैटमालिकों को दिया जाता है वह गैर-कानूनी तरीके से प्राप्त किया जाता है| इसे रोकना हर भारतीय नागरिक की ड्यूटी है और उसी ड्यूटी के तहत अहिंसात्मक तरीके से हम पीड़ित व्यक्ति को हौसला देते हैं और समझाते हैं कि, भू-माफिया और उनके दलाल ठगों के बहकावे में मत आओ|

मेरे द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी जिसके परिणाम स्वरुप FIR No. 254/19 के आरोपियों ने हमला करके हम लोगों को घायल कर दिया था और हमारे ऊपर ही क्रॉस FIR कर दी थी जिसकी सच्चाई को सामने लाने के लिये घटनास्थल के पास मौजूद सी.सी.टी.वी. फुटेज सीज़ करने के लिये आवेदन दिये गये थे मगर सी.सी.टी.वी. फुटेज जब्त नहीं किये गये जिसकी वजह से जब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त व पुलिस उपायुक्त आदि को शिकायतें भेजी गईं तब भी बी.के.सी पुलिस थाने द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज सीज़ नहीं किया गया (सबूत मौजूद है)| आखिर काफी सामाजिक दबाव के बाद जाकर मामले को दबाने के लिये यह मामला बी.के.सी. पुलिस थाने से खेरवाड़ी पुलिस थाने ट्रांस्फर कर दिया गया जहाँ पर शुरु-शुरु में तो काम कर रहे हैं दिखाते हुये घटनास्थल के सी.सी.टी.वी. कैमरे का DVR जब्त किया गया मगर आजतक उसपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है अगर ईमानदारी से कार्यवाही की जायेगी तो सच्चाई सामने आयेगी| यह पुलिस अधिकारियों को पता है कि हम बेगुनाह है इसीलिये वे जानबूझकर सामने नहीं ला रहे बल्कि मामले को

लटकाये रखकर हमारे ऊपर दर्ज केसों की संख्या को बढ़ाने में लगे हुये हैं|

तुम्हारी गैर-कानूनी हरकतों को रोकने का प्रयास सरकारी अधिकारियों ने किया तो उन पर भी हमला करने का जुर्म भी तुम्हारे खिलाफ दर्ज किया गया है जो कि निम्न है|

6. **गु.र.क्र. 162/14 धारा 353, 332, 504, 506, 34 भा.द.वि. दर्ज जुर्म के बारे में जानकारी निम्न है**

   a. **दिनांक 20.08.2014 को 10ः00 बजे एम.एम.आर.डी.ए. के अधिकारी तुम्हारे निवासी परिसर चाल नं. 52 SF 3 व 4 इस सरकारी रिज़र्व जमीन पर फेंससिंग लगाने का काम कर रहे थे उस समय तुम और तुम्हारे साथियों ने उस जगह पर हंगामा करके, गाली-गलौच करके धमकाते हुये कहा कि, 'बेकार ट्यूबलाईटों को तोड़ कर खुद को जख्मी करके सरकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया| एम.एम.आर.डी.ए. के अधिकारियों व कर्मचारियों पर हमला किया उस समय वहाँ मौजूद पुलिसवालों ने तुम्हारे व तुम्हारे साथियों को समझाने का प्रयास किया तो तुम व तुम्हारे साथियों ने पुलिसवालों के साथ भी धक्का-मुक्की की, इस कारण तुम और तुम्हारे साथियों के खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में निम्नलिखित धाराओं में गुनाह दर्ज किया गया है**

   समीक्षाः मामला कोर्ट में लंबित है, "फॉरमोस्ट रियाल्टार" प्राइवेट लिमिटेड (ओमकार बिल्डर) डॉ बाबासाहेब अंबेडकर नगर भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई 4000 51 झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना की सीमा से बाहर forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4, SF 5) एमएमआरडीए की अनमोल भूमि जो सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित है और मीठी नदी में बहने वाले स्वाभाविक नाला पर ओमकार बिल्डर गैर कानूनी तरीके से खुलेआम अतिक्रमण करने का कार्यक्रम शुरु किया था। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे परिवार के सदस्य व अन्य लोगों ने तुरंत 100 नंबर पर सूचना देकर बी.के.सी. पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को वर्क ऑर्डर की जांच पड़ताल करने के लिए लिखित रूप में आवेदन दिए थे| ओमकार बिल्डर के लिए लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्ति हथियाने में कोई रुकावट ना हो सके इसलिए एम.एम.आर.डी.ए. व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए यह फर्जी मामला दर्ज करके हमें फंसाया गया

था। यदि अभी भी इस मामले में **उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा। सारे सबूत मौजूद हैं|**

7. **गु.र.क्र. 278/16 धारा 333, 332, 353, 120(बी), 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 मे दर्ज जुर्म की जानकारी निम्नलिखित है**

   a. **मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा दिनांक 15.12.16 को G.N. विभाग के भूखंड क्र. SF 5 भारत नगर में स्थित है जिसपर तुम्हारे व तुम्हारे साथियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था उस भूखंड को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिये पुलिस बंदोबस्त की मांग की थी| निवेदन के अनुसार ही पुलिस थाने की ओर से उपायुक्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था| अवैध कब्जे को हटाते समय तुम व तुम्हारे साथी तोडक कार्यवाही का विरोध करने लगे थे| उस समय वहाँ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लगातार तुम्हारे व तुम्हारे साथियों को सरकारी कामकाज में रुकावट ना डालने की चेतावनी दी थी| इसके बावजूद तुमने व तुम्हारे साथियों ने वहाँ पर हल्ला-गुल्ला व गाली-गलौच करके MMRDA के कर्मचारियों के काम में रुकावट पैदा करते रहे थे| तुम और तुम्हारे साथी उस स्थान पर बंदोबस्त में लगे पुलिसवालों पर दबाव बनाने के लिये अचानक ही अपनी बीमार माँ को पुलिसवालों के ऊपर ढकेल दिया तथा तुम्हारे साथी ने रॉड से पुलिस अधिकारी के मुँह पर प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया तथा लात-घूंसों से मारपीट की थी इसलिये तुम और तुम्हारे साथियों के खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में उपरोक्त जुर्म दर्ज है|**

   समीक्षा: इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा स्टे प्राप्त है, गु.र.क्र. 162/14, गु.र.क्र. 279/16 से संबंधित (ओमकार बिल्डर) forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4, SF 5) सरकार की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति किसी भी हाल में हथियाना चाहता था। कोई रुकावट ना हो सके इसलिए एमएमआरडीए व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए फिर से यह फर्जी मामला दर्ज करके हमें फंसाया गया था। **यदि अभी भी इस मामले में उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा। सारे सबूत मौजूद हैं|**

b. **जिस समय एम.एम.आर.डी.ए. के अधिकारी उपरोक्त स्थान पर सरकारी कार्य कर रहे थे, तुम्हारे साथियों ने एम.एम.आर.डी.ए. के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ गाली-गलौच करके हाथापाई की थी जिसके कारण तुम्हारे साथियों के खिलाफ बी.के.सी. पुलिस थाने में गु.र.क्र. 279/16 धारा 353, 504, 34 भा.द.वि. के तहत जुर्म दर्ज किया गया|**

समीक्षा: केस की संख्या बड़ाने के लिए लिखा गया है, यह केस मेरे ऊपर नहीं है। गु.र.क्र. 162/14, गु.र.क्र. 278/16 से संबंधित (ओमकार बिल्डर) forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207 (SF 4. SF 5) सरकार की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति किसी भी हाल में हथियाना चाहता था। कोई रुकावट ना हो सके इसलिए एम.एम.आर.डी.ए. व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए फिर से यह फर्जी मामला दर्ज करके हमें फंसाया गया था। **<u>यदि अभी भी इस मामले में उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा|</u>**

c. **तुम 1998 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो तथा तुम बी.के.सी. पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के कुख्यात अपराधी हो| तुम खिलाफ आजतक शांतिप्रीय नागरिकों से मारपीट करने, चोट पहुँचाने, धमकी देने, गैर-कानूनी तरीके से भीड़ जमा करके दंगा करना, जान से मार देने का प्रयास करके दहशत निर्माण करने तथा जालसाजी करना आदि प्रकार के जुर्म दर्ज है| तुम और तुम्हारे साथी सरकारी कर्मचारियों को सरकारी काम करने से रोकने, सरकारी जगह पर अवैध कब्जा करके सरकारी कर्मचारियों ने तुम्हारे अवैध कार्यों पर कार्यवाही करने पर अथवा उसको करने से रोकने पर उन पर हमला करना इस प्रकार के जुर्म में सहभागी और सक्रीय है|**

समीक्षा: मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं 1998 से अपराध की दलदल में गले तक डूबा हूं, इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से 22 वर्ष पहले जब मैं 14 वर्ष का बच्चा था तब मेरे ऊपर एक मामला कलम 324 का दर्ज किया गया जिसका 17 वर्ष तक कभी केस चला ही नहीं और जिसकी जानकारी मुझे थी ही नहीं कि उस वक्त क्या हुआ था? मगर फिर भी मेरे द्वारा किए जा रहे अहिंसात्मक अनशन को रोकने के लिए इस मामले को आपके विभाग द्वारा उठाया गया **जिसका मतलब**

साबित होता है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गंभीर गुनाह उस वक्त जब मैं अनशन पर बैठा था दर्ज (1998 के 17 वर्ष बाद तक) नहीं था फिर भी मुझे आदतन अपराधी करार दिया जा रहा है, मेरे ऊपर जितने भी अपराधिक मुकदमें दर्ज है उसका मुख्य कारण गलत के खिलाफ आवाज उठाना है, न कि मेरा, आपके अनुसार कथित अपराधी प्रवृति का होना, और जिसके लिए मैं कभी भी सर्वजनिक रूप से वीडियो केमरे के सामने सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं | संवेधानिक नियमानुसार आरोप लगाने वाले अधिकारी/विभाग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अतः यह मामला सेशन कोर्ट द्वारा स्टे प्राप्त है, गु.र.क्र. 162/14, गु.र.क्र. 279/16 से संबंधित (ओमकार बिल्डर) forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4, SF 5) सरकार की लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति किसी भी हाल में हथियाना चाहता था। कोई रुकावट ना हो सके **इसलिए एमएमआरडीए व पुलिस के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के जरिए फिर से यह फर्जी मामला दर्ज करके हमें फंसाया गया था। यदि अभी भी इस मामले में उचित जांच पड़ताल की जाए तो हम निर्दोष साबित होने के अलावा सरकार को लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति का फायदा भी होगा। सारे सबूत मौजूद हैं|**

d. उपरोक्त उल्लेखित कालावधि में तुमने अपने साथियों की मदद से उपरोक्त जुर्म किये हैं जो भारतीय दंड संहिता प्रकरण क्रमांक 16, 17 तथा 22 के अनुसार दंड के भागी है| तुम्हारी आपराधिक पृष्ठभूमि और तुम तथा तुम्हारे साथियों की गैर-कानूनी गतिविधियों के कारण बी.के.सी. पुलिस थाने की सीमा में रहनेवाले नागरिकों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हो चुकी है जिसके कारण जन सामान्य के जानमाल को नुकसान होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है|

समीक्षा: इसी जवाब के बिंदु क्र. 2.B(i). में विस्तृत रुप में जानकारी दी गई है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कानून का पालन करता हूँ अतः जो भी मामले मेरे ऊपर दर्ज हैं उसके बारे में भी मैंने विस्तृत रुप से जवाबी पत्र में जवाब दिया है| और यह कहा कि, हमारी वजह से रहिवासियों में असुरक्षा की भावना बन रही है तो यह कहना बिल्कुल गलत है मेरे सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से हरेक पीड़ित नागरिक मेरे पास

मदद मांगने के लिये आता है और मदद व्यक्ति मांगने आता है जिसे मदद देने वाले पर भरोसा हो। अतः मेरे ऊपर लगाये जाने वाला आरोप झूठा व बेबुनियाद है।

e. **तुमको तुम्हारे इन गैर-कानूनी कृत्यों से समय रहते रोकने के लिये ही तुमको मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई तथा ठाणे जिले से तड़ीपार (जिलाबदर) करने का फैसला लिया गया है क्योंकि मुंबई के पास के ठाणे जिले से व नवी मुंबई जिले से मुंबई आने के लिये तमाम साधन उपलब्ध होने के कारण तुम कभी भी मुंबई शहर में प्रवेश करके अपने गैर-कानूनी वारदातों को अंजाम देकर पुनः मुंबई शहर से बाहर जाने की संभावना होने के कारण की कार्यवाही क्यों ना की जाये। इसी विषय पर जाँच करने के लिये तुम्हें कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है।**

समीक्षा: मैं इसका विरोध करता हूँ और इसी वजह से जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब यही है कि मैं लोगों की असुरक्षा के लिये नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिये काम कर रहा हूँ और कानून के दायरे में रहकर अहिंसात्मक तरीके में रह कर अपनी बात प्रत्येक विभाग तक व उनके उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अतः मुझे मुंबई शहर में नहीं रहना चाहिये तो यह गलत है, अपनी सफाई में मैं संपूर्ण जवाब इस पत्र में दे चुका हूँ जब भी आवश्यक सबूतों की मांग होगी मैं समयसीमा में उपलब्ध करा दूँगा।

बदरुद्दीन सदरुद्दीन मनिहार
पताः रुम नं. 81, गली नं 52,
नेहरु विकास मंडल, भारतनगर,
बांद्रा (पू.), मुंबई मोब. 81699-32031

Scanned with CamScanner

Gmail

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com>

Sub: Please file FIR u/s 306 of IPC against Addl.C.P (WR) Shri Manoj Kumar Sharma, DCP (Zone 8) Shri Manjunath Singhe, ACP (KD) Appasahab Baburao Shivale, Sr.P.I Anand Mulay, Police Officer Kanaiyalal Shinde and API S.M.Kole for forcing my Husband to commit suicide due to harassment meted out to my family, friends and me.

1 message

ishrat manihar <maniharishrat@gmail.com> Sat, Jul 25, 2020 at 2:38 PM
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, cm@maharashtra.gov.in, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, Vinoy Kumar Choubey <cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in>, "Jt CP (Crime) Brihan Mumbai MH" <cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in>, Addl Commissioner of Police West Region Mumbai <cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in>, DCP ZONE VIII OFFICE <dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in>, Sr PI BKC <ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in>, Bandra Police Station <ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in>, sahabhag.maharashtra@gov.in

Re: My husband 's attempt to commit suicide on 29-06-2020

Sir,

I am the aggrieved victim of police atrocities and have to state as under:

1) My husband was forced to commit suicide by these five police officers due to their constant atrocities on me and my family members besides friends.
2) These five police officers are misusing their official positions and government machinery to file false and illegal cases on my family members and friends.
3) None of my serious complaints are being inquired into by these five police officers with ulterior motives to support the HDIL Developer and their illegalities besides scams of crores of rupees.
4) Maximum false cases have been filed against us to harass us and prevent us from following the complaints against the HDIL illegalities and besides the authorities supporting them.
5) None of our complaints are made into FIR despite hardcore evidence and medical papers to support the same by these five police officers.
6) My husband was forced to commit the suicide due to the harassment caused to me and my family members besides friends by five police officers Addl.C.P.(WR) Manoj Kumar Sharma, DCP(Zone 8) Shri Manjunath Singhe, ACP (KD) Appasahab Baburao Shivale, Sr.P.I Anand Mulay , Police Officer Kanaiyalal Shinde and API S.M.Kole hence request to file FIR against them u/s 306 IPC within 07 days on receipt of this serious complaint and to call me for my statement and evidence, as soon as possible.

Thanking you,

Yours faithfully

(Mrs. Ishrat Badruddin Manihar)

Room No.81, Chawl No.52,
Nehru Vikas Mandal, BKC, Bandra (E),

Scanned with CamScanner

Sub: Request to form a committee to inquire into all my complaints and retaliation FIR's filed against us by the BKC Police Station otherwise I will proceed on indefinite hungry strike.

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Sat, 25 Jul 2020 at 2:55 pm
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, cm@maharashtra.gov.in, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in

Re: Non Stop harassment meted out to me and my family by BKC Police Station.

Sir,

I am a social and RTI activist and besides being a crime reporter and have to state as under:

1) None of my many complaints filed with various authorities have been inquired so far till today despite having met them personally.
2) I & my family faced retaliations due to these above complaints filed by us!
3) There is huge scam of HDIL and Foremost Realtor developer which is worth lakh of crores of rupees which is the reason we are facing this form of harassment!
4) Many FIR's are being filed against us and without proper investigation the chargesheet is filed by the BKC Police Station making the case sub judiced which is common modus operandi of the police officers!
5) The inquiry should be done by a different region to make it free, fair and impartial!
6) This committee to inquire into the serious acts of omission and commission should be in time bound period!
7) I fear for my life and that of my family from these police goons of my region as I have suffered from them.
8) Please form this committee within 07 days to inquire into the complaints filed by us and the FIR's filed against us in retaliation by the BKC Police Station, to meet the ends of justice and equity.- Note: on failure I will be forced to sit on indefinite hungry strike in front of BKC Police Station with my family, please note!

Thanking you,

Yours faithfully

(Badruddin Manihar)

Room No.81, Chawl No.52,

Nehru Vikas Mandal, BKC, Bandra (E),
Mumbai-400051. Mob. 8169932031
Date 25-07-2020(1100hrs):

FW: Request to form a committee to inquire into all my complaints and retaliation FIR's filed against us by the BKC Police Station otherwise I will proceed on indefinite hungry strike.

2 messages

Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister) <CM@maharashtra.gov.in> Mon, 27 Jul 2020 at 11:16 am
To: Sanjay Kumar <acs.home@maharashtra.gov.in>
Cc: crimecorruptionreport@gmail.com <crimecorruptionreport@gmail.com>

माननिय श्री / श्रीमती

धन्यवाद,

आपला "ईमेल" मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधीत विभागास पाठविण्यात आला आहे.

नोंदणी शाखा,

मुख्यमंत्री कार्यालय.

From: Crime Corruption [crimecorruptionreport@gmail.com]
Sent: Saturday, July 25, 2020 2:55 PM
To: narendramodi1234@gmail.com; presidentofindia@rb.nic.in; Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister); psec.legislation@maharashtra.gov.in; M A Sayeed; dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in; cp.mumbai@mahapolice.gov.in; cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in; cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in; cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in; dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in; ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in; ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in
Subject: Sub: Request to form a committee to inquire into all my complaints and retaliation FIR's filed against us by the BKC Police Station otherwise I will proceed on indefinite hungry strike.

Re: Non Stop harassment meted out to me and my family by BKC Police Station.

Sir,

I am a social and RTI activist and besides being a crime reporter and have to state as under:

1) None of my many complaints filed with various authorities have been inquired so far till today despite having met them personally.
2) I & my family faced retaliations due to these above complaints filed by us!
3) There is huge scam of HDIL and Foremost Realtor developer which is worth lakh of crores of rupees which is the reason we are facing this form of harassment!
4) Many FIR's are being filed against us and without proper investigation the chargesheet is filed by the BKC Police Station making the case sub judiced which is common modus operandi of the police officers!

Sub: Request to form a committee to inquire into all my complaints and retaliation FIR's filed against us by the BKC Police Station otherwise I will proceed on indefinite hungry strike.

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Wed, 5 Aug 2020 at 11:52 am
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister) <cm@maharashtra.gov.in>, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, ig.lo@mahapolice.gov.in, Commissioner of Police, Mumbai. <cp.mumbai@mahapolice.gov.in>, Vinoy Kumar Choubey <cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in>, Jt CP (Crime) Brihan Mumbai MH <cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in>, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, ps.bandra.mum@mahapolice.gov.in, ac.heast@mcgm.gov.in, mohhe.phd@mcgm.gov.in

Re: My Application dated 25.07.2020, Non Stop harassment meted out to me and my family by BKC Police Station.

Sir,

I am a social and RTI activist and besides being a crime reporter and have to state as under:

1) None of my many complaints filed with various authorities have been inquired so far till today despite having met them personally.

2) I & my family faced retaliations due to these above complaints filed by us!

3) There is huge scam of HDIL and Foremost Realtor developer which is worth lakh of crores of rupees which is the reason we are facing this form of harassment!

4) Many FIR's are being filed against us and without proper investigation the chargesheet is filed by the BKC Police Station making the case sub judiced which is common modus operandi of the police officers!

5) The inquiry should be done by a different region to make it free, fair and impartial!

6) This committee to inquire into the serious acts of omission and commission should be in time bound period!

7) I am having fear for my life and that of my family from Mr manoj Kumar Sharma addl CP W/R, Mr Manjunath Singhe DCP of zone 8, Mr Appasaheb Baburao Shewale ACP K/D, Mr Anand Mule Seniors Police Inspector of BKC police station, Mr Kanhaiyalal Shinde Police Inspector of BKC, Mr Shalyam Mahadev Kole API BKC police station from these police officers and goons of HDIL as I had suffered from them.

8) Please form the committee to inquire into the complaints filed by us and the FIR's filed against us in retaliation by the BKC Police Station, to meet the ends of justice and equity.- Note: I will be forced to sit on indefinite hungry strike with my family at front of BKC police station from 10/08/2020 , please note!

9) Please take a note, if there will be any falsely implications to save the huge scam of crores will occurs in future against me then my Hunger strike will be continue in the prison for the interest of justice.

Thanking you, Yours faithfully

(Badruddin Manihar)

Room No.81, Chawl No.52,

Nehru Vikas Mandal, BKC,

Bandra (E), Mumbai-400051.

Mob No 8169932031

विषय: शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) ने अपने पद का दुरुपयोग करके '(HDIL) राकेश वधावन और उसके गुंडों द्वारा किये जा रहे लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले को बदस्तूर जारी रखने के लिए' मुझपर व मेरे परिवार पर दहशत बनाए रखने के लिए गंभीर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देते हुए मानसिक व शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा कर परेशान किए जाने के मामले में कार्यवाही किये जाने हेतु

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Thu, 6 Aug 2020 at 8:42 pm
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister) <cm@maharashtra.gov.in>, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, ig.lo@mahapolice.gov.in, Commissioner of Police, Mumbai. <cp.mumbai@mahapolice.gov.in>, Vinoy Kumar Choubey <cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in>, Jt CP (Crime) Brihan Mumbai MH <cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in>, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

Re: Non Stop harassment meted out to me and my family by BKC Police Station.

महोदय,

मैं श्री बदरूद्दीन पुत्र सदरूद्दीन मनिहार पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई (मोब. 81699-32031) में रहता हूँ. मैं सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाददाता व Whistleblower न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करता हूँ|

Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) राकेश वधावन और उसके दलाल पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों द्वारा भारत नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. में Rehab SRA योजना के नाम पर धोखाधड़ी करके गैरकानूनी तरीके से बनाई गई Buildings No. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, & 3A, 3B, 3C इन सभी इमारतों में तकरीबन 1300 घर है। जिसमें 90% प्रतिशत HDIL राकेश वधावन. के ग्राहक, किराएदार , हेवी डिपॉजिट पर धोखाधड़ी से कई लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करके गैरकानूनी तरीके से अवैध निवासियों को बसाया गया है। इसके अलावा जाली सोसायटीओं के नाम से मेंटेनेंस के नाम पर सभी अवैध निवासियों से पैसे वसूले जाते हैं। इन सभी बिल्डिंगों में अधिकतर बीएमसी की मेन लाइन में से चोरी करके पानी का कनेक्शन लगाया गया है। बेहिसाब हराम कमाई के लालच में पानी का कनेक्शन ऐसी जगह कर दिए हैं जहां पर सभी बिल्डिंगों की संडास के लाइन छोड़ी गई है। जिसके कारण बीएमसी के पानी की लाइन में संडास गटर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। इस वजह से भयंकर बीमारी का अंदेशा व सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से बेहिसाब हराम कमाई के जरिए (HDIL) राकेश वधावन और उसके दलाल पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों का पालन-पोषण किया जाता है। इसलिए इन सभी मामलों में शिकायतें करने के कारण शिकायतकर्ताओं को सरेआम बेरहमी से मारपीट, खून खराबा, हत्या, झूठी शिकायत पर गंभीर फर्जी मामले में फंसाकर दहशत का माहौल कायम किया जाता है। इन सभी गंभीर आपराधिक मामलों के खिलाफ स्पष्ट रूप से लिखित रूप में पत्र व्यवहार करने के अलावा संबंधित विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार मुलाकात करके उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई की फरियाद किया हूं।

परंतु (HDIL) राकेश वधावन और उसके गुंडों द्वारा लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले, गंभीर आपराधिक मामले में **श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र) श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8), श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन), श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना), कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर बी.के.सी. पुलिस थाना) और शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना)** की मिलीभगत शामिल होने के नाते आज तक उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा आदत के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत (HDIL) गुंडों द्वारा हम पर लगातार जानलेवा हमले करवा कर हम पर गंभीर फर्जी मामले दर्ज करवा के मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा कर परेशान करके हमारी हत्या की कोशिश व आत्महत्या करने पर लगातार मजबूर किए जा रहे हैं।

इसलिए मौजूदा सरकार से लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले, गंभीर आपराधिक मामले की उचित जांच पड़ताल आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए वरिष्ठ स्तर पर एक समिति की स्थापना की मांग किया हूं इसके लिए मैं दि: 10.08.2020 से बीकेसी पुलिस थाने के बाहर अनशन पर बैठेंगे। जिसकी सूचना में ने लिखित रूप में पहले से दे चुका हूं। इस वजह से दि: 06.08.2020 **शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना)** ने दो जेंट्स और एक लेडीस हवलदार को तड़ीपार की नोटिस के

साथ मेरे घर पर भेज कर मुझे बीकेसी पुलिस थाने में आने को कहा बीकेसी पुलिस थाने में बुला कर **शलयम महादेव कोले साहिब** ने बहुत गंदी गंदी गाली गलौज और अधिक गंभीर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देते हुए मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे!

(HDIL) डेवलपर के गुंडे और **श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र) श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8), श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन), श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना), कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर बी.के.सी. पुलिस था ना) और शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना)** उचित जांच पड़ताल से बचने के लिए हमारी हत्या या फिर से हमें गंभीर फर्जी मामलों में फंसा कर जेल में कैद करवा सकते हैं कृपया इस गंभीर मामले में खासतौर पर ध्यान दें।

धन्यवाद!

आपकी सेवा में: श्री बदरूद्दीन पुत्र सदरूद्दीन मनिहार

Gmail

Ranzam Maniyar <ramzanmanihar27@gmail.com>

विषय: भ्रष्टाचार के अहंकार में बीकेसी पुलिस थाने के अधिकारियों द्वारा मुझपर व मेरे परिवार पर दहशत बनाए रखने के लिए गंभीर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देते हुए मानसिक व शारीरिक, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा कर परेशान किए जाने के मामले में कार्यवाही किये जाने हेतु

1 message

Ranzam Maniyar <ramzanmanihar27@gmail.com> 8 August 2020 at 16:14
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, cm@maharashtra.gov.in, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, ig.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in, cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in

महोदय,

मैं श्री मोहम्मद रमजान पुत्र सदरूद्दीन मनिहार पताः रूम नं. 96, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई (मोब. 9987861990) न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करता हूँ|

1. २३ मई २०२० के दिन सुबह ७.३० बजे के आसपास शारिक व उनके घरवालों ने मेरे भाई बदरुद्दीन पर हमला किया जिसकी वीडियो फुटेज हमारे द्वारा लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई मगर हमारे खिलाफ ही FIR No. १७६/२०२० दर्ज कर दी गई फिर शारिक आदि ने हमारे घर में घुसकर मुझे मेरे भाई की पत्नी व भांजी को मारा और एक युवक रेहान पर चाकु से हमला किया और फिर घर से DVR लूट कर ले गये| जब मैं और मेरे परिवार के लोग हमले व DVR लूट की शिकायत करने बी.के.सी. पुलिस थाने गये तो वहां हमलावरों का पूरा कुटुंब भीड़ के रूप में बीकेसी पुलिस थाने को घेरे हुए थे इस वजह से ड्यूटी ऑफिसर श्री विकास लभांडे हमें बाद में बुलाएंगे बोल कर बीकेसी पुलिस थाने से जाने को कहा बाद में पता चला कि, हम पर ही धारा ३०७ के तहत FIR No. १८०/२०२० दर्ज कर दी गई और हमारी शिकायत दर्ज न हो सके इसलिए सोची समझी साजिश के तहत संबंधित हमलावरों का पूरा कुटुंब लोक डाउन के दरमियान भीड़ के रूप में बीकेसी पुलिस थाने के बाहर धरना देकर बैठे रहे अत: कई आवेदन सबूत व दस्तावेज देने के बावजूद हम पर किए गए हमले व DVR लूट की FIR आज तक दर्ज नहीं की गई है।

2. दि: 06.08.2020 शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) ने दो जेंट्स और एक लेडीस हवलदार को तड़ीपार की नोटिस के साथ मेरे घर पर भेज कर मेरे भाई बदरुद्दीन को बीकेसी पुलिस थाने में आने को कहा बीकेसी पुलिस थाने में बुला कर शलयम महादेव कोले साहिब ने मेरे भाई बदरुद्दीन को बहुत गंदी गंदी गाली गलौज और अधिक गंभीर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी देते हुए मेरे भाई बदरुद्दीन को मारने की कोशिश कर रहे थे! शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अपने पद का दुरुपयोग करके फर्जी मामला दर्ज करने के बारे में इनके खिलाफ Metropolitan Magistrate, 32nd Court में केस चल रहा है

<u>Case Details</u>

Case Type Summons Cases SS

Filing Number 7300/2018

Filing Date 05-09-2018

Registration Number 1515/2018

Registration Date 06-09-2018

CNR Number MHMM180093452018 इसके अलावा मेरे और मेरे परिवार वालों द्वारा शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) फर्जी मामले दर्ज करने के बारे में सबूत व दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में बहुत ज्यादा आवेदन दिए गए हैं।

3. दि: 07.08.2020 शुक्रवार को मैं बीकेसी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री आनंद मेले साहब से मुलाकात करके शलयम महादेव कोले (पुलिस उप निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) की शिकायत किया और यह भी बताया कि मेरी मां वरिष्ठ नागरिक, बिस्तर रोगी है, भ्रष्टाचार के अहंकार में उन्हें भी मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है फिर भी उसी दिन तकरीबन 8 से 10 पुलिस की टोली दो बार मेरे घर पर आकर घर में घुसकर पूरे घर की तलाशी ली गई मेरे घर के सदस्यों को बहुत बेइज्जत करके मानसिक रूप से बहुत परेशान किए। मेरे घर के सदस्यों ने बहुत अनुरोध किए मोहम्मद रमजान अभी घर पर नहीं है वह आते ही हम उसे बीकेसी पोलिस थाने भेज देंगे। आप चाहो तो हमारी साइन लेकर नोटिस दे दो हम नोटिस रमजान को दे देंगे। परंतु गुप्त नोटिस बताकर मेरे घर वालों को नोटिस देने से मना कर दिया।

4. कृपया आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की नोटिस या पत्र की सर्विस के लिए यदि मैं घर पर मौजूद नहीं हूं तो हमेशा की तरह एक या दो कांस्टेबल के माध्यम से मेरे घर के सदस्यों को नोटिस या पत्र की कॉपी दे सकते हैं

धन्यवाद!

आपकी सेवा में: श्री मोहम्मद रमजान मनिहार

विषय: उपलब्धव मौजूदा सबूत श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र); श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8); श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिसआयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन); श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिसथाना); कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर, बी.के.सी. पुलिस थाना) और शलयम महादेवकोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) को पी.एम

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Mon, 10 Aug 2020 at 6:37 pm
To: narendramodi1234@gmail.com, presidentofindia@rb.nic.in, Shri. Uddhav Balasaheb Thackeray (Chief Minister) <cm@maharashtra.gov.in>, psec.legislation@maharashtra.gov.in, sec.sla@maharashtra.gov.in, dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, adg.lo@mahapolice.gov.in, ig.lo@mahapolice.gov.in, Commissioner of Police, Mumbai. <cp.mumbai@mahapolice.gov.in>, Vinoy Kumar Choubey <cp.mumbai.jtcp.lo@mahapolice.gov.in>, Jt CP (Crime) Brihan Mumbai MH <cp.mumbai.jtcp.crime@mahapolice.gov.in>, cp.mum.dcpops@mahapolice.gov.in, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in, ps.bkc.mum@mahapolice.gov.in, mohhe.phd@mcgm.gov.in

Ref: corrected complaint Mailed by crimecorruptionreport@gmail.com 10 Aug 2020. 2.32pm

महोदय,
मैं श्री बदरूद्दीन पुत्र सदरूद्दीन मनिहार पताः रूम नं. 81, गली नं 52 नेहरू विकास मंडल, भारतनगर, बांद्रा (पू.), मुंबई (मोब. 81699-32031) में रहता हूँ और Whistleblower व सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाददाता हूँ। उपयुक्त विषय संदर्भ द्वारा न्याय की आशा के आधार पर आपसे निवेदन करता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारी की नियुक्ति समाज में व्याप्त अपराध को रोकने व निर्दोष को इंसाफ दिलाने के लिये की जाती है मगर 'पी.एम.सी. व येस बैंक के खाताधारकों के लुटेरे' HDIL कंपनी के मालिक 'राकेश वाधवान और उसके पालतू गुंडों द्वारा' एस. आर. ए. योजना के नाम पर कई लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला, किया गया साथ ही इस गोरखधंधे को उजागर करके रहीवासियों को जागरुक करने वाले समाज सेवक श्री आमिर जफर शेख (बाबू भाई) की हत्या करने वालों के साथ मिलकर अगर पुलिस विभाग के ही "श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र) श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8), श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन), श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना), कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर, बी.के.सी. पुलिस थाना) और शलयम महादेव कोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना)" भ्रष्ट अधिकारी पैसों के लिये बेलगाम होकर किसी निर्दोष को उसके परिवार के साथ अपराधी साबित करने पर इस कदर आमादा हो गए हैं कि, वे निर्दोष को अपराधी साबित करने के लिये बनाये गये (fabricate किये गये) सबूतों को भी इस प्रकार से नहीं जुटा पाते कि वह आसानी से झूठलाये ना जा सके जबकि इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जुटाये गये सबूतों पर एक पढा लिखा बच्चा भी नजर डाल दे तो उस बच्चे द्वारा किया गया विश्लेषण ही उन सबूतों को झुठा साबित कर सकता है। जिससे इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में यह कहना कि, "यह मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की पैदाईश हैं या रुपये देकर पुलिस प्रशासन में भर्ती हुये हैं" गलत नहीं है। यह अधिकारी पैसों की भूख के आगे इस कदर बेईमानी व गंदगी की दलदल में धंसे हुये हैं कि अगर इन्हें रुपये मिले तो ये अपनी बहू-बेटियों का सौदा करने में भी नहीं हिचकेंगे। निम्न आधार इन्हें एक भ्रष्ट, हरामखोर (हमें यह कहना अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो जनता का पैसा लेकर दूसरों के लिये काम करता हो उसे 'हरामखोर' ही कहा जाता है) व बेईमान व पुलिस महकमे के लिये कलंक साबित है। निम्न आधार इन्हें उपरोक्त अपराधों का अपराधी सिद्ध करते हैः-

1. BKC भारत नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. में Housing Development and Infrastructure Limited HDIL कंपनी के मालिक राकेश वाधवान द्वारा एस. आर. ए. योजना के नाम पर कई लाखों, करोड़ों रुपयों के घोटाले व गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को शिकायतें की गई, सोशल मीडिया में भी आवाज उठाई गई, मगर HDIL के गुंडों के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि इन गुण्डों के लीडर नामचीन सालिम कुरैशी और उनके साथियों द्वारा खुलेआम भारत नगर के समाज सेवक स्व. बाबु भाई की हत्या कर दी गई जिसकी FIR No. 140/2019 तब दर्ज हो पाई जब पूरा भारत नगर सड़क पर आ गया और सबने बी.के.सी. पुलिस थाने को घेर लिया था, इस वजह से कहीं जाकर FIR दर्ज करने को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी मजबूर हुए।
2. FIR No. 140/2019 के सभी आरोपी गिरफ्तारी के 40 दिनों के अंदर जमानत पर जेल से बाहर आ गये जिसके बाद जिन-जिन की गवाही पर यह FIR हुई थी उन सभी को डराया व धमकाया गया, धमकियाँ दी गईं कि, तुम्हारी जिन्दगी को नर्क बना देंगे व झूठे केस में भी अन्दर डलवा देंगे। फेसबुक पर गालियों की बारिश कर दी गई जिसकी NC भी की गई है. सुरक्षा के लिए आवेदन भी दिया गया।
3. FIR No. 140/19 के चार गवाहों के खिलाफ झूठी शिकायत पर धारा 307 के तहत FIR No. 204/19 29.07.2019 बीकेसी पुलिस थाने में घटिया तरीके से दर्ज कर दी गई। झूठी शिकायत पर FIR No. 204/19, IO कीर्ति जाधव द्वारा दर्ज की गई थी जिस FIR के ब्यान को पढ़कर एक पढ़ा-लिखा बच्चा भी उसे झूठा साबित कर सकता है क्योंकि FIR के बयान से यह साबित होता है कि, हमारे देश में कीर्ति जाधव एक ऐसी इकलौती उड़नपरी थी जिन्होंने 15 मिनट के अंदर 6.5 किमी. की दूरी दो बार तय कर ली साथ ही फरियादी ने भी उतनी दूरी तय कर ली। यह सवाल उठाते ही कीर्ति जाधव व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का ट्रांसफर हो गया साफ है, झूठी शिकायत पर पैसा खिलाकर जांच अधिकारी कीर्ती जाधव के सहयोग से FIR दर्ज की गई थी, मेरे पास सबूत व दस्तावेज उपलब्ध है। मतलब भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने पद का दुरूपयोग करते हुये गैर-संवैधानिक नियमों के तहत HDIL के मालिकों व गुंडों के कदमों पर कानून को झुका दिया।
4. जब इस मामले में मेरे द्वारा शिकायती पत्र दिये गये तो फिर से मुझे टारगेट किया गया और झूठी शिकायत पर FIR No. 255/2019 दर्ज किया गया जिसकी सच्चाई सामने लाने के लिये घटनास्थल पर मौजूद सी.सी.टी.वी. फुटेज देखने के लिये कहा गया तो कई अहिंसक अनशन "बी.के.सी. पुलिस थाने व

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (WR) व कलैक्टर के कार्यालय" में किये गये तब भी बी.के.सी. पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया मगर जब हम लोगों की तरफ से व सामाजिक संघठनों की तरफ से दबाव अधिक हुआ, तब जाकर FIR बी.के.सी. पुलिस थाने से खेरवाड़ी पुलिस थाने में ट्रांसफर की गई, मेरे पास शिकायत के सभी सबूत व दस्तावेज उपलब्ध है। जिसके बाद घटनास्थल से केवल DVR जब्त किया मगर आजतक रिपोर्ट नहीं दी और ना ही चार्जशीट दाखिल की गई जिससे साबित होता है कि झूठी शिकायत पर FIR No. 255/2019 दर्ज की गई, तहकीकात के बाद तुरंत इस मामले में B समरी रिपोर्ट दाखिल की जा सकती थी या चार्जशीट।

5. जब सामाजिक बदलाव व HDIL द्वारा की गई गुंडागर्दी पर अंकुश लगा तो HDIL गुंडों के मुख्य सरगना AIMIM के गुर्गे सालिम कुरैशी व उसके साथियों ने HDIL के द्वारा SRA के तहत बनाई गई Buildings No. 1C. 1B धोखाधड़ी से बसाए गए अवैध निवासियों को पानी के लिए तरसा कर अधिक लाखों रुपए की मांग व हर महीने मेंटेनेंस के नाम से प्रति घर हजार रुपए देने की शर्त रखी गई। जो बिल्डिंग के लोगों को नामंजूर थी। इसलिए बिल्डिंग के लोग आपस में पैसे इकट्ठा करके टैंकर द्वारा पानी मंगवा कर अपना गुजारा कर रहे थे। पानी के लिए मानसिक शारीरिक आर्थिक रूप से नुकसान उठा के हद से ज्यादा परेशान होकर हम लोगों से मदद मांगने आये तो हम लोगों ने इंसानियत के नाते पास ही मौजूद बावड़ी से पानी इंतजाम करवाया गया और लीगल पानी का कनैक्शन देने के लिये HDIL Developer को पत्र द्वारा कहा गया।

6. तब स्पष्ट रूप से पता चला कि (HDIL) राकेश वधावन और उसके दलाल पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों द्वारा भारत नगर, बांद्रा पूर्व, मुंबई 400051. में Rehab SRA योजना के नाम पर धोखाधड़ी करके गैरकानूनी तरीके से बनाई गई Buildings No. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, & 3A, 3B, 3C इन सभी इमारतों में तकरीबन 1300 घर है। जिसमें 90% प्रतिशत HDIL राकेश वधावन. के ग्राहक, किराएदार, हेवी डिपॉजिट पर धोखाधड़ी से कई लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करके गैरकानूनी तरीके से अवैध निवासियों को बसाया गया है। इसके अलावा जाली सोसायटीओं के नाम से मेंटेनेंस के नाम पर सभी अवैध निवासियों से पैसे वसूले जाते हैं। इन सभी बिल्डिंगों में अधिकतर बीएमसी की मेन लाइन में से चोरी करके पानी का कनेक्शन लगाया गया है। बेहिसाब हराम कमाई के लालच में पानी का कनेक्शन ऐसी जगह कर दिए हैं जहां पर सभी बिल्डिंगों की संडास के लाइन छोड़ी गई है। जिसके कारण बीएमसी के पानी की लाइन में संडास गटर का गंदा पानी मिक्स होकर आ रहा है। इस वजह से भयंकर बीमारी का अंदेशा व सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से बेहिसाब हराम कमाई के जरिए (HDIL) राकेश वधावन और उसके दलाल पालतू गुंडे बदमाश व्यक्तियों और सरकारी एजेंसियों के भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों का पालन-पोषण किया जाता है। इसलिए इन सभी मामलों में शिकायतें करने के कारण शिकायतकर्ताओं को सरेआम बेरहमी से मारपीट, खून खराबा, हत्या, झूठी शिकायत पर गंभीर फर्जी मामले में फंसाकर दहशत का माहौल कायम किया जाता है। इन सभी गंभीर आपराधिक मामलों के खिलाफ स्पष्ट रूप से लिखित रूप में पत्र व्यवहार करने के अलावा संबंधित विभाग के जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार मुलाकात करके उचित जांच पड़ताल कानूनी कार्रवाई की फरियाद की गई है।

7. जब पानी की चोरी व अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों की संबंधित विभागों में शिकायत की गई तो दो बार मनपा के अधिकारी गैर-कानूनी पानी का कनैक्शन काटने आये मगर गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में ही अधिकारियों से अभद्रता की व उन्हें काम नहीं करने दिया तब फिर से मेरे द्वारा पुलिस व सभी को शिकायत की गई साबित तकनीकी सबूत व दस्तावेज के साथ। जिस पर आगे की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित आरोपियों ने श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन), शलयम महादेव कोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) की मिलीभगत से मुझे व मेरे करीबी लोगों को सरेआम मारने व फर्जी मामलों में फंसाने की प्लानिंग की जिसकी सूचना मिलते ही मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया और बीकेसी पोलिस थाना अपनी शिकायत दर्ज करने गया था परंतु कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर, बी.के.सी. पुलिस थाना) ने मेरी शिकायत दर्ज करने के बजाय ने मुझे डरा धमका कर भगा दिया मैंने तुरंत अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र कंट्रोल पर फोन करके सूचना दी। अगले दिन लिखित रूप में आवेदन दिया जिस पर शलयम महादेव कोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) ने मेरे दिए हुए आवेदनों के अनुसार मुझे 3 दिनों के अंदर बीकेसी पुलिस थाने में हाजिर रहने को कहा यदि मैं 3 दिनों में हाजिर नहीं होता हूं तो मेरे द्वारा दिए गए आवेदनों की जांच पड़ताल बंद कर दी जाएगी ऐसा मुझे लिखित पत्र दिए। जिसके बाद आदत के मुताबिक साजिश के तहत बिना किसी पुख्ता सबूतों के धारा 420 के तहत मेरे व समीर के ऊपर FIR No. 69/20. दि. 20.02.2020 दर्ज कर दी गई जिसमें मैंने व समीर ने अपनी बेगुनाही के पुख्ता सबूत दिये हैं।

8. साजिश के तहत मुझे जान से मार देने के इरादे से 23 मई 2020 के दिन सुबह 7.30 बजे के आसपास शारिक व उनके घरवालों ने मेरे ऊपर हमला किया जिसकी वीडियो फुटेज हमारे द्वारा लगाये गये सी.सी.टी.वी. कैमरे में कैद हो गई मगर हमारे खिलाफ ही FIR No. 176/2020 दर्ज कर दी गई फिर शारिक आदि ने हमारे घर में घुसकर मेरी पत्नी व भांजी व छोटे भाई रमजान को मारा और एक युवक रेहान पर चाकु से हमला किया और फिर घर से DVR लूट कर ले गये। जब मेरी पत्नि व अन्य हमले व DVR लूट की शिकायत करने बी.के.सी. पुलिस थाने गये तो उन्हें वहाँ से पुलिस द्वारा भगा दिया गया बाद में पता चला कि, हम पर ही धारा 307 के तहत FIR No. 180/2020 दर्ज कर दी गई। पूरा मामला किस प्रकार झूठी शिकायत पर दर्ज किया उसके लिये संलग्न दस्तावेज़ (शपथ-पत्र) Annexure - __ के रूप में मौजूद है जिससे साबित होता है कि बी.के.सी. पुलिस थाने के भ्रष्ट अधिकारी HDIL के मालिकों व नामचीन गुंडों के लिये काम कर रहे हैं।

9. घर में घुसकर घायल करके DVR लूटकर ले जाने के मामले में FIR नहीं लिखे जाने व हम पर लगातार जानलेवा हमले व हम पर गंभीर फर्जी मामले दर्ज किए जाने की वजह से हम अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पश्चिम क्षेत्र कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे थे तब श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) के कहने पर बांद्रा पुलिस थाने द्वारा बिना कारण हमें अपहरण करके रखा गया व फिर मेरी मर्जी के बिना जबरदस्ती बी.के.सी. पुलिस थाने में रोके रखा गया और श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) ने अपने ऑफिस में मेरी मर्जी के बिना मुझे जबरन खड़ा रखा और फिर जलील करते हुये धमकियाँ दीं साथ ही श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन) से कहा कि, "इसे मोक्का के तहत अंदर डालो, लॉकडाऊन में कोई पूछेगा भी नहीं" ऐसे बर्ताव व नया झूठा मामला दर्ज करने की संभावना मुझे पहले से थी जिसकी सूचना मैंने पहले भी 100 नंबर पर व लिखित रूप में दी थी और इसी कारण विषाक्त द्रव्य अपने साथ लेकर गया था और मैंने सोच लिया था कि, ऐसी जिन्दगी से मौत अच्छी कम से कम बाद में परिवार तो सुकून से रहेगा इसलिये मैंने विषाक्त द्रव्य खाया और इस प्रकार आत्महत्या के लिये मुझे मजबूर किया गया और यह काम श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) द्वारा HDIL के मालिकों के सिपहसालार बनकर किया गया।

i. संलग्न दस्तावेज़ों में शपथ-पत्र में लगे Annexure - ___ के अनुसार FIR No. 176/20, FIR No. 177/20, FIR No. 180/20 में दिया गया विस्तृत विवरण साबित करता है कि, PI कन्हैय्यालाल शिंदे भ्रष्ट व पद के लिये अयोग्य साबित होते हैं। पुलिस अधिकारी की नियुक्ति समाज में व्याप्त अपराध को रोकने व निर्दोष को इंसाफ दिलाने के लिये की जाती है मगर इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी पैसों के लिये किसी निर्दोष को उसके परिवार के साथ अपराधी साबित करने पर इस कदर आमादा हो जाते हैं कि, निर्दोष को अपराधी साबित करने के लिये बनाये गये (fabricate किये गये) सबूतों को भी इस प्रकार से नहीं जुटा पाते कि वह आसानी से झूठलाये ना जा सके जबकि इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा जुटाये गये सबूतों पर एक पढा लिखा बच्चा भी नजर डाल दे तो उस बच्चे द्वारा किया गया विश्लेषण ही उन सबूतों को झुठा साबित कर सकता है। जिससे इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में यह कहना कि, "यह मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की पैदाईश हैं या रुपये देकर पुलिस प्रशासन में भर्ती हुये हैं" गलत नहीं है। निम्न आधार इन्हें उपरोक्त अपराधों का अपराधी सिद्ध करते हैः-

a. PI कन्हैय्यालाल शिंदे के द्वारा FIR No. 180/20 के मामले में अदालत में दिये गये बयानानुसार फरियादी के supplementary बयान में जो तथ्य दिये गये हैं उसके अनुसार यह साबित होता है कि खुद PI कन्हैय्यालाल शिंदे ही फरियादी के ब्यान को झूठा मानते हैं जिसके निम्न कारण हैं :

a1. फरियादी(शारिक) के supplementary बयानानुसार FIR No. 176/20 में 'उसे सुबह चॉपर से मारा गया था' जबकि FIR No. 176/20 के फरियादी(सलीम) द्वारा दिये गये ब्यान के अनुसार 'रमजान ने पाईप से मारा था'। इन दोनों विरोधाभाषी ब्यान को देखकर तुरंत एक ईमानदार अधिकारी को सच्चाई की तह तक पहुँचना चाहिये था और बयानों में ही हो रहे विरोधाभाषी ब्यानों के तथ्यों को समझकर सच्चाई तक पहुँचना चाहिए था लेकिन IO कन्हैय्यालाल शिंदे ने पद के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई और उन्होंने FIR No. 176/20 व FIR No. 180/20 के आरोपी (बदरूद्दीन) द्वारा उपलब्ध कराये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज का विश्लेषण नहीं किया, ना ही उसे रिकॉर्ड पर लिया और ना ही मुझसे (बदरूद्दीन) पूछताछ करके सच्चाई को सामने लाने के लिये आवश्यक सबूत इकट्ठा किये। तकनीकी सबूतों के रूप मे FIR No. 176/20 के फरियादी(सलीम) के घर के पड़ोस में लगे सी.सी.टी.वी. को भी सीज़ करके उसका विश्लेषण कर सकते थे साथ ही उस अस्पताल में जाने व आने के उस वक्त की सी.सी.टी.वी. को सीज़ करते व रिकॉर्ड पर लेकर विश्लेषण करके FIR No. 176/20 व FIR No. 180/20 के फरियादियों(शारिक व सलीम) के विरोधाभाषी ब्यानों की सच्चाई सामने ला सकते थे। उपलब्ध तकनीकी सबूत FIR No. 176/20 व FIR No. 180/20 में लगाये गये आरोप की सच्चाई के सबूत वीडियो फुटेज के रूप में होते और वे उसका विश्लेषण करके यह साबित कर देते कि, फरियादी को किस समय लगी और कैसे लगी है? और उसकी ड्रेसिंग किये जाने की पहले की फुटेज उपलब्ध रहती साथ ही बी.के.सी. पुलिस थाने में मौजूद सी.सी.टी.वी. भी सीज़ करते जिससे साबित होता कि, फरियादी को कितनी मार कहाँ और कैसे लगी है जो उन्होंने नहीं किया इसलिये वे 'मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले की पैदाईश साबित होते हैं अथवा अयोग्य अधिकारी साबित होते हैं'।

a2. Supplementary ब्यान में फरियादी (शारिक) के द्वारा कहा गया है कि, 'घटना के दिन उसे चॉपर से मारा गया' जबकि उसी फरियादी (शारिक) ने FIR No. 180/2020 के पूर्व में दिये ब्यान में कहा है कि, 'उसे लोहे की रॉड, पाईप व बंबु से मारा है' और Supplementary ब्यान लिखे जाने के दिन ही फरियादी द्वारा न्यूज चैनल 'मुंबई पुलिस को सलाम' को दिये इंटर्व्यू में कहा है कि, 'पीछे साईड 5 टाँके हैं, आगे साईड 3 टाँके, सुबह वो लोग जब लफड़ा, पत्थरबाजी किये थे उस वक्त 5 टाँके पीछे आये थे और जब शाम को 20-25 लोगों ने मारा तब 3 टाँके आये थे'। FIR No. 180/20 के फरियादी (शारिक) के उपरोक्त ब्यान विरोधाभाषी हैं फिर भी इस अधिकारी द्वारा जानते-बूझते कि, 'फरियादी द्वारा इस प्रकार का दिया गया विरोधाभाषी बयान इस पूरे मामले की असल सच्चाई को उजागर कर देगा और कथित घटना को झूठा साबित कर देगा' मगर फिर भी पद के दुरूपयोग का संपूर्ण फायदा उठाते हुये इस भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे ने बड़ी सफाई के साथ फरियादी द्वारा Supplementary ब्यान में दिये गये 'चॉपर' शब्द को गायब कर दिया व न्यूज चैनल (Annexure - _____ के बिंदु क्र. G (iii) को देखिये) में फरियादी (शारिक) द्वारा दिये गये ब्यान को भी गायब कर दिया कि, 'पीछे साईड 5 टाँके हैं, आगे साईड 3 टाँके, सुबह वो लोग जब लफड़ा, पत्थरबाजी किये थे उस वक्त 5 टाँके पीछे आये थे और जब शाम को 20-25 लोगों ने मारा तब 3 टाँके आये थे' जिससे साबित होता है कि, भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे जानता था कि FIR No. 180/20 का फरियादी (शारिक) झूठा है व झूठे आरोप लगा रहा है अगर PI कन्हैय्यालाल शिंदे ईमानदार होता तो वह फरियादी के बयान की सच्चाई उसके मुँह से निकलवा सकते थे और सच्चाई को सामने लाने के लिये हमारे द्वारा उपलब्ध करवाये गये सी.सी.टी.वी. फुटेज को रिकॉर्ड पर लेते साथ ही बी.के.सी. पुलिस थाने व अस्पताल की सी.सी.टी.वी. फुटेज को रिकॉर्ड पर लेते, फरियादी का MRI करवाते, फरियादी व उसके परिवार की कॉल डीटेल्स और मोबाईल लोकेशन रिकॉर्ड पर लेकर सभी का विश्लेषण करते जो नहीं किया जाना इन्हें भ्रष्ट व अयोग्य साबित करने के लिये पर्याप्त है।

a3. FIR No. 180/20 के फरियादी (शारिक) के Supplementary ब्यान के पहली नजर में ही झूठा साबित होने के बाद भी भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे द्वारा 8 नये लोगों के नाम FIR में दर्ज कर दिये गये जबकि फरियादी के Supplementary बयान के अनुसार अधिक से अधिक 12 ही आरोपी बनते हैं (Annexure - _____ के बिंदु क्र. F (3) की समीक्षा देखिये) जबकि पूर्व में दिये गये ब्यान के अनुसार पूर्व में 6 नाम FIR में दर्ज किये गये थे बाद के ब्यान (Supplementary ब्यान) में 8 नाम और जोड़े गये इस प्रकार कुल 14 नाम FIR में डाल दिये गये जिसे पहले नजर में ही कोई भी झूठा साबित कर देगा अगर भ्रष्ट अधिकारी कन्हैय्यालाल शिंदे ईमानदार होते तो बयान की समीक्षा करते। उपरोक्त तथ्य यह दिखाते हैं कि, एक तरफ तो इतने अधिक लोगों के पास हथियार बताये जा रहे हैं मगर चोट केवल एक ही फरियादी (शारिक) की चिन्हित हो रही है 'वह भी पुरानी चोट के ऊपर ही' तो फिर बिना जाँच किये या पुख्ता सबूतों के अन्यों का नाम नहीं डालना चाहिये था, जिससे यह साबित होता है कि PI कन्हैय्यालाल शिंदे भ्रष्ट 'मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले की पैदाईश हैं अथवा अयोग्य अधिकारी हैं'।

ii. निम्न आधार साबित करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे किस प्रकार पैसे की भूख के लिये बेगुनाहों को अपराधी साबित करने पर आमादा हैं :

a. मेरे खिलाफ 15 NC दिखाई गई हैं और 12 FIR दिखाई गई है अगर एक ईमानदार अधिकारी होता तो इन दर्ज की गई NC व FIR की ईमानदारी से समीक्षा करता और सच्चाई अदालत के सामने लाता जिससे बेगुनाह या अपराधी का निष्पक्ष चेहरा समाज व अदालत के सामने आता।

b. NC के मामले में मैंने संलग्न Annexure के बिंदु क्रमांक H (3)(i)(ब) की समीक्षा में दिया है कि, किस प्रकार गलत के खिलाफ उठाई गई मेरी आवाज़ को दबाने के लिये तुरंत मेरे खिलाफ NC दर्ज कर दी जाती थी।

c. दिखाई गई कथित 12 FIR निम्न भागों में बाँट कर देखिये:

c1. FIR No. 178/98 इस मामले को 19 वर्ष के बाद चलाया गया, कारण जब मैं FIR No. 62/14, FIR No. 278/16, FIR No. 279/16 के मामले में CBI द्वारा जांच करवाने की मांग के लिए अनशन पर बैठा था। जांच से बचने के लिए 19 वर्ष बाद गैरकानूनी तरीके से मुझे इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

c2. FIR No. 144/09 इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषमुक्त किया गया है, जिसे सामने रखकर जाँच अधिकारी यह साबित कर रहा है कि हम अदालत से गलत आधार पर छूटे हैं और यह भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे अदालत को भी झूठा साबित करके अदालत की अवमानना कर रहे है।

c3. FIR No. 62/14, FIR No. 278/16, FIR No. 279/16 उपरोक्त FIRs दर्ज करने का कारण "फॉरमोस्ट रियाल्टार" प्राइवेट लिमिटेड (ओमकार बिल्डर) डॉ बाबासाहेब अंबेडकर नगर भारत नगर बांद्रा पूर्व मुंबई 400051, झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना की सीमा से बाहर forum Serendipity at BKC sale building के निर्माण के लिए cts नंबर 4207. (SF 4. SF 5.) एमएमआरडीए की अनमोल भूमि जो सामाजिक सुविधाओं के लिए आरक्षित है। और मीठी नदी में बहने वाले स्वाभाविक नाला पर. ओमकार बिल्डर गैर कानूनी तरीके से खुलेआम अतिक्रमण करने का कार्यक्रम शुरू किया था। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे परिवार के सदस्य व अन्य लोगों ने तुरंत 100 नंबर पर सूचना देकर बीकेसी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को वर्क ऑर्डर की जांच पड़ताल करने के लिए लिखित रूप में आवेदन दिए थे। ओमकार बिल्डर के लिए लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्ति हथियाने में कोई रुकावट ना हो सके इसलिए एमएमआरडीए व पुलिस, ओमकार बिल्डर की वर्दीधारी गुंडों की टीम बनकर हमारे घर में गैर-कानूनी रूप से घुसी और फिर पूरे घर को तहस नहस किया व जब हमारे द्वारा 'संवैधानिक नियमों के अनुसार की जा रही कार्यवाही के दस्तावेज़ मांगे गए' तो हम लोगों के साथ मारपीट की गई जिसमें हमारी अम्मी (सामाजिक कार्यकर्ता) घायल होकर कोमा में चली गईं थीं, सारे सबूत मौजूद हैं।

c4. FIR No. 254/19 हमारी तरफ से अपराधियों के खिलाफ है जिसे हमारे नाम से दिखाकर संख्या दिखाने की कोशिश किया जाना ही जाँच अधिकारी की घिनौनी मानसिकता के साथ-साथ उसे भ्रष्ट व नाकाबिल साबित करता है।

c5. FIR No. 255/20 हमारे ऊपर क्रॉस की गई थी जिसकी सच्चाई घटनास्थल पर मौजूद सी.सी.टी.वी. में कैद है जिसपर ईमानदारी से कार्यवाही ना किये जाने की वजह से मामला हमारे अहिंसक अनशन के प्रयासों से बी.के.सी. पुलिस थाने से खेरवाड़ी पुलिस थाने में ट्रांसफर किया गया मगर सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार सच्चाई रिकॉर्ड पर नहीं ली जा रही है बल्कि अपराध की संख्या अधिक दिखाने के लिये इस झूठी व फर्जी शिकायत पर की गई FIR का उपयोग किया जा रहा है जिससे साबित होता है कि भ्रष्ट अधिकारी PI कन्हैय्यालाल शिंदे अपराध को खत्म करने के लिये पद पर नहीं बैठा है बल्कि अपनी निजी फायदे के लिये व HDIL के मालिकों व गुंडों का गुलाम बनकर उनके लिये काम कर रहा है।

c6. FIR No. 69/20 की FIR इसलिये दर्ज की गई जिससे मैं HDIL के नामचीन गुंडों द्वारा की जा रही घपलेबाजी को उजागर ना कर सकूं और उपलब्ध किये गये सबूत साबित करते हैं कि, मेरे ऊपर झूठा मामला दर्ज किया गया है।

c7. FIR No. 176/20, FIR No. 180/20, FIR No. 192/20 संलग्न शपथ-पत्र Annexure ___ से साबित होता है कि पूरे मामले झूठे हैं और HDIL के मालिकों व नामचीन गुंडों को बचाने के लिये मुझ पर व मेरे परिवार पर मामले दर्ज किये गये हैं।

c8. एक ईमानदार अधिकारी संपूर्ण समीक्षा करके ही आरोप-प्रत्यारोप करेगा जबकि बेईमान व अयोग्य अधिकारी अपने निजी फायदे के लिये काम करेंगे।

iii. निम्न आधार जोन 8 के पुलिस उपायुक्त श्री. मंजुनाथ सिंगे को HDIL के मालिकों व गुंडों के सिपहसालार के रूप में साबित करते हैं :

a. FIR No. 204/2019 में सच्चाई सामने लाने के लिये सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर लेने के लिये मेरे व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पत्र व ज्ञापन दिये गये मगर फिर भी सच्चाई सामने लाने वाले सभी मुख्य तकनीकी सबूतों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया और इसी वजह से वे Evidence Act के तहत सबूत नष्ट करने के गुनहगार बनते हैं। साफ है HDIL के गुंडों को बचाने व उनके प्रति वफादारी निभाने के लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश Tomaso Bruno & Ors.V/s...State of U.P. on 20 January (in Criminal Appeal No. 142 of 2015) की अवमानना करते हुये सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर नहीं लि्ये गये (दस्तावेज़ उपलब्ध हैं)।

b. FIR No. 255/2019 में सच्चाई सामने लाने के लिये सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर लेने के लिये मेरे व सामाजिक संस्थाओं के द्वारा पत्र व ज्ञापन दिये गये मगर फिर भी सच्चाई सामने लाने वाले सभी मुख्य तकनीकी सबूतों को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया और इसी वजह से वे Evidence Act के तहत सबूत नष्ट करने के गुनहगार बनते हैं, साफ है HDIL के गुंडों को बचाने व उनके प्रति वफादारी निभाने के लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश Tomaso Bruno & Ors.V/s...State of U.P. on 20 January (in Criminal Appeal No. 142 of 2015) की अवमानना करते हुये सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर नहीं लि्ये गये (दस्तावेज़ उपलब्ध हैं)

c. घर में घुसकर घायल करके DVR लूटकर ले जाने के मामले में FIR नहीं लिखे जाने की वजह से अनशन पर बैठे थे तब श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) के कहने पर बांद्रा पुलिस थाने द्वारा बिना कारण अपहरण करके रखा गया व फिर मेरी मर्जी के बिना जबरदस्ती बी.के.सी. पुलिस थाने में रोके रखा गया और श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) ने अपने ऑफिस में मेरी मर्जी के बिना मुझे जबरन खड़ा रखा और फिर जलील करते हुये धमकियाँ दीं साथ ही श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन) से कहा कि, "इसे मोक्का के तहत अंदर डालो, लॉकडाऊन में कोई पूछेगा भी नहीं" ऐसे बर्ताव व नया झूठा मामला दर्ज करने की संभावना मुझे पहले से थी जिसकी सूचना मैंने पहले भी 100 नंबर पर दे दी थी और इसी कारण विषाक्त द्रव्य अपने साथ लेकर गया था और मैंने सोच लिया था कि, ऐसी जिन्दगी से मौत अच्छी कम से कम बाद में परिवार तो सुकून से रहेगा इसलिये मैंने विषाक्त द्रव्य खाया और इस प्रकार आत्महत्या के लिये मुझे मजबूर किया गया और यह काम श्री. मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) द्वारा HDIL के मालिकों के सिपहसालार बनकर किया गया।

d. PI कन्हैय्यालाल शिंदे द्वारा अदालत में बार-बार सी.सी.टी.वी. फुटेज की बात की जा रही है जबकि श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8) को कई पत्रों व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों द्वारा सी.सी.टी.वी. फुटेज व कॉल डीटेल व मोबाईल लोकेशन की अहमियत बताई गई मगर फिर भी कभी भी सच्चाई सामने लाने व असली मुजरिमों को पकड़ने के लिये सी.सी.टी.वी. फुटेज अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये। FIR No. 180/2020 के मामले में भी जरूरी उपलब्ध सी.सी.टी.वी फुटेज, MRI व मोबाईल कॉल डीटेल व मोबाईल लोकेशन लेकर सच्चाई सामने लाई जा सकती है जिसके पत्र दिये गये मगर फिर भी HDIL के गुंडों को बचाने व उनके प्रति वफादारी निभाने के लिये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश Tomaso Bruno & Ors.V/s...State of U.P. on 20 January (in Criminal Appeal No. 142 of 2015) की अवमानना करते हुये सी.सी.टी.वी. फुटेज और मोबाईल लोकेशन व मोबाईल कॉल डीटेल रिकॉर्ड पर नहीं लि्ये गये (दस्तावेज़ उपलब्ध हैं)।

e. उपरोक्त तथ्य व समीक्षा व मेरे पास मौजूद साबित तकनीकी सबूत व दस्तावेज साबित करते हैं कि, श्री मनोज कुमार शर्मा (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पश्चिम क्षेत्र); श्री मंजुनाथ सिंगे (पुलिस उपायुक्त, जोन 8); श्री अप्पासाहेब बाबूराव शेवाले (सहायक पुलिस आयुक्त, खेरवाड़ी डिवीजन); श्री आनंद मोले (वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना), कन्हैय्यालाल शिंदे (पुलिस इंस्पैक्टर, बी.के.सी. पुलिस थाना) और शलयम महादेव कोले (पुलिस निरीक्षक, बी.के.सी. पुलिस थाना) 'मध्यप्रदेश के व्यापक घोटाले की पैदाईश हैं या नाकाबिल व पद के अयोग्य हैं और यह भी साबित होता है कि यह सभी भ्रष्ट अधिकारी पी.एम.सी. व येस बैंक के खाताधारकों के लुटेरे HDIL के मालिकों व उनको नामचीन गुंडों के सिपहसालार बनकर काम कर रहे हैं व येस बैंक के लुटेरे HDIL कंपनी मालिक के paid खूनी, हत्यारे साथी साबित होते हैं जिनके खिलाफ तुरंत बर्खास्तगी, गिरफ्तारी व जाँच कमेटी बैठा कर FIR दर्ज करते हुये कार्यवाही की जानी चाहिए व हम लोगों पर की गई सभी FIRs भ्रष्टाचार के अहंकार में झूठी शिकायत पर भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा कत्ल के आरोपी (सालिम कुरैशी व अन्य) के साथ साजिश रचते हुये मिलीभगत से हम पर दर्ज की गई है। सभी FIRs की जाँच, जाँच-कमेटी द्वारा उचित जांच पड़ताल करते हुये की जाये और FIR को निरस्त किया जाये व जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और झूठी शिकायत करनेवालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, ताकि भारत देश का लोकतंत्र बरकरार रहे ।

Note: इन सभी गंभीर आपराधिक अत्याचारों के खिलाफ न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की हमारी आर्थिक स्थिती नहीं है इसलिए मौजूदा सरकार द्वारा ही हमें न्याय प्राप्त हो सके इसलिए हम बी.के.सी. पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकालीन/अनशन/धरना आंदोलन पर दि. 10.08.2020 आज से बैठने वाले थे। जिसकी सूचना मैंने लिखित रूप में मेल द्वारा दि. 25.07.2020 दि. 05.08.2020 को दी थी। परंतु अभी तक हमें लिखित रूप में सही रिप्लाई नहीं मिला इसलिए मैं 3 दिनों तक और इंतजार करूंगा यदि भविष्य में साजिश के तहत भ्रष्टाचार के अहंकार में हमारी हत्या की जाती है या गंभीर आपराधिक अत्याचार के खिलाफ हम में से किसी ने भी आत्महत्या की तो इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की होगी कृपया दर्ज करें।

धन्यवाद!

बदरूद्दीन पुत्र सदरूद्दीन मनिहार
सामाजिक कार्यकर्ता तथा क्राइम संवाददाता
Mob. 8169932031

CNR No.	MHCC02-007068-2020

IN THE COURT OF SESSIONS FOR GR.BOMBAY AT MUMBAI

BAIL APPLICATION NO.1608 OF 2020

Nasir Sadrudin Hussain Manihar **...Applicant/Accused**

V/s.

The State (at the instance of
B.K.C. Police Station,
C.R.No.180/2020) **...Respondent**

Appearances:
Ld. Adv. Mr. Tanveer Nizam for the applicant.
Ld.A.P.P. Mr. D.M. Lade for the State.

CORAM : HIS HONOUR ADDL.SESSIONS JUDGE SHRI ABHIJEET A. NANDGAONKAR (C.R.No.30)
DATED : 11th August,2020

ORDER

By way of this application, applicant has prayed bail in C.R.No.180/2020 registered with B.K.C. Police Station for the offence punishable under Section 307,324,504,143,148,149 of Indian Penal Code.

2. It is submission of the applicant/accused that, he was arrested on 25.05.2020 on the complaint of Sharif Azizuddin Ansari at C.R.No.180/2020. Since then he is behind the bars. He was falsely implicated in this case due to previous enmity. The weapons are already recovered, therefore, further custodial interrogation is not necessary. There is no case to make out offence under Section 307 of

IPC, hence, he prayed that he be released on bail. He is ready to abide by all the terms and conditions imposed by this Court. Hence, he be released on bail.

3. Say of the I.O. through A.P.P was called. I.O./PI from BKC police station through A.P.P filed say at Exh.2 and strongly opposed the application. They submitted that, by previous conspiracy commit riot and injured the complainant seriously. The investigation to that effect is going on. The DVR pertaining to the incident was yet to be recovered by the police. It is within exclusive knowledge of the accused where it is. They have intentionally suppressed all evidence being disclosed to the investigating agency. Recovery of DVR is necessary. Hence, if the accused is released on bail, there is possibility of hampering of investigation and pressurizing the witnesses. Furthermore, known accused Badruddin Maniar was having registered serious offence against him. Therefore, possibility of law and order situation in such situation will arise if bail was granted. Therefore, they strongly opposed the application and prayed for rejection.

4. Heard learned Advocate Mr. Shakil Ahmed for the applicant/first informant appeared in other matter also submitted to consider his submissions, learned A.P.P Mr. D.M. Lade along with I.O. Mr. Kanhailala Shinde and learned Adv. Mr. Tanveer Nizam appearing for the accused.

5. While considering the factual aspects in order dt.17.06.2020 in respect of offence registered at C.R.No.180/2020 registered with B.K.C. Police Station under Section 307,324,504,143,148,149 of Indian Penal Code, anticipatory bail was granted to the other accused on certain

conditions. This accused was arrested on 25.05.2020 and since then he is behind bars. Therefore, his involvement in the commission of offence charged against them prima-facie reveals as the counter FIR is lodged.

6. It is already highlighted by the Investigation Officer when the threats given by the accused forced them to register a offence under Section 309 of IPC on 29.06.2020 at C.R.No.192/2020. Also the threats on social media and activities highlighted by the Investigating Officer of the accused are clear violation of the terms and conditions imposed by this Court while grant of anticipatory bail. To this learned counsel appearing for the accused submitted that the complainant was found along with iron rod, whose picture was forwarded to the police. Even the recorded about his act injuring the accused and others was not taken into consideration by the I.O. The I.O. has not properly taken care of the entire situation when their report against the first informant was already there. The police are acting in whimsy manner and protecting the complainant for the other means, which was clearly visible from the factual circumstances, highlighted on social media and series of complaints lodged. Even the injured and his wife had tried to bring this fact to the notice of higher authorities of the police about inaction on the part of the police authority, but it was not considered.

7. Therefore, all these highlighted aspects clearly showing that the accused not only suffered prejudice from the informant but also to the investigation agency are not functioning being a public servant to hold free, fair and full investigation. The learned Advocate submitted that, it be noted that they should take proper action against the police authority, but it should not considered as threats to the investigating

agency who are not functioning properly. That may apart from the factual situation, but it is also to be considered that the main accused Maniar and others are having serious criminal record. Therefore, the police will take proper action against them if required. At this stage we are no concern about it, though the I.O. submitted that they are being pressurized by such means on one and other count.

8. Therefore, after going through the submissions and considering nature of offence, the accused who is behind bar from the date of arrest needs to be enlarged on bail considering the pandemic situation of COVID-19. The directions of Hon. High Power Committee of the Hon. Bombay High Court for enlarging the accused on bail has to be considered. Considering the submissions of I.O. presence of the accused can be secured by imposing certain conditions for releasing him on bail. Therefore, the accused needs to be released on bail as prayed. Hence, I proceed to pass following order :-

O R D E R

1. Bail application No.1608 of 2020 is allowed.
2. Applicant/accused Nasir Sadrudin Hussain Manihar be enlarged on bail in C.R.No.180/2020 registered with B.K.C. Police Station on executing his PB of Rs.25,000/- with one or two solvent sureties of like amount.
3. The applicant shall report to the concerned police station on every Sunday from 10.00 a.m. to 12.00 p.m.
4. The applicant shall not tamper with the evidence or attempt to influence or contact the complainant, witnesses or any person concerned with the case.
5. The applicant shall inform his latest place of residence and mobile contact number immediately after being

released and/or change of residence or mobile details, if any, from time to time to the Court seized of the matter and to the Investigation Officer of the concerned Police Station.

6. The applicant to co-operate the investigation.

7. The applicant shall not leave jurisdiction of this Court with prior permission of this Court.

8. Cash bail of Rs.25,000/- is granted to the applicant/accused and amount to be deposited before concerned police station, who in turn to deposit it in this Court after opening of the Court.

9. After lifting of lockdown within four weeks applicant shall execute his surety bonds.

10. Application stands disposed of accordingly.

11. Authenticated copy of this order be supplied to both the sides.

(ABHIJEET A. NANDGAONKAR)
Additional Sessions Judge (C.R.No.30)
Gr.Bombay at Mumbai.

Dt.: 11/08/2020
Signed on : 11.08.2020
kps/-

“CERTIFIED TO BE TRUE AND CORRECT COPY OF THE ORIGINAL SIGNED JUDGMENT/ORDER”	
14.08.2020 at 10.56 a.m. UPLOAD DATE AND TIME	(KISHOR PRAKASH SHERWADE) NAME OF STENOGRAPHER

Name of the Judge	HHJ SHRI A.A. NANDGAONKAR (COURT ROOM NO.30)
Date of pronouncement of judgment/order	11.08.2020
Judgment/order signed by P.O. on	11.08.2020
Judgment/order uploaded on	14.08.2020

1.

IN THE COURT OF SESSIONS FOR GR.BOMBAY AT MUMBAI

MISCELLANEOUS APPLICATION NO.182 OF 2020
IN
DECIDED ANTICIPATORY BAIL APPLICATION NO.645 OF 2020

Shariq Ansari S/o Ajijuddin Ansari ...**Applicant/First Informant**

V/s

1. Badruddin Sadruddin Manihar
2. Ramzan Sadruddin Manihar
3. Talib Nasir Hussain Manihar
4. Zakir Hussain Sadruddin Manihar
5. Asif Haroon Ansari ...**Accused**
6. The State of Maharashtra (at the instance of BKC Police Station, C.R.No.180/2020) ...**Respondents**

Appearances:
Ld. Adv. Shakil Ahmed for the applicant/Intervenor.
Ld. Adv. Mr. Amin Solkar for the accused.
Ld. A.P.P. Mr. D.M. Lade for the State.

CORAM : HIS HONOUR ADDL.SESSIONS JUDGE SHRI ABHIJEET A. NANDGAONKAR (C.R.No.30)
DATED : 11th August,2020

ORDER

By way of this application the first informant have prayed for cancellation of order dt.17.06.2020 passed in A.B.A.No.645/2020 thereby anticipatory bail came to be granted to the accused Nos.1 to 5.

2. The submissions of the applicant/Intervenor through his counsel that he is the first informant on whose complaint dt.17.06.2020 FIR No.180/2020 came to be registered by B.K.C. Police Station against the accused under Section 307,324,504,143,148,149 of Indian Penal Code. He submitted that the alleged incident took place on 23.05.2020 at

Scanned with CamScanner

about 07.00 p.m. when all the accused gathered with weapons like iron rod, stick and assaulted the informant. In that assault informant was seriously injured and admitted in the hospital. About this incident when the report came to be lodged C.R.No.180/2020 and thereafter police moved into action and arrested one of the accused Mohd. Hussain Ismail Ansari on 25.02.2020. Thereafter, in further investigation when the entire incident was recorded in CCTV camera regarding seizure of DVR, the accused who are directed to cooperate the investigation have not cooperated the police. Furthermore, they are having serious criminal record registered against them. In such circumstances, all these facts which are not put forth before the Court while hearing of A.B.A No.645 of 2020 leads him to approach this Court for cancellation of protection granted by this Court.

3. Also the directions of Hon. Apex Court in the case of Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694 at page No.736 in para No.112 have provided 10 parameters for consideration of anticipatory bail application is clearly pointing non entitlement of the right of anticipatory bail in favour of the accused granted by this Court. Therefore, he submitted that the protection granted in exercise of discretionary power by this Court under Section 438 (1) of Cr.P.C. be cancelled and the order dt.17.06.2020 be set aside.

4. Notice came to be issued to the accused along with Investigating Officer of B.K.C. Police Station. They appeared and filed their reply on record. Learned A.P.P with P.I. Mr. Kanhailal Shinde of B.K.C. Police station have filed their reply at Exh.2 and supported the application of Intervenor by pointing out that the accused against whom series of offence are registered, are not entitled for anticipatory bail protection.

Scanned with CamScanner

Even they are not cooperating the Investigating agency nor abiding the terms and conditions imposed by this Court. Even accused Baddruddin Mainiar have pressurizing the police authority by putting them under pressure of social medical along with threatening of committing suicide, due to which again C.R.No.192/2020 came to be registered under Section 309 of IPC on 29.06.2020 against the accused. They are not attending, cooperating and abiding the conditions, which dis-entitle them from having protection of anticipatory bail. Hence, they prayed that order of A.B.A. No.645 of 2020 be set aside and protection granted to the accused be cancelled.

5. Learned Advocate for the accused has also submitted that the accused are cooperating the investigation. They were abiding by the all the terms and conditions as they were not arrested question of putting bail bonds does not arise. In respect of previous offence registered it is sub-judice, therefore, that does not dis-entitle the accused from having protection granted by this Court after hearing both the sides as per order dt.17.06.2020. Hence, he submitted that it is mere pressurizing tactics which does not warrant any interference in the order passed in their favour by this Court. Hence, application be rejected with costs.

6. Heard learned Advocate Mr. Shakil Ahmed for the applicant/first informant, learned A.P.P Mr. D.M. Lade along with I.O. Mr. Kanhailala Shinde and learned Adv. Mr. Amin Solkar appearing for the accused.

7. While considering the factual aspects in order dt.17.06.2020 in respect of offence registered at C.R.No.180/2020 registered with B.K.C. Police Station under Section 307,324,504,143,148,149 of Indian Penal Code, anticipatory bail was granted to the accused on certain

Scanned with CamScanner

conditions. In view of the submissions of I.O and learned counsel for the applicant previous history of criminal record in respect of offences registered against the accused since the year 2010 to 2020 was not highlighted to consider the A.B.A. No.645 of 2020.

8. Therefore, the parameters laid down by the Hon. Apex Court in the case of **Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694 at page No.736 in para No.112** are required to be considered in the light of factual aspects of this matter. In this offence the nature and gravity of acquisition is serious one. Also more than 14 offences registered against accused No.1 and other accused since 2010 to 2020 crystallized previous antecedent of the criminal nature of the accused. Also possibility of the applicant to flee from justice and repeating similar type of offence cannot be ruled out when they can use money and muscle power by using some political cloud, as per case of the police.

9. It is already highlighted by the Investigation Officer when the threats given by the accused forced them to register a offence under Section 309 of IPC on 29.06.2020 at C.R.No.192/2020. Also the threats on social media and activities highlighted by the Investigating Officer of the accused are clear violation of the terms and conditions imposed by this Court while grant of anticipatory bail. Even they have failed to abide by the terms and conditions imposed by this Court. Therefore, all these highlighted aspects clearly showing them protection given to the accused not only causing prejudice to the informant but also to the investigation agency who are pressurizing from free, fair and full investigation. Also in order to avoid harassment, humiliation of the informant the protection granted to all the accused has to be recalled.

Scanned with CamScanner

When there are serious offences registered against them and they are not cooperating the investigation agency by not producing DVR about the incident which is against them and which is in their exclusive knowledge and when they presented other evidence favourable to them clearly shows how they are playing tactics in the curtain of anticipatory bail. These facts lead me to hold that if the protection is cancelled no prejudice is going to be caused to the accused as other remedies are available to them.

10. Also as per the conditions imposed the accused have failed to execute the bond and inform latest place of residence and mobile contact number immediately. They have also failed to make themselves available for interrogation by a police officer as and when required as per the directions to attend the police station on every Wednesday and Friday. Also the inducement, threat to any person acquainted of the facts of this matter or other matters which are registered against accused dis-entitled them to avail the protection in their favour. In view of above circumstances and the authorities put forth by both the sides of the Hon. Apex Court and the parameters laid down dis-entitled all the accused to avail the protection from the date of this order. Hence, the anticipatory bail granted to the accused on 17.06.2020 by order in A.B.A.No.645/2020 deserves to be recalled and set aside from the date of this order.

11. In the light of above discussion, miscellaneous application No.182 of 2020 moved by the first informant for cancellations order dt.17.06.2020 in A.B.A. No.645/2020 is allowed. Hence, I proceed to pass the following order :-

Scanned with CamScanner

ORDER

1. Miscellaneous application No.182 of 2020 is allowed, thereby order dt.17.06.2020 in Anticipatory Bail Application No.645 of 2020 is cancelled from the date of this order.
2. Interim protection granted in Anticipatory Bail Application No.645 of 2020 in favour of accused No.1. Badruddin Sadruddin Manihar, No.2. Ramzan Sadruddin Manihar, No.3. Talib Nasir Hussain Manihar, No.4. Zakir Hussain Sadruddin Manihar and No.5. Asif Haroon Ansari, stands cancelled from the date of this order.
3. Inform the parties concerned accordingly.
4. Miscellaneous Application No.182 of 2020 stands disposed of accordingly.
5. Authenticated copy of this order be supplied to the parties concerned.

(ABHIJEET A. NANDGAONKAR)
Additional Sessions Judge (C.R.No.30)
Gr.Bombay at Mumbai.

Dt.: 11/08/2020
Signed on : 11.08.2020
kps/-

Sheristedar
City Civil and Sessions Court
Gr. Bombay

Scanned with CamScanner

arat Nagar, BKC, ...

By hand delivery

& Section 7

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER SECTION 6(1) OF THE CENTRAL RTI ACT, 2005,

for Urgent Information 48 Hours for the Court Case

From Nasir H. S. Manihar
Room No.84, Chawl No.52, Nehru Vikas Mandal,
Bharat Nagar, BKC, Bandra(E), Mumbai-400051.
Mob No.

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Mr. A. B. Shiwade (A.C.P)

To, The Public Information Officers,

Kherwadi Division BKC police station

Bandra (East) Mumbai 400051

(1) Full name of the Applicant: Same as above.

(2) Address: Same as above.

(3) Particulars of information required:

(i) Subject matter of information :

Information related to 10-7-2020 रोजी नासिर मनिहार (यांना) अटक करण्यात आले त्याचे विषय माहिती मिळणे बाबत

The Period to which the information relates to: 10 july 2020

(ii) Description of the information required :

(a) नासिर मनिहार यांना अटक करण्याकारिता किती पोलीस व पोलीस अधिकारी आले होते त्यांचे नाव व पदनाव मिळणे बाबत ...As Per Record(APR).

(b) नासिर मनिहार यांना घेउन त्याला किती गाड्या व वाहन होते व पोलीस बरोबर किती होते त्याचा सविस्तर माहिती ... APR

(c) ... location चे APR.

(d) नासिर मनिहार यांना कोठून अटक केले आणि त्याचे नाव आणि त्यांना कोणत्या ठिकाणी बसवले त्याचा location व नाव, APR.

नासिर मनिहार त्या मेडिकल [illegible] (बाबा रुग्णालय) मिळणे बाबत

(e) In case certain information is not available in your office the same should be obtained from the concerned office by transferring the related part of the application to the concerned office as per section 6(3) of the RTI Act, 2005 with due intimation to me, This is also as per the latest case history/rulings of the CIC In Sarabhjit Vs Delhi Development Board that applicant cannot be made to file maximum number of Applications for information due to numbers of PIO's appointed with related offices.

(f) I should receive intimation of the number of pages of information I will receive and the subsequent amount I am supposed to pay as per the rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am ready to follow any other norms required as per rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am requesting for intimation by way of registered A.D only as I fail to receive ordinary letters. I am enclosing a self addressed envelope with necessary stamps affixed.

(g) Information based on records and the above queries, which again based on records available. These queries are without being prejudiced to anybody or to any officials or any department.

(h) I want to physically examine the original documents before I collect the information only that is only after being informed of the total cost of information and number of pages.

(iii) Whether information is required by post or in person: In person after due Intimation of total cost.

(iv) In case by post : N/A.

(4) Whether the Applicant is below poverty line : No.

Date: 4 of 9-2020, 2020 at Mumbai.

Applicant Bashira Manihar (Bash) ....(Nasir Hussian Sadruddin Manihar)

पत्र मिळाले [illegible] 4/9/20

Encl: Original self addressed envelope with stamps affixed for intimation of total cost of information and number of pages of information. Last page number is five.

Scanned with CamScanner

By Hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL 22|09|2020

Mr. Nasir H.S.Manihar, Room No.84,
Chawl No.52, Nehru Vikas Mandal,
Bharat Nagar, Bandra (E), Mumbai- 51.
Date: 22-09-2020 (1100hrs)

To
...Mr. A.B. Shiwade (A.C.P)..
..The P.I.O. Kherwadi division BKC Police station Bandra [E] 51

Sub: Failure to response on my urgent RTI Application dated ....4.-...9.-20.., despite ......18...... Days.

Re: RTI information not received.

Sir,

I am social and RTI Activist and have to state as under;

1) I had filed the above RTI Application for Urgent 48 hours information but I have failed to get the said response or information till today.
2) The RTI Application is now delayed by ......15...... days.
3) Every days delay is equivalent to Rs.250/- besides the departmental action as per service rules.
4) I am requesting for detailed inquiry into the acts of omission and commission by all the officials of "police" Departments to unearth a huge scam.
5) I am requesting that information should be given immediately within two days, to meet the ends of justice and equity.

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir H.S. Manihar)

पत्र मिळाले
22/09/2020
जावक/आवक लिपिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रा मु.

Scanned with CamScanner

URGENT 48 HOURS 7-8

APPLICATION FOR INFORMATION UNDER SECTION 6(1) OF THE CENTRAL RTI ACT, 2005,

From Nasir H. S. Manihar
Room No.84, Chawl No.52, Nehru Vikas Mandal,
Bharat Nagar, BKC, Bandra(E), Mumbai-400051.
Mob No. 8108507786

10 ₹ Rs.10 INDIA TEN RUPEES

To, The Public Information Officers,
Bhabha Hospital,
Bandra (W), Mumbai – 50

(1) Full name of the Applicant: Same as above.

(2) Address: Same as above.

(3) Particulars of information required:

(i) Subject matter of information :

Information related to Medical done as per section 54 Cr.P.C. of Police Case and brought by BKC Police Station / Self dated 23 & 24/05/2020 10-07-2020 and 11-7-2020

The Period to which the information relates to: 2020

(ii). Description of the information required :

(a) Report & details of Medical examination dated 23 & 24/05/2020 u/s 54 Cr... As Per Record(APR).

(b) Copy & details of Medical Register maintained of patients by ambulance staff dated 23 & 24/05/2020 and APR

(c) 10/11-7-2020 APR.

(d) .... APR.

(e) In case certain information is not available in your office the same should be obtained from the concerned office by transferring the related part of the application to the concerned office as per section 6(3) of the RTI Act, 2005 with due intimation to me, This is also as per the latest case history/rulings of the CIC In Sarabhjit Vs Delhi Development Board that applicant cannot be made to file maximum number of Applications for information due to numbers of PIO's appointed with related offices.

(f) I should receive intimation of the number of pages of information I will receive and the subsequent amount I am supposed to pay as per the rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am ready to follow any other norms required as per rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am requesting for intimation by way of registered A.D only as I fail to receive ordinary letters. I am enclosing a self addressed envelope with necessary stamps affixed.

(g) Information based on records and the above queries, which again based on records available. These queries are without being prejudiced to anybody or to any officials or any department.

(h) I want to physically examine the original documents before I collect the information only that is only after being informed of the total cost of information and number of pages.

(iii) Whether information is required by post or in person: In person after due intimation of total cost.

(iv) In case by post : N/A.

(4) Whether the Applicant is below poverty line : No.

Date: 8 of 9, 2020

8 SEP 2020

Applicant Bashira Manihar (Nasir Hussian Sadruddin Manihar)

Encl: Original self addressed envelope with stamps affixed for intimation of total cost information and number of pages of information. Last page number is five.

Scanned with CamScanner

By hand delivery

(1)

APPLICATION FOR URGENT INFORMATION WITHIN 48 HOURS UNDER SECTION 7(1) OF THE CENTRAL RTI ACT, 2005 for presenting before competent authorities/court.

From : NASIR H. S. MANIHAR
Room No. 84, Chawl No.52, Nehru Vikas Mandal,
Bharat Nagar, BKC, Bandra (East), Mumbai-400051.

10 रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

To, The Public Information Officers,
श्री ए. बी शेवाळे (A.C.P)
खेरवाडी डिविजन बी.के.सी बांद्रा (पूर्व) मुंबई ५१

(1) Full Name of the Applicant : Same as above.
(2) Address : Same as above.
(3) Particulars of information required:
(i) Subject Matter of information :
Information related to दिनांक ६-९-२०२० रोजी बी.के.सी पोलीस ठाणे चे C-C-T-V Footage (inside / out side) मिळणे बाबत आणि नासिर मनिहार योचा विरुद्ध या दिवशी जे अदखल गुन्हा नोंद आहे त्याची प्रत मिळणे बाबत

The period to which the information related to ६-९-२०२०
(ii) Description of the information required :
(a) वर नमूद विषय अनुसार (N.C.) आणि C-C-T-V Footage देण्यात यावा.
(b) कोणते ही कारण विषय C-C-T-V फुटेज नष्ट करण्यात आले, तर ते फुटेज आपण safe करुन न्यायालय करिता ठेवावे.
(c)
(d) तुम्ही फुटेज safe करणार आहे का, नसेल त्याचा स्पष्टपणे उत्तर देण्यात यावे.

(e) In case certain Information is not available in your office the same should be obtained from the concerned office by transferring the related part of the application to the concerned office as per section 6(3) of the RTI Act, 2005 with due intimation to me. This is also as per the latest case history/rulings of the CIC in Sarabhjit Vs Delhi Development Board that applicant cannot be made to file maximum number of Applications for information due to numbers of PIO's appointed with related offices.

(f) I should receive intimation of the number of pages of information I will receive and the subsequent amount I am supposed to pay as per the rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am ready to follow any other norms required as per rules and regulations of the RTI Act, 2005. I am requesting for intimation by way of registered A.D. only as I fail to receive ordinary letters. I am enclosing a self addressed envelope with necessary stamps affixed.

(g) Information based on records and the above requires, which again based on records available. These queries are without being prejudiced to anybody or to any officials or any department.

(h) I want to physically examine the original documents before I collect the information only that is only after being informed of the total cost of information and number of pages.

(iii) Whether information is required by post or in person : In person after due Intimation of total cost.
(iv) In case by post : N/A.

(4) Whether the Applicant is below poverty line : NO

Date : 11-9-2020

पत्र मिळाले 11/9/20
[signature]
खेरवाडी विभाग, बांद्रा मुं

Applicant Bashire Manihar [signature] (Nasir Hussain Sadruddin Manihar)

Encl: Original self addressed envelope with stamps affixed for intimation of total cost, information and number of pages of information. Last page number is five.

Note: माहिती 15-9-2020 रोजी द्यायची आहे। म्हणुन तत्काळ देण्यात यावी कारण आयोगने 9-9-2020 रोजी से मध्ये सुनवणी चालू असतांना फोटाकॉपी करिता जे ऑनलाइन साइटवर आली आहे, ते आयोगने कोर्ट मध्ये दिली आहे.

Scanned with CamScanner

By Hand delivery MOST URGENT AND HIGHLY CONFIDENTIAL

Mr. Nasir H.S.Manihar, Room No.84,
Chawl No.52, Nehru Vikas Mandal,
Bharat Nagar, Bandra (E), Mumbai- 51:
Date: 16-09-2020 (1100hrs)

To
Mr. A.B. Shivare, ACP (K.D).
BKC Police Station, Bandre (East), Mumbai - 51

Sub: Failure to response on my urgent RTI Application dated 11-09-2020 despite Five Days.

Re: RTI information not received.

Sir,

I am social and RTI Activist and have to state as under;

1) I had filed the above RTI Application for Urgent 48 hours information but I have failed to get the said response or information till today.
2) The RTI Application is now delayed by Three days.
3) Every days delay is equivalent to Rs.250/- besides the departmental action as per service rules.
4) I am requesting for detailed inquiry into the acts of omission and commission by all the officials of Police department to unearth a huge scam.
5) I am requesting that information should be given immediately within two days, to meet the ends of justice and equity.

Thanking you,

Yours faithfully

(Nasir H.S. Manihar)

पत्र मिळाले
16/09/2020
बारनिशी लेखनिक
खेरवाडी विभाग, बांद्रा पुं.

Scanned with CamScanner

श्री. रमजान सदरुद्दीन मनिहार
रूम नं. ९६, चाळ नंबर ५२, नेहरू विकास मंडळ
भारतनगर, बांद्रा (पूर्व) मुं - ५१.
दिनांक 24/09/2020
मो. नं. 9987861990

प्रति
श्री. ए. बि. शेवाळे
सहाय्यक पोलिस आयुक्त
खेरवाडी विभाग बांद्रा (पूर्व) मुं. ५१

महोदय, मि अर्जदार वरिल प्रमाणे असुन वरिल पत्यावर रहावयास आहे दिनांक 22/09/2020 रोजी माझ्या राहत्या घरी बि. के. सि. पोलिस स्टेशनचे अधिकारी तसेच कर्मचारी माझ्या नावाची कसलीतरी नोटीस घेऊन आले असता. माझ्या घरातील लोकांनी ति नोटीस मागितली असता आलेल्या अधिकारी यांनि साफ नकार देत त्यांनि ते नोटिस भिंतिवर चिपकवुन (जबरदस्तीने) निघुन गेले. महोदय, मि आपणांस ई-मेल द्वारे व लिखित स्वरूपात आपणांस स्पष्ट सांगितले की, मला कोणतेही पत्र/नोटीस माझ्या फोनवर-व्हाट्सप, ई-मेल, किंवा पोस्टाने पाठवण्यात यावे. तरिही आपण जबरदस्तीने मला त्रास देण्याच्या उद्देशाने करत आहात. असो, आपण दिलेल्या/भिंतिवर लावलेल्या नोटीसमधिल पानि लागल्याने काहि स्पष्ट दिसत नाहि. त्यामुळे माझी आपणांस नम्र विनंती आहे, की मला ति नोटिसची खरी प्रत पोस्टाने, ई-मेल, व्हाटसप द्वारे पाठवण्यात यावे ही विनंती. त्याचे कारण असे की, मि अनेकदा स्वतः येऊन तसेच लेखी स्वरूपात आपणांस तसेच पोलिस उप आयुक्त आणि बि. के. सि. पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक यांस तक्रार अर्ज केलेले आहेत परंतु आजतागायत एकाही तक्रार अर्जाचे निवारण झालेले नाही त्यामुळे आपण भिंतिला लावलेल्या नोटिसची साफ प्रत मला मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागता येईल. त्यामुळे मला ति नोटिस पोस्टाने, ई-मेल, व्हाटसप किंवा घरातिल कोणत्याही व्यक्तीच्या हातात देण्यात यावी महोदय, जर मि न्यायालयात दाद मागितली नाहि तर माझ्यावर तसेच माझे मित्र परिवार यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल होत राहणार याची खात्री असुन तसेच तुमच्या पोलिस ठाणेतिल पोलिस अधिकारी/कर्मचारी आपल्याला चुकिच्या गोष्टी सांगुन आपली दिशाभुल करत आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत.

आपले विश्वासु

(श्री रमजान मनिहार)

Scanned with CamScanner

पोलीस उप आयुक्त कार्यालय, परिमंडळ ८
Deputy Commissioner of Police, Zone -VIII
Deputy Commissioner Of Police, Zone-VIII, Bandra Kurla Complex Bldg., 1st floor, B.K.C. Road, Bandra (E), Mumbai 400051.
Phone No.: 022-26508381 , Fax No. 022-26540101
E-mail : dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in

Reference No.: O.W. 2156 /Dcp Zone 8/ 2020 Date: 22/09/ 2020

प्रति,

बद्रुद्दीन सद्रुद्दीन मनियार वय ३६ वर्षे,
रा.ठि.:- चाळ नं. ५२, रुम नं. ८१,
नेहरु विकास मंडळ, भारतनगर
बांद्रा पुर्व मुंबई ५१.

आपणास या पत्राद्वारे कळविण्यात येते की,आपल्या विरूध्द् बी.के.सी. पोलीस ठाण्याने प्रस्तावित केलेला कलम ५६(१)(अ) म.पो.का.अन्वये तुम्हास ०२ वर्षाकरिता मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, नवीमुंबई व ठाणे या जिल्हयाच्या हद्दी बाहेर हद्दपार का करु नये? याबाबतची कारवाई, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, खेरवाडी विभाग,मुंबई यांच्याकडे चालू होती. सदर कारवाईबाबतचा अहवाल,त्यांनी आमचेकडे सुपूर्द केलेला आहे.

सदर प्रस्तावित कारवाईच्या संदर्भात आपणास काही सांगावयाचे असल्यास अथवा आपल्या वतीने कोणा साक्षीदारास हजर ठेवावयाचे असल्यास, सदर प्रकरणाच्या सुनावणी करीता आपण दि.२८/०९/२०२० रोजी दुपारी १६.०० वा. पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ-८ यांचे कार्यालय,बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स पोलीस ठाणेच्या वर,पहिला माळा, बांद्रा पुर्व, मुंबई येथे वेळेत हजर राहावे.

आपण सदर तारखेस हजर न राहिल्यास आपल्या विरुध्द् चालू असलेल्या वर नमूद सुनावणीबाबत आपणास काही सांगावयाचे नाही असे गृहीत धरुन एकतर्फी निर्णय घेण्यात येईल.

Dy. Commissioner of Police, Zone - VIII ★ Mumbai ★

22/09

(मंजुनाथ सिंगे)
पोलीस उप-आयुक्त,
परिमंडळ-८,मुंबई.

Scanned with CamScanner

Sub.: Transfer Application

1 message

Crime Corruption <crimecorruptionreport@gmail.com> Sun, 27 Sep 2020 at 8:30 pm

To: Commissioner of Police, Mumbai. <cp.mumbai@mahapolice.gov.in>, deshmukhv09@gmail.com, cp.mum.addcp.west@mahapolice.gov.in, dcpzone8-mum@mahapolice.gov.in

Applicant :
Badruddin Sadruddin Manihar
R/o. Chawl No. 52, Room No. 81,
Nehru Vikas Mandal, Bharat Nagar,
Bandra (E.), Mumbai 400051.
Date : 27.09.2020

To,
Commissioner of Police
Mumbai
Sub.: Transfer Application
Ref. : DCP (Zone 8) Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 but received on 26.09.2020
Respected Sir,

I have received a notice from the DCP Office (Zone 8) in relation to externment proceedings of which i receive notice Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 received on 26.09.2020 (annexed as Annexure A).

I, hereby, through this application apply for transfer of the said proceedings to a different officer or authority. I anticipate bias and prejudice from the said officer who has a grudge against the applicant. Therefore in anticipation of justice and fairplay i humbly request you for the said transfer.

The Applicant, undersigned, has complained against the said DCP (Zone 8) for dereliction of duty, abuse of power and colourable exercise of power. Annexed as Annexure B" is the copies of said applications dt. 11.06.2020, dt. 29.06.2020, dt. 01.07.2020, dt. 25.07.2020, dt. 05.08.2020, dt. 06.08.2020, dt. 10.08.2020, dt. 20.08.2020.

Prayers :

1. My humble prayers for grant of transfer of the proceedings.
2. To grant stay of the said proceedings till pendency of this application

Yours Sincerely

Badruddin Sadruddin Manihar

CC: 1. Home Minster, 2. Addl. C.P. (WR) 3. DCP (Zone 8)

Applicant :
Badruddin Sadruddin Manihar
R/o. Chawl No. 52, Room No. 81,
Nehru Vikas Mandal, Bharat Nagar,
Bandra (E.), Mumbai – 400051.

Date : 27.09.2020

To,

Commissioner of Police
Mumbai

(कक्ष १) नोंदणी शाखा
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय
28/09/2020

Sub.: Transfer Application

Ref. : DCP (Zone 8) Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 but received on 26.09.2020

Respected Sir,

I have received a notice from the DCP Office (Zone 8) in relation to externment proceedings of which i receive notice Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 received on 26.09.2020 (annexed as **Annexure – "A"**).

I, hereby, through this application apply for transfer of the said proceedings to a different officer or authority. I anticipate bias and prejudice from the said officer who has a grudge against the applicant. Therefore in anticipation of justice and fairplay i humbly request you for the said transfer.

The Applicant, undersigned, has complained against the said DCP (Zone 8) for dereliction of duty, abuse of power and colourable exercise of power. Annexed as **Annexure – "B"** is the copies of said applications dt. 11.06.2020, dt. 29.06.2020, dt. 01.07.2020, dt. 25.07.2020, dt. 05.08.2020, dt. 06.08.2020, dt. 10.08.2020, dt. 20.08.2020.

Prayers :

1. My humble prayers for grant of transfer of the proceedings.
2. To grant stay of the said proceedings till pendency of this application

Your's Sincerely

Badruddin Sadruddin Manihar

CC: 1. Home Minster, 2. Addl. C.P. (WR) 3. DCP (Zone 8)

Last Page No. 28

OPPO F7

Applicant :
Badruddin Sadruddin Manihar
R/o. Chawl No. 52, Room No. 81,
Nehru Vikas Mandal, Bharat Nagar,
Bandra (E.), Mumbai – 400051.

Date : 28.09.2020

To,

Commissioner of Police
Mumbai

28/9/2020.
पोलीस उप आयुक्त
परिमंडळ-८, मुंबई.
यांचेकरीता

Sub.: Transfer Application

Ref. : DCP (Zone 8) Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 but received on 26.09.2020

Respected Sir,

I have received a notice from the DCP Office (Zone 8) in relation to externment proceedings of which i receive notice Ref. O.W. 2156/DCP Zone 8/2020 Dt. 22.09.2020 received on 26.09.2020 (annexed as **Annexure – "A"**).

I, hereby, through this application apply for transfer of the said proceedings to a different officer or authority. I anticipate bias and prejudice from the said officer who has a grudge against the applicant. Therefore in anticipation of justice and fairplay i humbly request you for the said transfer.

The Applicant, undersigned, has complained against the said DCP (Zone 8) for dereliction of duty, abuse of power and colourable exercise of power. Annexed as **Annexure – "B"** is the copies of said applications dt. 11.06.2020, dt. 29.06.2020, dt. 01.07.2020, dt. 25.07.2020, dt. 05.08.2020, dt. 06.08.2020, dt. 10.08.2020, dt. 20.08.2020.

Prayers :

1. My humble prayers for grant of transfer of the proceedings.

2. To grant stay of the said proceedings till pendency of this application

Note: I have already mailed all documents & attachment by mail Id: (crimecorruption-report@gmail.com) dated - 27-09-2020, 8.30 pm

Your's Sincerely

Badruddin Sadruddin Manihar

CC: 1. Home Minster, 2. Addl. C.P. (WR) 3. DCP (Zone 8)

Scanned with CamScanner

EPUTY C

Before Hon'ble deptuty Commissioner of
Police zone - VIII
BKC Kherwadi division, Mumbai.

Date: 28/09/2020

Hon'ble. DCP of zone. VIII;

Today on dated 28.09.2020 our hearing date was. BKC Kherwadi before DCP. Zone. VIII

I am present on this date but due to urgency work of DCP Today they didnot attend us.

By saying we will give & see on the next time or next date till then you present your. selfs before the office and took date as per you needed because due to busyness secdule Dcp Respected DCP. Zone VIII will not be available please give me next date in ~~30th~~ Last December 2020. In between we are going to file case and appeal in the court against the Calprit

28/9/2020.
पोलीस उप आयुक्त
परिमंडल-८, मुंबई.
यांचेकरीता

Scanned with CamScanner

For this reason as well as.

we apply to transfer the matter

befor AEP again.

2) Needed AEP report which one is submitted before DCP
To know the status of case our case.

Thanks

place: Mumbai

Date: 28/09/2020

Badruddin S. Manihar
(Respondent)

.Al

Scanned with CamScanner